

हिन्दी बुक सेन्टर, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-१  
द्वारा प्रसारित

# विजय

## के

# सूत्रधार

श्री महावीर दि० जैन वाग्नाथ  
श्री महावीर बी (राज्य)

रक्षामंत्री श्री जगजीवनराम :  
व्यक्तित्व एवं संस्मरण

सम्पादक :

डॉ० अशोककुमार वर्मा

डॉ० अशोककुमार वर्मा

प्रथम संस्करण

नवम्बर १९७२

●  
मूल्य  
दस रुपये

---

प्रकाशक : पंजाबी पुस्तक भंडार

दरीवा कलां, दिल्ली-६

एकमात्र वितरक : हिन्दी बुक सेंटर

आसफ अली रोड, नई दिल्ली-१

मुद्रक : हिन्दी प्रिंटिंग प्रेस, नारायणा इण्डस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-२५

VIJAY KE SUTRADHAR : Jagjivan Ram

(Dr. Ashok Kumar Verma) : Rs. 10.00

राष्ट्रीय पौरुष के प्रतीक

प्रातःस्मरणीय

“बाबूजी”

को

सादर समर्पित

— डॉ० अशोककुमार वर्मा





## भूमिका

जब विश्व के अन्य देशों की सभ्यता के सूर्य का दर्शन तक नहीं हुआ था, तभी भारत के मनीषियों ने 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का उद्घोष किया था और 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' की कामना की थी। भारत की मिट्टी ने ही 'बहुजन हिताय बहुजन सुखाय' का उद्घोष किया था, पर कालचक्र की गति ने हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया। हमारी स्वतन्त्रता छिन गई थी और हमारी आजादी लुट गई थी। परतन्त्रता की बेड़ी में जकड़े हम सिसकियां ले रहे थे। एक लम्बे अर्से से गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का प्रयत्न भी जारी था, पर सफलता कोसों दूर रहती थी। इस असफलता का कारण था कि सामंतवादी शक्तियां सामंतवादी राज्य की स्थापना के लिए लड़ाइयां लड़ती थीं। उन लड़ाइयों में प्रजातंत्र, व्यक्ति-स्वातन्त्र्य, समाजवाद और अपनी संस्कृति का नामोनिशान तक नहीं था। फलस्वरूप पराजय का ही मुख देखना पड़ता था। सामंतवादी और विस्तारवादी शक्तियां किसी एक अधिक शक्तिशाली वर्ग को उन लड़ाइयों में शामिल नहीं होने देती थीं। इतना ही नहीं उस शक्तिशाली वर्ग को उपेक्षा की नज़रों से देखा जाता था। उसे समाज में बहिष्कृत कर दिया गया था और उस पर तरह-तरह के जुल्म भी ढाए जाते थे। यही कारण था कि एक लम्बे अर्से से भारत स्वतंत्रता के सूर्य का दर्शन करने में असमर्थ था।

वैसे तो मनुष्य का स्वाभाविक गुण है कि वह स्वतन्त्रताप्रिय है। लेकिन प्रत्येक फल अपने समय पर ही पकता है। हमारी आजादी की लड़ाई पुनः आरम्भ हुई। इस आजादी की लड़ाई के सेनानी के रूप में महात्मा गांधी आए। इसके बहुत पहले ही

मन्त्र-द्रष्टा स्वामी विवेकानन्द ने भविष्यवाणी की कि आजादी की लड़ाई समाज के उपेक्षित, वहिष्कृत, परित्यक्त और पृथु-दलित वर्ग के सहयोग से ही जीती जा सकती है। इसे महात्मा गांधी ने समझा और इस वर्ग की सहायता लेकर स्वतन्त्रता-संग्राम में सफलीभूत हो सके। इस स्वतन्त्रता-संग्राम के पहले देश के कर्णधारों ने तरह-तरह की कसमें खाईं और तरह-तरह के वायदे किए। एक ऐसे समाज के नवनिर्माण का नक्शा खींचा गया और दिखलाया गया कि मानव-समाज के बीच कोई अन्तर न होगा; ऊंच-नीच का भेद-भाव न होगा और सब बराबर रहेंगे। उन कर्णधारों ने यह भी विश्वास दिलाया था कि धन जो मुट्ठी-भर लोगों की तिजोरियों में बन्द रहता है, उसे समाज के सब लोगों में समान रूप से वितरित किया जाएगा। सब समान रूप से उस सम्पदा के भागीदार बन सकेंगे। भूखमरी, बेकारी, अज्ञान, निर्धनता और विपमता सब दूर होंगी। परिणाम यह हुआ कि मुट्ठी-भर अन्न पर जीने वाले, भोंपड़ी और मड़ियों में रहने वाले गरीब, मजदूर, किसान सबने एकजुट होकर आजादी की लड़ाई लड़ी और देश स्वतन्त्र हो गया।

पर स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद सारे वायदे, वायदे रह गए और सारी कसमें भूठी हो गई। सब सत्ता-लोलुपता के फदे में फंस गए। समाज या जनता के प्रति वफादारी निभाने का नामोनिशान तक नहीं रह गया। ऐसी बात नहीं थी कि आजादी की लड़ाई लड़ने वाली कोई दूसरी पार्टी या उसके नेता रहे हों और आजादी के बाद सत्ता सम्भालने वाले कोई दूसरे। लगा सब अपने आपमें खो गए हों और उन्हें अन्य किन्हीं बातों से कोई मतलब ही न हो। ठीक वही सुग्रीव वाली दशा हो गई। भगवान राम के साथ मिलकर सुग्रीव वाली को मारकर किष्किन्धा का राजा बनने में सफल तो अवश्य हो गया, पर भगवान राम से की गई अपनी प्रतिज्ञा को वह भूल गया। लक्ष्मण के क्रोध ने उसके स्मृति-भ्रंश का इलाज किया। ठीक यही दशा हमारे देश के कर्णधारों की हुई और वे जनता की विराट शक्ति को भूल गए।

स्वतन्त्रता के बाद देश के कर्णधारों के बीच एक ही ऐसा व्यक्ति

था, जो जनता के साथ-साथ चलने का प्रयत्न करता रहा। पर बात वही है कि 'अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता।' फिर भी वह दृढ़-संकल्प पूरे दायित्व और कर्तव्य-बोध के साथ वर्गहीन समाज के नव-निर्माण में संलग्न रहा। आज उसी की क्षमता से वर्ग-युद्ध दब गया है। आर्थिक शोषण को भी समाप्त करने के लिए वह कृत-संकल्प है। ऐसा विश्वास है कि वे जाति-भेद, वर्ण-भेद, धन-भेद आदि तमाम भेदों को समाप्त करेंगे, जो मनुष्य को मनुष्य बनने नहीं देते। शायद वे ही उस अहंकार को मिटाने के लिए सचेष्ट हैं, जिसके चलते मनुष्य अपने स्वाभाविक गुणों को छोड़ पशुत्व का आवरण ओढ़ लेता है।

आज चन्द्रमा पर अपनी विजय की कीर्ति-पताका कोई फहरा ले पर मानव-हृदय तो विशुद्ध प्रेम का भूखा है। मानव-हृदय पर प्रेम का ही झण्डा गाड़ा जा सकता है और यह काम महापुरुष के सिवा दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। इसी प्रेम, संघर्ष और बलिदान के बीच पली हुई एक जिन्दगी हमारे सामने है, जो कांटों में खिले हुए फूल की तरह हँस रही है। कांटों से घिरे रहने पर भी यह कभी भी अपनी सुगन्ध बिखेरने से बाज नहीं आई है। इसने हमें स्पष्ट दिखला दिया है कि कर्मठ व्यक्ति के समक्ष पर्वत भी सिर झुका देता है, उसके मार्ग को गतिरुद्ध करने वाला भीषण भंभावात भी छूमन्तर हो जाता है और अपार सागर भी सहजता से पार उतरने के लिए मार्ग दे देता है। इसने यह सिद्ध कर दिखाया है कि नफरत की आग को स्नेह के शीतल छींटों से बुझाया जा सकता है और घृणा को प्रेम में परिवर्तित किया जा सकता है। यह एक प्रेरणा-स्रोत है, जिससे सभी लाभान्वित भी हुए हैं। हमारे-यहां कहा भी गया है कि 'महाजनो येन गतः स पन्थाः' और इसके अनुसार हमारा कर्तव्य और धर्म होता है कि महापुरुषों का हम अनुकरण और अनुसरण दोनों करें। भारत की मिट्टी से जन्मे अनगिनत तेजस्वी महापुरुषों की कहानी ही हमारा इतिहास है और यही हमारी घरोहर है। भारत की इस धरती पर अनेक अलौकिक महापुरुष आए हैं और उन्होंने हमें तरह-तरह की प्रेरणाएं दी हैं। भारतीय

इतिहास में वर्णित उन तमाम महापुरुषों के बीच मुस्कराते हुए कौन-से अनोखे व्यक्ति से प्रेरणाएं प्राप्त कर अपना जीवन सफल बनाने में हम कितने सफल और कृतार्थ हो सके हैं, इसे ईमानदारी के साथ हम सम्भलने की कोशिश करें।

उस विराट्, विलक्षण और विचक्षण मानव की कीर्तियों को पुस्तक के कुछ पृष्ठों में बांधने का प्रयास करने वाला, महाकवि कालीदास के शब्दों में केवल इतना भर कह सकता है—‘तितीर्षुर्दुस्तरं भोहाडुपे-नास्मि सागरम्’ और यह जानते हुए भी मैंने इन पृष्ठों को लिखने का दुःसाहस मात्र किया है। मैंने उस अनोखे व्यक्ति के जीवन की कुछेक घटनाओं की ही चर्चा की है। यह कहां तक ठीक है, इसका निर्णय तो आपको ही करना है। आपका निर्णय मैं श्रद्धापूर्वक स्वीकार करने के लिए तैयार हूं और सिर-माथे पर धरूंगा। अगर जाने-अनजाने मुझसे कोई गलती हो गई हो, तो अन्यथा न लेकर आप मुझे क्षमा करेंगे और अपनी सहृदयता का परिचय देते हुए मुझे प्रोत्साहन देंगे।

—अशोक कुमार वर्मा

## प्रकाशकीय

भारत का यह अपना इतिहास रहा है कि जब-जब कोई संकट इस देश पर आया, तब-तब कोई-न-कोई व्यक्तित्व संकट से त्राण देने के लिए अवतरित हुआ। पिछले दिनों जब कुछ महाशक्तियों के बल पर हमारा पड़ोसी हम पर आक्रमण कर बैठा तथा अचानक और अनजाने बंगला देश के लाखों शरणार्थी हमारे लिए भीषण समस्या बन गये। इसी समय हमारा नेतृ वर्ग सशक्त होकर सामने आया। इस वर्ग में रक्षामंत्री माननीय जगजीवनराम जी का स्थान विशिष्ठ था। सारा देश उनके अद्भुत नेतृत्व, संगठन पर चकित रह गया। उन्होंने अपनी इस घोषणा को सच करके दिखलाया कि इस बार युद्ध पाकिस्तान की भूमि, पर लड़ा जाएगा और हम बंगला देश आजाद कराकर वहां की जनता को सौंप देंगे। उनकी यह घोषणा अपने-आप में एक चमत्कार थी। एक ओर अमेरिका का सातवां वेड़ा खड़ा था तो दूसरी ओर हमारे मित्र देश थे, तीसरी ओर चीन का अजदहा फूटकार रहा था। एक भी गलत कदम विश्वयुद्ध को जन्म दे सकता था, पर इतनी चतुराई से सारा युद्ध लड़ा गया कि बंगला देश आजाद हो गया और हमारा पड़ोसी पनाह मांग गया।

लालबहादुर शास्त्री के युग से भी यह देश एक कदम आगे बढ़ गया। विजय के सूत्रधार के रूप में वावू अजजीवनराम ने दुनिया में भारत को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर दिया।

ऐसी बात नहीं है कि वावू जी इस देश की जनता के लिए अपरिचित हैं। ये तो दलित शोषित वर्ग से आये पर देश की सर्वांगीण उन्नति और राजनीति में योगदान देने वाले कर्मठ और निस्पृह सेवक के रूप में

ही सुप्रतिष्ठित रहे। बापू के सपनों को साकार करनेवाले जगजीवन-जी को कौन नहीं जानता।

इस युद्ध से पहले कांग्रेस के नये दल के संघर्ष में जिस प्रकार की भूमिकाएं बाबूजी ने अभिनीत कीं और हर क्षेत्र में विजय के सूत्रधार बने, उन्हें देखते हुए हमने अपना कर्त्तव्य और दायित्व समझा कि बाबू जगजीवनरामजी के जीवन एवं व्यक्तित्व से इस देश की जनता को पूर्ण रूप से परिचित कराया जाये ताकि यह पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियां इस ऐतिहासिक महापुरुष के महान जीवन से प्रेरणा ग्रहण कर संकट के क्षणों में भी इस देश का गौरव अक्षुण्ण रख सकें।

इसी लक्ष्य-चिन्तु को सामने रखकर हमने इस पुस्तक का प्रकाशन किया है। इसके संपादन का श्रेय डॉ० अशोककुमार वर्मा को है।

हमें विश्वास है कि सुधी पाठक प्रस्तुत पुस्तक और प्रकाशन का हार्दिक स्वागत करेंगे।

—प्रकाशक

## क्रम

परिवार-परिचय	...	१५
शिक्षा और दीक्षा	...	२७
सामाजिक और राजनीतिक जीवन	...	४५
अद्भुत् प्रभाव	...	६७
वापू का व्यक्तिगत आह्वान	...	६९
दलितों के महान सेवक के रूप में	...	७२
श्रमजीवियों के हितचिन्तक तथा श्रम-मन्त्री के रूप में	...	७७
संचार-मन्त्री और रेल-मन्त्री के रूप में देश-सेवा	...	८१
वावूजी की लोकप्रियता	...	८३
कालकूट शंकर-से अदम्य प्रभावशाली खाद्य-मन्त्री के रूप में	...	८९
लौह-व्यक्तित्व	...	१०५
कृषकों के हितकारी रूप में	...	१३१
वम्बई में (नई) कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में	...	१५६
महान् विजेता रक्षा-मन्त्री के रूप में	...	१७७
लोकसभा के मध्यावधि चुनाव के महान् प्रणेता और विजेता	...	२१३
वावूजी (कविता)	...	२३९
बंगला देश और वावूजी	...	२४१





## परिवार-परिचय

(१)

आइए हमारे साथ । आज हम एक अद्भुत भागवत पुरुष के दर्शन को चलो । वे हमारे, आपके, सबके जाने-पहचाने हैं । हम सब उनसे भली-भांति परिचित हैं । वे आपके, हमारे और सबके हैं । संकट और संशय की हर घड़ी में वे सर्वथा हम लोगों के सहायक हैं । वे शंकर-सा कालकूट हलाहल का पान करते हैं । राम जैसा आदर्श है उनमें । श्रवण जैसे मातृ-पितृभक्त हैं । कृष्ण जैसे सिद्ध कर्मयोगी हैं । कर्ण, शिवि और दधीचि जैसे दानी हैं । अष्टावक्र जैसे ज्ञान में गम्भीर हैं । आरुणि, सत्यकाम और एकलव्य जैसे गुरुभक्त हैं । रामकृष्ण और विवेकानन्द जैसे मानवता के सच्चे सेवक और अध्यात्म के अध्येता हैं । चाणक्य जैसे राजनीति में निपुण और दक्ष हैं । महावीर, गौतम और गांधी जैसे अहिंसा के पुजारी हैं । दयानन्द और श्रद्धानन्द जैसे हिन्दू-धर्म के रक्षक हैं । नारद और विदुर जैसे नीतिज्ञ हैं । जनक जैसे विदेह हैं । भगत सिंह और चन्द्रशेखर आजाद जैसे देश-भक्त हैं । सबसे बड़ी बात यह कि वे प्रह्लाद और ध्रुव जैसे भगवान के भक्त भी हैं ।

वे अनेक में एक हैं और एक में अनेक हैं । बहुमुखी प्रतिभा है उनकी । उनका व्यक्तित्व हिमालय जैसा उन्नत, सागर जैसा गम्भीर और गंगा जैसा निर्मल, पतित-पावन और पुनीत है । उन्होंने जीवन, प्रेम और सृजन के मन्त्र को सिद्ध किया है । वे सिद्ध साधक और सफल तपस्वी हैं । उनका किसी के साथ कोई संघर्ष नहीं होता । वे अपने शत्रु को भी मित्र की तरह प्यार करते हैं । वे अजातशत्रु हैं । सफलता उनकी चरणदासी है, साहस उनका सहचर है और धर्म उनका रजक है । उनमें

अपूर्व आकर्षण है। उनके शत्रु भी अन्त में उनसे प्रेम करने को वाध्य हो जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन की नम्रता, साहस और सहिष्णुता को मानव-सेवा में अर्पित कर दिया है। मानवीय दुःखों, यातनाओं और यन्त्रणाओं का उन्होंने साक्षात्कार किया है और इसी से मानवता के सच्चे सेवक और पुजारी हैं। समयाभाव रहते हुए भी वे नर-नारियों के कष्टों को सुनने में दिन-रात व्यस्त रहते हैं और उनके बोझ को हल्का करने की सतत चेष्टा करते हैं। इसके असंख्य दृष्टान्त हैं।

उनका मार्ग अपना है, निजी है। वे 'स्व' से ज्यादा 'पर' का ध्यान रखते हैं। वे अहंकारी नहीं, स्वाभिमानी हैं। उनमें बेजोड़ संगठन-शक्ति है। उन्होंने मानव-विकास की समस्त विरोधी शक्तियों को परास्त किया है। उनमें आप प्रदर्शन नहीं, वास्तविकता पायेंगे। उनकी महामहिमान्वित विचार-धारा सबको प्रभावित करती आयी है। उन्हें कभी आप कल्पना और भावनाओं के उद्दाम वेगों में बहते हुए नहीं पायेंगे। उनके अडिग और अंगद चरणों को सदा यथार्थ की आधारशिला पर खड़ा देखेंगे। वे जो कुछ देखते हैं, प्रकृतिस्थ होकर देखते हैं। यही कारण है कि 'स्व' के कष्टों से लड़ने वाले उस भागवत पुरुष की आंखों में 'पर' के कष्टों को देखकर आए हुए आंसू भी आपको दीख पड़ेंगे।

उनके व्यक्तित्व को देखकर सहसा उस विशाल बट-वृक्ष की याद आ जाती है, जिसकी छाया में हजारों थके व्यक्ति विश्राम करते हैं। जिसमें हजारों पक्षियों का घोंसला होता है और जो लाखों कीड़े-मकोड़ों का आश्रय है। उनकी भारतीय और सार्वभौमिक जीवन-दृष्टि है। वह इतनी पैनी है कि पृथ्वी का कोई भी घरातल उससे बचा नहीं है। दूरदर्शिता उनकी निजी सम्पत्ति है। उन्होंने एक नये युग का निर्माण किया है। वे युग-पुरुष हैं और युग-प्रवर्तक भी। उनसे आप जिस विषय पर बात करना चाहें, कर सकते हैं। अगर आप उनके सम-वयस्क होंगे, तो आपको उनसे उचित परामर्श प्राप्त होगा। अगर उनसे छोटे हैं, तो आपको स्नेहपूर्ण शिक्षा और निर्देशन मिलेगा।

वे नीत्से की धारणा के 'अतिमानव' नहीं हैं। वे विलक्षण मानव

हैं। आप उन्हें पार्थिव 'फ्युहरर' या तानाशाह समझने की भूल न करें। वे आपके परिवार के एक सदस्य हैं। वे किसी वर्ग-विशेष के नहीं हैं वरन् समस्त राष्ट्र की निधि हैं। उनके मुख से आप, हम और सब समस्त समाज और राष्ट्र की बोली सुनते हैं। यही कारण है कि उनकी बोली को सभी मन्त्रमुग्ध होकर सुनते हैं। वे वाणी और कर्म के जादूगर हैं। समाज के किसी विशेष वर्ग के वे प्रतिनिधि हों ऐसी बात भी नहीं है। वे समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, समस्त राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने कभी भी विद्रोह का कर्कश-विगुल नहीं फूँका, वरन् सदा शान्ति-पाठ किया है। वे शान्तिदूत हैं। उन्होंने उपनिषद् की वाणी को सत्य किया है—

अहमास्मि प्रथमथा ऋतास्य ।

पूर्व देवोभ्योऽमृतस्य ना चापि ॥

अर्थात् "मैं ज्योतिर्मय देवताओं की अपेक्षा भी प्राचीन हूँ। मैं सत्ता की प्रथम सन्तान हूँ, मैं अमरत्व शोणितवाही शिरा-उपशिरा हूँ।"

भारत की पुण्य-भूमि में जन्मे अगणित तेजस्वी महापुरुषों के प्रति भारतीय ही नहीं पाश्चात्य भी श्रद्धा रखते हैं। वह चाहे जार्ज बर्नार्ड शाहों या मैक्समूलर हों, रोमां रोलां हों या रशेल हों सब भारतीय महापुरुषों के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हुए नतमस्तक हैं। हमारे वेद, उपनिषद्, इतिहास, पुराण सभी शास्त्रों में स्थान-स्थान पर महापुरुषों की महिमा का गान है। वास्तव में महात्माओं की अथवा वैभव-संपन्न, शक्ति-संपन्न सांसारिक लोगों की जो भी महिमा हमें देखने या सुनने को मिलती है, वह सब भगवान की ही महिमा है और ऐसे लोगों का दर्शन करना ही हमारा पुण्योदय है। ऐसे महापुरुषों का संग मिलना बड़ा ही कठिन है। तुलसीदास के अनुसार—'विनु हरि कृपा मिलहि नहि संता'। भगवान् कृष्ण ने भी महापुरुषों का अनुकरण और अनुसरण दोनों करने को कहा है—

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।

स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ (गीता ३।२१)

ब्रूयात् श्रेष्ठ पुरुष ठोस क्रियाभूमि निर्धारित कर जो-जो आचरण करते हैं और जो कुछ प्रमाणित कर देते हैं, लोग उसी को प्रामाणिक मानने लगते हैं। उनका उपदेश, उनको किया हुआ नमस्कार, उनके साथ सम्भाषण कभी निष्फल नहीं होता। भगवान् श्रीकृष्ण ने सही ज्ञान प्राप्ति द्वारा आत्मोद्धार के लिए महापुरुषों की शरण लेने की बात कही है—

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ।

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥

(गीता ४।३४)

अर्थात् “उन तत्त्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से, भलीभांति दण्डवत्-प्रणाम, सेवा और निष्कपट-भाव से किए हुए प्रश्नों द्वारा उस ज्ञान को जानो, वे मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुम्हें उस ज्ञान का उपदेश करेंगे।” पतित-पावनी गंगा में स्नान करने से पवित्रता आती है पर महात्माओं और महापुरुषों का केवल दर्शन ही पावन करने वाला होता है। शास्त्रकारों ने महात्माओं तथा महापुरुषों की महिमा गंगा से भी बढ़कर बताया है। इसकी एक कथा प्रसिद्ध है—एक वार गंगा ने ब्रह्मा के पास जाकर यह प्रार्थना की कि ‘महाराज ! असंख्य पापियों के दल मुझमें स्नान कर अपने अनन्त जन्मों के पाप छोड़ जाते हैं, फिर मेरे लिए भी तो कोई ऐसा उपाय होना चाहिए कि जिससे मैं भी पाप-मुक्त और पवित्र बन सकूँ।’ गंगा को उत्तर देते हुए ब्रह्मा ने कहा— ‘गंगे ! संतों के होते हुए तुझे चिन्ता ही किस बात की है? इनके चरण-स्पर्श मात्र से ही तेरे समस्त पाप तत्काल विध्वंस हो जायेंगे।’

भगवान् श्रीकृष्ण ने तो यहां तक कहा है—

यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा ।

तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽशसंभवम् ॥

(गीता १०।४१)

‘हे अर्जुन ! जो-जो ऐश्वर्ययुक्त, कान्तियुक्त और शक्तियुक्त वस्तु है उस-उस को तू मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुई जान।’ ऐसे

महापुरुषों की सन्निधि में जो कृतार्थ नहीं हो सकते उनके लिए भगवान् राम ने कहा है—

जो न तरै भवसागर नर समाज अस पाइ ।

सो कृत निंदक मंदमति आत्माहन गति जाइ ॥

सत-संग की महिमा का गान करते हुए संत-शिरोमणि तुलसीदासजी ने सत-संग को मानव-विकास का प्रवेश-द्वार कहा है—

बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग ।

सोह गए बिनु राम पद, होइ न दूढ़ श्रनुराग ॥

आज हम और आप जिस महापुरुष के दर्शन और संग को चले हैं, वह सबमें अनुपम, अनूठे और अप्रतिम हैं ।

उनके सामने जाते ही श्रद्धा से इन्सान नतमस्तक हो जाता है और चरण-स्पर्श से श्रद्धा उमड़ आती है । उनका एक दृष्टिपात ही समस्त जीवन बदल सकता है । वे बन्धनहीन नदी जैसे हैं जो कभी गतिरुद्ध नहीं हुई । गतिरुद्ध होने पर तो वह गतिहीन और दूषित हो जाती है । ऐसे प्रगतिशील मानव का हरिजन ही आदर नहीं करते वरन् सब श्रद्धा से नत होते हैं । वापू ने पददलितों का नामकरण हरिजन किया; पर उन्होंने उनको सच्चा हरिजन बना दिया है ।

अब वे आपके सामने हैं । माता-पिता ने इनका सार्थक नामकरण जगजीवनराम किया है और इन्हें हम प्यार, स्नेह, आदर और सम्मान से 'बाबूजी' कहते हैं । इनका दर्शन कीजिए । अगर इनसे आप नवधा भक्ति के सम्बन्ध में बात करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं । अगर आप इनसे अष्टाङ्ग योग पर वार्त्तालाप करना चाहें तो वह भी हो सकता है । राजनीतिक या सामाजिक गम्भीर पहलू पर बात करने की आवश्यकता समझें तो उसके लिए भी आप स्वतन्त्र हैं । अगर आपकी कोई कठिनाई है तो उसे भी इनके सामने रख सकते हैं । आज तक इनके पास से कोई निराश नहीं लौटा है । ये औढरदानी जो ठहरे । इनकी झोली में आप जो चाहेंगे सब मिलेगा । भले ही इसके लिए इन्हें परेशान होना पड़े पर 'तथास्तु' ही कहेंगे । अब आपको

संभक्तों के लिए स्वर्ग रहिएगा। भस्मासुर जैसा कोई वरदान मांगकर उन्हें परेशान करने का तकल्लुफ न कीजिएगा, अन्यथा भस्मासुर की ही हालत हो जाएगी।

इनका दर्शन कर मुझे तो धर्मराज युधिष्ठिर की महात्मा विदुर से कही हुई बात याद आती है—

भवद्विधा भागवतास्तीर्थभूताः स्वयं विभो ।

तीर्थोऽकुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तः स्थेन गदाभूता ॥

(श्रीमद्भू० १।१३।१)

“आप सरीखे भगवद्भक्त स्वयं तीर्थरूप हैं। पापियों के द्वारा कलुषित हुए तीर्थों को आप लोग अपने हृदय में स्थित भगवान् श्री गदाधर के प्रभाव से पुनः तीर्थत्व प्रदान करा देते हैं।”

और

कुलं पवित्रं जननी कृतार्था,

वसुन्धरा पुण्यवती च तेन ।

(स्कन्द माहेश्वर०कौमार० ५५।१४।१४)

ऐसे भागवत पुरुष के जन्म से कुल पवित्र हो जाता है, वहां की धरणी धन्य हो जाती है, उनकी जननी कृतार्थ हो जाती है और उनके स्पर्श से जगत भी सचेतन हो जाता है—स्मरण हो आता है। हृदय कह उठता है—

“तीर्थोऽकुर्वन्ति तीर्थानि सुकर्मा कुर्वन्ति कर्माणि सच्छास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि ।”

(नारद भक्ति सूत्र ६९)

“ऐसे व्यक्ति तीर्थों को सुतीर्थ, कर्मों को सुकर्म और शास्त्रों को सत्शास्त्र कर देते हैं।”

संयम इनका जीवन-सूत्र है। यह सच्चे साधक हैं, हमेशा जाग्रत रहते हैं और इनके प्रयत्न अथक और अडिग हैं।

(२)

भगवान् श्रीकृष्ण ने कहा है—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

“हे भारत ! जब-जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब-तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ अर्थात् प्रकट करता हूँ ।”

भगवान् श्रीकृष्ण की इस घोषणा का इतिहास साक्षी है । सनातन काल से जब भी धर्म और अधर्म का संघर्ष हुआ है, भगवान् ने स्वयं आकर धर्म की रक्षा की है और अधर्म का विनाश किया है । वे त्रस्त मानवता की रक्षा करने सदैव किसी-न-किसी रूप में आते ही हैं, इसमें किंचित संशय को स्थान नहीं । राम, कृष्ण, गौतम, गांधी, राम-कृष्ण, विवेकानन्द, ईसा, सुकरात आदि अनेक इसके ज्वलन्त प्रमाण हैं । युगों से पद-दलितों को सच्चा हरिजन बनाने के लिए सर्वशक्तिमान प्रभु ने बाबूजी के रूप में अवतार लिया है । इसमें लेशमात्र भी संशय को प्रश्रय नहीं ।

युगों से प्रताड़ित, पददलित, कुंठित, तिरस्कृत और उपेक्षित तथाकथित अछूतों के दारुण दुःखों को देख घरती माता की आंखें रोते-रोते सूज गई थीं । घरती माता की आंखों का अश्रुपात अस्वाभाविक नहीं था । मां पुत्रों पर होने वाले अत्याचारों को कब तक बर्दाश्त करती ? तथाकथित अछूतों पर हो रहे अमानवीय अत्याचारों से घरती माता का अन्तस्थल आलोड़ित हो उठा । वह विद्रोहिणी हो गई । उसने नीले गगन से कहा—“मित्र (सूर्य) ! आखिर मेरे इन अछूत कहे जाने वाले पुत्रों पर हो रहे अत्याचारों का अन्त कब होगा ?”

गगन ने मुस्कराकर कहा—“महाभागे ! अर्थहीन बातों में सिर खपाने से फायदा क्या ? सृष्टि के नियम को जानने के लिए इतनी वेदना क्यों ? सवर्ण जातियों की ओर देखो । कितने प्रसन्न हैं वे लोग । उनकी प्रसन्नता देखकर प्रसन्न बनो । मानव-समाज का अछूत कहा जाने वाला वर्ग विनष्ट हो जाय तो उससे हमें क्या लेना-देना ? इन



बेकार की बातों के लिए रोने से फायदा क्या ?”

धरती माता ने रोते हुए कहा—“मित्र ! तू क्या जाने मां की ममता को ? पुत्र द्वारा पुत्र पर होने वाले अत्याचारों को मां कब तक देख सकती है ? दोनों पुत्रों को ममता पाने का क्या समान अधिकार नहीं है ? क्या तू मेरे स्वर्ण कहे जाने वाले पुत्रों द्वारा, मेरे ही अछूत कहे जाने वाले पुत्रों पर, किए जाने वाले अत्याचारों और अन्यायों को अपनी आंखों से नहीं देखता ? क्या तू नहीं देखता कि हमारे अछूत कहे जाने वाले लालों पर कितने जुल्म ढाए जा रहे हैं ? क्या तुझे पता नहीं कि मेरे ये लाल जुद्ध हवा और स्वच्छ जल के लिए तरसते रहते हैं और उन्हें यह सब नहीं मिल पाता ? भर पेट अन्न के लिए भी उन्हें तरसना पड़ता है । उन्हें पशुवत् जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य किया जाता है । छूत और अछूत दोनों समाज के समान आवश्यक अंग हैं । जब तक दोनों अंगों की वृद्धि और पुष्टि समान रूप से नहीं होगी, तब तक मानव-जगत् का कल्याण कैसे हो सकता है ? कहां गई भगवान् की प्रतिज्ञा कि “अधर्म से धर्म की रक्षा के लिए वह अपने आपको इस धरती पर अवतरित करता है ?”

धरती माता की बातें सुन गगन गम्भीर हो चला था । उसकी आंखों से भी अश्रुधारा टप-टप गिरनी शुरू हो गई थी । उसने कहा— “महाभाग ! मुझे क्या पता ? मैं तो सितारों की दुनियां में खोया रहता हूं । उनके सुखी जीवन को देख समझता हूं कि समस्त सृष्टि सुखी होगी । पर तुझे अब ज्यादा घबड़ाने की आवश्यकता नहीं है । विश्वामित्र की तपोभूमि में अछूतों के उद्धार के लिए शीघ्र ही प्रभु का अवतार होने वाला है ।”

गगन की बातें सुन धरती माता की आंखों से विषादाश्रु की जगह आनन्दाश्रु बहने लगे । धरती माता ने गगन से कहा — “मित्र ! तुझे किन शब्दों में घन्यवाद दूं, समझ नहीं पाती । अब उस देवरत्न के स्वागत की तैयारी करने दो ।”

५ अप्रैल, १९०८ को विश्वामित्र की तपोभूमि शाहाबाद के ‘चंदवा’

गांव में पूज्य श्री शोभीराम जी के यहां एक पुत्र-रत्न का जन्म हुआ-  
 धरती माता, जो वर्षों से इस महामानव, भागवत पुरुष के दर्शन को  
 व्याकुल थी, 'भये प्रकट कृपाला दीन दयाला' का उद्घोष कर उठी।  
 वे माता-पिता भी धन्य-धन्य हुए जिन्होंने इस भागवत पुरुष को जन्म  
 दिया।

कहते हैं जिस कुल में ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है वह कुल पवित्र  
 हो जाता है, वहां की धरणी धन्य हो जाती है और उनके स्पर्श से जगत्  
 भी सचेतन हो जाता है। इस महामानव के माता-पिता भी स्वयं साधु-  
 स्वभाव के थे। पूज्य पिता श्री शोभीराम जी और माता वासन्ती देवी  
 दोनों ही भागवत् प्रकृति के थे। श्री शोभीरामजी पहले फौजी अस्पताल  
 में काम करते थे। वहीं उन्होंने अपने फूफा से हिन्दी लिखना-पढ़ना  
 सीखा था। फौजी अस्पताल में काम करने से इनका जहां-तहां तवादला  
 भी हुआ करता था। जब शोभीरामजी मुल्तान में थे तो उसी समय  
 उनके जीवन में 'शिवनारायण सम्प्रदाय' के सन्त श्री दुखहरण का  
 आगमन हुआ और इसी सन्त श्री दुखहरण ने उन्हें 'शिवनारायण  
 सम्प्रदाय' में दीक्षित किया।

श्री शोभीराम जी की माता का वचपन में ही देहान्त हो गया था।  
 इससे इनका लालन-पालन इनकी दादी ने किया था। क्योंकि माताजी  
 के मरने के बाद इनके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी। जब शोभी-  
 रामजी का तवादला दानापुर हुआ तो वे अपने घर पर आए जो शाहाबाद  
 जिले के मोटेसिया गांव में था। वहां उनकी केवल अपनी दादी से ही  
 भेंट हो सकी। विमाता और पिता नश्वर शरीर त्याग चुके थे। कुछ  
 ही दिनों बाद इनका विवाह शाहाबाद जिले में ही वनुआ नवादा के एक  
 परिवार की पुत्री वासन्ती देवी से हुआ। उस समय वासन्ती देवी की  
 आयु सिर्फ बारह वर्ष की थी। श्री शोभीराम जी के सामने मां वासन्ती  
 देवी को रखने का प्रश्न उठ खड़ा हुआ। इतनी कम उम्र की लड़की  
 को अपने साथ वे फौजी छावनी में नहीं रख सकते थे। उनके माता-पिता  
 का देहान्त ही हो चुका था। श्री शोभीराम जी के एक भाई शाहाबाद

जिला के जगदीशपुर थाना के बलिगांव में आकर बस गए थे। वहीं उन्होंने भी जमीन खरीदकर मकान बनवाया और पत्नी के साथ रहने के लिए अपनी सास को बुला लिया। १८८५ में श्री सन्तलाल जी का जन्म हुआ। श्री सन्तलाल जी बराबर अस्वस्थ रहा करते थे। बलिगांव में चिकित्सा की सुविधा न थी। इससे वे मां वासन्ती देवी की बड़ी बहन, जिनका चन्दवा ग्राम में विवाह हुआ था, उनकी बात मानकर चन्दवा गांव में आकर बस गए। यहां जमीन लेकर उन्होंने नया मकान बनवाया, कुआं खोदवाया और खेती लायक भी जमीन ली।

आत्मसम्मान का हनन होते देखकर थोड़ी-सी बात पर अपने अफसर से अनबन हो जाने के कारण उन्होंने फौजी अस्पताल की नौकरी छोड़ दी। कुछ ही दिनों बाद कलकत्ता मेडिकल कालेज के अस्पताल में उनकी नौकरी लग गयी। बड़े पुत्र श्री सन्तलाल जी को लेकर वे कलकत्ता चले गए। श्री शोभीराम जी श्री सन्तलाल जी को पढ़ाने के लिए काफी प्रयत्नशील रहे। पर अपने सारे प्रयत्नों को विफल होते देख श्री शोभीराम जी ने श्री सन्तलाल जी को कलकत्ता मेडिकल कालेज में कम्पाउण्डरी का काम दिला दिया। श्री शोभीराम जी बृद्ध हो चले थे। इनका स्वास्थ्य भी अब ठीक नहीं रहता था इससे वे चन्दवा चले आए। अब तक उन्हें आठ सन्तानें हो गई थीं। उनमें तीन पुत्र और पांच पुत्रियां थीं। बड़े लड़के सन्तलाल जी कलकत्ते में रहते थे। मंभले पुत्र की शिशु-अवस्था में ही मृत्यु हो गई थी। सबसे छोटे लड़के बाबूजी थे। पिता के सामने पुत्र की शिक्षा की समस्या थी। बड़े पुत्र श्री सन्तलाल जी अपनी पत्नी के साथ कलकत्ता में ही रहते थे।

गांव लौटने के बाद श्री शोभीराम जी के सामने यह प्रश्न था कि गांव में रहकर कौन-सा काम किया जाय ? हिन्दी के अच्छे ज्ञान के साथ-साथ धार्मिक प्रवृत्ति और अनुभव होने की वजह से उन्होंने धार्मिक पुस्तकों का प्रणयन शुरू किया। इससे उनको साधारण आय होने लगी। बाल-मुलभ चंचलता के रहते हुए भी पिता के पास बैठकर बाबूजी उनके लिखने-पढ़ने के कामों को दत्तचित्त होकर देखा करते थे।

श्री शोभीराम जी में आध्यात्मिक प्रौढ़ता के साथ-साथ एक चित्रकर्ता की दक्षता भी थी। अपनी पुस्तकों में वे सजीव और सुन्दर चित्र भी बनाया करते थे। कहते हैं कभी-कभी बाल-सुलभ चंचलतावश बाबूजी पिता की कलम और ब्रश उठा लेते थे और लाख मनौती करने पर भी नहीं देते थे।

वचपन से ही बाबूजी में जहां एक ओर बाल-सुलभ-चंचलताएं थीं तो दूसरी ओर सागर जैसी गम्भीरता भी थी। वृद्धावस्था की वजह से श्री शोभीराम जी का स्वास्थ्य दिन-प्रतिदिन क्षीण होता जा रहा था। उन पर अब दमे का दौरा भी पड़ने लगा था। फिर भी वे काम करने में हमेशा तत्पर रहते थे। पिता की कर्मठता की छाप बाबूजी पर पड़ी इसमें किंचित् संशय नहीं।

गांव की पाठशाला या गुरुकुल जो कहे गांवों में किसी गुरुजी का घर ही होता था। हिन्दू-धर्मावलम्बी वसंत-पंचमी के दिन वीणा-वादिनी और विद्या-दायिनी मां सरस्वती की अर्चना करते हैं और इसी दिन से बाबूजी की भी सरस्वती-साधना आरंभ हुई। इसी दिन से बाबूजी प्राथमिक पाठशाला में जाने लगे जो इन्हीं के गांव में श्री कपिल मुनि तिवारी के घर पर थी। इस ग्राम्य पाठशाला में ज्यादा छूआछूत की भावना नहीं थी। पिता के साथ रहते-रहते वचपन में ही बाबूजी पर उनके पवित्र आध्यात्मिक जीवन की छाप पड़ गयी। पिता जब कवीर, तुलसी या सन्त शिवनारायण के भजनों को गाते तो बाबूजी भी अपनी तोतली और मीठी बोली में उन भजनों को दुहराया करते थे। वचपन में ही बाबूजी ने अपने पिताजी से अनेकों भजन सीखे थे।

माता-पिता के लाड़-प्यार के बीच यह देव-रत्न आगे बढ़ने लगे। वचपन से ही इस विलक्षण बालक को देखकर लोगों को इनके महामानव बनने में सन्देह नहीं रहा। 'यथा नाम तथा गुणः' को बाबूजी ने सच्चा, सार्थक और साकार रूप दिया इसमें किंचित् संशय नहीं है।

बालक निरन्तर बढ़ने लगा। अन्य बालकों की तरह मचलना, रोना और हठ करना मानो यह बालक जानता ही न हो। बालक

की गम्भीर आकृति पर, होठों पर सदा रहने वाली मृदु-मुस्कान सबको वचपन से ही अपनी ओर आकृष्ट करने लगी। बाल-सुलभ चंचलताओं से परे इस बालक को देखकर किसी को भी संशय नहीं था कि एक-न-एक दिन यह अवश्य ही महान् विचारक या चिन्तक होकर रहेगा। वचपन की तोतली और मीठी बोली में थोड़े में ही अपनी सारी बातों को किसी को समझा देना इस बच्चे की विशेषता थी।

वचपन की इनकी विशेषताओं को देखकर ही कोई भी कह सकता था कि यह बालक लाखों नहीं करोड़ों के लिए मार्ग-दर्शक और आदर्श होकर रहेगा। वचपन की चंचलता से दूर निरन्तर अध्ययन के लिए अग्रसर और एकान्तप्रिय इस बालक को देखकर सभी का चकित रहना स्वाभाविक ही था। उसी समय झककने लगा था कि महर्षि वेदव्यास और सन्त रविदास के साकार रूप का इस बालक में दर्शन होगा।

ग्राम्य पाठशाला की पढ़ाई अभी समाप्त भी नहीं होने पाई थी कि निर्मम काल ने बालक बाबूजी के सिर से स्नेहसिक्त पितृ-छाया को सदा के लिए छीन लिया। ज्येष्ठ का महीना था। भगवान् अंशुमाली उत्तरायण हो गए थे। जीवन की अन्तिम घड़ी जान श्री शोभीराम जी ने गुरु-ग्रन्थ का पूजन कराया। गांव के सन्तों ने समवेत स्वामी शिव-नारायण के भजन गाए। मृत्यु के पूर्व श्री शोभीराम जी ने अपने पास बैठे हुए बाबूजी की ओर बड़े स्नेह से देखा साथ ही पत्नी वासन्ती देवी को निर्देश दिया कि बालक अशिक्षित न रहने पाए। अपनी पत्नी को अपना अन्तिम निर्देशन दे श्री शोभीराम जी ने सदा के लिए अपनी आंखें बन्द कर लीं।

## शिक्षा और दीक्षा

वस्तुतः मानव-जीवन स्वयम् साधना है, तपस्या है। जीवन पाकर सबको जीना आये ऐसी बात भी नहीं है। जीने की भी एक कला होती है। सब उसमें पारंगत हों ऐसा नहीं होता। साधारणतया जीवन-मार्ग में आई हुई कठिनाइयों के सामने इन्सान घुटने टेक देता है, आत्मसमर्पण कर देता है। जीवन-मार्ग समतल हो ऐसा भी हम नहीं देखते। साधना के मार्ग में साधकों को अनेकानेक कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। जो साधक साधना के दुर्गम मार्ग की असमतल भूमि पर सदा आगे नहीं बढ़ा उसे अपने साध्य का साक्षात्कार नहीं होता। कभी भी वह सिद्ध नहीं हो सकता। सिद्धि प्राप्त करने के लिए, सिद्ध होने के लिए, साध्य का साक्षात्कार करने के लिए साधक को मार्ग की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, प्रलोभनों से विमुक्त होना पड़ता है। तब कहीं साध्य का साक्षात्कार होता है, सिद्धि प्राप्त होती है। साधक, साधना और साध्य जब एकाकार हो जाते हैं, एकरस हो जाते हैं, तभी साधना सफल होती है। साधक को साध्य मिलता है, सिद्धि मिलती है। वावूजी का भी जीवन वचपन से ही एक सिद्ध साधक का जीवन रहा है।

वचपन में ग्राम्य पाठशाला में पढ़ने के समय हा इनके सिर से पितृ-छाया उठ गई। तथाकथित अछूत वर्ग में जन्म लेना ही जीवन-विकास के लिए एक विडम्बना थी, उस पर पिता की मृत्यु जीवन-साधना-मार्ग का एक और प्रबल अवरोध बनकर ही सामने आया। पिता की मृत्यु हो गई। बड़े भाई कलकत्ते में ही रहते थे। परिवार में मां वासन्ती देवी, बड़े भाई की पत्नी, एक छोटी बहन और बालक

वावूजी के सिवा घर में रहने वाला अन्य कोई न था। पिता के समान माता भी आध्यात्मिक चिन्तन में लीन रहती थीं। इससे पिता की मृत्यु के बाद भी घर में धूप-दीप की सुगन्ध और ज्योति विराजती थी। घर का वातावरण आध्यात्मिक ही बना रहा। वचपन से ही माता-पिता के आध्यात्मिक साधना के प्रभाव से वावूजी अछूते नहीं रहने पाए। भगवान् में अखंड आस्था की नींव वचपन में ही पड़ गयी। भगवान् के प्रति इस दृढ़ आस्था की झलक वावूजी के ही शब्दों में—“मुझे भगवान् में पूरा विश्वास है। उसकी कृपा का आश्रय पकड़ने में मुझे अकथ आनन्द प्राप्त होता है, जब कोई परेशानी होती है, तो उसी की कृपा से दूर होती है” पाते हैं।

वचपन से ही वावूजी ने कठिनाइयों से घबड़ाना नहीं जाना है।

“प्राञ्चो अगाम नृतये हसाय।”

(अथर्व वेद १२।२।२२)

“अर्थात् यह जीवन हंसते-खेलते जीने के लिए है।” इस लक्ष्य-विन्दु को लेकर वावूजी जीवन-मार्ग में बढ़ते रहे हैं। इनमें अखंड आत्म-विश्वास है। ये सिर्फ यही जानते हैं—

“नास्ति चात्मसमं बलम्।”

अर्थात् “अपने पर भरोसे जैसी दूसरी कोई शक्ति नहीं है।” अपनी छः वर्ष की अवस्था में वावूजी ने ग्राम्य पाठशाला की पढ़ाई समाप्त की। आदर्शवादी गुरु श्री कपिल मुनि तिवारी का गुरुवत् और पितृवत् स्नेह वावूजी को प्राप्त था। ग्राम्य पाठशाला की पढ़ाई के समय या यों कहें अपने सम्पूर्ण अध्ययन-काल में वावूजी अध्ययन के साथ-साथ गुरु की सेवा भी बड़ी श्रद्धा और लगन के साथ करते थे। अध्ययन-काल में जो भी गुरु इनके सामने आये सबकी सेवा इन्होंने बड़ी श्रद्धा और लगन से की जो शास्त्रों में वर्णित आरुणि, सत्यकाम और एकलव्य से किसी भी तरह कम नहीं थी। अध्ययन-काल की समाप्ति के बाद भी यहां तक कि अपने मंत्रित्व-काल में भी वावूजी अपने गुरुजनों के प्रति काफी श्रद्धा और सम्मान रखते हैं।

गुरुजनों के समक्ष जाने पर लगता था कि बाबूजी हमेशा मनु द्वारा-  
वताए गए आदर्शों को ही सामने रखते हैं। मनु ने कहा है—

शरीरं चैव दाचं च बुद्धीन्द्रियमनांसि च ।

नियम्य प्राञ्जलिस्तिष्ठेद्वीक्षमाणो गुरोर्मुखम् ॥

(२।१६२)

हीनान्नवस्त्रवेषः स्यात्सर्वदा गुरुसंनिधौ ।

उत्तिष्ठेत्प्रथमं चास्य चरमं चैव संविशेत् ॥

(२।१६४)

आसीनस्य स्थितः कुर्यादभिगच्छंस्तु तिष्ठतः ।

प्रत्युद्गम्य त्वान्नजतः पश्चाद्दावंस्तु धावतः ॥

(२।१६६)

नीचं शय्यासनं चास्य सर्वदा गुरुसंनिधौ ।

गुरोस्तु चक्षुर्विषये न पथेष्टासनो भवेत् ॥

(२।१६८)

परीवादात्खरो भवति श्वा वै भवति निन्दकः ।

परिभोक्ता कृमिर्भवति कीटो भवति त्समरी ॥

(२।२०१)

‘शरीर, वाणी, बुद्धि, इन्द्रियां और मन इन सबको रोक कर हाथ जोड़े गुरु के मुख को देखता हुआ खड़ा रहे।’

‘गुरु के सामने सदा साधारण अन्न, वस्त्र और वेष से रहे तथा गुरु से पहले उठे और पीछे सोवे।’

‘बैठे हुए गुरु से खड़े होकर, खड़े हुए से उनके सामने जाकर, अपनी ओर आते हुए से कुछ पद आगे बढ़कर दौड़ते हुए से उनके पीछे दौड़कर बातचीत करे।’

‘गुरु के समीप शिष्य की शय्या और आसन सदा नीचा रहना चाहिए। गुरु के सामने शिष्य को मनमाने आसन से नहीं बैठना चाहिए। गुरु के साथ असत्य आचरण करने से उसकी दुर्गति होती है।’

‘गुरु को भूठा दोष लगाने वाला गधा, उनकी निन्दा करने वाला



कुत्ता, अनुचित रीति से उनके धन को भोगने वाला कृमि और उनके साथ डाह करने वाला कीट होता है ।’

इसी प्रकार के व्यवहारों से बाबूजी सदैव अपने गुरुजनों के कृपा-पात्र बने रहे । उन्हें गुरुजन प्रेम से उपदेश, शिक्षा, विद्यादि प्रसन्नता-पूर्वक प्रदान करते थे । गीता में भगवान् ने भी कहा है—

“तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ।

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥”

(गीता ४।३४)

“उस ज्ञान को तू समझ, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास जाकर उनको भलीभांति दण्डवत् प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से परमात्म तत्त्व भलीभांति जानने वाले वे ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्त्वज्ञान का उपदेश करेंगे ।”

बाबूजी में एक ओर गुरुभक्ति थी तो दूसरी ओर इनकी तीक्ष्ण मेधाशक्ति भी थी जो इनके गुरुजनों को अपनी ओर आकृष्ट किए रहती थी । यही कारण है कि उन्हें अपने छात्र-जीवन में गुरुजनों की प्रताड़ना का कभी भी सामना करना न पड़ा । ग्राम्य पाठशाला की पढ़ाई नफलता के साथ समाप्त हुई । पुरुष अभिभावक के अभाव में भी उन्हें शिक्षा-अर्जन की लगन थी । फिर क्यों न हो ? श्रुति का महामन्त्र—

“उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत ।”

(कठ० १।३।१४)

‘उठो, जागो और महान् पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो,—बाबूजी का जीवन-मन्त्र बन चुका था ।

गांव की शिक्षा समाप्त करने के बाद शहर के महाजनी स्कूल में बाबूजी पढ़ने लगे । इस स्कूल में ग्रामीण सहपाठियों की अपेक्षा शहरी सहपाठियों की संख्या अधिक थी । गांव में उन्होंने अंग्रेजी नहीं पढ़ी थी । शहरी सहपाठियों की अपेक्षा अपने को अंग्रेजी में कमजोर अनुभव कर काफी परिश्रम किया । अपने कठिन परिश्रम के बल पर अंग्रेजी में भी वे अपने शहरी सहपाठियों के समान हो गए । इतना ही नहीं वर्ग के

उत्तीर्ण छात्रों में इनका दूसरा स्थान भी रहा। इस सफलता पर इनका प्रसन्न होना स्वाभाविक ही था। माता-पिता के आध्यात्मिक प्रभाव से प्रभावित बाबूजी वचपन से ही 'रामचरितमानस' का पाठ करने लगे थे जो आज भी उनकी नित्य-क्रिया का एक आवश्यक अंग है। 'प्रेम-सागर' और 'सुखसागर' का भी इन्होंने अध्ययन किया। वचपन से ही समाचार-पत्रों को पढ़ना भी इन्होंने अपना नियम बनाया। वचपन में समाचार-पत्रों में 'व्यंकटेश्वर,' 'भारत-मित्र' और गांधीजी का 'यंग-इंडिया' पढ़ा करते थे। 'यंग-इंडिया' ने इन्हें नई प्रेरणाएं दीं।

कहते हैं वचपन में बाबूजी बराबर अपने गुरु के साथ बाजार करने शहर आया करते थे। शहर में आने पर गुरु और शिष्य एक ही साथ नाश्ता करते थे। एक दिन दूकानदार ने गुरुजी से जानना चाहा कि वह ब्राह्मण होते हुए भी अछूत के साथ कैसे नाश्ता करते हैं ? गुरुजी ने जवाब दिया कि 'मैं रहूं न रहूं पर यह बालक भारत का एक दिन सम्राट होने वाला है। उसी भावी सम्राट का मैं सम्मान करता हूं।' इनके गुरु की भविष्यवाणी कितनी सच्ची सिद्ध हुई।

अब इनकी हाई-स्कूल की पढ़ाई प्रारम्भ हुई। इन्होंने 'टाउन हाई स्कूल' में अपना नाम लिखवाया। अछूत छात्र के रूप में अपना वर्ग-शुल्क माफ कराना इन्हें अच्छा न लगा। कारण था वचपन से ही स्व-भिमानी प्रवृत्ति का होना जो पिताजी से इन्हें विरासत में मिली थी। अपना वर्ग-शुल्क माफ कराने के लिए इन्होंने कठिन परिश्रम किया और अपने वर्ग में दूसरा स्थान प्राप्त किया। वर्ग-शुल्क स्वतः माफ हो गया। 'आराम हुराम है' और 'उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत' जैसे उद्बोधनों को जीवन-मन्त्र बनाए बाबूजी का छात्र-जीवन बीतने लगा। गणित, जो साधारणतया विद्यार्थियों के लिए अत्यन्त कठिन विषय रहता है वह बाबूजी के लिए आरम्भ से ही प्रिय विषय रहा। हां, भूगोल और संस्कृत से बाबूजी अवश्य कुछ घबराते थे।

विद्यार्थी जीवन में इन्हें अनेक अपमानों का सामना करना पड़ा। फिर भी मुस्कराते हुए सदा अध्ययन में कठिन परिश्रम करते रहे। इनके

सामने महान् लक्ष्य जो था और लक्ष्य-प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम आवश्यक था । क्योंकि बाबूजी जानते थे कि—

“उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः ।”

स्कूल में हिन्दू और मुसलमान विद्यार्थियों को पानी पीने के लिए अलग-अलग घड़े का प्रवन्ध था । एक दिन हिन्दू विद्यार्थियों के घड़े से पानी पी लेने पर एक सवर्ण छात्र क्रुद्ध हो गया । उसने प्रधानाध्यापक से इगकी शिकायत की । अछूतों के लिए एक अलग घड़े का प्रवन्ध हुआ । बाबूजी को यह बात मान्य नहीं थी और उन्होंने अवसर पाते ही बड़ा फोड़ दिया । जितनी बार नये घड़े का प्रवन्ध होता अवसर पाते ही वे बाबूजी के हाथों फूट भी जाते थे । अन्त में प्रधानाध्यापक का आदेश निकला—‘हिन्दुओं के लिए एक ही घड़े का प्रवन्ध रहेगा । जो उससे पानी पीना नहीं चाहता वह अपना प्रवन्ध स्वयं अलग करे ।’ इस तरह की अनेकानेक घटनाएं होती थीं । बाबूजी साहस और शान्ति से काम लेना आरम्भ से ही जानते थे । शिक्षण-काल की भी कठिनाइयों को साहस और शान्ति से ही सुलभाया करते थे । ये मैट्रिक में आए । मैट्रिक में इन्होंने अतिरिक्त विषयों में संस्कृत और गणित लिया । स्कूल में हिन्दी की व्यवस्था हुई तो इन्होंने संस्कृत छोड़ दी । हिन्दी इन्हें ज्यादा लाभप्रद दिखी और गणित तो आरम्भ से ही इनका प्रिय विषय था । इन्हें, अपने स्कूल के छात्र-जीवन में गांव के ही रहने वाले शिक्षक श्री चन्द्रशेखर प्रसाद का, जो इनके स्कूल में भी शिक्षक थे, पुत्रवत् स्नेह प्राप्त था । श्री चन्द्रशेखर प्रसाद से इन्हें अपनी पढ़ाई में काफी सहायता मिलती थी ।

१९२६ में महामना मालवीय जी आए । हरिजनों की ओर से उन्हें मान-पत्र दिया गया । बाबूजी ने उसें पढ़ा । महामना बाबूजी से काफी प्रभावित हुए । इनसे बातें कीं और इन्ट्रेंस पास हो जाने के बाद बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में आकर अध्ययन करने का आमन्त्रण भी इन्हें देते गए । १९२६ में बाबूजी ने गणित में शत-प्रतिशत नम्बर के साथ प्रथम श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा पास की । कहते हैं केवल एक बाबूजी

के प्रथम श्रेणी में पास होने की बात को लेकर स्कूल प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक हुई। प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों ने प्रधानाध्यापक से जानना चाहा कि केवल एक विद्यार्थी ही प्रथम श्रेणी में क्यों आया ? प्रधानाध्यापक ने जवाब दिया कि यह एक विद्यार्थी ही अन्य स्कूल से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों पर भारी पड़ेगा। वास्तव में बाबूजी आज विश्व-इतिहास पर भी भारी पड़ गए हैं।

अब विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने की समस्या सामने आई। परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय थी। साधारणतया देखा जाता है कि इन्सान के सामने आर्थिक कठिनाइयों के आ जाने से उसके कदम डगमगाने लगते हैं। परिवार के भरण-पोषण का भी प्रश्न सामने था। फिर भी मां और अग्रज दोनों की आन्तरिक अभिलाषा थी कि बाबूजी का अध्ययन रुके नहीं। मां को तो पिता के अन्तिम शब्द स्मरण रहते थे। मां का कहना था कि पुत्र को आगे पढ़ना ही होगा। पर यह कैसे सम्भव हो सके। यह भी एक गम्भीर समस्या थी। गांव की वगल में ही ईसाइयों की मिशन है। मिशन की महिलाओं का घर में आना-जाना प्रारम्भ हो गया। वे अपनी सद्भावनाएं भी प्रकट करती थीं। मिशन की दृष्टि बाबूजी पर बहुत दिनों से लगी थी। वे बाबूजी को ईसाई बनाना चाहते थे। वे जानते थे कि बाबूजी जैसे शिक्षित होनहार और मेधावी व्यक्ति ईसाई बन जायगा तो इनके साथ-साथ अछूतों का एक बहुत बड़ा वर्ग भी ईसाई बन जायगा। ईसाई महिलाओं द्वारा तरह-तरह के प्रलोभन दिए गए। उन्होंने कहा कि वे बाबूजी को आगे पढ़ने के लिए लखनऊ भेज सकती हैं। हिन्दू-धर्म के रंग में रंगे बाबूजी को भला कब यह प्रस्ताव मंजूर हो सकता था ? जब मांजी को यह बात मालूम हुई तब उन्होंने भी इसे अमान्य कर दिया और उन महिलाओं को ऐसी डांट बतलाई कि उनका फिर घर में आना-जाना ही बन्द हो गया। मां और पुत्र के सामने हमेशा गीता में भगवान् के कहे हुए वचन-

“श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।

स्वधर्मो निघनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥” (गीता ३-३५)

“अर्थात् अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुणरा भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकार है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है” का आदर्श रहता थ वावूजी विद्या-अर्जन के लिए व्याकुल ही थे। वावूजी विद्या की महि से भलीभांति परिचित थे—

“वित्तं वन्धुर्वयः कर्म विद्या भवति पञ्चमो ।

एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम् ॥”

(म० स्मृ० २-१३६)

“धन, कुटुम्ब, आयु, कर्म और पांचवीं विद्या ये वड़प्पन के स्था हैं। इनमें जो-जो पीछे है वही पहले से बड़ा है अर्थात् धन से कुटुम्ब बड़ा है आदि।”

“न हायनेनं पयितेनं वित्तेन वन्धुभिः ।

ऋषयश्चकिरे धर्मं योऽनूचापनः स नो महान् ॥”

(म० स्मृ० २-१५४)

“न बहुत वर्षों की अवस्था से, न सफेद वालों से, न धन से, न भाई-वन्धुओं से कोई बड़ा होता है। ऋषियों ने यह धर्म किया है कि जो अंगों समेत वेद पढ़ने वाला है वही हम लोगों में बड़ा है।”

“न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः ।

यो वै युवाप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः ।”

(म० स्मृ० २-१५६)

“सिर के बाल सफेद होने से कोई बड़ा नहीं होता। तरुण होकर भी जो विद्वान् होता है, उसे देवता वृद्ध मानते हैं।”

“रूप यौवन सम्पन्ना विशालकुलसम्भवाः ।

विद्याहीना न शोभन्ते निर्गन्धा इव किंशुकाः ॥”

(चाणक्य ३-८)

“विद्याहीन मनुष्य रूप और यौवन से सम्पन्न एवं बड़े कुल में उत्पन्न होने पर भी विद्वानों की सभा में उसी प्रकार शोभा नहीं पाता है जैसे गन्धरहित पुष्प।”

“न चौरहार्यं न च राजहार्यं

न भ्रातृभाज्यं न च भारकारि ।

व्यये कृते वर्धते एव नित्यं

विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम् ॥”

“विद्या को चोर या राजा नहीं छीन सकता । भाई इसका वंटवारा नहीं करा सकते और इसका कुछ कर भी नहीं लगता तथा दान करने से यानी दूसरों को पढ़ाने से यह विद्या नित्य बढ़ती रहती है । अतः विद्या रूपी धन सब धनों में प्रधान है ।”

“कामधेनुना विद्या ह्यकाले फलदायिनी ।

प्रवासे मातृसदृशी विद्या गुप्तं धनं स्मृतम् ॥”

(चाणन्य ४-५)

“विद्या में कामधेनु के समान गुण हैं, यह अकाल में भी फल देने वाली है, यह विद्या मनुष्य का गुप्त धन समझा गया है । विदेश में यह माता के समान सहायता करती है ।”

“विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नं गुप्तं धनं,

विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरुणां गुरुः ।

विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता,

विद्या राजसु पूज्यते न हि धनं विद्याविहीनः पशुः ॥”

(भर्तृहरि नीतिशतक २१)

“विद्या ही मनुष्य का अधिक-से-अधिक रूप और ढँका हुआ गुप्त धन है, विद्या ही भोग है, यश है और सुख प्रदान करने वाली तथा गुरुओं की भी गुरु है, विदेश में गमन करने पर विद्या ही बन्धु के समान सहायक हुआ करती है, विद्या परा देवता है, राजाओं के यहां भी विद्या की ही पूजा होती है, धन की नहीं । इसलिए जो मनुष्य विद्याहीन है, वह पशु के समान है ।”

माता और अग्रज पिता के अन्तिम शब्दों का स्मरण रखते हुए बाबूजी के विद्याध्ययन को जारी रखने में प्रयत्नशील थे । फिर वे क्यों न हों ? वे जानते थे कि—

“माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः ।  
न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये वको यथा ॥”

(चाणक्य २।११)

“वे माता-पिता वैरी के समान हैं जिन्होंने बालक को विद्या नहीं पढ़ायी, क्योंकि अनपढ़ बालक सभा में वैसे ही शोभा नहीं पाता जैसे हंसों के मध्य वगुला ।”

बड़े भाई की इच्छा थी कि बाबूजी डाक्टर बन कर यश और धन कमायें । लेकिन बाबूजी की अपनी इच्छा इंजीनियर बनने की थी । मां की इच्छा थी कि पुत्र विद्वान् और यशस्वी बने । बाबूजी को महामना मालवीय जी का आमन्त्रण स्मरण था । वे काशी गए । परन्तु उस समय महामना गुजरात गए हुए थे । बाबूजी ने महामना को पत्र लिखा और लौट आए । घर लौटने के तुरन्त बाद बाबूजी को पुनः महामना का लिखित आमन्त्रण मिला । महामना ने लिखा था—“काशी चले आओ । गध्ययन की व्यवस्था हो जाएगी और साथ-ही-साथ विड़ला छात्रवृत्ति भी मिलेगी ।” सन् १९२६ में बाबूजी ने हिन्दू विश्वविद्यालय में प्रवेश किया ।

काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है । वहां ज्ञान की गंगा बहती है । काशी आते ही बाबूजी इस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने लगे । उनका चिंतन यहीं प्रारम्भ हुआ । अब ये अपने पैरों पर खड़े थे । जिस वर्ग में इन्होंने जन्म लिया था, उस वर्ग की हीन दशा को सुधारने और उस वर्ग को आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प भी इन्होंने यहीं लिया । अपने जीवन-विकास की समस्त विरोधी शक्तियों को परास्त कर बाबूजी आगे बढ़ रहे थे । इनका आत्म-विश्वास जाग उठा था ।

ऐसी बात नहीं थी कि विश्वविद्यालय के वातावरण में इन्हें अपमानों का सामना करना न पड़ा हो । यहां भी इनके सहपाठी इनके प्रति हीन व्यवहार करते थे । इन्हें पूर्ण सम्मान नहीं मिलता था । प्रकट रूप में भले इनके साथ हीनता का व्यवहार नहीं किया जाता था; किन्तु अप्रकट रूप में हीनता की गन्ध रहती ही थी । यहां आर्य-समाजी छात्रों

के भोजनालय में इन्हें भोजन करना पड़ता था। कुछ दिनों बाद जब नौकर को यह बात मालूम हुई कि वावूजी अस्पृश्य हैं तो उसने भोजनालय के नौकरी ही छोड़ दी। वावूजी का जूठा बर्तन जूठा ही पड़ा रहा। भोजनालय में कोई भी नौकर नौकरी करने को तैयार ही न होता था। सब कहते चमार का जूठा बर्तन कौन साफ करेगा ? संचालकों के सामने नौकरों का नहीं रहना एक गम्भीर समस्या बन गयी। वावूजी ने इस असुविधा का अपने को कारण समझा। इन्होंने दूसरी जगह खाने का निश्चय किया, पर नियम अनुकूल न था। वावूजी विड़ला-छात्र-वृत्ति पाते थे अतः छात्रावास छोड़कर ये बाहर नहीं रह सकते थे। इन सभी कठिनाइयों को वावूजी ने महामना के सामने रखा और बाहर रहने की आज्ञा मांगी। महामना ने सहानुभूति से सारी बातें सुनीं और कहा कि महाराष्ट्र का एक अच्छा छात्र छात्रावास में रहकर अपना भोजन स्वयं बनाता है अतः इन्हें भी अपना भोजन स्वयं बनाना चाहिए। परन्तु स्वाभिमानी वावूजी के लिए छात्रावास के बाहर रह कर अपना भोजन आप बनाना आसान था, पर छात्रावास में रह कर अपमान सहते हुए अपना भोजन बनाना अमान्य था। भावुकता-वश आवेश में महामना से ये कई बातें बोल गए। उन बातों का महामना पर काफी असर पड़ा और महामना ने इन्हें अपने साथ रहने को कहा। वावूजी तुरंत पूछ बैठे कि कहीं आपका भी नौकर भाग जाए तब क्या होगा ? महामना के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए इन्होंने कहा कि उन्हें भी कष्ट में डालना अच्छा नहीं लगता। विज्ञान के एक शिक्षक को यह बात मालूम हुई। उन्होंने वावूजी को अपने पास बुलाकर अपने साथ रहने को कहा और साथ ही यह भी कहा कि अगर इनके साथ रहने से नौकर चला जाएगा तो विना नौकर के भी रहा जा सकता है। वावूजी उनके साथ रहने लगे। परन्तु उसी घटना की पुनरावृत्ति हुई। उनका भी नौकर चला गया। फिर कोई दूसरा नौकर आता ही न था। इन सारी कठिनाइयों को देख विश्वविद्यालय के अधिकारियों से अंत में वावूजी को बाहर रहने की आज्ञा मिल गयी। इस तरह स्वाभिमानी



बाबूजी ने छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों के लिए एक नई व्यवस्था कायम कराई ।

विश्वविद्यालय के बाहर लंका के एक मकान में बाबूजी रहने लगे । मां भी साथ रहने लगीं । फिर कुछ दिनों बाद गंगा-तट पर ये अस्सी घाट में एक कोरी के मकान में रहने लगे । बाबूजी छुट्टी में घर आए ; इधर मकान-मालिक को कुछ लोगों ने यह कहकर भड़काया कि संकटमोचन के पुजारी का शिष्य होकर वह ऐसा पाप क्यों करता है कि अपने मकान में अछूत को रखता है ? बाबूजी छुट्टी विताकर जब काशी लौटे तो कोरी ने मकान देने से इन्कार करते हुए इनका अग्रिम रुपया लौटाया । बाबूजी ने उसे बहुत समझाया परन्तु वह अपनी जिद्द पर अटल था । लाचार बाबूजी को भी जिद्द पकड़नी पड़ी । इन्होंने कहा कि किराया नामा लिखा जा चुका है और अग्रिम किराया भी जमा है तो फिर इन्हें कमरे में रहने से कौन रोक सकता है ? मकान-मालिक ने अपने गुरु से राय ली । गुरु प्रगतिशील विचारों के थे । उन्होंने स्वीकृति दे दी । मकान-मालिक ने मकान में रहने की इजाजत दे दी । पर इजाजत उसने प्रसन्नतापूर्वक नहीं दी । मकान-मालिक का भी परिवार साथ ही रहता था । कुछ दिनों तक मन-मुटाव चला । परन्तु मां के स्नेह और प्यार के चलते दोनों परिवार का मन-मुटाव समाप्त हो गया और दोनों परिवार एक होकर रहने लगे ।

इस तरह के अपमान और तिरस्कार का शिकार इन्हें कई बार होना पड़ा । नाई, जो इनका बाल बराबर बनाता था, जब उसे भी इनके अस्पृश्य होने का पता लगा तो उसने भी इनका बाल बनाना छोड़ दिया ; परन्तु बाबूजी इन अपमानों और तिरस्कारों से घबड़ाते नहीं थे । वरन् इनका ध्यान अपने वर्ग की कठिनाइयों की ओर और ज्यादा आकृष्ट होने लगा । अब ये अपने वर्ग की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सचेत होने लगे । किशोरावस्था में ही ये यह सोचने लगे कि हिन्दू समाज में इनका वर्ग कब तक इस तरह तिरस्कृत, बहिष्कृत और अपमानित होता रहेगा ? इसके लिए इन्हें अपने वर्ग में संगठन का

अभाव दिखायी दिया। हृदय में प्रेरणा जगी कि अपने वर्ग का नेतृत्व करना चाहिए। इस तरह हम देखते हैं कि छात्रावस्था में ही वावूजी के हृदय में अपने वर्ग की सेवा करने की भावना पूरी तरह से घर कर गयी।

इंटरमीडियेट में अंग्रेजी और हिन्दी के अनिवार्य विषयों के साथ-साथ वावूजी ने गणित, रसायन शास्त्र और पदार्थ विज्ञान को वैकल्पिक विषयों के रूप में रखा था। काशी के दो वर्षों के प्रवास-काल में इन्होंने काफी लगन से अध्ययन में परिश्रम किया। काशी में रहने वाले तत्कालीन विद्वान् लेखक वावू श्याम सुन्दरदास, हरिऔध, शुक्ल जी और प्रेमचन्द्र जी जैसे लेखकों के निकट भी वावूजी आए। बंगला के लेखक शरद, द्विजेन्द्र लाल राय और टैगोर आदि ने इन्हें इतना आकर्षित किया कि कुछ ही समय में वावूजी ने बंगला सीख ली और बंगला में जितनी पुस्तकें प्राप्त थीं सबको पढ़ा।

वावूजी छात्रावस्था से ही कल्पित संसद में बड़े सक्रिय रूप से भाग लेते थे। तब किसे पता था कि गणतन्त्र भारत के संसद में भी इन्हें भाग लेना होगा। गांव में अखाड़े की कुश्ती लड़ने की आदत ने अब गंगा में तैरने का रूप ले लिया था।

काशी में दो वर्ष विताकर इन्होंने आई० एस० सी० की परीक्षा पास की। काशी की सामाजिक संकीर्णता और घुटन इनको अच्छी नहीं लगी और काशी छोड़कर कलकत्ता जाने का इन्होंने निश्चय किया।

१९२८ में कलकत्ता के विद्यासागर कालेज में वावूजी ने अपना नाम लिखवाया। कलकत्ते के विश्वविद्यालय का वातावरण बनारस की अपेक्षा ज्यादा प्रगतिशील था। बंगाली छात्रों के बीच विहारी छात्र होते हुए भी इन्हें ज्यादा कठिनाइयां नहीं होती थीं। बंगला का पूर्ण ज्ञान होते हुए भी ये अपने सहपाठियों से हिन्दी में ही बात किया करते थे। कलकत्ता के छात्र-जीवन में ही वावूजी ने समाज-सुधार और देश की राजनीति में भाग लेना आरम्भ कर दिया। रविदास सभाओं में

अब सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। उन सभाओं में वावूजी के बड़े ही ओजस्वी भाषण होते थे। जीवन में स्वच्छता लाने के लिए और मद्यपान न करने के लिए अपने वर्ग के लोगों से ये बराबर अनुरोध करते थे। इनका लोगों पर गम्भीर असर होता था। लोग छात्र वावूजी का भाषण बड़ी तन्मयता से सुनते और अपना जीवन बदलने की कोशिश करते। इन सभी बातों को लेकर रविदास महन्तों ने वावूजी का काफी विरोध किया और उनके विरोध ने ही इनको चमका दिया। वावूजी द्वारा चलाए गए मद्यपान-विरोध-आन्दोलन और स्वच्छता-अभियान ने बड़े-बड़े कांग्रेसी नेताओं को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वावूजी की सभाओं में काफी भीड़ होने लगी। लोग हरिजनों के इस छात्र-नेता का ओजस्वी और सारगर्भित भाषण बड़े ध्यान से सुनते और प्रभावित होते। वावूजी की छात्रावस्था की सभाओं में सभी वर्ग के लोग जाते और काफी तन्मयता से इनके भाषण को सुना करते थे।

कलकत्ता में वावूजी का परिचय नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, डा० वी० सी० राय, श्री जी० एम० सेनगुप्ता, श्री प्रफुल्ल चन्द्र घोष, सेठ जुगल किशोर विड़ला आदि नेताओं से हुआ। यहीं इन्होंने एक ओर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की क्रान्तिकारी भावनाओं का दर्शन किया तो दूसरी ओर डा० वी० सी० राय और सेनगुप्ता को कांग्रेस की निश्चित नीतियों पर चलते हुए देखा।

इस तरह हम वावूजी को छात्रावस्था में ही सार्वजनिक क्षेत्र में केवल पदार्पण करते हुए नहीं बरन् सक्रिय सहयोग करते हुए भी पाते हैं। वावूजी की बेजोड़ संगठन-शक्ति से हम सभी परिचित हैं। छात्र-जीवन व्यतीत करते हुए वावूजी दलितों के संगठन में भी जुट पड़े थे। अब तथाकथित अछूतों का नेतृत्व इनके हाथ में था और ये उनके मन-मन्दिर के देवता और आराध्य बन चुके थे। इसी बीच १९२८ में कलकत्ते में कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन में युवक नेता नेताजी से वावूजी बहुत प्रभावित हुए और इसी प्रभाव ने वावू-

जीके चोले को पूर्णरूपेण कांग्रेस के रंग में रंग दिया। ऐसी बात नहीं थी कि बाबूजी केवल नेताजी के भाषण या व्यक्तित्व से प्रभावित हो गए हों। नेताजी से प्रभावित होने का मूल कारण इनकी अपनी सामाजिक उत्थान की विचार-धारा और नेताजी की विचार-धारा का एक होना था। बाबूजी सोचते थे कि बिना सामाजिक उत्थान के देश का राजनीतिक उत्थान संभव नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह नेताजी भी कहते थे कि “जिस दिन इस दलित और पीड़ित वर्ग में अपनी दयनीय स्थिति के प्रति असन्तोष उत्पन्न होगा, विद्रोह की आग सुलगेगी, उस दिन दलित ज्वालामुखी के समान भभक पड़ेंगे, उनके इस विद्रोह से देश में नयी मंगलजनक क्रान्ति होगी, जो न केवल हिन्दू-समाज की काया पलट देगी, वरन् देश के राष्ट्रीय जीवन को एक नए मार्ग पर ला खड़ा करेगी।” बाबूजी हमेशा सोचा करते थे कि “यदि दलितों का उद्धार न हुआ और वे इसी दीन-हीन दशा में समाज के तिरस्कृत अंग बने रहे तो स्वतंत्रता प्राप्त करने पर भी हिन्दू-समाज का उच्च वर्ग उनका शोषण करेगा। इस पिछड़ेपन से देश के राजनीतिक जीवन में इन कोटि-कोटि दलितों का कोई स्थान न होगा, कोई आवाज न होगी।” ठीक है कि इन पर कांग्रेसी नेताओं का प्रभाव पड़ा और ये राष्ट्रीयता और कांग्रेस संगठन की ओर बढ़े किन्तु हरिजनों की समस्याएं बराबर इनके हृदय में रहीं।

१९२६ में लाहौर की रावी नदी के किनारे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इसी अधिवेशन में देश की पूर्ण स्वतन्त्रता की घोषणा भी हुई। कांग्रेस अधिवेशन के साथ-साथ अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन भी हुआ। बाबूजी ने अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन को सफल बनाने का सराहनीय प्रयत्न किया और दोनों अधिवेशनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। यही वह वर्ष है जब भारत में ‘साइमन कमीशन’ का आगमन हुआ था और उसके बहिष्कार का देशव्यापी आन्दोलन छिड़ा हुआ था। १९३० में बाबूजी को अपनी वी० एस-सी० की परीक्षा में बैठना था। परन्तु अस्वस्थ होने की वजह से बाबूजी

ने परीक्षा में बैठना स्थगित कर दिया। इस समय ये अपने बड़े भाई के साथ मैडिकल कालेज के क्वार्टर में रहते थे। एक दिन प्रेसीडेंसी कालेज की ओर जाते हुए रास्ते में धरना देने वाले सत्याग्रहियों पर पुलिस की लाठियां चलते हुए इन्होंने देखा। जवानी का जोश और शाहावाद का खून उबल पड़ा और ये भी धरना देने वाले जत्थे में घुस पड़े। इन पर भी मार पड़ी। मार पड़ने के बाद भागने के बजाय सत्याग्रहियों के साथ इन्होंने अपने आपको गिरफ्तार कराना चाहा। धरने के संचालक कांग्रेसी नेताओं ने बाबूजी की सराहना की और गिरफ्तार होने के बजाय दूसरे प्रकार से सहयोग देने का आग्रह किया। विदेशी वस्त्र बहिष्कार, नमक सत्याग्रह और स्कूल कालेजों का बहिष्कार बड़े पैमाने पर चल रहा था। सत्याग्रह आंदोलन की बुलेटिनें तथा विज्ञप्तियां छपवाना और उनका वितरण करना कांग्रेस का प्रधान कार्य था। सरकारी क्वार्टर में रहते हुए इन सब कार्यों को करना धरना देने से ज्यादा खतरनाक था फिर भी बाबूजी काफी सक्रिय रूप से इन कार्यों में लगे थे। साथ ही धरना देने में भी यदा-कदा आगे बढ़े और एक बार लाठियों की चोट से सख्त घायल भी हुए। अब बाबूजी ने बापू के साथ पत्र-व्यवहार भी करना शुरू कर दिया। राजनीतिक आन्दोलन से अधिक सामाजिक आन्दोलन का महत्व समझते हुए वह खादी पहनने लगे, सूत कातने लगे और खादी का प्रचार करने लगे।

१९३१ में बाबूजी ने बी० एस-सी० की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। कालेज की छुट्टियों में जब भी ये घर आते तो ग्रामीणों से घिरे रहते, हरिजन बालकों से पढ़ने को कहते और उन्हें पढ़ाते भी। दूर-दूर गांवों में धूम-धूमकर समाज के लोगों को जागृति का सन्देश भी सुनाते।

१९१६ में आठ ही वर्ष की अवस्था में बाबूजी की पहली शादी हुई थी। १९२३ में गौना हुआ था। अठारह-उन्नीस वर्ष की अवस्था में ही पत्नी का भार सिर पर पड़ने पर भी इनका शिक्षा-क्रम रुका नहीं। पत्नी से इन्हें सदा सहयोग ही मिलता रहा। किन्तु सात वर्ष बाद ही प्रथम पत्नी ने इनका साथ छोड़ दिया। बड़ी कम उम्र में ही

उनकी मृत्यु हो गई। वे साध्वी, पतिपरायणी और महत्वाकांक्षिणी स्त्री थीं। १९३५ में बाबूजी का दूसरा विवाह कानपुर में मां इन्द्राणी देवी से हुआ। मां इन्द्राणी देवी भी काफी सुशीला, सुशिक्षिता और पवित्र हृदया महिला निकलीं। उन्होंने भारतीय नारी के सभी आदर्शों को अपनाया और बाबूजी का हर अवसरों पर साथ दिया। बाबूजी की सब परीक्षाओं और विश्वासों में निष्कलंक सहचरी रहीं। इन्हें दो संतानें हुईं। एक पुत्र श्री सुरेशकुमार और पुत्री मीरा। भैया जी (श्री सुरेश कुमार) ने भी बाबूजी की तरह ही राष्ट्र और समाज की सेवा का व्रत लिया है। फिर क्यों न लें ? इन्हें भी तो अपने पूज्य पिता और पितामह से विरासत के रूप में समाज के नवनिर्माण और तमाम विषमताओं के विरुद्ध लड़ने के साथ-साथ आवाज़ बुलन्द करने की क्रान्तिकारी प्रवृत्ति मिली है। तभी तो दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक और कानून की परीक्षा पास करने के बाद भी भैया जी ने राष्ट्र और समाज के नवनिर्माण में संघर्षरत रहने को ही अपना जीवन-लक्ष्य बनाया है। भैया जी का व्यक्तिगत जीवन बड़ा ही मुक्त और खुला हुआ है। बहुमुखी प्रतिभा लिए भैया जी भी देश के नवजीवन के लिए प्रेरणा-स्रोत बनेंगे। सामने आई हुई कठिनाइयों को मुस्कराते हुए देखना और उसे पछाड़ना तो इनका वंशगत गुण है भला उससे ये कैसे अछूते रहते। १९७२ के मध्यावधि-चुनाव में शाहाबाद जिला के मोहनिया क्षेत्र से भैया जी निर्वाचित हुए हैं। इन्होंने अपने दो जर्बंदस्त प्रतिद्वन्द्वियों—बिहार सरकार के भूतपूर्व मंत्री और संगठन कांग्रेस के उम्मीदवार श्री महावीर पासवान को तथा एक अन्य श्री भागवत प्रसाद को करीब आठ हजार मतों से पराजित किया है। इसमें शक नहीं कि बाबूजी की तरह ही भैया जी भी युवा पीढ़ी के लिए मार्ग-दर्शक बनेंगे। योग्य मां-बाप की योग्य सन्तान के रूप में वहन मीरा भी बड़ी ही तीक्ष्ण बुद्धि की और व्यवहार-कुशल हैं।

घोर दरिद्रता और सामाजिक यन्त्रणाओं के बीच बाबूजी का जीवन किस प्रकार आगे बढ़ा आपके, हमारे और सबके सामने है।

जिन कठिनाइयों के बीच इन्होंने शुरू से शिक्षा प्राप्त की यह इन्हीं जैसे व्यक्ति से सम्भव है। कलकत्ते जैसी महानगरी में उच्च शिक्षा प्राप्त करना इन्हीं का कौशल है अन्यथा बाबूजी का परिवार इतना सम्पन्न नहीं था कि ये कलकत्ता में पढ़ पाते। ठीक है कि उस समय काफी सस्ती थी फिर भी कलकत्ते के जीवन-स्तर और पढ़ाई में काफी खर्च भी होता था। परन्तु साध्वी मां की संरक्षणता में, मां के आशीर्वाद से बाबूजी सदैव आगे बढ़ते गए और अपने स्वर्गीय पिता की मृत्यु के समय जगी हुई अभिलाषा को इन्होंने पूरा किया। सफलता के साथ शिक्षा प्राप्त कर इन्होंने मां, पिता, गुरु, भाई सबके सपनों को साकार रूप दे दिया और सबके ऋण से मुक्त हुए।

युगों से पददलित, कुंठित, तिरस्कृत और उपेक्षित समाज के वर्ग में भी जन्म लेकर सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंचकर बाबूजी ने समाज के वैभवसम्पन्न तथा पूज्य वर्गों को खुली चुनौती दी है—

‘उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मी  
दैवेन देयमिति कापुरुषा वदन्ति।’

## सामाजिक और राजनीतिक जीवन

आपने देखा कि बाबूजी अपने छात्र-जीवन में ही सामाजिक और राजनीतिक दोनों आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। इन्होंने अब जो मार्ग अपनाया वह एक ऊँचे पहाड़ की फिसलन वाली देह पर होकर आगे बढ़ता है। यह मार्ग सबसे अधिक खतरनाक है। यह मार्ग अत्यन्त पिच्छल और दुर्गम है। इस मार्ग से गुजरते समय सदा अधः-पतन तथा खन्दकों में गिरकर जान गंवाने तक का भय रहता है। इस मार्ग पर चलकर बहुत से अपना नसीब आजमाने आते हैं, बहुत से खो जाते हैं और कुछ सचमुच लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं। इस पथ पर चलने का साहस करने वालों में बहुत कम ही मंजिल तक पहुंच पाते हैं। बाबूजी के अडिग चरण बड़ी तेजी से मंजिल की ओर बढ़ने लगे। प्रायः देखा जाता है कि इस मार्ग पर चलने वाला मार्ग की कठिनाइयों को देखकर पदस्खलित हो जाता है। बाबूजी जैसे कुछ साहसी व्यक्तियों के ही चरण अडिग होते हैं जो मार्ग के अवरोधों को देख, कठिनाइयों को देख, तूफानों और भ्रंशावातों को देखकर डिगते नहीं बल्कि और दृढ़ता के साथ सदैव आगे की ओर, लक्ष्य की ओर ही बढ़ते जाते हैं। अपनी सेवा के लिए बड़े हुए व्यक्ति का अभिनन्दन समाज शुरू से ही करने लगे ऐसी बात भी नहीं है। हां, समाज उसका अभिनन्दन करता है कब, जब समाज या राष्ट्र की सेवा करने वाला बहुत आगे बढ़ जाता है। लक्ष्य पार कर लेता है। समाज या राष्ट्र अपने प्रति किए गए उसके कार्यों का लेखा-जोखा कर लेता है, मूल्यांकन कर लेता है। समाज या राष्ट्र की सेवा शूर-धर्म है। सब इसे नहीं कर सकते। क्योंकि दिनकर के अनुसार शूर-धर्म की व्याख्या इस प्रकार है—



‘शूर-धर्म है अभय दहकते अंगारों पर चलना ।

शूर-धर्म है शोणित असि पर, धरकर पांव मचलना ॥’

और इस तरह शूर-धर्म का पालन सबसे सम्भव नहीं हो सकता । अपनी सेवा के लिए बड़े हुए भागवत पुरुष या महामानव को समाज पुरस्कृत करने के पहले उसे घृणा, तिरस्कार और अपमान देना जानता है । इतना ही नहीं इतिहास गवाही देता है कि समाज अपने सेवकों को शूली पर चढ़ा देता है, जहर दे देता है, गोली मार देता है । महात्मा ईसा का चरित्र आपने पढ़ा होगा । उनका चरित्र, उद्देश्य तथा कार्य सब के सब उच्चतम थे । वे एक शुद्ध और सात्त्विक समाज की रचना कर रहे थे । जिस समाज को भलाई करना चाहते थे उसने उनका विरोध किया । निर्णायकों का निर्णय भी उनके विरुद्ध हुआ । प्रभु ईसा को मृत्यु-दण्ड दे दिया गया । वह भी मृत्यु-दण्ड कैसा ? उन्हें एक बार नहीं मारा गया । शूली पर लटका दिया गया, तिल-तिलकर मरने को । स्वामी दयानन्द से आप परिचित होंगे । वे आर्य-समाज के प्रवर्तक थे । सुधारकों की शृंखला में उनका स्थान बड़ा ही महत्त्वपूर्ण समझा जाता है । वे हिन्दू-समाज को रूढ़िवादी परम्पराओं और अंध-विश्वासों से मुक्त करने में सतत सचेष्ट थे । परन्तु क्या आपको पता है कि समाज ने उन्हें क्या दिया ? उनकी हत्या करने के लिए उन्हें कांच पीसकर दिया गया । ठीक यही दशा श्रद्धानन्द की भी की गई । वापू का भी अभिनन्दन उनके सीने पर गोली मारकर किया गया । सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ने वालों की ऐसी दशा के अनेक उदाहरण हैं । इस तरह हम देखते हैं कि घृणा, तिरस्कार, अपमान, जघन्य अन्याय और प्राण जाने के भय से सामान्य पुरुष का पांव डगमगा जाना स्वाभाविक है, अस्वाभाविक नहीं । परन्तु वावूजी जैसा तरुण विहंग व्योम से होने वाले उल्कापातों से, वज्रपातों से नहीं घबड़ाया । इस तरुण विहंग ने अपनी उड़ान स्थगित नहीं की ।

समाज या राष्ट्र की सेवा वस्तुतः अग्नि-परीक्षा है । सब इसमें सफल हों ऐसी बात भी नहीं है । लेकिन वावूजी के साथ ऐसी बात नहीं

है। तभी तो इस अग्नि-परीक्षा में इन्हें सफल देख वापू ने कहा था—  
 “My heart goes out in respectful admiration to Jag Jiwan Ram for his having emerged the purest gold out of fire.”

“अग्नि-परीक्षा में खरे सोने की तरह सिद्ध होने वाले जगजीवन राम की मैं हार्दिक अभ्यर्थना करता हूँ।” एक निर्धन परिवार के व्यक्ति का वी० एस-सी० की परीक्षा पास करने के बाद धन-अर्जन करने के बदले समाज-सेवा का व्रत ले लेना कोई मामूली बात नहीं है। इंजीनियर, डाक्टर या आफ़ीसर बनने के बदले यह भागवत पुरुष मानवता का सच्चा सेवक बन बैठा। सत्य है कि दिव्य जीवन सर्व साधारणता का अतिक्रमण करता है साथ-ही-साथ असाधारण का भी। यह सारे मूल्यों में आमूल परिवर्तन कर डालता है। परन्तु इसका अर्थ अनिर्दिष्टता में बराबर अस्थिरता से गतिशील रहना नहीं होता। प्रत्येक ईश्वर-विश्वासी का असंदिग्ध अनुभव है कि क्रान्ति और एक आमूल परिवर्तन लाने के लिए भगवान् को स्वयं नेतृत्व करना होता है। भगवान् की इच्छा पूरी होती है, इन्सान की नहीं। जो कुछ भी होता है वह हमारी धारणाओं के अनुसार नहीं बरन् भगवान् और उनकी मनीपा वह सब-कुछ निर्धारित करती है। जब किसी विशेष भाव में भगवान् अपने को प्रकट करना चाहते हैं तब उन्हें आवश्यकता होती है एक विशेष दृढ़ आधार की। कुंठित, तिरस्कृत, अपमानित, उपेक्षित और पददलित समाज का उत्थान वस्तुतः एक क्रान्ति ही थी। पददलित अस्पृश्य समाज के उत्थान की बात एक आमूल परिवर्तन ही था। इस कार्य को भगवान् को करना था और इसके लिए भगवान् ने वावूजी का रूप लिया।

सामाजिक क्षेत्र में वावूजी का पदार्पण प्रखर प्रकाशमान सूर्य के रूप में हुआ है जिसके सामने सारे नक्षत्र घूमिल हो गए हैं। विश्व के रंगमंच पर वावूजी ने वूढ़ी क्रान्ति को एक नया रूप दिया। उस क्रान्ति के हाथों में तोप और तलवार की जगह ‘मा भैः’ की वरुण्य मुद्रा है। आंखों में तिरस्कार और घृणा की जगह प्रेम और वात्सल्य का पयोधि

है। राक्तम साड़ा को जगह वह सत्य की सफेद साड़ी पहने हुए है। उसके हृदय में प्रतिशोध की जगह क्षमा की भावना है। उसके मुख पर क्रूरता, विह्वलता और अस्थिरता की जगह साहस, शान्ति और स्थिरता है। होंठों पर घृणा और तिरस्कार की जगह स्नेहभरी मृदु मुस्कान है। उसकी मांग मानव-रक्त से लाल होने की जगह अहिंसा के वास्तविक सिन्दूर से लाल है। उसके पांवों में प्रलय की पैजनी की जगह सृजन का नूपुर है। उसके मुख पर विध्वंस के मुन्नीटे की जगह रक्षण का घूंघट है। उसके मुख से विनाश के गीत नहीं निकलते वरन् सृजन की मधुर स्वरलहरी निकलती है जिससे सभी मन्त्र-मुग्ध हैं, आत्म-विस्मृत हैं। उसे देख भय नहीं होता, कोई भागता नहीं वरन् श्रद्धा होती है और सिर नत हो जाता है। उसके शरीर से हिंसा की तामसिक दुर्गन्ध नहीं आती अपितु अहिंसा की सात्त्विक सुगन्ध आती है। वह क्रान्ति लाल नहीं है वरन् शुभ्र और सफेद है। वायूजी की क्रान्ति चीन, रूस और फ्रांस से सर्वथा भिन्न है। इस अद्भुत क्रान्ति का अनूठा रंग और अनुपम रूप है। ऐसी बात नहीं है कि वायूजी की नयी-नवोढ़ा क्रान्ति ने कभी भी असफल होना जाना है वरन् वृद्धा क्रान्ति से ज्यादा इसे सफलता मिली है। यह वृद्धा क्रान्ति से ज्यादा सशक्त, सबल, समर्थ और सफल है। मनुष्य को मनुष्य से घृणा करने की जगह वह प्रेम करना सिखलाती है। इस क्रान्ति में तामसिक हिंसा का कोई स्थान नहीं वरन् यह सात्त्विक अहिंसा के पथ पर चलना जानती है। यह मनुष्य को अहिंसा का अर्चन करने की शिक्षा देती है जो हिंसा-पूजन की अपेक्षा कहीं अधिक कष्टकर और श्रेयस्कर है। क्षणिक आवेश में भले ही मानव मानसिक और शारीरिक सन्तुलन खोकर हिंसक हो जाय पर यह उसका स्वाभाविक गुण नहीं है। वह स्वभाव से शान्तिप्रिय जीव है। क्षणिक आवेश में वह नर-हत्या जैसा जघन्य पाप कर देता है पर पीछे पश्चात्ताप की अग्नि में उसे जलना भी पड़ता है।

आपने देखा है कि सिर्फ २० वर्ष की आयु में ही वायूजी सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय रूप से भाग लेने लगे और बड़ी तेजी से आगे बढ़ने

लगे। इस तरुण समाजसेवी की गति और प्रगति ने सबको मात दे दिया। काशी की पवित्र भूमि में इस तरुण समाज-सेवी ने अपने वर्ग के लोगों के उत्थान का दृढ़ संकल्प लिया था और अब उस संकल्प को साकार करने के लिए सचेष्ट हो चला था। ऐसी बात नहीं थी कि वावजी ने उस समय भी केवल अपने वर्ग-विशेष के मस्तिष्क से समाज-सेवा करने की बात सोची हो वरन् समस्त हिन्दू-जाति के उत्थान के लिए ही इन्होंने समाज-सेवा का व्रत लिया था। इनके मस्तिष्क में केवल हरिजनोद्धार की बात ही नहीं थी वरन् समस्त हिन्दू-समाज के उत्थान और रक्षा की बात थी। यही कारण है कि सामाजिक क्षेत्र में पैर रखते ही इन्हें समाज के समस्त वर्गों ने आदर और सम्मान दिया।

२० वर्ष का यह तरुण समाज-सेवी दक्षिणेश्वर की मां काली के उस पुरोहित की याद दिलाता है जिसने इसी वय में अपनी साधना के बल पर मां काली का साक्षात्कार कर लिया था। इस तरुण समाज-सेवी ने हिन्दू-धर्म के समाने-बड़ी नम्रता और शालीनता से अपनी मांगों को रखा। इन्होंने बड़ी शालीनता से कहा कि "स्वस्थ शरीर के प्रत्येक अंग का समान रूप से स्वस्थ और परिपुष्ट होना आवश्यक है। हिन्दू-धर्म के दो अंग सवर्ण और अस्पृश्य हैं। दोनों का विकास धर्म के लिए समान रूप से आवश्यक है।" एक चतुर चित्तेरे के समान इन्होंने समाज का सजीव चित्र सबके सामने रखा। वह चित्र सबको इतना अच्छा और आकर्षक लगा कि सबने मुक्तकंठ से उसकी प्रशंसा की और यही कारण है कि सामाजिक क्षेत्र में इस तरुण समाज-सेवी का सबने हृदय से स्वागत किया। हरिजनोद्धार के प्रश्न को केवल एक वर्ग-विशेष के रूप में नहीं रखा वरन् समस्त हिन्दू-धर्म के रूप में रखा। यही कारण है कि इस तरुण समाज-सेवक को सबके विपरीत घृणा, तिरस्कार और अपमान की जगह स्नेह, सम्मान और प्रतिष्ठा मिली और यह सामाजिक क्षेत्र के इतिहास की एक अनोखी, अनुपम और अनूठी घटना हो गयी। इन्हें हरिजनों ने अपने उद्धारक के रूप में अपनाया पर कट्टर-से-कट्टर सनातन-धर्मावलम्बियों ने, सवर्णों ने भी अपने हृदय का सम्मान और

स्नेह दिया। यह तरुण नेता वर्ग-विशेष का नेता न रहकर समस्त हिन्दू-जाति और राष्ट्र का नेता बन गया। अगर हम हिन्दू-धर्म के सुधारकों और महापुरुषों के इतिहास को देखें तो पायेंगे कि उन्हें कठिन संघर्षों का सामना करना पड़ा है। समाज ने उन्हें तरह-तरह के कष्ट दिए हैं फिर भी वे एक ही समय समस्त हिन्दू-जाति को मान्य नहीं हो पाये हैं। पर बाबूजी के साथ ऐसी बात नहीं हो पायी है।

बाबूजी ने वर्ग-संघर्ष को बचाया है और होने वाले खूनी विद्रोह को दबाया है। अछूतों के साथ-साथ इन्होंने सवर्णों को भी ऊपर उठाया है और हिन्दू-धर्म की रक्षा की है। प्रकृति बदलती है। पतझड़ वसन्त-आगमन का सूचक होता है और गर्मी बरसात का। मानव-जीवन भी प्रकृति की तरह ही बदलने वाला है। बालक जवान होता है, वृद्ध होता है और फिर पुनर्जन्म के लिए अपना शरीर छोड़ देता है। इसको गीता में भगवान् श्रीकृष्ण ने इस तरह कहा है—

“वासांसि जीर्णानि यथा विहाय

नवानि' गृह्णाति नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-

न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥

(२।२२)

“जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नये वस्त्रों को पहन लेता है, उसी तरह जीवात्मा भी पुराने जीर्ण शरीर को छोड़ कर दूसरे नये शरीर धारण करता है।” प्रकृति की गोद में हमें प्रचण्ड आंधी, तूफान और भू-भ्रंशात् के दर्शन होते हैं और यही हालत मानव-जीवन की भी है। प्राकृतिक नदी जब तक मर्यादा में रहती है तब तक वह मानवता की सेवक रहती है। जब सूख जाती है तब बेकार हो जाती है और जब अपने किनारों का अतिक्रमण करती है तो विध्वंस ला खड़ा करती है, विनाश करने लगती है। ठीक नदी की तरह मानव-जीवन की हालत है। जब तक मानव नदी की धारा की तरह मर्यादित ढंग से चलता रहता है तब तक उसे जिन्दा समझा जाता

है। रुकी हुई जीवन-गति मानव की मौत की निशानी है। मर्यादाओं से वहकी हुई जिन्दगी मानव को रावण, दुर्योधन, हिटलर और मुसोलिनी तक बना देती है। स्वस्थ जीवन के लिए कुछ आवश्यक शर्तें और नियम होते हैं। जब वे भंग होते हैं तो जीवन अस्वस्थ होता है, मानव रुग्ण हो जाता है। अस्वस्थ जीवन को पुनः स्वस्थ करने के लिए कड़वे काढ़े को पीना पड़ता है और कभी-कभी शल्य-चिकित्सा भी करानी पड़ती है। मानव समाज की इकाई है। किसी भी समाज की कल्पना करते समय उसकी इकाई की उपेक्षा सम्भव नहीं है। इकाई से ही सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़, शंख और महाशंख सब बनता है। बिना इकाई के शंख और महाशंख का बनना कठिन ही नहीं असम्भव है। एकरूप होने पर वही आत्मा है और विश्वरूप हो जाने पर वही परमात्मा हो जाता है। मनुष्य अकेले रहने पर मनुष्य रहता है पर उसकी संख्या की वृद्धि समाज कहलाने लगती है। मानव-जीवन और सामाजिक जीवन दोनों में अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। पहले के बिना दूसरे की कल्पना भी असम्भव है और दूसरे के बिना पहला रह नहीं सकता। शंख या महाशंख बनाने के लिए इकाई पर ही चाहे जितना शून्य आवश्यक हो, देना पड़ता है। मानव-जीवन की तरह ही उसका सामाजिक जीवन भी है। समाज की क्रिया-प्रक्रिया उसकी इकाई मनुष्य की ही क्रिया-प्रक्रिया है। जिस तरह मानव-जीवन को स्वस्थ रखने के लिए कुछ शर्तें और नियम होते हैं उसी तरह सामाजिक जीवन के लिए भी कुछ व्यवस्था और मर्यादा है। जिस तरह स्वस्थ मानव-जीवन शर्तों और नियमों का उल्लंघन कर अस्वस्थ हो जाता है उसी तरह समाज का जीवन भी मर्यादा और परम्परा का उल्लंघन कर रुग्ण हो जाता है। शर्तें और नियम का उल्लंघन अपने को रुग्ण करना है। मामूली भोजन की बात ले लीजिए। जीवन के लिए भोजन आवश्यक है। परन्तु यही भोजन शर्तें और नियम के प्रतिकूल आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो अजीर्ण हो जाता है। कभी-कभी वही अजीर्ण हैजे का रूप लेकर प्राणघातक भी हो जाता है।

अजीर्ण शुरू में कड़वे काढ़ या तीती गोलियों से अच्छा हो जाता है । परन्तु कभी-कभी यही अजीर्ण पुराना होकर ऐपेन्डिक्स या अल्सर का रूप धारण कर लेता है तो शल्य-चिकित्सा की आवश्यकता पड़ जाती है । यह जरूरी नहीं है कि सब 'आपरेशन' सफल ही हों और रोगी अच्छा हो जाय । असफल 'आपरेशन' प्राण-घातक भी सिद्ध होता है । यही स्थिति समाज की भी है । समाज भी जब अपनी मान्यताओं और मर्यादाओं का उल्लंघन करता है तो रुग्ण हो जाता है । कड़वे काढ़े और तीती गोलियों से जब उसका सुधार नहीं होता तो 'आपरेशन' रूपी क्रान्ति होती है । यह कभी सफल भी होती है और कभी असफल भी । जब इससे भी समाज स्वस्थ नहीं होता तो उस समाज की मृत्यु हो जाती है ।

हिन्दू-समाज भी अपनी परम्पराओं और मान्यताओं का उल्लंघन कर छूत-अछूत रूपी रोग का पुराना रोगी हो चला था । कितने चिकित्सक इसे बहुत दिनों से कड़वे काढ़े और तीती गोलियां पिला-खिलाकर सुधार करने की क्रिया में लगे थे । पर उन्हें सफलता नहीं मिलती थी । लगता था कि छूत और अछूत रूपी रोग हिन्दू-समाज के लिए असाध्य हो गया हो, अब बिना 'आपरेशन' के अच्छा नहीं होगा । 'आपरेशन' रूपी खूनी क्रान्ति सिर पर खड़ी दीख रही थी । ठीक इसी समय तरुण वावूजी ने भी समाज के इस असाध्य रोग की चिकित्सा करनी आरम्भ की । वृद्ध और अनुभवी चिकित्सकों को वावूजी की सफलता पर काफी आश्चर्य हुआ । इस तरुण चिकित्सक ने होमियोपैथिक चिकित्सक के समान 'आपरेशन' रूपी खूनी क्रान्ति के बदले इस असाध्य रोग में अपनी मीठी गोलियों से ही काफी सुधार ला दिया है ।

जैसा कि आप देख चुके हैं कलकत्ते के कालेज-जीवन से ही इन्होंने सामाजिक और राजनैतिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया । १९३० में जब वी०एस०सी० का अन्तिम साल था तो इनके बड़े भाई ने इन्हें नौकरी करने की सलाह दी थी । नौकरी भी ठीक ही गई थी पर भगवान् की मनीषा कुछ और थी । ये नौकरी

कर लेते तो समाज-सुधारक कौन होता, राष्ट्र-सेवक कौन होता और मानवता का सच्चा पुजारी कौन होता ? भगवान तो इनसे हिन्दू-धर्म की रक्षा कराने वाले थे । ये अस्वस्थ हो गए और नौकरी का विचार ही खतम हो गया ।

इधर डा० अम्बेडकर के मार्ग-दर्शन में हरिजन धर्म-परिवर्तन के बारे में काफी गम्भीरता के साथ सोच रहे थे । ईसाई और इस्लाम अछूतों को अपने धर्म में मिलाने के लिए काफी सचेष्ट थे । बहुत-से हरिजन तो ईसाई मतावलम्बी भी हो गए थे । लगता था हरिजन हिन्दू-धर्म से नाता तोड़कर किसी अन्य धर्म के साथ अपना नाता जोड़ लेंगे । १९३१ में लन्दन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ । इसके बाद श्री धन-श्यामदास विड़ला ने मालवीय जी और डा० अम्बेडकर को एक साथ लाने का प्रयत्न किया । श्री धनश्यामदास विड़ला की अध्यक्षता में 'अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ' (All India Anti-Untouchability League) जो बाद में 'अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ' के रूप में परिवर्तित हो गया, स्थापित हुई । १९३२-३३ में एक साप्ताहिक पत्रिका भी 'हरिजन-सेवक' के नाम से दिल्ली से निकलने लगी । २५ सितम्बर, १९३२ को 'पूना-पैक्ट' के नाम से हरिजनों की सुविधाओं के लिए एक खाका तैयार किया गया । 'विहार हरिजन सेवक संघ' के मंत्री होने के बाद वाबूजी ने संघ में सवर्णों की प्रधानता देखी । इन्होंने देखा कि संघ का कार्य केवल ज्यादा बात करना है और काम कम करना है । 'अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ' के कार्यों से असन्तुष्ट होकर वाबूजी ने कलकत्ता के रविदास सम्मेलन में दलित नेताओं को एक मंच पर आकर काम करने के लिए आह्वान किया । इन्होंने एक साथ मिलकर काम करने के लिए एक संस्था निर्माण करने की भी बात कही । इसके बाद ही इनके निर्देशन में 'अखिल भारतीय दलित संघ' की स्थापना हुई । १९३५ में कानपुर में दलित वर्ग एकता सम्मेलन हुआ । उसमें समस्त भारत के दलित नेताओं ने भाग लिया । उसमें डा० अम्बेडकर और श्रीनिवासन भी आए थे । उस सम्मेलन में



बाबूजी ने कहा कि अखिल भारतीय स्तर पर दलित वर्ग की कोई संस्था न होने से ही राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में उनका प्रभाव नहीं पड़ता। राष्ट्रीय गतिविधियों में भी भाग लेने की बात इन्होंने कही। 'अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ' की स्थापना होने के बाद श्री रसिकलाल शास्त्री अध्यक्ष हुए और राजभोज तथा बाबूजी मन्त्री। इनकी संगठन-शक्ति की अपूर्व क्षमता का परिचय इसी समय मिलता है। कुछ ही दिनों में यह संगठन समस्त भारत के हरिजनों का प्रतिनिधि संगठन बन गया। 'बिहार दलित संघ' के ये अध्यक्ष थे। सामाजिक, आर्थिक और मानसिक क्रान्तियों द्वारा हरिजनों को हिन्दू-समाज में सम्मानपूर्ण स्थान पर लाने का लक्ष्य इस संगठन का था। सामाजिक क्षेत्र के साथ-साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी यह संस्था सक्रिय बनी। डा० अम्बेडकर के हरिजन-धर्म-परिवर्तन के नारे को इस संस्था ने वेकार कर दिया। अब डा० अम्बेडकर के साथ बम्बई और महाराष्ट्र के कुछ ही हरिजन रह गए, जिनकी संख्या नगण्य थी। इधर पूना में हिन्दू-महासभा के सम्मेलन के अध्यक्ष-पद से मालवीय जी ने हरिजनों से धर्म-परिवर्तन न करने के लिए आग्रह किया। इस अधिवेशन में सभी प्रदेशों के हरिजन-नेताओं ने भाग लिया था। मालवीय जी ने हरिजनों से कहा कि "वे हिन्दू-धर्म का त्याग न करें, हम उनके चरणों की धूल अपने मस्तक पर चढ़ाएंगे।" मन्दिर, पूजा के सार्वजनिक स्थान, धर्म-शालाएं, पार्क, मार्ग, भोजनालय, कुएं, घाट, स्कूल आदि का सवर्ण हिन्दुओं के समान हरिजनों के उपयोग का प्रस्ताव पास हुआ। उस प्रस्ताव में जाति-भेद मिटाने की भी बात कही गयी। कुछ लोगों ने रुकावट डालने का भी प्रयत्न किया। परन्तु जब बाबूजी ने अपनी स्पष्ट-वादिता का परिचय देते हुए स्पष्ट शब्दों में सब शर्तों को पूरा करने की मांग की और कहा कि ऐसा नहीं होने पर सब हरिजन नेता सभा से हट जाएंगे तब महामना, डा० जयकर, मुंजे आदि ने भी बाबूजी की मांग का समर्थन किया। अंत में प्रस्ताव प्रबल मत से स्वीकृत हुआ। हरिजनों की मांगों पर दृढ़ता से पेश आने के लिए समस्त देश के

हरिजनों ने बाबूजी का स्वागत किया। यह अजीब समय था। डा० अम्बेडकर के धर्म-परिवर्तन आन्दोलन की वजह से हरिजनों के लिए एक ओर हिन्दू सजग हो चले थे तो दूसरी ओर सिख, मुसलमान, बौद्ध, ईसाई इन्हें ललचायी नजरों से देख रहे थे। एक तरफ डा० कुर्त्त-कोटि हरिजनों को लेकर हिन्दू-समाज के समान नये सम्प्रदाय की रचना का स्वप्न देख रहे थे तो दूसरी ओर इनके लिए मौलाना मुहम्मद इरफान ने इस्लाम का दरवाजा ही खोल दिया था। ईसाई तो पहले से ही अपना खजाना लुटा रहे थे। बौद्ध भी काफी क्रियाशील थे। सिख धर्म के पक्ष में डा० अम्बेडकर के बोलने से पंजाब के अनेकानेक हरिजनों ने सिख धर्म तक स्वीकार कर लिया था। बाबूजी हरिजन-धर्म-परिवर्तन के कट्टर विरोधी थे और इनका साथ एम० सी० राजा दे रहे थे।

हिन्दू-धर्म के इतिहास में इस काल को हम संक्रमण काल कहें तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। अनेकानेक धर्म-सम्मेलन हो रहे थे। २२ मई, १९३६ को भी एक सर्वधर्म सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन के अध्यक्ष नागपुर के बाबा पतितपावन दास थे। बाबा पतितपावन और डा० अम्बेडकर ने इस सम्मेलन की सफलता की कामना की थी। बाबा पतितपावन और डा० अम्बेडकर एक-दूसरे के विरोधी थे। फिर भी सम्मेलन की सफलता के लिए दोनों उत्सुक थे। डा० अम्बेडकर की कल्पना थी कि इस सम्मेलन में उनका धर्म-परिवर्तन आन्दोलन सफल हो जायगा। क्योंकि उन्हीं के विचारों का बहुमत था। इस धर्म-सम्मेलन में रंग-विरंगे लोग दिखते थे। बौद्ध, सिख, मौलवी और पादरी सब अपने-अपने धर्म के रंग में रंगे आए थे। बाबूजी को आमन्त्रण नहीं था। रसिक लाल विश्वास को, जो दलित वर्ग संघ के अध्यक्ष थे, आमन्त्रण था। रसिक लाल जी ने इस सम्मेलन में काफी सक्रिय रूप से भाग भी लिया था। बाबूजी ने अपने सहयोगियों को राय दी कि अगर डा० अम्बेडकर के लोगों से काम लेना है तो हमें बाह्य रूप से धर्म-परिवर्तन का समर्थन करना चाहिए। बाबूजी की राय उनके सहयोगियों को मान्य हुई और इसी से उन्हें सफलता भी मिली। बिना किसी

निर्णय के सम्मेलन समाप्त हो गया । जहां लगता था कि हरिजनों का धर्म-परिवर्तन होकर रहेगा वहां सिर्फ एक प्रस्ताव ही स्वीकृत हुआ कि दलितों के हितों की दृष्टि से विभिन्न धर्मों पर विचार करने के लिए एक कमिटी का गठन हो । कमिटी को यह निर्देश था कि वह अपनी रिपोर्ट अखिल भारतीय दलित संघ के वापक अधिवेशन में पेश करे । १९३६ में भागलपुर दलित-वर्ग-सम्मेलन के अध्यक्ष-पद से बाबूजी ने डा० अम्बेडकर आदि के चलाए हुए धर्म-परिवर्तन-आन्दोलन का प्रबल विरोध किया । साथ ही इन्होंने सवणों को भी चेतावनी दी कि वे हरिजन-समस्या-समाधान के लिए ठोस कदम उठावें, केवल चिकनी-चुपड़ी और मीठी बातें न करें । यह इनकी निर्भीकता का परिचायक है ।

१९३६ में शासन-विधान के अन्तर्गत देशी प्रतिनिधियों के चुनाव का प्रश्न आया । महात्मा गांधी तथा एम० सी० राजा आदि ने हरिजनों को बिना किसी दल में शामिल हुए स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की बात कही । बाबूजी की अध्यक्षता में बिहार दलित-संघ ने अपना घोषणा-पत्र सवके सामने रखा । उस घोषणा-पत्र में कहा गया कि “दलित-वर्गों के पिछड़े होने और उनकी बुरी दशा की खास वजह उनकी भयंकर गरीबी और निरीहपन है, जिन्हें वर्तमान आर्थिक सम्बन्ध, धार्मिक पक्षपात तथा विभेदपूर्ण सामाजिक नियमों ने पैदा किया है; ये सामाजिक नियम परम्परागत रूढ़ि तथा विधान द्वारा प्रतिष्ठित हैं और इस दृष्टि से हरिजन नैतिक दृष्टि तथा शिक्षा और माली हालत में बर्बाद हो चुके हैं । केवल हिन्दू-समाज के अन्तर्गत ही नहीं उसके बाहर भी इन विभेदों ने वातावरण को विपाकत कर रखा है ।” देश की उन्नति के साथ-साथ हरिजनों की उन्नति की भी मांग की गयी । हरिजनों के लिए मन्दिरों के खुल जाने के वाद बाबूजी ने कहा था कि “हरिजन केवल मन्दिर की ओर आकर्षित नहीं हैं । उन्हें अपने संस्कार आदि कार्यों के लिए अपने वर्ग में से लोगों को तैयार करना चाहिए, जो उन कृत्यों को करायें ।” बाबूजी सदा ही स्पष्ट बातें

करते हैं भले ही वह दूसरों को बुरी लगें। कभी भी उन्हें ठकुराहती कहते आप नहीं सुनेंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति स्व० डी० राजेन्द्र प्रसाद ने इनके सम्बन्ध में कहा था, "श्रम से नहीं डरते और जो ठीक समझते हैं उसको कहने और करने में नहीं हिचकते। जब कोई चीज सामने आती है तो उस पर हर पहलू से विचार करके ही कोई राय कायम करते हैं। और विचार निश्चित कर लेने पर उससे जल्द डिगते नहीं।"

हरिजन-समस्या के लिए स्वतंत्रता के पहले और बाद भी हमें इनकी वाणी में स्पष्टता ही दृष्टिगोचर होगी। इन्होंने अपने वर्ग की जायज मांगों के लिए कांग्रेसी नेताओं से भी काफी संघर्ष किया है। यही कारण है कि समाज-सेवा के ऊबड़-खावड़ मार्ग और भ्रंशावात इनके अंगद चरणों के नीचे पड़कर समतल और शांत हो गए। सामाजिक क्षेत्र में तरुण अवस्था में किए गए इनके कार्य विश्व-इतिहास के पन्नों में अद्भुत, अनोखे और अनूठे हैं। हिन्दू-समाज का संक्रमण-काल सामने आने पर बाबूजी ने समाज की जिस सक्रियता, सद्भावना, साहस और संकल्प से सेवा की उससे हिन्दू-समाज कभी भी ऋण-मुक्त नहीं हो सकेगा। इस तरुण समाज-सेवी को देखकर कृष्ण के कालिय नाग-दमन की घटना का साक्षात्कार हो जाता है। जब बालक कृष्ण ने देखा कि कालिय-नाग के चलते यमुना का पानी समाज के लिए प्राणघातक हो जाता है तो उन्होंने उसका दमन किया था। ठीक इसी तरह बाबूजी ने भी अपनी अल्पावस्था में ही हरिजनों की समस्या रूपी कालिय-नाग का, जो हिन्दू-समाज के लिए प्राणघातक बना था, दमन किया है। इनका यह कालिय नाग-दमन हमें दक्षिण भारत के एक समारोह में पं० मदन मोहन मालवीय की भविष्यवाणी "सर्वणं हिन्दू हरिजनों को अस्पृश्य, दलित और दीन-हीन न समझे, क्योंकि न जाने किस दलित बहन की कोख से यशोदा का कृष्ण जन्म धारण करले" का साक्षात्कार कराता है।

(२)

पहले मुझे 'तत्त्वमसि', 'अहम् ब्रह्मास्मि', 'शिवोहम्' की बात यदा-कदा सुनने को मिल जाती थी, पढ़ने को भी मिल जाती थी। मैं इन बातों को पूरी तरह समझ सकूँ ऐसी बात नहीं थी। मुझे एक शायर की कही हुई बात— 'खुद को कर इतना बुलन्द, कि खुदा बन्दे से पूछे तेरी रजा क्या है' और 'रंग लाती है हिना पत्थर पर घिस जाने के बाद, मुखरू होता है इन्सां ठोकरें खाने के बाद।'—भी पढ़ने को मिली थी। लाख सिर खपाया पर बात समझ में नहीं आयी। एक इटैलियन कहावत— 'इच्छा करना ही समर्थ होना है।' जिसे कर्म पर बल देने वालों ने कहा 'समर्थ होना ही इच्छा करना है' भी पढ़ने को मिला था। पर मैंने इस बात को भी समझा ही ऐसी बात नहीं थी। इन्हें पढ़ता था, सोचता था और समझने का लाख प्रयत्न करता था पर नामझ नहीं पाता था। ये सारी बातें मेरी समझ के बाहर की थीं। झुंझलाकर मैं कह उठता था कि ये सारी बातें काल्पनिक हैं 'यूटोपियन' हैं और इनका वास्तविकता के साथ कोई सम्बन्ध ही नहीं है। पारस पत्थर के सम्बन्ध में भी कहीं पढ़ने को मिल जाता था, कहीं सुनने को मिल जाता था। पत्थर के स्पर्श से लोहा स्वर्ण बन जाय यह बात भी निरी कल्पना की उड़ान ही लगती थी। क्योंकि कोई ऐसी रासायनिक प्रक्रिया सामने नहीं थी कि मैं सोच सकूँ कि पत्थर और लोहे का मिश्रण भी नहीं वरन् स्पर्श मात्र ही लोहे को सोना बना दे और लोहा स्वर्ण बन जाय।

भक्त नामदेव की कहानी भी सामने आयी थी। नामदेव बहुत गरीब थे। भगवान् का नाम लेने के सिवा उनका दूसरा कोई काम नहीं था। पति-पत्नी का जीवन बड़ी गरीबी से बीत रहा था। बड़ा कष्टमय जीवन था दोनों का। उनकी दयनीय दशा देख कोई भी द्रवित हो सकता था। नामदेव के पड़ोसी की पत्नी को उनकी दशा देख दया आ गई। पड़ोसी की पत्नी ने नामदेव की पत्नी को बुलाया और उन्हें एक पत्थर दिया। पत्थर देते हुए उसने पत्थर की विशेषता बतायी कि यह

पारस है और इससे जिस लोहे को स्पर्श कर दिया जायगा वह स्वर्ण बन जायगा। जितना लोहा स्वर्ण बना सको बना लो फिर पत्थर लौटा देना। नामदेव की पत्नी अत्यन्त प्रसन्न हुई। पारस लेकर घर लौटी और लोहे का सोना भी बनाया। सोना बेचकर अच्छे-अच्छे पकवान भी बनाए। ये सारी घटनाएं नामदेव की अनुपस्थिति में हुईं। नामदेव जब घर लौटकर आये तो उन्हें स्वादिष्ट पकवानों की गन्ध मिली। उन्होंने पत्नी से रहस्य जानना चाहा। पत्नी ने उन्हें सारी बातों से अवगत कराया। नामदेव ने पारस मांगा और उसे ले जाकर यमुना में फेंक दिया। पत्नी घबड़ायी क्योंकि पड़ोसिन के साथ पारस लौटा देने की भी शर्त थी। नामदेव तो राम के नाम में मस्त थे। कुछ दिनों बाद पड़ोसी औरत ने नामदेव की पत्नी से अपना पारस पत्थर मांगा। नामदेव की पत्नी से सच्ची बात सुनने पर भी उसे विश्वास नहीं हुआ। पड़ोसी औरत ने अपने पति को सारी बातें बतायीं। पड़ोसी को शक हुआ कि नामदेव और उनकी पत्नी पारस पचाना चाहते हैं। वह भगड़े पर उतारू हो गया। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सब ने सच्ची बात जाननी चाही। नामदेव ने सच्ची बात कही पर उनके आलोचकों को एक मसाला मिल गया। सबने पूछा कि नामदेव को पारस फेंकने का क्या अधिकार था? कुछ लोगों ने सीधे उन्हें खरी-खोटी भी सुनानी शुरू कर दी। सब नामदेव को ही दोषी बताते और उन्हें ढोंगी तथा परपंची कहते। भक्त नामदेव ने पड़ोसी से कहा कि मेरे साथ चलो मैं तुम्हें यमुना से निकाल कर पारस दे दूंगा। लेकिन किसी को विश्वास नहीं होता और सब कहते कि यह सब ढोंग है। फिर भी नामदेव के साथ पड़ोसी चला और उन लोगों के पीछे दर्शकों की भीड़ भी चली। नामदेव ने यमुना में जाकर डुबकी लगायी और ढेर सारे पत्थरों को यमुना से निकाल किनारे फेंक दिया। पड़ोसी ने उन्होंने कहा कि जो उसका पत्थर हो वह चुन ले। पत्थरों की संख्या ज्यादा देख सबको सारे के सारे पत्थरों के पारस होने में सन्देह होना स्वाभाविक ही था। कुछ लोगों ने व्यंग भी कहा, छेड़खानी भी की। तब नामदेव

जी ने आग्रह किया कि सबकी जांच करके तो विश्वास हो सकता है। लोग एक-एक पत्थर की जांच करने लगे। प्रत्येक पत्थर में लोहे को स्वर्ण बना देने की शक्ति थी। सभी शर्मिन्दा हुए। शंका करने वालों को बात समझ में आ चुकी थी कि नामदेव के हाथों में इतनी शक्ति है कि उनके स्पर्श-मात्र से ही सामान्य पत्थर भी पारस हो जाता है। और उसमें लोहा को स्वर्ण बनाने की शक्ति आ जाती है। सामान्य पत्थर ही सन्तों और महात्माओं का स्पर्श पा लोहे को स्वर्ण बनाने वाले हो जाते हैं और पारस कहलाने लगते हैं। पर मैं सोचता था कि यह सब कैसे सम्भव हो सकता है ?

कार्लाइल कहता है— 'Wonder is the basis of worship' वास्तव में आश्चर्य ही ज्ञान का जनक है। आश्चर्य ही सत्य के साक्षात्कार के लिए, वास्तविकता से मिलने के लिए मानव-मन को आगे की खोज के लिए प्रेरणा देता है और सत्य का साक्षात्कार कराता है, वास्तविकता से मिलाता है। 'रामायण', 'श्रीमद्भागवत', 'महाभारत' और तुलसी के 'रामचरितमानस' को पढ़ने के बाद स्थिति कुछ स्पष्ट जरूर हुई फिर भी लगा कि कवि कल्पना में कुछ ज्यादा आगे बढ़ गया है और कुछ ज्यादा बहक गया है। चाणक्य, अरस्तू, प्लेटो, डायोनीज, न्यूटन, महावीर, गौतम, ईसा, सुकरात, सिकन्दर, फ्रैंकलिन, शिवाजी, महाराणा प्रताप, नेपोलियन, नेल्सन आदि को पढ़ने के बाद स्थिति में भिन्नता कुछ अवश्य आयी। मार्क्स, रामकृष्ण, विवेकानन्द और गांधी को देखने के बाद स्थिति ज्यादा स्पष्ट हो गयी। पर बाबूजी के सम्पर्क में आने के बाद उन पढ़ी हुई बातों का साक्षात्कार हो गया। तब लगा कि साधना साधक को साध्य बना देती है, तभी उसे साधना कहते हैं। आराधना आराधक को आराध्य बना देती है तभी वह आराधना कहलाती है। पूजा जब पुजारी को पूज्य बना देती है तभी वह सच्ची पूजा कहलाती है।

आपने तरुण नेता को समाज-सेवा के साथ-साथ राजनीति के प्रांगण में भी देखा। अब ये देश के लोकप्रिय नेताओं में भी अपना एक

खास स्थान बना चुके थे। विहार के नेता इनसे प्रभावित होकर इन्हें कलकत्ता से खींचकर विहार लाना चाहते थे। उस समय देश के कर्णधारों के बीच बाबूजी सबसे कम उम्र के थे। उन नेताओं के बीच बाबूजी को देखकर ज्ञान-गम्भीर अल्पायु अष्टावक्र की याद आ जाती है। राजा जनक के दरवार में जो कोई विद्वान् जाता उसे बन्दी में शास्त्रार्थ करना पड़ता था। बन्दी राजा जनक के दरवार का विद्वान् था। उससे शास्त्रार्थ में हार जाने के बाद हारने वालों को जल में डुबो दिया जाता था। यही राजा जनक के दरवार का नियम था। अष्टावक्र के पहले अनेकानेक विद्वान् हार जाने के कारण जल में डुबोये जा चुके थे। उन डुबोये जाने वाले विद्वानों में अष्टावक्र के पिता भी थे। बारह वर्ष की अल्पायु में ही अष्टावक्र को जनक के दरवार में जाकर बन्दी को हराने की इच्छा हुई। अष्टावक्र गर्भावस्था से ही ज्ञान में गम्भीर थे। कहते हैं पिता के अशुद्ध वेदपाठ के लिए उन्होंने गर्भ में ही अपने बाप को टोका था। जिसके चलते आठ जगह से टेढ़े होने का शाप उन्हें पिता से मिला था। बारह वर्ष के अष्टावक्र यज्ञशाला के पास पहुंचे। यज्ञशाला में प्रवेश करने के पहले द्वारपाल ने कहा—“आप लोगों को प्रणाम है। हम तो आज्ञा को पालन करने वाले हैं, राजा के अनुसार जो निवेदन है, उस पर आप ध्यान दें। इस यज्ञशाला में बालकों को जाने की आज्ञा नहीं है। केवल वृद्ध और विद्वान् ब्राह्मण ही इसमें प्रवेश पा सकते हैं।” अष्टावक्र ने कहा—“द्वारपाल ! मनुष्य अधिक वर्षों की उम्र होने से, बाल पक जाने से, धन से, अथवा अधिक कुटुम्ब से बड़ा नहीं माना जाता। ब्राह्मण में तो वही बड़ा है जो वेदों का वक्ता है। ऋषियों ने ऐसा ही नियम बताया है। मैं इस राज सभा में बन्दी में मिलना चाहता हूँ। तुम मेरी ओर से यह सूचना महाराज को दे दो। आज तुम हमें विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करते देखोगे और वाद बढ़ जाने पर बन्दी को परास्त हुआ पाओगे।”

द्वारपाल बोला—“अच्छा मैं किसी उपाय से आपको सभा में ले जाने का प्रयत्न करता हूँ किन्तु जाकर आपको विद्वानों के योग्य काम



करके दिखाना चाहिए।" ऐसा कहकर द्वारपाल उन्हें राजा के पास ले गया। सभा में अष्टावक्र और उनकी अत्पायु को देख सभी हँस पड़े। परन्तु इस हँसी से अविचलित अष्टावक्र ने कहा—“राजन् ! आप जनकवंश में प्रधान स्थान रखते हैं और चक्रवर्ती राजा हैं। मैंने सुना है कि आपके यहां वन्दी नाम का कोई विद्वान् है। वह ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में परास्त कर देता है और फिर आपके ही आदमियों से उन्हें जल में डलवा देता है। यह बात ब्राह्मणों के मुख से सुनकर मैं 'अद्वैत ब्रह्म' विषय पर उससे शास्त्रार्थ करने आया हूँ। वह वन्दी कहां है, मैं उससे मिलूंगा।”

जनक ने कहा—“वन्दी का प्रभाव बहुत से वेदवेत्ता देख चुके हैं। तुम उसकी शक्ति को न समझ कर ही उसे जीतने की आशा कर रहे हो। पहले कितने ही ब्राह्मण आए; किन्तु सूर्य के आगे जैसे तारे फीके पड़ जाते हैं, उसी प्रकार वे सभी उसके सामने हतप्रभ हो गए।” इस पर अष्टावक्र ने कहा—“उसे मेरे जैसों से पाला नहीं पड़ा, इसीसे वह सिंह के समान निर्भय होकर बातें करता है। किन्तु अब मुझसे परास्त होकर वह उसी प्रकार मूक हो जायगा जैसे रास्ते में टूटा हुआ रथ जहां का तहां पड़ा रहता है।” तब जनक ने अष्टावक्र की परीक्षा करने के विचार से कहा—“जो पुरुष तीस अवयव, बारह अंश, चौबीस पर्व और तीन सौ साठ अरोंवाले पदार्थ को जानता है वह बड़ा विद्वान् है।” यह सुनकर अष्टावक्र बोले—“जिसमें पक्षरूप चौबीस पर्व, ऋतुरूप छः नाभि, मासरूप बारह अंश और दिन रूप तीन सौ साठ अरे हैं, वह निरन्तर घूमने वाला कालचक्र आपकी रक्षा करे।” ऐसा यथार्थ उत्तर सुनकर राजा ने पुनः प्रश्न किए—“सोने के समय कौन नेत्र नहीं मूंदता ? जन्म लेने के बाद किसमें गति नहीं होती ? हृदय किसमें नहीं है ? और वेग से कौन बढ़ता है ?” अष्टावक्र ने कहा—“मछली सोने के समय नेत्र नहीं मूंदती, अंडा उत्पन्न होने पर चेष्टा नहीं करता, पत्थर में हृदय नहीं है और नदी वेग से बढ़ती है।” ज्ञानी जनक अल्प-वयस्क अष्टावक्र के ज्ञान को समझ गए। जनक ने कहा—

“आप तो देवताओं के समान प्रभाव वाले हैं। मैं आपको मनुष्य नहीं समझता, आप बालक भी नहीं हैं, मैं तो आपको वृद्ध ही मानता हूँ। वाद-विवाद करने में आपके समान कोई नहीं है। इसलिए मैं आपको मण्डप का द्वार सौंपता हूँ और यही वह बन्दी है।”

अष्टावक्र ने बन्दी की ओर घूमकर कहा—“अपने को अतिवादी मानने वाले बन्दी ! तुमने हारने वालों को जल में डूबो देने का नियम कर रखा है। किन्तु मेरे सामने तुम बोल नहीं सकोगे। जैसे प्रलय-कालीन अग्नि के निकट नदी का प्रवाह सूख जाता है, उसी प्रकार मेरे सामने तुम्हारी वाक्शक्ति नष्ट हो जायगी। अब तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और मैं तुम्हारी बातों का उत्तर देता हूँ।” क्रोधपूर्ण अष्टावक्र की ललकार सुनकर बन्दी ने कहा—“अष्टावक्र ! एक ही अग्नि अनेक प्रकार से प्रकाशित होती है, एक सूर्य सारे जगत् को प्रकाशित करता है, शत्रुओं का नाश करने वाला देवराज इन्द्र एक ही वीर है, तथा पितरों का ईश्वर यमराज भी एक ही है।”

अष्टावक्र—“इन्द्र और अग्नि ये दो देवता हैं; नारद और पर्वत — ये देवर्षि भी दो हैं, दो ही अश्विनी कुमार हैं, रथ के पहिये भी दो होते हैं, और विधाता ने पति और पत्नी—ये सहचर भी दो ही बनाए हैं।”

बन्दी—“यह सम्पूर्ण प्रजा कर्मवश तीन प्रकार से जन्म धारण करती है, सब कर्मों का प्रतिपादन भी तीन वेद ही करते हैं, अर्घ्यपूजन भी प्रातः, मध्याह्न और सायं—इन तीनों समय यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, कर्मानुसार प्राप्त होने वाले भोगों के लिए स्वर्ग, मृत्यु और नरक ये लोक भी तीन हैं तथा वेद में कर्मजन्य ज्योतियाँ भी तीन प्रकार की ही हैं।”

अष्टावक्र—“ब्राह्मण के लिए आश्रम चार हैं, वर्ण भी चार ही यज्ञों द्वारा अपना-अपना निर्वाह करते हैं, मुख्य दिशाएं भी चार ही हैं, ओंकार के अकार, उकार, मकार और अर्धमात्रा—ये चार वर्ण है तथा परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी भेद से वाणी भी चार प्रकार की

ही कही गयी है ।

वन्दी—“यज्ञ की अग्नियां गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, आहवनीय, सम्य और आवसथ्य पांच हैं, पंक्ति छन्द भी पांच पदों वाला है, यज्ञ भी अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास और सोम पांच ही हैं, इन्द्रियां पांच हैं, वेद में पञ्चशिखा वाली अप्सराएं भी पांच हैं, तथा संसार में प्रसिद्ध नदी भी पांच ही हैं ।”

अष्टावक्र—कितने ही इस प्रकार कहते हैं कि अग्नि का आधान करते समय दक्षिणा में गीएं छः ही देनी चाहिए, काल-चक्र में ऋतुएं भी छः ही हैं। मन सहित ज्ञानेन्द्रियां भी छः ही हैं। कृत्रिकाएं छः हैं तथा समस्त वेदों में साधस्क यज्ञ भी छः ही कहे गए हैं ।”

वन्दी—“गाम्य पशु सात हैं, वन्य पशु भी सात ही हैं, यज्ञ को पूर्ण करने वाले छन्द भी सात ही हैं, ऋषि सात हैं, मान देने का प्रकार भी सात हैं और वीणा के तार भी सात ही प्रसिद्ध हैं ।”

अष्टावक्र—“सैंकड़ों वस्तुओं का तौल करने वाले शाण के गुण आठ होते हैं, सिंह का नाश करने वाले शरभ के चरण भी आठ ही हैं, देवताओं में वसु नामक देवताओं को भी आठ ही सुना है और सब यज्ञों में यज्ञ स्तम्भ के कोण भी आठ ही कहे हैं ।”

वन्दी—“पितृयज्ञ में समिधा छोड़ने वाले मन्त्र नौ कहे गये हैं; सृष्टि में प्रकृति के विभाग भी नौ ही कहे गए हैं, वृहती छन्द के अक्षर भी नौ ही हैं, और जिनसे अनेकों प्रकार की संख्याएं उत्पन्न होती हैं, ऐसे एक से लेकर अंक भी नौ ही हैं ।”

अष्टावक्र—“संसार में दिशाएं दस हैं, सहस्र की संख्या भी सौ को दस बार गिनने से ही होती है, गर्भवती स्त्री भी गर्भ दस मास ही धारण करती है, तत्त्व का उपदेश करने वाले भी दस हैं तथा पूजने योग्य भी दस ही हैं ।”

वन्दी—“पशुओं के शरीरों में ग्यारह विकारों वाली इन्द्रियां ग्यारह होती हैं, यज्ञ के स्तम्भ ग्यारह होते हैं, प्राणियों के विकार भी ग्यारह हैं, तथा देवताओं में रुद्र भी ग्यारह ही कहे गए हैं ।”

अष्टावक्र—“एक वर्ष में महीने वारह होते हैं, जगती छन्द के चरण भी वारह ही अक्षर होते हैं, प्राकृत यज्ञ वारह दिनों का कहा है और धीर पुरुषों ने आदित्य भी वारह ही कहे हैं।”

वन्दी —“तिथियों में त्रयोदशी को उत्तम कहा है और पृथ्वी भी तेरह द्वीपों वाली बतलायी गयी है।”

इस तरह वन्दी के आधा श्लोक ही कहकर चुप हो जाने पर अष्टावक्र ने शेष आधे श्लोक को पूरा करते हुए कहा—“अग्नि, वायु और सूर्य—ये तीनों देवता तेरह दिनों के यज्ञ में व्यापक हैं और वेदों में भी तेरह आदि अक्षरों वाले अति छन्द कहे गए हैं।” इतना सुनते ही वन्दी का मुख नीचा हो गया। परन्तु अष्टावक्र के मुख से वाणी की झड़ी ही लगी रही। वन्दी हार चुका था। सभा के सभी वृद्ध विद्वान् हर्ष-ध्वनि करते हुए अष्टावक्र का सम्मान करने लगे।

अठाईस वर्ष के इस तरुण से देश के सभी नेता प्रभावित थे। वावूजी का तथाकथित अछूतों पर प्रभाव देख नेताजी इनके सहयोग से देश में क्रान्ति लाने की बात सोचा करते थे। अठाईस वर्ष के इस नवयुवक से म० गांधी, डा० राजेन्द्रप्रसाद और पटेल आदि भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते थे। इन्होंने हिन्दू जाति के साथ-साथ राष्ट्र को भी छिन्न-भिन्न होने से बचाया। सम्भव था कि वावू जी इस क्षेत्र में नहीं आए होते तो पाकिस्तान की तरह अलग एक हरिजनित्तान भी बन गया होता। इसी आयु में १९३६ में वे बिहार विधान परिषद के सदस्य मनोनीत हुए। इस समय सवने इनको बधाइयाँ दीं, प्रोत्साहन दिया और सम्मान किया। पर सत्तारूढ़ दल ने अपनी क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ-सिद्धि के लिए इनका उपयोग करना चाहा। पर भला कब यह सम्भव था? नहर रेट के प्रश्न पर इन्होंने जनता के लिए बिहार परिषद की सदस्यता छोड़ दी। १९३७ में जब कांग्रेस ने पद-ग्रहण किया तो वावूजी को पार्लामेन्ट्री मन्त्री बनाया गया। उस समय इन पर विकास, सहकारिता और उद्योग आदि विभागों का दायित्व आया। वावूजी के लिए ये सब कार्य नये थे। किन्तु इनकी कार्यकुशलता ने

सबको आश्चर्यचकित कर डाला । इन्होंने बड़ी लगन से इन दायित्वों को निभाया । खेत में काम करने वाले मजदूरों का कष्ट भी बाबूजी के सामने था । इस कार्य-काल में खेतिहर मजदूरों के कष्टों को दूर करने का इन्होंने काफी प्रयत्न किया । खेतों में काम करने वाले मजदूरों के प्रति किसानों की शोषण नीति से भी बाबूजी काफी परिचित थे । खेतिहर मजदूरों में ज्यादा हरिजन थे । खेतिहर मजदूर संगठन की स्थापना कर इन्होंने उस संगठन को काफी बल दिया । हालांकि बिहार की किसान सभा ने इसका काफी जोर-शोर से विरोध किया और स्वतंत्रता आंदोलन से अपना सहयोग हटा लेने की भी धमकी दी । फिर भी खेतिहर मजदूर संगठन आगे बढ़ता ही गया । खेतिहर मजदूर संगठन के विषय पर बाबूजी ने सरदार पटेल से भी बात की थी । कुछ ऐसी परिस्थिति से देश उस समय गुजर रहा था कि खेतिहर मजदूरों के कष्टों से सहानुभूति होते हुए भी लोगों ने यही सोचा कि 'स्वतंत्रता-संग्राम के मध्य में किसानों और खेतिहर मजदूरों की शक्तियों को विभाजित करना उचित न होगा ।' इसी से खेतिहर मजदूरों का संगठन आगे बढ़कर भी रुक गया ।

## अद्भुत् प्रभाव

१९३८ में वावूजी कांग्रेस के प्रतिनिधि हुए। १९४० से ये लगातार अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं। १९६६ में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गयी। लगा कि कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व ही समाप्त हो जायगा। कांग्रेस दो हो गयीं—नयी कांग्रेस और पुरानी कांग्रेस। नयी कांग्रेस ने वावूजी को अपने अध्यक्ष-पद पर आसीन किया।

१९४० में वावूजी विहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी के मन्त्री निर्वाचित हुए। छः वर्षों तक ये विहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी के मन्त्री-पद पर रहे। ये जहां भी रहते हैं कर्मठता से काम करते हैं और लगन से लगे रहते हैं। इन्होंने अपने कांग्रेस-संगठन के मन्त्रित्व काल में विहार के कांग्रेस-संगठन को काफी आगे बढ़ाया और सशक्त बनाया।

१९४० से ४६ तक का समय देश के इतिहास में राजनीतिक संघर्ष का समय रहा है। द्वितीय विश्व महायुद्ध चल रहा था। कांग्रेस की विदेशी सरकार से मांग थी कि एक निश्चित अवधि के अन्दर देश को गुलामी से मुक्त कर दे। गांधीजी का व्यक्तिगत आन्दोलन छिड़ गया था। विनोबा भावे, नेहरू, सरदार पटेल आदि नेता गिरफ्तार हो चुके थे। इस आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए वावूजी ने अपने अभिभावक अग्रज श्री संतलाल जी से आज्ञा मांगी। संतलाल जी ने हंसते हुए कहा, “इसमें आदेश लेने की क्या बात है? यह तुम्हारे कर्तव्य-पालन की पुकार है। उसे पूरा करो।” मां ने भी पुत्र को मना नहीं किया। समाज और देश की सेवा के लिए परिवार में सभी वावूजी को प्रोत्साहित ही करते थे। यह वावूजी का सौभाग्य था। किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए परिवार के सहयोग की

आवश्यकता होती है, प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। समाज-सेवा या राष्ट्र-सेवा विरले परिवार वाले अच्छा मानते हैं और समाज-सेवी व्यक्ति को सहयोग और प्रोत्साहन देते हैं। मां मना करती है, पत्नी हतोत्साहित करती है और अभिभावक डांटता है। पर बाबूजी के साथ ऐसी बात नहीं थी। इन्हें देश की आजादी की लड़ाई लड़ने में मां का आशीर्वाद, पत्नी का सहयोग और प्रोत्साहन तथा अभिभावक से स्नेह प्राप्त था। साथ ही साथ प्रभु की कृपा भी प्राप्त थी। इनका सारा परिवार आजादी की लड़ाई में इनके साथ था। १० दिसम्बर, १९४० को बाबूजी ने शाहाबाद जिले में व्यक्तिगत आन्दोलन आरम्भ किया। विरोध ग्राम में ये गिरफ्तार कर लिये गए। फिरंगी सरकार ने इन्हें एक वर्ष का कारावास-दण्ड दिया। इनका जेल-जीवन विद्यार्थी-जीवन बन गया। जेल में इन्होंने साहित्य, राजनीति और अर्थशास्त्र के आर्थिक पहलुओं का गम्भीर अध्ययन किया। साहित्य और राजनीति का अध्ययन कर लेने के बाद इन्होंने प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों के आर्थिक विवेचनों और सिद्धान्तों का गम्भीर मनन किया। इस जेल-जीवन में ही इन्होंने गांधीवाद और मार्क्सवाद का तुलनात्मक मूल्यांकन किया। १० सितम्बर, १९४१ को बाबूजी की रिहाई हुई।

## बापू की व्यक्तिगत बुलाहट

इसके बाद वर्धा आश्रम से बाबूजी को बापू की बुलाहट आयी। बाबूजी बापू की बुलाहट पर वर्धा-आश्रम में बापू के निकट आए। सदा आराम हराम है का 'मोटो' रखने वाले बाबूजी बापू के निकट कुछ ही दिनों तक रहे। यहां बापू और राजेन्द्र बाबू के साथ कई राजनीतिक विषयों पर बातें हुईं। बाबूजी को बापू की उलाहना भी सुनने को मिली। बात दरअसल यह थी कि बाबूजी ने बापू को दो पत्र भेजे थे। उनमें एक हिन्दी में था और एक अंग्रेजी में। एक गोलमेज सम्मेलन में हरिजनों की सीटों के सम्बन्ध में था और दूसरा बापू के उस वक्तव्य के विरोध में था जिसमें बापू ने हरिजन और गाय की तुलना की थी। उलाहना अंग्रेजी में पत्र लिखने के लिए था। कभी-कभी बापू बाबूजी को प्रातः टहलने के समय अपने साथ ले जाया करते थे। बापू के साथ तेज चलने और साथ-साथ बातें करने में बाबूजी को काफी आनन्द आता था। दस दिनों तक बापू के साथ रहने के बाद बाबूजी पटना वापस लौट आए। यह वह समय था जब द्वितीय विश्व-युद्ध की विभीषिका अपनी चरम सीमा पर थी। जापान, जर्मन, ब्रिटेन और इनके साथ-साथ रूस भी युद्ध की लपेट में पूर्णतया आ चुके थे। यह युद्ध भारत का भी दरवाजा खटखटाने वाला ही था। भारत के बाहर रहते हुए भी नेताजी अंग्रेजों से काफी शक्ति के साथ लड़ रहे थे। मुद्दर पूर्वोक्त देशों को परास्त करते हुए जापान वर्मा तक पहुंच आया था। अंग्रेज चाहते थे कि भारत भी इस युद्ध में सक्रियता से भाग ले। परन्तु भारतीय इसका विरोध कर रहे थे। फरवरी १९४२ में मेरठ में भारतीय दलित वर्ग संघ के अध्यक्ष-पद से बाबूजी ने हरिजनों से कहा



वि-ब्रिटिश सरकार के भुलावों में न आवें। ब्रिटिश सरकार हरिजनों को विभाजित करना चाहती है। ब्रिटिश सरकार कुछ हरिजन नेताओं को प्रलोभनों में फंसाकर गुमराह करना चाहती है। परन्तु हरिजनों को अपने राष्ट्र की सेवा करनी है और जिन्हें अपने देश से प्रेम है वे इस वहकावे में न आवेंगे। वे राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ने में सबका साथ देंगे। परन्तु हरिजन अपनी मांगों को भी नहीं भूलेंगे। विधान सभाओं और सरकारी नौकरियों में हरिजनों को संरक्षण मिलने चाहिए। सवर्ण हिन्दुओं को व्यापक कट्टरता का त्याग कर हरिजनों को समाज में समानता का स्थान देना चाहिए। धर्म-परिवर्तन मात्र से हरिजनों की दशा में कोई सुधार होना संभव नहीं है।” इनकी इस बोली ने सिद्ध मन्त्र का काम किया। हरिजन काफी प्रभावित हुए। हरिजनों ने राष्ट्र-विरोधी और धर्म-विरोधी नेताओं का साथ ही छोड़ दिया। मार्च १९४२ में सर स्टेफर्ड क्रिप्स वापू से भेंट करने के लिए भारत आए। क्रिप्स भारत को टुकड़ों में विभाजित कर देने का एक मसविदा भी साथ लेते आए थे। वह मसविदा वापू को अमान्य हुआ।

विदेशी सरकार के प्रति गहरी असन्तोष की लहर भारतवासियों में तीव्रता के साथ बढ़ती जा रही थी। ७ अगस्त, १९४२ को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ। “यदि सरकार ने भारत को स्वतन्त्र घोषित करने की मांग न मानी तो कांग्रेस सरकार के खिलाफ संघर्ष छेड़ देगी” का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। वापू ने अंग्रेजों के लिए ‘भारत छोड़ो’ और देशवासियों के लिए ‘करो या मरो’ का नारा बुलन्द किया। लौह-पुरुष पटेल ने संघर्ष की एक साधारण योजना तैयार की। फिरंगियों ने तो नहीं पर भारतवासियों ने वापू के नारे को अपनाया। जोरों का संघर्ष शुरू हुआ। नेताओं की गिरफ्तारी जोरों से शुरू हो गई। बाबूजी बम्बई से किसी तरह पटना आए। विहार के सभी नेता बन्दी बना लिये गए थे। पटना सचिवालय के सामने फिरंगी सरकार की गोलियों से कई प्रदर्शनकारी शहीद हो चुके थे। विहार के अन्य नेताओं के बन्दी बन जाने से नेतृत्व का

दायित्वपूर्ण कार्य अकेले वावूजी के हाथों में था। वावूजी की योजना थी कि पटना को चारों ओर से यातायात के साधनों से अलग कर दिया जाय। यातायात के साधन अनुपलब्ध रहने की वजह से सेना पटना में नहीं पहुंच पाएगी। परन्तु दुर्भाग्यवश योजना के कार्यान्वयन के पूर्व ही सेना ने पटना को पूर्णरूपेण घेर लिया। विजली और पानी कल यूनियनों के अध्यक्ष रहते हुए भी जब वावूजी के समक्ष कांग्रेसी कार्यकर्ता विजली के तार काटने और पानी कल भंग करने की आज्ञा मांगने आए तो इन्होंने सहर्ष आज्ञा दे दी। पटना में वावूजी के नेतृत्व में भीषण संघर्ष चल रहा था। वावूजी की योजना थी कि जितने दिन जेल से बाहर रहना सम्भव हो रहकर कार्यकर्ताओं का सुदृढ़ संगठन कर दिया जाय ताकि छोटे-छोटे दलों में वे विभाजित होकर सुचारु रूप से संघर्ष चलाते रहें। पर यह कब तक सम्भव था? वावूजी भी विदेशी सरकार की आंखों पर चढ़े थे। इन्हें भी २० अगस्त, १९४२ को बन्दी बना लिया गया। इस वार की जेल-यात्रा में इन्हें काफी बड़े प्रतिबन्धों का सामना करना पड़ा। जेल में ही इन्हें ज्वर और फलुरिसी की बीमारी हो गई। अस्वस्थ हो जाने की वजह से विदेशी सरकार ने इन्हें चौदह माह बाद अक्टूबर १९४३ में रिहा कर दिया। जेल-यात्रा से लौटकर पटना आने पर वावूजी के पास फरार लोग बड़ी संख्या में आने लगे। इन पर पुलिस की भी बड़ी कड़ी निगरानी रहती थी। बाहर आने के बाद भी स्वास्थ्य में सुधार न आने के कारण इन्हें शिमला जाना पड़ा। पर भला अपना कर्म-क्षेत्र छोड़कर यह कर्मयोगी कितने दिनों तक दूर रह सकते थे। पूर्ण स्वस्थ हुए बिना ही वे सितम्बर १९४४ में शिमला से पटना वापस चले आए।

## दलितों के महान सेवक के रूप में

परिव्राजक का रूप धारण कर इन्होंने कांग्रेस और दलित संघ के प्रचारार्थ समस्त देश का भ्रमण किया। पटना लौटने के बाद अपने प्रमुख सहयोगी प्रो० अब्दुल वारी के साथ मिलकर वावूजी कांग्रेस की शिथिलता को दूर करने में सक्रिय हो गए। ३ मई, १९४५ को वापू को भी रुग्णावस्था में जेल से रिहा कर दिया गया।

अपना तीन मास का अवकाश समाप्त कर लार्ड वेवल भी पुनः १४ जून को भारत लौट आए। इस समय तक नेहरू और राजेन्द्र वावू आदि नेता भी रिहा कर दिए गए। इधर देश-विभाजन की चर्चा भी चल रही थी। देश-विभाजन के प्रश्न पर वापू और जिन्ना की कई बार बात हो चुकी थी। परन्तु जिन्ना भारत को दो टुकड़ों में विभाजित करने की अपनी जिद्द पर अटल थे। २५ जून, १९४५ को शिमला में भारतीय नेताओं को वायसराय ने आमन्त्रित किया। विदेशी सरकार का विचार कुछ केन्द्रीय विभागों का भारतीयकरण करने का था। एक 'अन्तरिम' सरकार गठित करने की योजना की गयी। वायसराय सिर्फ कमान्डर-इन-चीफ के पद पर रहेंगे और उनको कैबिनेट का प्रत्येक निर्णय मान्य होने की बात का आश्वासन दिया गया। आरम्भ से ही विदेशी सरकार वावूजी और इनके संगठन दलित वर्ग संघ को उपेक्षा की दृष्टि से देखती थी। क्योंकि वे सब राष्ट्रवादी थे। इन्हीं के चलते विदेशियों की चाल नहीं चलने पाती थी। वावूजी के चलते ही भारत से पृथक् पाकिस्तान की तरह एक और टुकड़ा हरिजनिस्तान की मांग नहीं होने पाती थी। इधर डा० अम्बेडकर विदेशी सरकार के हाथों की कठपुतली बने हुए थे। वे हरिजनों की बातों को लेकर वापू की भर्त्सना

भी करते थे। पर वावूजी हरिजनों की स्वरक्षा के साथ-साथ देश को अखण्डित रखना चाहते थे। इन्हीं वजहों से वायसराय की उस अन्तरिम सरकार में डा० अम्बेडकर कैबिनेट मन्त्री थे।

१८ जून १९४५ को वावूजी ने एक वक्तव्य देकर वापू और कांग्रेस से अनुरोध किया कि वे हरिजनों की समस्या को हरिजनों की दृष्टि से देखें। इस वक्तव्य में 'पूना पैक्ट' की भी आलोचना थी। क्योंकि 'पूना पैक्ट' में हरिजनों को अनुसूचित जाति कहा गया था। वावूजी की राय थी कि कांग्रेसी नेता केवल हरिजनों के आर्थिक उत्थान की बात ही न सोचें उनके सामाजिक उत्थान की बात भी सोचें। वावूजी की राय थी कि "हरिजन वर्ग पिछड़ा हुआ होने के कारण इस स्थिति में नहीं है कि वह सवर्ण हिन्दुओं की समता कर सके उनके मुकाबले में सीटें लड़ सके। इसलिए हरिजनों के प्रति यह न्याय होगा कि उनके लिए उपयुक्त सीटें सुरक्षित रखी जाएं। यदि यह नहीं होगा तो हरिजनों को कांग्रेस में विश्वास नहीं रहेगा और विरोध में उठ खड़े होंगे। इसलिए संरक्षण का विरोध कांग्रेस को नहीं करना चाहिए।" वावूजी की इन बातों में वापू को काफी बल मिला। वावूजी की इन बातों का औचित्य समझने के बाद वापू ने हिन्दू नेताओं से अनुरोध किया कि 'हरिजनों की मांगें उचित हैं, कांग्रेस उन पर विचार करे।' वापू ने वायसराय से हरिजनों के प्रतिनिधित्व पर कहा कि 'कौंसिल में हरिजनों को एक के बजाय तीन सीटें मिलनी चाहिए। सरकार का यह कहना कि वह सभी सम्प्रदायों को प्रतिनिधित्व देना चाहती है, उचित नहीं है। जो अल्पमत साधन-सम्पन्न और शिक्षित हैं उन्हें संरक्षण दे कर अलग-अलग टुकड़ों में बांटना विघातक है। हरिजनों को सीटें देने के बाद यदि सवर्ण हिन्दू अपनी सीटों में से दूसरी जातियों को स्थान दें तो हरिजनों को कोई आपत्ति न होगी।' अपनी जनसंख्या के आधार पर अपने प्रतिनिधित्व की मांग हरिजनों ने की। वावूजी ने कहा कि "हरिजन तीन सीटें पाने का अधिकार रखते हैं। मुनजमानों की तरह हरिजन पृथक् धार्मिक जाति के नहीं हैं। धर्म और संस्कृति की दृष्टि

से हरिजन हिन्दू-धर्म के अंग हैं ; किन्तु राजनीतिक क्षेत्र में वे हकीकतन जुदा हैं ।”

इस बीच द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन में मजदूर दल की सरकार बनी । इस सरकार ने १६ सितम्बर १९४५ को नये प्रस्ताव पेश किए । इन प्रस्तावों में केन्द्र और प्रांतों के लिए नये निर्वाचनों का निर्देश किया गया । इसमें चुनाव परिणामों के आधार पर ही केन्द्र और प्रांतों में सरकार बनाने का भी सुझाव था ।

कांग्रेस और राष्ट्रवादी हरिजनों की संस्था दलित वर्गसंघ में यह समझौता हुआ कि दलित वर्गसंघ के मनोनीत व्यक्तियों को कांग्रेस अपने उम्मीदवार के रूप में खड़ा करेगी । बाबूजी की दूरदर्शिता से कांग्रेस की शक्ति बढ़ी । कांग्रेसी उम्मीदवार मुस्लिम सीटों पर भी खड़े हुए परन्तु कम विजयी हुए । गैर-मुस्लिम सीटों पर कांग्रेस प्रबल बहुमत से विजयी हुई । मुस्लिम क्षेत्रों में लीग को बहुमत प्राप्त हुआ ।

इस निर्वाचन के बाद स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगा कि भारत खण्डित होकर रहेगा । पाकिस्तान बनाने की लीगी मांग दिन-प्रतिदिन जोर पकड़ती जा रही थी । १९४५ के दिसम्बर में जिन्ना ने स्पष्ट घोषित किया कि ‘यदि गांधी जी और कांग्रेस पाकिस्तान की मांग मंजूर कर लें तो समझौते में देर नहीं लगेगी ।’ पाकिस्तान की मांग पर बापू ने कहा था कि ‘मेरी लाश पर विभाजन होगा ।’ बापू की यह बात स्पष्ट करती है कि बापू देश का खंडन नहीं चाहते थे । देश की स्थिति सामान्य नहीं थी । सब अपना-अपना राग अलग अलाप रहे थे । राजाजी और राष्ट्रवादी मुसलमानों के अगुआ अबुल कलाम आजाद ने अपनी योजनाएं पेश कीं । कैबिनेट मिशन की एक अलग योजना थी । डा० अम्बेडकर की पार्टी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की भी अपनी एक भिन्न योजना थी । इधर हिन्दू-मुस्लिम दंगे भी काफी जोरों से शुरू होगये । चारों ओर नरसंहार होने लगा । श्री मुहम्मद अली जिन्ना की मांग थी कि केन्द्रीय सरकार में मुसलमानों को पचास प्रतिशत स्थान मिले । वे चाहते थे कि इस तरह की मांग को पूरा करा के

समस्त भारत पर प्रतिक्रियावादी मुसलमानों का शासन स्थापित किया जाय। हिन्दू-मुसलमान दोनों जातियों में आपसी मनमुटाव काफी हो चला था। विदेशी सरकार की 'फूट डालो और राज्य करो' की नीति काफी सफल हो चुकी थी। इधर अंग्रेज हरिजनों को भी फोड़ने का काफी प्रयत्न कर रहे थे। हरिजनों का एक वर्ग डा० अम्बेडकर के नेतृत्व में अंग्रेजों की नीति को सफल बनाना चाहता था। सरकार का कहना था कि कांग्रेस हिन्दुओं की संस्था है और अछूत हिन्दू जाति से अलग हैं। जिसका वापू कड़ा विरोध कर रहे थे। दलित वर्गसंघ और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को हरिजनों की भलाई के लिए एक साथ मिलकर काम करना चाहिए था। परन्तु अंग्रेजों की फूट डालने की नीति से यह असम्भव हो गया था। हरिजनों की स्वरक्षा की जगह सरकार की नीतियों का समर्थन करने वाली संस्था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की सरकारी पूछ स्वाभाविक थी। इन्हीं सभी वजहों से सरकारी कांग्रेस में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के प्रतिनिधि श्री एम० शिवराज को बुलाया गया। लांड वेवल की योजना पर गांधीजी की कही हुई बातों से हरिजन असन्तुष्ट हो गए थे। वापू की बातों का वावूजी ने भी काफी विरोध किया। हालांकि कांग्रेस में रहकर वापू की बातों का विरोध इन्हें नहीं करना चाहिए था। फिर भी इन्होंने अपनी निर्भीकता का परिचय देते हुए ऐसा किया। विरोधी दलों के हरिजन नेताओं ने इसी बात को लेकर कांग्रेस की भर्त्सना करनी शुरू की। वे कहने लगे कि कांग्रेस हरिजनों का हित नहीं चाहती है। प्रतिक्रियावादी हरिजन नेताओं ने कांग्रेस से वावूजी को फोड़ना चाहा। परन्तु प्रतिक्रियावादी हरिजन नेताओं से वावूजी पूर्णरूपेण अछूते रहे, और अपनी भक्ति के साथ कांग्रेस के कार्यों के लिए सदा क्रियाशील रहे। कांग्रेस, हरिजन और देश-भक्ति ने इन्हें अत्यन्त ऊंचा उठा दिया। गांधी जी और कांग्रेस दोनों इनके आभारी हो गए। इनकी बातों से कांग्रेस काफी प्रभावित हुई।

नया निर्वाचन हुआ। दलित वर्ग संघ के हरिजन-क्षेत्र से काफी

संख्या में निर्वाचित हुए। इस निर्वाचन ने सिद्ध कर दिया कि बाबूजी डा० अम्बेडकर से ज्यादा दूरदर्शी, अधिक प्रभावशाली और काफी शक्तिशाली हैं। विदेशी सरकार को भी स्थिति स्पष्ट दृष्टिगोचर हो गयी। अब सरकार बाबूजी की उपेक्षा करने में असमर्थ थी। हरिजनों के पक्ष की बातें करने के लिए बाबूजी को ५ अप्रैल, १९४५ को वायसरॉय ने आमन्त्रित किया। बाबूजी को पटना में तार मिला और वे दिल्ली गए। इन सभी बातों का मूल कारण चुनाव-दंगल में डा० अम्बेडकर के फेडरेशन का चारों खाने चित होना था। एक ओर फेडरेशन को बंगाल की ३० सीटों में सिर्फ एक स्थान मिल पाया तो दूसरी ओर बाबूजी की दूरदर्शिता और रण-कौशल से बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मद्रास, बंबई, पंजाब आदि प्रदेशों में संघ के उम्मीदवार शत-प्रतिशत निर्वाचित हुए। २३ मार्च, १९४६ को क्रिप्स-मिशन भारत आया। संयुक्त भारत के निर्माण के आवार पर यह मिशन अपने साथ एक नयी योजना भी लाया था। इस मिशन को बापू और कांग्रेस के विरोध का सामना करना नहीं पड़ा परन्तु मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकृत कर दिया। कांग्रेस और लीग में कोई समझौता नहीं हो सका।

## श्रमजीवियों के हितचिन्तक तथा श्रम-मन्त्री के रूप में

१६ जून, १९४६ को लार्ड वेवल ने केन्द्र में अस्थायी सरकार बनाने के लिए कदम बढ़ाया। कांग्रेस ने डा० राजेन्द्र प्रसाद, पं० जवाहर लाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्री हरेकृष्ण मेहताव और वावू जी का नाम दिया। ये सभी नाम स्वीकृत हुए। देश का नेतृत्व भी इन्हीं व्यक्तियों के हाथों में था। १२ अगस्त, १९४६ को पं० नेहरू के नेतृत्व में सभी कांग्रेसी सदस्यों ने अस्थायी सरकार में प्रवेश किया। मुस्लिम लीग की तरफ से श्री मुहम्मद अली जिन्ना, श्री लियाकत अली खां, नवाब मु० इस्माइल खां, ख्वाजा नाजिमुद्दीन और सरदार अब्दुल निस्तर थे। सरकार में अन्य अल्पमतों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया था। सरदार बलदेव सिंह सिखों की ओर से और सर एन० पी० इंजीनियर तथा डा० जान मथाई अन्य अल्पमतों के प्रतिनिधि थे। सरकार ने यह बात कही कि “इस प्रकार विभिन्न साम्प्रदायों का प्रतिनिधित्व देने पर कहीं यह न समझा जाय कि साम्प्रदायिक समस्याओं का निराकरण इस आधार पर होगा।” मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का नाम नहीं आ सकने से कांग्रेस अपने को धर्म-निरपेक्ष संस्था कहने में असमर्थ थी। बड़ी निर्भीकता से वावूजी ने वायसराय से कहा कि “वे नहीं चाहते कि अल्पसंख्यक मुस्लिम मिस्टर जिन्ना के कदमों पर छोट्ट दिए जाएं। लोकतन्त्र के सिद्धान्तों के यह प्रतिकूल है। राष्ट्रवादी मुसलमानों के प्रतिनिधि का लिया जाना आवश्यक है।” इन बातों पर वावूजी ने सरकार में शामिल होने के सरकारी आमन्त्रण को ठुकरा दिया। तब अन्य कांग्रेसी नेताओं ने भी सरकारी आमन्त्रण को अस्वीकार



किया। इन बातों को लेकर सरकार को झुकना पड़ा और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी सरकार में शामिल हुए। यह कांग्रेस की विजय और लीग की पराजय थी। सरकार में राष्ट्रवादी मुसलमान के होने पर मुस्लिम लीग ने सरकार में शामिल होने से इन्कार कर दिया। विना मुस्लिम लीग के ही यह सरकार कुछ दिनों तक चली।

१९४६ से १९५२ तक वावूजी के कन्वों पर देश के श्रम का दायित्व रहा और ये श्रम-मन्त्री रहे। अपने इस दायित्व-काल में इन्होंने अपनी सफल कार्य-कुशलता का परिचय दिया है। इस मन्त्रित्व-काल में इन्होंने श्रमिक समाज का जितना कल्याण किया है वह अवर्णनीय और अकथनीय है। इनके कल्याण-कार्यों के लिए श्रमिक समाज को इनका सदा ऋणी रहना पड़ेगा। इसी कार्यकाल में इन्होंने उद्योग-पतियों की परम्परागत शोषण नीति का उन्मूलन किया। कांग्रेस चुनाव-घोषणा-पत्रों की बातों को पूरा करना ज्यादा अंश में इन्हीं के विभाग का काम था और इन्होंने अपने इस कार्य-काल में इन्हें बड़ी दक्षता से पूरा भी किया। श्रमिकों की भलाई के लिए नये-नये कानून बने। उन कानूनों द्वारा श्रमजीवियों की अनेकानेक भलाईयों को प्रश्रय दिया गया। जिन कानूनों का श्रमिक और, उद्योगपति दोनों ने विरोध किया उन कानूनों को वावूजी ने कभी भी बलपूर्वक नहीं लादा। श्रमिकों के हित के लिए इन्हें उद्योगपतियों के साथ संघर्ष भी करना पड़ा है। एक अर्थशास्त्री के समान इन्होंने पूंजी और श्रम दोनों को महत्व दिया। उद्योगपतियों को पूर्ण समर्थन न देकर इन्होंने कहा—“निहित स्वार्थ वाले और उनके हिमायती, वर्तमान साम्यवाद के कारण उत्पन्न आर्थिक पुनर्निर्माण की परमावश्यकता का अनुभव नहीं कर रहे हैं। अन्तरिक्ष में फैली हुई रक्तिमा तो उन्हें दीख पड़ती है परन्तु वे स्वार्थ में इतने अधिक लिप्त हैं कि उसके स्पष्ट अर्थ को नहीं समझ पाते।” श्रम और पूंजी उद्योग के लिए दो पैर हैं। दोनों का समान महत्व है। असमान होने पर उद्योग लंगड़ा हो जायगा। औद्योगिक विकास के लिए वावूजी ने मिश्रित अर्थ-नीति की अपेक्षा वस्तुतः अपनी एक नयी सहयोग अर्थ-

नीति पर बल दिया। बाबूजी ने कहा कि उद्योग के निर्माण और संचालन में मालिक और मजदूर का भाग सहयोग के आधार पर होना चाहिए। इन्होंने कहा कि "यदि भारत को समृद्ध होना है, तो श्रम को दायित्वपूर्ण और मानवीय ढंग में सोचने का अवसर देना होगा। और जो उद्योग अब तक दूसरों की मजदूरियों से अनुचित लाभ उठाते रहे हैं, उन्हें अब उसकी पूरी कीमत चुकानी होगी।"

श्रम-मन्त्रित्व काल में ही बाबूजी की सहयोग अर्थ-नीति की घोषणा आज हमें 'सहकारिता' के रूप में दृष्टिगोचर हो रही है। 'सामाजिक सुरक्षा योजना', 'उचित मजदूरी कानून' आदि श्रमिकों के हित में रचे जाने वाले कानून का भी उद्योगपतियों ने बहुत कसकर विरोध किया था। उद्योगपतियों को कांग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं का भी सहयोग प्राप्त रहता था। मार्ग में कठिनाइयाँ आती थीं पर कठिनाइयों से घबराना इन्होंने कभी जाना ही नहीं। 'सामाजिक सुरक्षा योजना' और 'उचित मजदूरी कानून' के प्रति सरदार पटेल का भी दृष्टिकोण था कि इसे पेश न किया जाय। सरदार पटेल से उनके घर बाबूजी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था—“आप लोग देश के लिए इतना कुछ कर चुके हैं कि अगर अब और कुछ न करें तो भी देश की जनता आप लोगों के प्रति ऋणी रहेगी और उसके मन में यह भाव तो कभी न उठेगा कि उसके विश्वास का अन्यादर हुआ। आपने राजनीतिक स्वाधीनता ली। आपने देशी रियासतों को भारत में मिलाया, आप इतिहास में अमर हो गए। लेकिन नई पीढ़ी के लोग अब अगर एक नई समाज-व्यवस्था के निर्माण में न लगे तो और करेंगे ही क्या।” इन्होंने कहा कि “मजदूर वर्ग कांग्रेस पर अपनी आंखें लगाए हुए है, लोगों की आकांक्षाएं आज कांग्रेस और कांग्रेस सरकार पर हैं, यदि आज हम उन आकांक्षाओं को सजीव रूप नहीं देते तो श्रम-मंत्रालय में मेरे लिए कोई आकर्षण नहीं रह जाता है।” अपनी ये बातें कहकर सरदार पटेल के घर से अपने घर चले आए और त्याग-पत्र देने के लिए तैयार हो गए। आपने देखा कि करोड़ों हरिजनों की भलाई चाहने वाले बाबूजी करोड़ों मजदूरों के भी

हितचिन्तक और शुभचिन्तक सिद्ध हुए। अन्त में सरदार पटेल व  
जी के निवास पर आए और कहा कि विल पेश हो। सरदार पटेल  
स्नेहपूर्ण शब्दों में कहा था—“तुम जानते हो कि यदि देश की जनता  
हित के लिए भारतीय पूंजीवाद का नाश आवश्यक हो, तो मुझे  
भटके में उसे खत्म करने में जरा भी हिचकिचाहट न होगी। अभी  
सांप को व्यर्थ ही क्यों छोड़ा जाए। जब आवश्यक हो और तुम्हारे प  
तदर्थ साधन हो लें, तो उसे एक ही बार में खत्म कर दो।” श्रमकान  
को पारित कराने में सदा वावूजी को लीह-पुरुष का स्नेह, सहय  
और आशीर्वाद प्राप्त रहता था। श्रम-जीवियों के हितचिन्तक के  
में वावूजी को उद्योगपतियों की ओर से धमकियां और प्रलोभन द  
मिले। पर वावूजी के अंगद चरणों ने भला डिगना कब सीखा था  
‘लेबर रिलेशन विल’ और ‘इण्डियन ट्रेड यूनियन विल’ का उद्य  
पतियों के साथ-साथ कुछ श्रमिक नेताओं ने भी विरोध किया। भि  
भिन्न राज्यों में श्रमिक समस्याओं को नुलभाने के लिए अलग-अ  
कानून के साथ ही केन्द्रीय कानून भी अलग था। इन्होंने सबको ह  
कर सबके लिए एक कानून ‘लेबर रिलेशन विल’ के रूप में बनाया  
इसी तरह ‘इण्डियन ट्रेड यूनियन विल’ भी सबके सामने आय  
न्यायालयों के निर्णयों को टाल देने की उद्योगपतियों की प्रवृत्ति  
दिनोंदिन बढ़ती जा रही थी। पर इस विल ने ट्रिव्यूनल के निर्णय  
अमान्य करने पर दण्ड की भी व्यवस्था की। बैंक कर्मचारियों को  
भगड़ों को श्रम विभाग द्वारा निपटाने की सुविधा मिली। एक अ  
पूँजीपतियों और उनके पत्रों ने वावूजी का घोर विरोध किया तो दूस  
और श्री जयप्रकाश नारायण, श्री एन० एम० जोशी और श्री ड  
आदि श्रमजीवी दलों के नेताओं ने वावूजी का पूर्णरूपेण समर्थन कि  
साथ ही सरकारी श्रम-नीति को उपयोगी बताया। कांग्रेस के प्रति श  
जीवियों की आस्था और ज्यादा दृढ़ हो गई। श्रम-मन्त्री के रूप  
इन्होंने जो-जो कार्य किए उसके आगे अभी तक कोई श्रम-मन्त्री न  
बढ़ पाया।

## संचार-मंत्री और रेल-मंत्री के रूप में देश-सेवा

१९५२ में निर्वाचित होने के बाद इन्हें संचार-मंत्री के दायित्वों को सम्भालना पड़ा। अपने संचार-मंत्री के कार्य-काल में भी इन्होंने देश और समाज की जो सेवाएं कीं वे अतुलनीय हैं। गांव-गांव में डाक घर खुले, टूंक-कालों की व्यवस्था की गई। तार-घर और टेलीफोन एक्स-चेंजों की संख्या काफी बढ़ी। हवाई जहाजों द्वारा डाक पहुंचाने की व्यवस्था का काफी विस्तार हुआ। मजदूरों के भत्ते में भी वृद्धि हुई। इस कार्य-काल में इन्होंने सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य गैर-सरकारी हवाई यातायात का राष्ट्रीयकरण करके किया। इस राष्ट्रीयकरण से पूंजी-पति काफी चिन्तित हुए और उन्होंने काफी विरोध भी किया। पर वायूजी भला कब त्रिचलित होने वाले थे। राष्ट्रीयकरण के प्रकरण में निजी कम्पनियों को मुजावजा देने की बात आई, पर इन्होंने उदारता से काम लिया। राष्ट्रीयकरण के बाद दो संस्थाओं का निर्माण हुआ। एक का नाम 'इन्डियन एयरलाइन्स कॉर्पोरेशन' और दूसरे का नाम 'एयर इन्डिया इन्टरनेशनल' रखा गया। इसके पहले 'एयर इन्डिया', 'एयर सर्विसेज आफ इन्डिया', 'एयर-वेज इन्डिया', 'भारत एयर-वेज', 'हिमालय एसोसियेशन' आदि भिन्न-भिन्न नामों से निजी क्षेत्र इस व्यवसाय को करते थे। हवाई यातायातों का राष्ट्रीयकरण करके इन्होंने देश में राष्ट्रीयकरण की नींव रखी।

१९५६ में भीषण रेल दुर्घटना के बाद स्व० श्री लालबहादुर शास्त्री ने रेलवे मन्त्रालय से त्याग-पत्र दे दिया। रेल मन्त्रालय का भी कार्य-भार वायूजी को सम्भालना पड़ा। पुनः १९५७ के ज्ञान चुनाव में

वावूजी निर्विरोध निर्वाचित हुए । इसके बाद पुनः इन्हें रेल मन्त्रालय का ही कार्य-भार सम्भालने को दिया गया । केन्द्रीय मन्त्रालयों में रेल-मन्त्रालय बहुत ही महत्त्वपूर्ण और उत्तरदायित्वपूर्ण मन्त्रालय है । इन्होंने इस कार्य-भार को भी बखूबी निभाया । प्रथम पंचवर्षीय योजना में रेलवे का विस्तार हुआ । इनके कार्य-काल में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी विस्तार की गति धीमी नहीं हुई । वावूजी के कार्य-काल में विश्व-बैंक के सहयोग से भारत ने रेल के क्षेत्र में काफी प्रगति की है । अपने इस कार्य-काल में भी इन्होंने मजदूरों को नहीं भुलाया । मजदूरों की मजदूरी और भत्तों में यहां भी आकर वृद्धि की । असहाय और पीड़ित व्यक्तियों को नौकरी देकर बेकारी की कठिनाइयों को दूर करने का काफी प्रयत्न किया । रेल के यात्रियों की भी कठिनाइयों को दूर करने का काफी प्रयत्न हुआ । लम्बी यात्रा करने वाले यात्रियों को रेलवे में अनेकानेक सुविधाएं मिलीं । बड़े-बड़े स्टेशनों के साथ-साथ छोटे-छोटे स्टेशनों पर भी यात्रियों की सुविधाओं के लिए विश्राम-गृहों का निर्माण कराया ।

इसी रेलवे मंत्रित्व-काल में इनकी पू० माता वासन्ती देवी ने अपनी ६० वर्ष की आयु में २१ मार्च १९५६ को इस असार संसार को छोड़ दिया । मां वासन्ती देवी महान् तपस्विनी थीं । उन्होंने भारत को वावूजी के रूप में एक ऐसा अनमोल रत्न दिया है जिसके लिए भारत उनके प्रति सदा ऋणी रहेगा । वह तपस्या और साधना की साक्षात् प्रतिमूर्ति थीं और उनका यह अनमोल रत्न जब तक धरती और आकाश का अस्तित्व रहेगा तब तक चमकते हुए लोगों को मार्ग-दर्शन देता रहेगा ।

## बाबूजी की लोकप्रियता

१९६२ का आम चुनाव आया। विरोधी दलों के साथ-साथ कांग्रेस के कुछ महारथियों ने भी बाबूजी को हराने का काफी प्रयत्न किया। एक तरफ पूंजीपति वर्ग नहीं चाहता था कि बाबूजी जैसे प्रगतिशील विचारों का व्यक्ति सरकार में रहे तो दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ महारथी भी बाबूजी के बढ़ते हुए प्रभाव को ईर्ष्या की नज़रों से देखते थे। राजनीतिक गगन पर उदीयमान इस सूर्य के सामने सब हत्प्रभ से थे। लोगों ने इन्हें चुनाव में पराजित करने के लिए हज़ारों उपायों से काम किए। परन्तु जनता अपने सच्चे सेवक को पहचानती है। अपना प्रबल बहुमत देकर जनता जनार्दन ने बाबूजी को विजयी बनाया और अपने सच्चे सेवक के रूप में इनका अभिनन्दन किया। बाबूजी के बढ़ते हुए प्रभाव से स्वयं पं० नेहरू भी स्तम्भित थे। वे नहीं चाहते थे कि बाबूजी अपनी कार्य-क्षमता और दक्षता से ज्यादा प्रभावशाली और लोकप्रिय बनें। १९६२ के बने मंत्रिमंडल में बाबूजी को स्थान देने की उनकी अपनी राय नहीं थी। परन्तु बाबूजी की प्रतिभा और लोकप्रियता से तत्कालीन राष्ट्रपति स्व० डा० राजेन्द्रप्रसाद पूर्णरूपेण अवगत थे। उन्होंने दूरदर्शिता से काम लिया और नेहरू जी से कहा कि अगर बाबूजी को मंत्रिमंडल में नहीं लिया जाएगा तो देश को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाएगा। इन सभी वजहों से पं० नेहरू को इन्हें मंत्रिमंडल में लेना ही पड़ा।

वात दरबसल यह थी कि नेहरू जी शुरू से ही नहीं चाहते थे कि राजेन्द्र बाबू गणतन्त्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनें। पर शुरू में सरदार

पटेल, श्री महावीर त्यागी आदि के कारण वे राष्ट्रपति बन पाए। राजेन्द्र बाबू इतनी सीधी-सादी और साधु प्रकृति के थे कि किसी भी चीज के लिए विरोध होने पर उसे त्याग देने की ही बात सोचते थे। ऐसी बात नहीं थी कि उनमें किसी प्रकार की कमी हो। उनकी कार्य-दक्षता और कार्य-क्षमता का मूल्यांकन उनके कार्य-काल में किए गए कार्यों को देख कर ही चल जाएगा। वे साधु-प्रकृति और त्यागी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वे अपने चलते किसी का दिल दुखाने की बात कभी पसन्द नहीं करते थे। वे अपने सहयोगियों को अपने चलते दुखी नहीं देखना चाहते थे। देश के प्रथम राष्ट्रपति बनने से उन्होंने एक तरह से इन्कार भी कर दिया था। परन्तु सरदार पटेल, श्री महावीर त्यागी आदि नेताओं के आग्रह पर उन्हें राष्ट्रपति का पद स्वीकार करना पड़ा था।

नेहरूजी की शुरु से यह प्रवृत्ति थी कि वे अपनी हां में हां मिलाने वाले व्यक्तियों को ही ज्यादा पसन्द करते थे। राजेन्द्र बाबू में ऐसी बात नहीं थी कि वे नेहरू जी की ठीक या गलत सभी बातों का समर्थन करें। राजेन्द्र बाबू शुरु से ही देश और देशवासियों को भलाई वाले कामों को ही करना जानते थे। यदा-कदा राष्ट्रपति के रूप में राजेन्द्र बाबू में और प्रधान मंत्री के रूप में पं० नेहरू में मतभेद नहीं हो पाता था। १९५७ में राष्ट्रपति-निर्वाचन के समय भी नेहरू जी नहीं चाहते थे कि राजेन्द्र बाबू को पुनः राष्ट्रपति बनाया जाय। परन्तु बाबूजी का प्रबल समर्थन राजेन्द्र बाबू के साथ था जिसके आगे नेहरू जी को भी झुकना पड़ा था। इन्हीं सभी कारणों को लेकर नेहरू जी नहीं चाहते थे कि बाबूजी को कोई मंत्री का पद दिया जाय। हरिजन नेता के रूप में श्री डा० संजीवैया को आन्ध्र से और श्री कामराज को मद्रास से लाया गया था। फिर भी १९६२ के निर्वाचन के बाद नेहरू जी को अपने मंत्रिमंडल में बाबूजी को रखना ही पड़ा। इस समय पुनः इन्हें संचार और यातायात मंत्रालय का कार्य-भार सम्भालना पड़ा। कुछ ही समय बाद अक्टूबर १९६२ में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। उस समय

भी संचार और यातायात विभाग ने देश की पर्याप्त सेवा की। तत्कालीन नीतियों के चलते कई मोर्चों पर भारत की हार हुई। देश की जनता की प्रबल मांग पर तत्कालीन प्रतिरक्षा मंत्री श्री वी० के० कृष्ण मेनन को अपने पद से हटना पड़ा। भारत-चीन युद्ध के बाद पं० नेहरू भी उतने लोकप्रिय नहीं रह पाये। इधर कांग्रेस के कुछ नेताओं की लोक-प्रियता दिनों-दिन बढ़ती जा रही थी। इन लोक-प्रिय नेताओं की राज-नीतिक हत्या करने की योजना बनने लगी।

१९६१ में श्री नेहरू ने कामराज को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया था। उस समय भी श्री नेहरू का विरोध हुआ था। पुनः नेफा की हार के लिए भी कुछ कांग्रेसी नेताओं ने श्री नेहरू को दोषी ठहराया और उनकी नीतियों की आलोचना की। नेहरू जी अपने उत्तराधिकारी के रूप में श्रीमती इन्दिरा गांधी को प्रतिष्ठित करना चाहते थे। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए श्री नेहरू ने अपने विरोध में सिर उठाने वालों को दंड देना तथा अपनी बेटी के रास्ते के रोड़ों को हटाना चाहा। अपनी बेटी को अपने उत्तराधिकारी के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए उन्होंने श्रीमती इन्दिरा गांधी को १९५६ में ही कांग्रेस-अध्यक्ष बनाकर इस बात की ओर संकेत भी दे दिया था कि वे अपने बाद अपनी बेटी को ही प्रधान मंत्री बनाना चाहते हैं। श्री यू० एन० डेवर के अध्यक्ष-पद का कार्य-काल १९५६ में समाप्त होता था। श्री नेहरू ने श्री यू० एन० डेवर से अध्यक्ष-पद के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम प्रस्तावित करने को कहा था। श्री डेवर ने कार्यकारिणी की एक विशेष बैठक बुलाई और अपने उत्तराधिकारी के रूप में श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम का प्रस्ताव रखा था। श्री गोविन्द वल्लभ पन्त ने श्रीमती गांधी के नाम का विरोध करते हुए कहा कि श्रीमती गांधी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। पर श्री नेहरू ने श्री पन्त के कथन का विरोध करते हुए कहा था कि उपस्थित सदस्यों में कुछ सदस्यों से इन्तु ज्याश स्वल्प है। श्री पन्त का समर्थन कुछ सदस्यों ने भी किया था। पर श्री नेहरू के विरोध ने सब का मुंह बन्द कर दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम अध्यक्ष-



पद के लिए प्रस्तावित हो गया और सब को इसे स्वीकार करना पड़ा ।

श्री नेहरू ने अपने विरोधियों को दण्ड देने का विधान बनाया । १९६३ में वह विधान देश के कांग्रेसी नेताओं के सामने 'कामराज-योजना' के रूप में आया । नेताओं के सामने यह प्रस्ताव रखा गया कि सभी नेता जो मंत्रिमंडल में हैं स्वेच्छा से मंत्री-पद से इस्तीफा दे दें । सब मिलकर संगठन का काम करें । उस योजना के अन्तर्गत नेहरू जी को संगठन के नेता के रूप में यह अधिकार दिया गया कि वे जिन्हें संगठन के कामों के लिए ज्यादा उचित समझें उनका त्याग-पत्र स्वीकार कर लें । सब ने त्याग-पत्र दे दिया । फिर उसमें से छांट कर कुछ त्याग-पत्र स्वीकृति के लिए संबंधित राज्यपालों या राष्ट्रपति को भेज दिए गए । जो नेता ज्यादा जनप्रिय थे या जिनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी और जो नेहरू जी की बेटे को प्रधान मंत्री बनने में रोड़ा हो सकते थे उनके त्याग-पत्र स्वीकृत कर लिए गए । जिन नेताओं के त्याग-पत्र स्वीकृत किए गए उनमें प्रमुख थे—वावूजी, श्री मोरारजी देसाई, श्री एस० के० पाटिल, श्री लालबहादुर शास्त्री आदि । योजना के अन्तर्गत नेहरू जी को भी त्याग-पत्र देकर संगठन को सुदृढ़ करने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए था । पर उन्होंने अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए ऐसा नहीं किया और स्वयं प्रधान मंत्री बने रहे । जिन नेताओं की लोकप्रियता किसी दिन उनके लिए या उनकी बेटे श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधान मंत्री बनने में घातक सिद्ध हो सकती थी उनके हाथों से सत्ता छीन कर उन्हें शक्तिहीन बनाने की योजना कार्यान्वित कर दी गई ।

'कामराज-योजना' पर अपनी टिप्पणी देते हुए श्री मोरारजी देसाई ने कहा था कि पंडित नेहरू ने अपने सम्भावित उत्तराधिकारियों को रास्ते से हटाकर अपनी बेटे इंदिरा गांधी को प्रधान मंत्री बनाने के लिए रास्ता साफ कर दिया है । उस समय श्री शास्त्री जी का त्याग-पत्र इसलिए स्वीकृत कर लिया गया कि सब समझें कि नेहरू जी ने केवल अपने विरोधी नेताओं का, जिनकी लोकप्रियता सम्भवतः उनके

और उनकी बेटी के लिए किसी दिन घातक सिद्ध हो सकती है, त्याग-पत्र ही नहीं स्वीकार किया वरन् शास्त्री जी जैसे सरल और विश्वास-भाजन व्यक्ति का भी त्याग-पत्र स्वीकार किया गया। श्री शास्त्री का त्याग-पत्र स्वीकार किया जाना उस योजना को आवरण में ढंक कर रखने का प्रयास मात्र था। बाबूजी और श्री देसाई ने खुले आम इस बात की चर्चा की कि अभी तक उन्हें संगठन के कामों को नहीं दिया गया हालांकि उन्होंने संगठन का काम करने के लिए और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए नेहरू जी से कई बार कहा भी।

१९६४ में भुवनेश्वर में होने वाले अधिवेशन में ही श्री नेहरू अस्वस्थ हो गए। कई नेताओं और मुख्य मंत्रियों ने श्री नेहरू को राय दी कि वे अपना कार्य-भार कुछ हल्का कर दें। भुवनेश्वर में ही श्री नेहरू ने अपने कार्य-भार को हल्का करने के सम्बन्ध में श्री शास्त्री से बात की। श्री शास्त्री को निर्विभागीय मन्त्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। हालांकि तत्कालीन गृह-मन्त्री श्री गुलजारी-लाल नन्दा और वित्त मंत्री श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने श्री शास्त्री को मंत्रिमंडल में लिए जाने का विरोध किया था, बाबूजी ने भी श्री शास्त्री को पुनः मंत्रिमंडल में लिए जाने का विरोध किया था। वाद में बाबूजी ने इस बात की खुले आम चर्चा भी की और कहा कि राजनीति के कौरम बोर्ड पर श्री नेहरू ने शास्त्री का 'स्ट्राइकर' के रूप में व्यवहार किया है और उसी के माध्यम से अनिच्छित व्यक्तियों को हटाया है।

'कामराज योजना' के अन्तर्गत हटे अन्य व्यक्तियों में किसी को प्रशासनिक आयोग का और किसी को सांख्यिकी आयोग का चेयरमैन बना दिया गया। संगठन का काम न देकर इन लोगों को चेयरमैन बना देना भी इस बात की ही पुष्टि करता है कि 'कामराज योजना' के अन्तर्गत नेताओं को शक्तिहीन और अकर्मण्य बनाने की ही साजिश की गई थी और यही इस योजना का मूल उद्देश्य भी था। संगठन सुदृढ़ करने की बात केवल बात ही थी। अगर कोई व्यक्ति किसी आयोग का अध्यक्ष

वनकर संगठन को सबल बना सकता है तो वह मंत्री पद पर रहकर संगठन को ज्यादा शक्ति और सबल बना सकता है। बाबूजी को भी सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष-पद दिया गया था। इस 'कामराज-योजना' के वास्तविक सूत्रधार तो पं० नेहरू थे। इसका नाम भी नेहरू योजना ही होना चाहिए था पर कामराज के प्रणेता होने की वजह से इस योजना का नामकरण कामराज योजना किया गया था।

## कालकूट शंकर से अदम्य प्रभावशाली खाद्य-मंत्री के रूप में

अचानक प्रिय प्रधान मंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू का देहान्त गया। इसके बाद श्री लालबहादुर शास्त्री प्रधान मंत्री बने। इन्हें प्रधा मंत्री बनाने में वावूजी का सक्रिय सहयोग रहा। इन्हीं के कार्य-काल भारत-पाकिस्तान युद्ध हुआ। १९६६ में ताशकंद समझौते के लिए शास्त्री ताशकंद गए। वहीं उनकी मृत्यु भी हो गयी। पुनः कांग्रेस के सम संसदीय दल का नेता चुनने का प्रश्न आया। संसदीय दल के नेता लिए कई व्यक्तियों का नाम लिया जाने लगा। वावूजी का भी न लिया गया। पर दल के नेता के लिए वावूजी उम्मीदवार नहीं बने दल के नेता के लिए श्री मोरारजी देसाई और श्रीमती इन्दिरा गांधी का ही नाम रह गया। सबका यही प्रयत्न था कि नेता का चुनाव स सम्मत हो जाय, पर ऐसा नहीं हो पाया। वैसे इस बात की चर्चा थी। वावूजी श्री देसाई का समर्थन कर रहे हैं पर वावूजी ने श्री देसाई स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि वे श्रीमती इन्दिरा गांधी का समर्थन करेंगे। वावूजी ने कहा था कि श्री देसाई के समर्थक पूंजीपति व्यक्ति हैं पर इनके समर्थक साधारण व्यक्ति हैं इसलिए दोनों का मेल न सम्भव है। देसाई अपनी विजय की बात की निश्चित सम्भन दे पर ठीक विपरीत श्रीमती गांधी को ३५५ मत प्राप्त हुए और देसाई को १६९ ही। श्रीमती इन्दिरा गांधी को नेता बनाने में वावूजी का भी प्रबल समर्थन था। श्रीमती गांधी नेता चुन ली गयीं। श्रीम इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में बने मद्रिमडल में वावूजी को पुनः धन अ पुनर्वास मंत्रालय का कार्य-भार दिया गया।

१९६७ में आम चुनाव हुआ। कांग्रेस के प्रति लोगों की सद्भावनाएं दुर्भावनाओं में परिवर्तित हो चली थीं। कांग्रेस उम्मीदवारों की हालत बड़ी बुरी थी। वावूजी अपने पुराने निर्वाचन क्षेत्र सासाराम से ही लोकसभा के उम्मीदवार बने। इनके विरोध में अखिल भारतीय स्तर के दलों के तीन उम्मीदवार और चार निर्दलाय उम्मीदवार भी थे। वावूजी को इस निर्वाचन-क्षेत्र से १४६३५५ (५३.६०%) मत प्राप्त हुए थे। प्रसोपा के श्री एस० राय जो इनके सबसे निकटस्थ प्रतिद्वन्दी थे, उन्हें ३६६८६ (१३.६६%) मत प्राप्त हुए। जनसंघ के एस० चौधरी को ३१६६२ (११.४४%) और संतोपा के आर० वी० प्रसाद को २१७२८ (७.८४%) मत मिले। चार निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में थे, जिन्हें क्रमशः ४.७१, ३.८२, २.६८ तथा २.७% मत मिल पाये। इस चुनाव में कांग्रेस ने ४० से ४५ प्रतिशत तक राष्ट्रीय समर्थन खो दिया। अपने को दिग्गज समझने वाले और अपने को 'किंग मेकर' कहने वालों की भी करारी हार हुई। इस चुनाव में कांग्रेस की स्थिति बड़ी दयनीय हो गयी। किसी तरह केन्द्र में अपनी सरकार बनाने की स्थिति में कांग्रेस आ सकी। वावूजी के प्रबल समर्थन से श्रीमती इन्दिरा गांधी का चुनाव मुनः संसदीय दल के नेता के रूप में हुआ। श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधान मंत्री बनीं। इस मंत्रिमंडल में खाद्य और कृषि मंत्रालय का कार्य-भार संभालने के लिए कोई तैयार नहीं था। सभी इस विभाग से डर रहे थे। इसका कारण था कि श्री रफी अहमद किदवई के वाद के सभी खाद्य-मंत्री देश की खाद्य-समस्या सुलझाने में असफल रहे। उस पर १९६७ में भीषण खाद्य-समस्या भी थी। स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा था कि भारतवासी अन्न विना दम तोड़ देंगे। इन सब वजहों से किसी को हिम्मत नहीं होती थी कि वह खाद्य और कृषि मंत्रालय को सम्भालने की बात भी सोचे। खाद्य-मंत्रालय समुद्र मन्थन के वाद निकले हुए कालकूट विष की याद दिलाता था। अमृत प्राप्ति के लिए अर्थात् अमरत्व की प्राप्ति के लिए देवता और असुर दोनों ने मिलकर मन्दराचल पर्वत से समुद्र का मन्थन

किया । समुद्र-मन्थन से अगणित किरणों वाला, शीतल प्रकाश से युक्त श्वेत वर्ण चन्द्रमा प्रकट हुआ । चन्द्रमा के बाद भगवती लक्ष्मी और सुरा देवी निकलीं । उसी समय श्वेत वर्ण का उच्चैःश्रवा घोड़ा भी पैदा हुआ । भगवान् नारायण के वक्षस्थल पर मुशोभित होने वाली दिव्य किरणों से उज्ज्वल कौस्तुभमणि तथा वाञ्छित फल देने वाला कल्पवृक्ष और कामधेनु भी उसी समय निकले । लक्ष्मी, सुरा, चन्द्रमा, उच्चैःश्रवा आकाश मार्ग से देवलोक में चले गए । इसके बाद दिव्य शरीरधारी धन्वन्तरि देव प्रकट हुए । वे अपने हाथ में अमृत से भरा श्वेत कमंडल लिए हुए थे । इसके बाद चार श्वेत दांतों से युक्त विशाल ऐरावत हाथी निकला जिसे इन्द्र ने ले लिया । बहुत मधे जाने के बाद समुद्र से कालकूट विष निकला । उसकी गन्ध से ही लोगों की चेतना जाती रही । ब्रह्मा की प्रार्थना से प्रसन्न हो भगवान् शंकर ने उसका पान किया और अपने कण्ठ में धारण कर लिया और तभी से उन्हें 'नीलकण्ठ' कहा जाने लगा । ठीक कालकूट विष की तरह खाद्य-मंत्रालय का दायित्व था । भगवान् शंकर की तरह वावूजी ने खाद्य-मंत्रालय का कार्य-भार संभाला । भगवान् शंकर का तो कालकूट विष के प्रभाव से कण्ठ नीला ही गया परन्तु वावूजी ने इस दायित्व को इतनी निपुणता से निभाया है कि कहीं भी दाग लगने नहीं पाया है ।

जब वावूजी ने खाद्य-मंत्रालय संभाला तो हित-चिन्तकों को चिन्ता हुई । पर वावूजी ने निर्भीकता से कहा कि 'कांटों का ताज भी सेहरा बन जाता है' और वास्तव में वावूजी ने अपने कहे अनुसार बड़ी खूबी से कांटों के ताज को सेहरा बना ही दिया । जहा लगता था कि सारा देश अन्न दिना भूतों मर जायगा, वहां एक व्यक्ति भी भुक्तमरी का शिकार होने नहीं पाया । इस मंत्रित्व काल में ही वावूजी ने फूड कार-पोरेशन को सरकार का एक किराशील अंग बनाया । पहले पूंजीपति किसानों से अन्न खरीदकर अपने गोदामों में भर देते थे और बाजार में अभाव पैदा कर दिया करते थे । ताकि अपने गोदामों में भर हुए अन्न का मनमाना दाम वसूल कर सकें । इसमें बेचने वाले किसान

लम्भ' और 'गवालम्भ' का अर्थ हुआ ऐसा कर्म जिनमें अश्व का वध और गाय का वध होता है। परन्तु हमारे पूर्वजों ने इस कर्म को 'अश्वमेध' और 'गोमेध' नाम से पुकारा और इसे एक यज्ञ विशेष का रूप दे दिया। इसकी पुष्टि के लिए हम बृहन्नारदीय भी देख सकते हैं जिसमें कलियुग में कुछ अन्य कर्मों के साथ-साथ अश्वमेध और गोमेध को न करने की राय दी गई है—

“समुद्र यात्रा स्वीकारः, कमण्डलु विधारणम्, द्विजानाभसवर्णसि-  
कन्यासूपयमः, तथा देवरेण सुतोत्पत्तिः, मधुपर्कं पशोर्वधः, मांसोदनं  
तथा श्राद्धे, वानप्रस्थाश्रमः, तथा दत्तायाश्चैव कन्यायाः पुनर्दानं  
परस्यच, दीर्घकालं ब्रह्मचर्यम्, नरमेधाश्वमेधकौ, महाप्रस्थानगमनम्,  
गोमेधं च मखं, इमान् धर्म्मिन् कलियुगे वर्ज्यानाहुः मनीषिणः।”

अर्थात्—“समुद्रयात्रा, संन्यास ग्रहण, जातियों का असवर्ण कन्याओं  
के साथ विवाह, देवर से सुतोत्पादन, मधुपर्क में पशु का वध, श्राद्ध में मांस  
का पिडदान, वानप्रस्थाश्रम, जो कन्या एक बार दान कर दी गई पुनः  
उसका किसी दूसरे वर को दान करना, दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य व्रत  
धारण करना, नरमेध तथा अश्वमेध, महाप्रस्थान गमन अर्थात्  
शास्त्रोक्त विधि से आत्मघात एवं गोमेध, इन धर्मों को आचार्यों ने  
कलियुग में न करने की राय दी है।”

त्याग और वलिदान की बात आने पर हम बड़े गर्व के साथ राजा  
रन्तिदेव का नाम लेते हैं और उनके जीवन को सब के सामने रखते हैं।  
परन्तु आपको जानना होगा कि जिसे आज आप चम्बल नदी के नाम  
से जानते हैं यह हमारे इतिहासों में वर्णित चर्मण्वती नदी ही है और  
इसका उदगम राजा रन्तिदेव के गोमेश यज्ञ में काटी हुई असंख्य गायों  
के चाम के ढेर से निकले हुए खून से हुआ है। यदि आप इसकी पुष्टि  
चाहते हैं तो आपको महाकवि कालिदास कृत मेघदूत, पूर्वाद्धं श्लोक  
४५ तथा उसकी मल्लिनाथ कृत टीका का सम्बन्धित अंश पढ़ना होगा,  
जिसमें लिखा हुआ है—

“आराध्यैर्न शरवणभवं देवमुल्लंघिताध्वा। सिद्धद्वन्द्वैर्जलकण-

भयाद्वीणिभिर्मुक्षुतमार्गः । व्यालम्बेयाः सुरभितनया लम्भजां मान-  
यिष्यन् । स्रोतोमूर्त्या भुविपरिणतां रन्तिदेवस्य कीर्त्तिम् ॥४५॥

अर्थात् “यक्ष मेघ से कहता है—कुछ दूर जाकर स्कन्ददेव की धाराधना करना । वीणा धारण किए हुए सिद्धों की जोड़ियां जलकण के भय से तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे । पुनः गायों के वध करने से उत्पन्न तथा भूलोक में नदी (चर्मण्वती) के रूप में परिणत राजा रन्तिदेव की कीर्त्ति का सम्मान करने के अभिप्राय से लटक कर उतर आना ।”

मत्लीनाथ कृत टीका का सम्बन्धित अंश इस तरह है—‘सुर-  
भितनयानां गवामालम्भेन संज्ञपनेन जायत इति तथोक्ताम् । भुवि  
लोके स्रोतोमूर्त्या प्रवाहरूपेण परिणतां रूपविशेषमापन्नां रन्तिदेवस्य  
दशपुरपतेर्महाराजस्य कीर्त्तिम् । चर्मण्वत्याख्यां नदीमित्यर्थः । माम-  
यिष्यन् सत्करिष्यन् व्यालम्बेयाः आलम्ब्यावतरेरित्यर्थः । पुराकिल-  
राज्ञः रन्तिदेवस्य गवालम्भेष्वेकत्र संभूताप्रवत निष्यन्दाच्चर्मराशेः  
काचिन्नदीसस्यन्दे । चर्मण्वतीत्याख्यायत इति ।

अर्थात् “गायों के वध करने से उत्पन्न तथा लोक में प्रवाह रूप में  
बदली हुई दशपुराधिपति महाराज रन्तिदेव की कीर्त्ति को अर्थात्  
चर्मण्वती नाम की नदी को सत्कार करने के अभिप्राय से लटक कर  
उतर जाना । कहते हैं कि प्राचीन काल में राजा रन्तिदेव के गोमेघ वज्रों  
में इकट्ठे किए तथा खून निकालते हुए चाम के ढेर से एक नदी बह  
निकली जो चर्मण्वती कही जाती है ।”

सम्भव है गोरक्त से नदी के उद्गम की बात को हम अविश्वास  
की नजरों से देखें । क्योंकि कितने बड़े-बड़े युद्ध हुए जिनमें कितने पशुओं  
बीर मनुष्यों का रक्त बहा पर उनके रक्त से किसी भी नदी या नाले  
का उद्गम नहीं हुआ । रक्त से किसी नदी के उद्गम की बात वास्तव  
में अप्राकृत भी लगती है । परन्तु हमारे जितने भी धर्मग्रन्थ हैं उनमें  
अस्ती प्रतिपात घटनाएं अप्राकृत ही हैं पर उनके प्रति हम अत्यन्त श्रद्धा  
रखते हैं । आइए, हम रामायण की कुछ घटनाओं पर ही एक दृष्टिपात



करें। क्या सीता के जन्म की बात अप्राकृत नहीं है? भगवान् राम मनुष्य के रूप में आए थे। क्या यह सम्भव है कि किसी मनुष्य के पैर से किसी शिला का स्पर्श हो जाय तो वह शिला शिला न रहकर नारी हो जाय? पुनः हम नीता-स्वयंवर के समय शिव-धनुष को तोड़ने की ही बात लें। तुलसीदास लिखते हैं—

‘भूप सहस्र दस एकहि वारा । लगे उठावन टरइ न टारा ॥’

दस हजार राजा एक ही वार धनुष को उठाने लगे, तो भी वह उनके टाले नहीं टला। क्या यह अविश्वसनीय नहीं लगता? दस हजार राजा एक ही साथ मिलकर कैसे किसी धनुष को उठाने के लिए पकड़ सकते हैं? दस हजार राजा एक साथ मिलकर किसी धनुष को उठावें और वह न उठे क्या यह असम्भव नहीं है? आपने यह प्रसंग भी अवश्य ही पढ़ा होगा कि दशरथ रणक्षेत्र में लड़ रहे थे और कैकेयी भी उनके साथ थी। इसी बीच दशरथ के रथ का पहिया टूट गया और कैकेयी ने उस टूटे हुए पहिए की जगह अपने हाथ को रथ में लगाकर रणक्षेत्र में दशरथ का साथ दिया। जिसके चलते दशरथ ने उनको वचन दे दिया कि जब चाहो तुम दो वरदान मांग सकती हो और उसी दिए हुए वचन के चलते राम को वनवासी होना पड़ा था। मुझे तो यह भी प्रकृति विरुद्ध ही लगता है। क्योंकि रथ का पहिया घूमता है, अगर रथ का पहिया स्थिर हो जाय तो रथ की गति ही रुक जायगी। रण-क्षेत्र में अवश्य ही तीव्र गति से रथ चलता होगा। उतनी तीव्रगति के साथ किसी नारी का चेतन हाथ कितनी देर तक घूम सकता है यह सोचने की बात है। इस तरह की अनेकानेक घटनाएं आपको मिलेंगी जो स्पष्ट रूप से अविश्वसनीय और अप्राकृत दृष्टिगोचर होंगी। इसी तरह आप महाभारत को भी देखें। वहां भी आपको एक नहीं अनेक अप्राकृत और अविश्वसनीय घटनाएं दिखेंगी। मनुष्य के शरीर में दस हजार हाथी का बल हो, क्या यह अप्राकृत नहीं है! दस हजार हाथी के समान बल वाला आदमी (दुःशासन) एक निरीह नारी को नंगा करना चाहे और वह नंगी न हो सके क्या यह प्रकृति विरुद्ध नहीं है? क्या पांडव और

कौरव वंश की उत्पत्ति की कहानी अप्राकृत और अविश्वसनीय नहीं है? क्या कुन्ती के कान से कर्ण जैसे व्यक्ति का जन्म होना प्रकृति विरुद्ध नहीं है? हमारे वेद, उपनिषद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, श्रीमद्भागवत्, महाभारत आदि धर्मग्रन्थ अनेकों प्रकृति विरुद्ध घटनाओं से भरे पड़े हैं। इन अविश्वसनीय घटनाओं के चलते हमें अपने धर्मग्रन्थों को छोड़ देना पड़ेगा। पर सम्भवतः बात ऐसी नहीं है। हमारे धर्मग्रन्थों में जो भी घटनाएं अप्राकृत या अविश्वसनीय दिखती हैं उनके पीछे कुछ न कुछ रहस्य है। हमें उन रहस्यों का भेदन करना होगा तभी बात समझ में आ सकती है। जैसे ऋषि शृंग के जन्म की बात को ही हम लें। उनके जन्म के सम्बन्ध में कहा गया है कि उनका जन्म हिरणी से हुआ है। वास्तव में हिरणी के गर्भ से शृंग जैसे ऋषि के जन्म की बात अप्राकृत और अविश्वसनीय लगती है। सम्भवतः शृंग ऋषि की मां का नाम हिरणी होगा पर लोगों ने उस नाम का अर्थ पशु विशेष लगा लिया। जैसे मेरी नौकरानी की बेटा का नाम विलइया है और हमारे घर एक सम्बन्धी की नौकरानी आती है उनका नाम कुतिया है। अगर इनकी कोई संतान महापुरुष हो जाय तो उन्हें विलइया या कुतिया की ही संतान कहा जायगा। साथ ही वे मानव जाति के ही संतान होंगे न कि विल्ली या कुत्ती पशु विशेष के। इसी तरह चर्मण्वती नदी की उत्पत्ति हुई होगी। विन्ध्या पर्वत से निकलने वाले किसी नाम-हीन नदी या सोता के तट पर रत्नदेव जैसे राजा ने गोमेघ यज्ञ किया होगा और यज्ञ में काटी गई गायों का रक्त और चाम उस नाम-हीन नदी या सोते में फेंक दिया गया होगा। चाम फेंके जाने के कारण ही उस नदी का चर्मण्वती नामकरण हो गया होगा।

अब हम गोमांस खाने की बात पर कुछ विचार करें। दाबूजी ने जब कहा कि ऐसी चर्चा है कि पुरानी आर्य जाति गोमांस खाती थी तो उनके कथन का देशव्यापी प्रचल विरोध हुआ। रंग-धिरंगे अगोभनीय काण्ड किए गए। हालांकि दाबूजी की बात शत-प्रतिशत सत्य थी। उन्होंने सत्य का साक्षात्कार कराया था और सत्य से साधारणतया सब

घबड़ाते हैं। आलोचना करने वाले, विरोध करने वाले भूल गये थे कि जिनकी जीवनियों को वे अपनी हरेक बातों की पुष्टि के लिए उदाहरणार्थ पेश करते हैं उनकी पाकशालाओं में भी गोमांस बनता था। जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं और जिनकी हम पूजा करते हैं उन्हें भी मांस भक्षण से कोई खास परहेज नहीं था। मायण भाष्य के साथ ऋग्वेद का अध्ययन करने पर हमें बहुत से ऐसे उदाहरण उपलब्ध होंगे जिनसे स्पष्ट हो जायगा कि हमारे पूर्वज यज्ञों में गोबध करते थे और गोमांस भी खाते थे। आइए हम सब इन मंत्रों को पढ़ें और समझें—

चर्द्धान् यं विश्वे भरतः सजोपाः पञ्चच्छतं महिषां इन्द्रतुन्यम् ।  
पूपा विष्णुस्त्रीणि सरांसि धावन् वृत्रहणं मदिरमंशुमस्मै ॥

ऋ० ६।१७।११

(हे इन्द्र ! सम्पूर्ण मरुद्गण समान प्रीतिभाजन होकर स्तोत्र द्वारा तुम्हें वदित करते हैं और तुम्हारे निमित्त पूपा तथा विष्णुदेव शतसंख्यक महिषों का पाक करते एवं तीन पायों को पूर्ण करने के लिए मादक और वृत्र-नाशक सोम ढालते हैं ।)

दिवि ते नाभा परमो य आददे पृथिव्यास्ते रुद्रुः सानविक्षिपः ।

अद्रयस्त्वा वप्तति गोरधित्वच्यप्सुत्वा हस्तं दुं दुहुर्मनीषिणः ॥

ऋ० ६।७६।४

(हे सोम ! तुम्हारा परम अंश द्युलोक में है। वहाँ से तुम्हारे अंश पृथ्वी के उन्नत प्रदेश (पर्वत) पर गिरे और वहाँ वृक्ष हो गए। मेधावी लोग तुम्हें हाथों से गोचर्म पर पत्थरों से कूटते हैं और जल में निचोड़ते हैं ।)

अद्रिणा ते मन्दिन इन्द्र तूयान्तसुन्वन्ति सोगान् पिवसित्वमेषाम् ।

पचन्ति ते वृषभां अत्सि तेषां पृक्षेण यन्मघवन् ह्यमानः ॥

ऋ० १०।२८।३

(हे इन्द्र ! अन्न कामना से जिस समय तुम्हारे लिए हवन किया जाता है, उस समय यजमान शीघ्र-शीघ्र प्रस्तर फलकों पर मादक सोमरस तैयार करते हैं। उसे तुम पीते हो। यजमान बैल पकाते हैं तुम

उन्हें खाते हो ।)

वृषाकपायि रेवती सुपुत्र आदु सुस्तुपे ।

घसत्त इन्द्र उक्षणः प्रियं काचित् करं हविर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥

ऋ० १०।८६।१३

(हे वृषाकपि की स्त्री ! तुम धनशालिनी, उत्तम पुत्र वाली और सुन्दर पुत्र-वधू हो । तुम्हारे वृषों को इन्द्र खा जाएं । तुम्हारे प्रिय और सुखकर हवि का वे भक्षण करें । इन्द्र सर्वश्रेष्ठ हैं ।)

उक्ष्णो हि मे पञ्चदश साकं पचन्ति विशतिम् ।

उताहमग्नि पीव इन्दुभा कुक्षी पृणन्ति मे विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥

ऋ० १०।८६।१४

(इन्द्र कहते हैं—मेरे लिए इन्द्राणि के द्वारा प्रेरित याज्ञिक लोग पन्द्रह-बीस सांड वा बैल पकाते हैं । उन्हें खाकर मैं मोटा होता हूँ । मेरे दोनों कुक्षियों को याज्ञिक लोग सोम से भरते हैं । इन्द्र सर्वश्रेष्ठ हैं ।)

कहिस्वित् सात इन्द्र चेत्यासदघस्य यद्भिनदो रक्ष एषत् ।

मित्रक्रुवो यच्छशने न गावः पृथिव्या आपृगमुया शयन्ते ॥

ऋ० १०।८६।१४

(हे इन्द्र ! जिस अस्त्र या वाण को फेंककर तुमने पापी राक्षस को काटा था, वह कहां फेंकने योग्य है ? जैसे गोहत्या के स्थान में गायें काटी जाती हैं, वैसे ही तुम्हारे इस अस्त्र से निहत होकर मिश्रद्वेषी राक्षस लोग पृथ्वी पर गिरकर सदा के लिए सो जाते हैं ।)

या देवेषु तन्वमरयन्त यासां सोमो विश्वा रूपाणि वेद ।

ता अस्मन्म्यं पयसा पिन्वमानाः प्रजावतीरिन्द्र गोष्ठे रिरिह ॥

ऋ० १०।१६६।३

(जो गाएं अपने शरीर को देवों के यज्ञ के लिए दिया करती हैं; जिन गायों की अशेष आहुतियां सोम जानते हैं; हे इन्द्र ! उन गायों को दूध में परिपूर्ण करके और सन्तानयुक्त बनाकर हमारे लिए गोष्ठ में भेज दो ।)

गोमांस खाने की पुष्टि महाकवि भवभूति कृत 'उत्तररामचरित' नामक नाटक-ग्रन्थ के चौथे अंक के विष्कम्भक के पढ़ने से भी होगी। भगवान राम के कुल पुरोहित वसिष्ठ ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में मधुपर्क के साथ वाल्मीकि द्वारा दी गई वत्सरी को भी भोजन में स्वीकार किया। 'उत्तर रामचरित' भवभूति जैसे प्रकाण्ड विद्वान की रचना है। भवभूति प्रकाण्ड विद्वान थे, इसमें किसीको संशय नहीं होना चाहिए। अतः उनके 'उत्तर राम चरित' नाटक के नाटकत्व को संशय की दृष्टि से देखना हमारी समझ से उचित नहीं होगा। नाटक की सफलता यही है कि वह समाज के हरेक पहलुओं का वास्तविक दिग्दर्शन करा दे। हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि 'उत्तर रामचरित' भगवान् राम के समय के सामाजिक पहलुओं का स्पष्ट वर्णन है। इस नाटक के सौधातकि और भांडायन नामक वाल्मीकि के दो छात्रों की आपसी बातचीत से इस बात की पुष्टि स्पष्ट रूप से हो जाती है कि वसिष्ठ जैसे व्यक्ति भी गोमांस खाते थे। आइए एक नजर हम भी उस पर डालें—

भांडायनः—धिक् प्रहसनम् ! नन्वय मृष्यशृंगाश्रमादरुन्धती-  
पुरस्त्रतान् महाराज दशरथस्य दारानधिष्ठाय भगवान् वशिष्ठः  
प्राप्तस्तत् किमेवं पलपसि ?

(अर्थात् "धिक्कार है प्रहसन करने पर! अरे ऋष्यशृंग के आश्रम से अरुन्धति को आगे किए हुए महाराज दशरथ की रानियों को लेकर यह भगवान वशिष्ठ पहुंचे हैं। अतः क्यों ऐसा बोलता है?")

सौधातकि—हुं वसिट्ठो ! ("हां! तो वशिष्ठ आए हैं।")

भांडायन—अथ किम् ! ("अर्थात् नहीं तो और क्या?")

सौधातकि—मए उण जाणिदं वग्घो वा विओवाएसोत्ति ।  
("अर्थात् मैं तो समझता था कि यह कोई बाघ या भेड़िया है।")

भांडायन—आः किमुवतं भवति ? ("अर्थात् अरे यह क्या कहता है?")

सौधातकि—तेण परावडिदेण ज्जेव सा वराइआ कल्लाणिआ मह  
मडाइदा ।" (अर्थात् अजी वे आते ही उस विचारी कल्याणिक

(बछिया) को खा गए।”)

भांडायन—समांसी मधुपर्क इत्याम्नायं बहुमन्य मानाः श्रोत्रियाभ्या-  
गताय वत्सरी महोक्षं महाजं वा निर्वपन्ति गृहमेधिनः; तंहिघर्मसूत्र-  
काराः समामनन्ति । (“अर्थात् मधुपर्क मांसयुक्त होना आवश्यक है,  
इस वेद-वचन का बहुत सम्मान करते हुए गृहस्थगण अतिथिभूत  
श्रोत्रिय के लिए गाय की बछिया वा बड़ा बैल अथवा बड़ा बकरा प्रदान  
करते हैं। इस वेद-वचन को धर्मसूत्रों के रचने वाले भी अच्छी तरह  
मानते हैं।”)

सौघातकि—भो ! णिगि ही दोऽसि । (“अरे तू हार गया।”)

भांडायन—ऋथमिव (“यह कैसे?”)

सौघातकि—जेण आअदेसु वसिट्ठ मिस्सेमुवच्छदरी विससिदा;  
अज्जेव पच्चागतस्य राएसिणो जणअस्स मअवदा वल्मीएण विहदिमहु  
हिज्जेव णिव्वत्तिदो मदुववको, वच्छदरी उण विसज्जिदा । (“क्योंकि  
महर्षि वशिष्ठ के आने पर तो बछिया मारी गई; पर आज ही आए हुए  
राजपि जनक को वाल्मीकि ने केवल दही और मधु का ही मधुपर्क  
दिया है, बछिया रहने दी गई है।”)

भांडायन—अनिवृत्तमांसानामेवं कल्पमृषयो मन्यन्ते, निवृत्तमांस  
स्तुत्र भवान् जनक । (“जो मांस से निवृत्त नहीं हैं अर्थात् जो मांस  
भोजन करते हैं, उन्हीं के लिए ऋषिगण ‘समांसोन्मधुपर्क’ इत्यादि इस  
विधि को मानते हैं। जनक जी तो मांस से निवृत्त हैं।”)

ऊपर वर्णित सौघातकि-भांडायन संवाद स्पष्ट करता है कि  
वशिष्ठ जैसे व्यक्ति भी गोमांस खाते थे। बछिया और गाय में अन्तर  
नहीं है। भवभूति ने दो पात्रों के पारस्परिक वार्तालाप से स्पष्ट कर  
दिया है कि तत्कालीन समाज में गोमांस खाना वर्जित नहीं था बल्कि  
गोमांस खाने का प्रचलन था। महर्षि वशिष्ठ ने भी अपनी स्मृति के  
शीघ्र अध्याय में स्पष्ट किया है—

“पितृदेवातिथिपूलायां पशुं हिंस्यात् । मधुपर्कं च यजे च, पितृ

दैवतकर्मणि । अत्रैव च पशुं हिंस्यान्नान्यथेत्य ब्रवीन्मनुः ॥ ना कृत्वा प्राणिनां हिंसा मांसमुत्पद्यते इवचित् । न च प्राणि वधः स्वर्ग्यस्तस्माद्यज्ञे वधोऽवधः ॥”

अर्थात् “पितरों, अतिथियों तथा देवताओं की पूजा में पशुहिंसा कर सकते हैं। मधुपर्क में, यज्ञ में पितरों तथा देवताओं के कर्म में ही पशु-वध करे; दूसरी जगह नहीं; यह मनु ने कहा है। प्राणियों का चिना वध किए कहीं भी मांस नहीं मिल सकता और प्राणि-वध स्वर्ग का देने वाला नहीं है; अतः पशु-वध करे तो यज्ञ में ही करे; क्योंकि यज्ञ में किया हुआ वध, वध नहीं है।” महर्षि वशिष्ठ पुनः लिखते हैं—  
“अथापि ब्राह्मणाय वा राजन्याय वा अभ्यागताय वा महोक्षं वा महाजं वा पचेत् । एवमस्यातिथ्यं-कुर्वन्तीति ।”

अर्थात् “अपने यहां यदि ब्राह्मण अथवा राजा अतिथि आवे तो उसके लिए बड़ा बेल वा बड़ा बकरा पकाना चाहिए। उस अतिथि का सत्कार इसी प्रकार करते हैं।” इस तरह के अनेकानेक उदाहरणों से हमारे धर्म-ग्रन्थ भरे पड़े हैं। हमारे यहां देवपूजन में भी मंदिरा और मांस के व्यवहार का विधान है और इनका खुलकर व्यवहार भी होता था, इसके भी अनेकों उदाहरण हैं। अगर मंदिरा और मांस देवपूजन में व्यवहृत होते थे तो वे प्रसाद के रूप में जनसाधारण द्वारा अवश्य ग्रहण भी किए जाते होंगे। मांस खाने के सम्बन्ध में मनु, शंख, व्यास, वाल्मीकि आदि महर्षियों के उद्धरण यहां उद्धृत किए जाएं तो एक ग्रन्थ ही तैयार हो जाय। इसलिए अब उन्हें इस समय छोड़ देना ही उचित है। वावूजी की स्पष्ट बातों से कि ऐसी चर्चा है कि प्राचीन आर्य जाति गोमांस खाती थी, लोगों को घबड़ाने की आवश्यकता नहीं थी। वावूजी ने तो केवल हमारी प्राचीन संस्कृति की चर्चा भर की थी। डा० देवराज के शब्दों में—“जो जाति अपनी सांस्कृतिक धरोहर का ठीक से मूल्यांकन नहीं कर सकती तथा उसे गलत हेतुओं से अच्छा या बुरा समझती है, वह संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में ऊंचे प्रयत्न नहीं कर सकती। सच यह है कि प्रत्येक जाति अपने इतिहास के प्रत्येक युग में पुराने सांस्कृतिक

प्रयत्नों का फिर से मूल्यांकन करती है, इसलिए कि इस प्रकार का मूल्यांकन उसके सत्यान्वेषण एवं सांस्कृतिक उत्थान की प्रक्रिया का आवश्यक अंग है।" वावूजी ने भी हिन्दू जाति को सत्य का साक्षात्कार ही कराया था। परन्तु सनातन धर्मावलम्बियों के साथ-साथ अन्य समाजियों ने भी वावूजी की स्पष्ट बातों का देशव्यापी प्रबल विरोध किया था। किसी भी बात के विरोध के पहले ऐसा तर्क और प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक होता है जो अकाट्य हो। बिना किसी आधार के विरोध करने वालों का भी मुँह अपने आप बन्द हो गया।

मध्यप्रदेश के कुरुवई के हरिजन-सम्मेलन में भाषण देते हुए वावूजी ने यह कहा कि बेजमीन हरिजनों को जवरन अनजोती जमीन पर कब्जा कर लेना चाहिए। वावूजी के इस कथन का भी काफी विरोध हुआ, तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं हुईं। कुछ लोगों ने इस बवतव्य को श्री शंकराचार्य के कथन की प्रतिक्रिया मानी। कुछ ने इसे प्रयासन एवं समाज की वर्तमान स्थिति में असंतुलन पैदा करने वाला बवतव्य बतलाया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि मंत्री जी १९७२ के विकल्प से भयभीत हो गद्दी बरकरार रखने के लिए हरिजनों एवं आदिवासियों के गले लगना चाह रहे हैं। ऐसा भी कहने वाले कुछ थे कि "ऐसी प्रेरणा संभवतः उन्हें पाकिस्तानी शासकों और देश की पृथक्वादी तत्त्वों से मिली है। अभी तो उन्होंने केवल परती जमीन पर बल प्रयोग का संकेत किया है, भविष्य में एक स्वतंत्र हरिजन राष्ट्र के निर्माण के लिए वह हरिजनों से सगवत संघर्ष का आह्वान भी कर सकते हैं।" अपने को समाजवादी कहने वाले कुछ मंधियों ने भी इनके बवतव्य पर तीव्र आपत्ति की और कहा कि श्री जगजीवन राम लोगों को जातीय संघर्ष तथा वर्ग-संघर्ष के लिए उकसा रहे हैं। परन्तु वास्तव में वावूजी के कथन का सार यह था कि जोतने वाले को जमीन दी जानी चाहिए और जो नहीं जोतता है उसे जमीन रखने का कोई अधिकार नहीं है। इनके कथन का स्पष्ट अर्थ यह था कि जोतने वाला ही जमीन का मानिक बने। जिन आलोचकों ने यह कहा कि ये वर्ग-संघर्ष, जातीय संघर्ष



और भविष्य में एक स्वतंत्र हरिजन राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं, उन्हें यह जानना चाहिए कि इन्होंने ही वर्ग संघर्ष और जातीय संघर्ष से देश को बचाया है, साथ ही हरिजनस्तान बनाने की अंग्रेजों की चाल को विफल बनाया है। उन आलोचकों की बातें सिर्फ सूर्य पर धूकना मात्र था।

## लौह-व्यक्तित्व

३ मई १९६६ को भारत के तीसरे राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन का देहांत हो गया। तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री वाराह गिरि वैकट गिरि ने कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य-भार संभाला। भारतीय गणतन्त्र के प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद के अवकाश-ग्रहण के बाद कुछ इस तरह की परम्परा बन गई थी कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाया जाय-। उस परम्परा के अनुसार श्री वाराह गिरि वैकट गिरि को ही डा० जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति होना चाहिए था और वही न्यायसंगत भी था। जून के पहले हफ्ते में प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी श्री गिरि को ही राष्ट्रपति बनाने का फैसला किया था। श्री खंडू भाई देसाई और श्री श्यामाप्रसाद मुखर्जी जैसे व्यक्तियों ने भी श्री मोरारजी देसाई से श्री गिरि के नाम के समर्थन के सम्बन्ध में बातें कीं और श्री देसाई पर दबाव भी डाला कि वे श्री गिरि का समर्थन करें। आरम्भ में श्री देसाई सहमत भी हो गए थे। परन्तु अपने को किंगमेकर समझने और कहने वाले कांग्रेस के कुछ लोग श्री गिरि के नाम का समर्थन नहीं कर रहे थे। उनका दूसरा सपना था।

६ जुलाई १९६६ को बंगलौर में कांग्रेस मन्त्रसमिति का अधिवेशन शुरू हुआ। इस अधिवेशन का मुख्य लक्ष्य आर्थिक प्रश्नों पर विचार और राष्ट्रपति-पद के लिए किसी योग्य व्यक्ति का चुनाव करना था। साधारण अधिवेशन तीन दिनों तक चलता है परन्तु यह पहला अग्रसर था जबकि कांग्रेस अध्यक्ष को तीन दिन के बजाय अधिवेशन चार दिन करने का घोषणा करनी पड़ी थी। वैसे तो फरीदाबाद के फारुख-अधिवेशन में कांग्रेस-अध्यक्ष श्री निजामुद्दीन साहब एन दास का संकेत

दे दिया गया था कि "आवश्यकता पड़ने पर बंगलौर-अधिवेशन को बढ़ाया जा सकता है। फरीदाबाद के आर्थिक प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं ले लिया जाता तब तक महासमिति का अधिवेशन चलेगा।" महत्त्वपूर्ण निर्णयों के प्रति श्री निजलिंगप्पा काफी व्यग्र लग रहे थे। महासमिति का अधिवेशन आरम्भ होने के सिर्फ दो दिन पहले 'युवा तुकों' ने कांग्रेस के 'दस सूत्री कार्यक्रम' को शीघ्र कार्यान्वित करने की जोरदार मांग की थी। आइए हम पहले 'दस सूत्री कार्यक्रम' को समझ लें। जून १९६७ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने समाजवादी लोकतंत्री समाज के लिए जो कार्यक्रम स्वीकार किए थे वे ही 'दस सूत्री कार्यक्रम' कहे जाते हैं। वह दस सूत्री कार्यक्रम इस प्रकार हैं—(१) बैंकों का सामाजिक नियंत्रण, (२) आम बीमा का राष्ट्रीयकरण, (३) आयात और निर्यात व्यापार का प्रगतिशील राजकीय व्यापार, (४) खाद्यान्नों का राजकीय व्यापार, (५) निर्माता उद्योगों में सहकारिता का विस्तार, (६) एकाधिकार आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार आर्थिक शक्ति के एकाधिकार और उसके संकेन्द्रण पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए प्रभावशाली उपाय (७) लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं की व्यवस्था, (८) शहरी भूमि की कीमतों में होने वाली अनाजित वृद्धि पर रोक, (९) ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम की एक योजना और भूमि सुधार कार्यक्रम का शीघ्र क्रियान्वयन, (१०) भूतपूर्व शासकों को प्राप्त विशेषाधिकारों की समाप्ति जो लोकतंत्रीय भावना के प्रतिकूल हैं।

जापान की यात्रा समाप्त कर प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी वापस आयीं। उनसे 'युवा तुकों' ने भेंट की और कहा कि 'कांग्रेस के कार्यक्रम को 'क्रांतिकारी' अर्थ देने के लिए आर्थिक कार्यक्रमों को निरूपित करना आवश्यक हो गया है और यह चिंता का विषय है कि कांग्रेस नेतृत्व इस संबंध में आनाकानी कर रहा है।' वैसे प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने फरीदाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में ही यह स्पष्ट संकेत दे दिया था कि विभिन्न राजनैतिक और क्रांतिकारी प्रश्नों पर वह कोई भी क्रांतिकारी कदम निःसंकोच उठा सकती हैं।

'सिडीकेट' का नाम आपने भी सुना होगा। 'सिडीकेट' क्या था और इसकी परिभाषा क्या थी इसके सम्बन्ध में स्वाधी रूप से कुछ कहना असम्भव सा है। सोचे 'सिडीकेट' का अर्थ श्री मदाशिव कान्होजी पाटिल, श्री निजलिंगप्पा, श्री कामराज, श्री नीलम संजीव रेड्डी, श्री अतुल्य घोष, श्री मोरारजी देसाई, श्री चन्द्रभानु गुप्त और इन सभी के विचारों से रखता था। प्रायः यही देखा गया कि समय-समय पर 'सिडीकेट' की सदस्यता भी बदलती रहती थी। इस स्थिति में यह सोचना कि यह गुट कोई सही निर्णय या कोई स्वाधी विचार रख सकता था, भ्रान्तिपूर्ण था। १९६६ के जयपुर के अधिवेशन से ही कांग्रेस के दो शिविरों में शक्ति-प्रदर्शन का क्रम आरंभ हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष श्री निजलिंगप्पा ने इन दो शिविरों के शक्ति-प्रदर्शन को 'ध्रुवीकरण' की संज्ञा दी थी। पुनः कांग्रेस के दो शिविरों के आपसी मतभेद और शक्ति-प्रदर्शन की स्पष्ट झलक ६ जुलाई १९६६ को कांग्रेस महासमिति के बंगलौर अधिवेशन में दिखाई पड़ी। इस दिन की बैठक में प्रधान मंत्री के बँकों के प्रारूप पर काफी हंगामा हुआ। प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी ने अपनी उस टिप्पणी में सरकारी जमा खाते में बँकों की पूंजी बढ़ाने, औद्योगिक लाइसेंस नीति में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने, एकाधिकार की समाप्ति और औद्योगिक गुनाहे में मजदूरों की हिस्सेदारी स्थापित करने के साथ बँकों के राष्ट्रीयकरण करने का सुझाव दिया था। अधिवेशन के दूसरे दिन १० जुलाई को प्रधान मंत्री और उनके विरोधियों में प्रधान मंत्री की टिप्पणी को लेकर वाक्युद्ध हुआ। १२ जुलाई को महासमिति ने श्री नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति-पद के लिए उम्मीदवार चुना। नमस्ते की दृष्टि ने प्रधान मंत्री ने श्री गिरि के नाम की जगह वाक्युद्ध का नाम प्रस्तावित किया था। प्रधान मंत्री सोचती थीं कि वाक्युद्ध कांग्रेस के गुटों में सदस्य रहने वाले व्यक्ति हैं इसलिए उनके नाम पर संभवतः सिडीकेट को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन सिडीकेट ने वाक्युद्ध के बजाय श्री नीलम संजीव रेड्डी के नाम पर जोर दिया और यही नहीं उनकी कांग्रेस

का उम्मीदवार बना भी दिया। इस घटना को राजनीति के कुछ व्याख्याकारों ने 'कू दे ताँ' (राज्यक्रांति) की संज्ञा दी और कुछ ने 'इसे चीनी हमले के बाद भारत की राजनीति की सबसे बड़ी घटना' भी कहा। प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने समझौते के लिए हाथ बढ़ाया था परन्तु सिंडीकेट के सदस्य तथा श्रीमती गांधी के विरोधी किसी भी समझौते की मुद्रा में नहीं थे। सिंडीकेटी इस मौके को हाथ से निकलने देना नहीं चाहते थे। श्री कामराज, श्री निजलिगप्पा और श्री पाटिल बराबर यही कहते थे कि श्रीमती गांधी को प्रधान मंत्री उन्होंने ही बनाया है और जब वे चाहें उन्हें गद्दी से उतार भी सकते हैं। परन्तु यह उनकी भूल थी। प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के अपने व्यक्तित्व के साथ-साथ सदा दाबूजी का लौह व्यक्तित्व भी था जो श्रीमती गांधी की सिंडीकेट के आक्रमण से समय-समय पर सुरक्षा करता था। केवल सिंडीकेट के समर्थन से श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी थीं दाबूजी का प्रबल समर्थन भी उनके साथ था। कहा जाता है कि कामराज को छोड़कर सिंडीकेट के सभी सदस्यों ने श्री मोरारजी देसाई का ही साथ दिया था। राष्ट्रपति-पद को लेकर हुई इस आरंभिक लड़ाई में श्री कामराज के साथ श्री पाटिल और श्री निजलिगप्पा ने यही सोचा था कि अगर प्रधान मंत्री के मन लायक कोई राष्ट्रपति हो जायगा तो बहुत बुरा होगा। उन्हें अपने राजनीतिक जीवन और प्रभाव के समाप्त हो जाने का भय था। उस समय सिंडीकेट के जीवन को बचा ले जाने का श्रेय सबसे अधिक श्री यशवंत राव चव्हाण को और उनके बाद श्री मोरारजी देसाई को था जिन्होंने संसदीय बोर्ड में हुए मतदान में सिंडीकेट का साथ दिया था। श्री मोरारजी देसाई जून के पहले हफ्ते में श्री गिरि को राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनाने के समर्थन में थे पर बाद में श्री पाटिल और श्री निजलिगप्पा के साथ-साथ श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने भी श्री देसाई पर यह दबाव डाला कि वह श्री रेड्डी का समर्थन करें। उन लोगों का कहना था कि 'श्री रेड्डी ही कांग्रेस के सच्चे प्रतिनिधि माने जा

सकते हैं जब कि श्री गिरि को कांग्रेस का वास्तविक प्रतिनिधि नहीं कहा जा सकता। अगर भविष्य में कांग्रेस को सत्ता में बना रहना है तो राष्ट्रपति किसी अनुभवी कांग्रेसी को ही होना चाहिए।' श्री मोरारजी देसाई भी भविष्य में प्रधान मंत्री बनने के लिए सिंडीकेट को अपने साथ रखना चाहते थे। क्योंकि वे जानते थे कि वामपंथी पार्टियों के अलावा कांग्रेस का एक शक्तिशाली शिविर भी उनका कट्टर विरोधी है। इसलिए उन्हें प्रधान मंत्री के मान्य व्यक्ति का विरोध करना आवश्यक था। जब प्रधानमंत्री ने सिंडीकेटियों के इस तर्क को कि 'राष्ट्रपति किसी अनुभवी कांग्रेसी को ही होना चाहिए' वेकार करने के लिए वावूजी का नाम सबके सामने रखा तो श्री मोरारजी देसाई का विरोध करना स्वाभाविक ही था। कारण प्रधानमंत्री के प्रत्येक चुनाव में जिसमें श्री मोरारजी देसाई प्रतिद्वन्द्वी बने वावूजी ने दूसरे का ही साथ दिया था और उसे अपने प्रबल बहुमत से विजयी भी बनाया था। १९६६ में प्रधान मंत्री बनने के बाद श्रीमती गांधी ने वावूजी के साथ मिलकर पहले श्री कामराज को पछाड़ा था और इसके बाद श्री मोरारजी देसाई और श्री निजलिंगप्पा को उखाड़ा था। यद्यपि श्री यशवंत राव चव्हाण से श्रीमती गांधी की सीधी टक्कर नहीं हुई थी फिर भी श्री चव्हाण इस सम्बन्ध में सशक्त थे। यही कारण था कि उन्होंने वावूजी के विरुद्ध श्री रेड्डी के पक्ष में और सिंडीकेट के साथ मतदान किया था। श्रीमती गांधी सिंडीकेट के इरादे से परिचित थीं इसीलिए उन्होंने श्री गिरि की जगह वावूजी के नाम का प्रस्ताव किया था। वह यह भी जानती थीं कि वह जो भी नाम प्रस्तावित करेंगी वह सिंडीकेट को अमान्य होगा। क्योंकि सिंडीकेट के कर्णाधार श्री निजलिंगप्पा, श्री कामराज और श्री सदाशिव पाटिल ने डा० जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद यह निश्चय कर लिया था कि वह प्रधानमंत्री के मनपसन्द व्यक्ति को राष्ट्रपति नहीं बनने देंगे। राष्ट्रपति के चुनाव के रूप में सिंडीकेट अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। प्रधानमंत्री के मनपसन्द व्यक्ति के राष्ट्रपति हो जाने से सिंडीकेट का हमेशा के लिए खात्मा

हो जाता और यही हुआ भी। वस्तुतः बात यह सही है कि प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी भविष्य की घटनाओं को दृष्टिगत करते हुए वावूजी को अपने पक्ष में पूरी तरह कर लेना चाहती थीं। सिड्डीकेट के रुख से वावूजी का क्रुद्ध होना स्वाभाविक ही था और वावूजी के क्रोध के परिणाम को सिड्डीकेट को भुगतना ही पड़ा इसमें भी शक नहीं है। एक जर्मन कहावत है “बिना जक्ति का क्रोध मूर्खता है।” परन्तु वावूजी के साथ ऐसी बात नहीं थी। इन्होंने अपनी शक्ति का इस तरह व्यवहार किया कि ‘सिड्डीकेट’ का राजनीतिक जीवन ही समाप्त हो गया।

श्री नीलम संजीव रेड्डी के उम्मीदवार घोषित होने पर कुछ लोगों का तर्क था कि प्रधानमंत्री की इच्छा के विरुद्ध राष्ट्रपति चुना जाना कांग्रेस पार्टी के लिए कोई नया अनुभव नहीं है। १९५० और १९५७ में श्री नेहरू की इच्छा के विरुद्ध कांग्रेस के केन्द्रीय नेतृत्व ने डा० राजेन्द्र प्रसाद को चुना था। लेकिन यह उनकी भूल थी। क्योंकि डा० राजेन्द्र प्रसाद कांग्रेस के किसी गुट के प्रतिनिधि नहीं थे बल्कि समूचा राष्ट्र उनका सम्मान करता था। डा० राधाकृष्णन भी दलगत राजनीति से ऊपर थे। १९६७ में कांग्रेस पार्टी ने डा० जाकिर हुसैन को इसलिए राष्ट्रपति बनाया था कि वे प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के विश्वासपात्र थे। १२ जुलाई, १९६६ को कांग्रेस संसदीय बोर्ड ने जब श्री नीलम संजीव रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित किया वैसे ही राजनीतिक जगत में अजब नजारा नजर आने लगा। उसी दिन कार्यकारी राष्ट्रपति श्री वाराह गिरि वेंकट गिरि ने भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की घोषणा की और उसी के साथ ‘धुत्रीकरण’ की प्रक्रिया भी आरम्भ हो गई। १४ जुलाई, १९६६ को वावूजी प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी और इन दोनों के समर्थकों में आपस में दिन भर विचार विमर्श हुआ। अन्त में सिड्डीकेट की मनमानी के विरुद्ध संघर्ष करने का फैसला हो गया। १५ जुलाई, १९६६ को प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने कार्यकारी राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार श्री वी० वी० गिरि से भेंट की। प्रधानमंत्री ने

श्री गिरि से उनके चुनाव लड़ने के सदभ में चार्तालाप किया। कांग्रेस के दोनों शिविरों की आपसी लड़ाई स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगी थी। मंत्रिमंडल में सिंडीकेट के प्रमुख प्रवक्ता श्री मोरारजी देसाई से वित्त-मंत्रालय ले लिया गया। १६-जुलाई, १९६६ को सिंडीकेट के प्रमुख प्रवक्ता तथा एक बहुत बड़े स्तम्भ भारत के उपप्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई को त्याग पत्र दे देना पड़ा। यह विस्फोट उस समय हुआ जब सिंडीकेटो राष्ट्रपति पद के लिए श्री रेड्डी का नाम घोषित कर अपने अभिमान के नशों में घुत्त सोये हुए थे और भारत के भात्री प्रधानमंत्री का स्वप्न देख रहे थे। वे स्वप्न देख रहे थे कि १९७२ तक श्री मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री रहेंगे और १९७२ के बाद श्री चव्हाण को केन्द्र का नेता बनाया जायगा। लेकिन वावूजी और प्रधान मंत्री की आवाज ने उन लोगों का स्वप्न तोड़ दिया।

१७ जुलाई, १९६६ को श्री मोरारजी देसाई को पुनः वित्त मंत्रालय दिलाने के लिए कांग्रेस के कुछ नेताओं ने प्रधान मंत्री पर दबाव डाला फलस्वरूप १८ जुलाई को प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी और श्री देसाई में एक घंटे की विफल वार्ता हुई। १९ जुलाई १९६६ को एक अध्यादेश द्वारा भारत के १४ वैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसी दिन प्रधान मंत्री ने श्री मोरारजी देसाई के त्याग-पत्र को स्वीकृति दे दी और कार्यकारी राष्ट्रपति श्री वी० वी० गिरि और लोकसभाध्यक्ष श्री नीलम संजीव रेड्डी ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने-अपने पदों से त्याग-पत्र दे दिया। २० जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश मुहम्मद हिदायतुल्ला ने कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति का कार्य संभाला। २१ जुलाई को राष्ट्रपति-पद के प्रमुख प्रत्याशी श्री वी० वी० गिरि और नीलम संजीव रेड्डी ने अपना-अपना नामांकन-पत्र दाखिल किया। अपने को उम्मीदवार घोषित करते हुए श्री वी० वी० गिरि ने कहा था कि वे अपनी अन्तरात्मा की आवाज पर राष्ट्रपति-पद के प्रत्याशी बन रहे हैं। श्री नीलम संजीव रेड्डी सिंडीकेट के प्रत्याशी थे।



राष्ट्रपति-पद के दोनों प्रत्याशियों को मैदान में देखकर कोई भी सहज में अनुमान लगा सकता था कि राष्ट्रपति-पद के मतदान के दिन कांग्रेस के दोनों शिविरों के लोग एक साथ मतदान न करके अलग-अलग मतदान करेंगे ।

इधर कांग्रेस-अध्यक्ष श्री निजलिगप्पा एक ही साथ दो-दो भूल कर बैठे । पहली भूल उन्होंने यह की कि बिहार में कांग्रेस सरकार बनाने के प्रश्न को राष्ट्रपति-पद के मतदान के साथ जोड़ा और दूसरी भूल उन्होंने यह की कि कांग्रेसी उम्मीदवार श्री नीलम संजीव रेड्डी के समर्थन के लिए उन्होंने स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ जैसी दक्षिण पन्थी पार्टियों से जो कांग्रेस की नीतियों का सदा विरोध करती थीं, बात की । बाबूजी ने तत्काल ही कांग्रेस-अध्यक्ष के उस पार्टी विरोधी रवैये पर प्रतिक्रिया की । बाबूजी और श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने पार्टी विरोधी रवैये के लिए कांग्रेस-अध्यक्ष श्री निजलिगप्पा से स्पष्टीकरण मांगा । कांग्रेस-अध्यक्ष श्री निजलिगप्पा को अपने ११ अगस्त के पत्र में इन्होंने स्पष्ट लिखा—‘वफादार और निष्ठावान कांग्रेसी होने के नाते हमने यह अपना कर्तव्य समझा कि संसदीय पार्टी के मन में जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी के नेताओं के साथ आपकी बातचीत करने की पहल से जो भ्रम और सन्देह पैदा हो गया है उसकी तरफ आपका ध्यान दिलायें । ऐसा समझा और दावा किया जाता है कि आपकी बातचीत के परिणाम-स्वरूप जनसंघ कार्यकारिणी ने श्री नीलम संजीव रेड्डी को अपना सहयोग देने का फैसला किया है । हमारे सदस्यों के दिमाग को जो चीज आन्दोलित और उद्वेलित कर रही है वह यह है कि आपने किस आधार पर इन पार्टियों के साथ बातचीत की । इस तरह की गंदी अफवाहें भी फिजां में हैं कि जिन लोगों और दलों के साथ आपने संपर्क स्थापित किया उन्हीं लोगों और दलों ने प्रधान मंत्री को पदच्युत करने की खुले तौर से मांग की थी । लिहाजा इससे स्थिति विगड़ती जा रही है । राष्ट्रपति-पद के लिए इन दलों ने अधिकारिक रूप से अपना उम्मीदवार खड़ा किया है । उनके साथ आपकी व्यक्ति-

गत वातचीत की आवश्यकता समझ पाना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा ये पार्टियां कांग्रेस की नीतियों और सिद्धांतों की सदा से विरोधी रही हैं और विशेषकर बैंकों के राष्ट्रीयकरण की वैधता को उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय तक में चुनौती दे दी। अगर पूरी स्थिति का ठीक-ठीक स्पष्टीकरण नहीं किया गया तथा आपकी वातचीत का आधार और श्री संजीव रेड्डी का समर्थन करने पर उनकी सहमति के बारे में संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो हमें डर है कि इससे राष्ट्रपति-पद के चुनाव पर गम्भीर प्रभाव पड़ सकता है।”

वावूजी के ११ अगस्त के पत्र को पाकर श्री निजलिंगप्पा ने उत्तर के रूप में लिखा — “श्री नीलम संजीव रेड्डी हमारे उम्मीदवार हैं। हमें उनकी सफलता के लिए मिल-जुलकर काम करना चाहिए। जैसा कि सभी चुनावों में होता है, हम हर मतदाता से सम्पर्क स्थापित करते हैं। इस स्थिति में संसद-सदस्य और राज्य विधान मंडलों के विधायक मतदाता हैं। जैसी परम्परा रही है, मैंने हर एक पार्टी से सम्पर्क स्थापित कर उनका सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की है। इस तरह की बातें प्रधानमंत्री समेत सभी अन्य नेता करते रहे हैं। लिहाजा मैंने इस प्रकार का प्रयास कर अपने कर्तव्यों का ही पालन किया है। यहां यद् वता देना भी उचित होगा कि १ अगस्त को संसदीय बोर्ड की बैठक में मेरे सभी सहयोगियों ने मुझे विभिन्न पार्टियों से समर्थन प्राप्त करने का परामर्श भी दिया था। हमारी पार्टी के सदस्यों के दिमाग को क्या चीज आंदोलित कर रही है? किस आधार पर मैंने वातचीत की? सब तरह की गंदी अफवाहें स्थिति को उलझा रही हैं। प्रधानमंत्री को पदच्युत करने की खुले आम मांग आदि वाक्यों का अर्थ और संदर्भ समझ पाने में मैं असमर्थ हूं। लगातार दो बार प्रधान मंत्री को कांग्रेस पार्टी का नेता चुनकर पार्टी ने अपने सहयोग और सद्भावना का ही परिचय दिया है। ऐसी स्थिति में किसी को कांग्रेस के प्रति हमारी पारस्परिक निष्ठा पर सदेह कैसे हो सकता है? ‘व्यक्तिगत स्तर’ पर वातचीत जैसे शब्दों का क्या अर्थ है? क्या सरकार और संसद के

कार्यों के सम्बन्ध में आप लोग विरोधी नेताओं के साथ रोज विचार विमर्श नहीं करते ? कांग्रेसी नेताओं के पक्ष में कम्युनिस्ट पार्टी भी तो परिपत्र जारी करती रहती है तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं अपने दल के उन नेताओं की निष्ठा पर शक करने लगूँ।” पत्र के अन्त में उन्होंने लिखा था “कृपया वेवुनियाद अनिश्चय का वातावरण पैदा न करते हुए आप श्री सजीव रेड्डी की सफलता में अपनी शक्ति लगायें।” इस तरह आप देखते हैं कि वावूजी के मूल प्रश्नों का उत्तर कांग्रेस-अध्यक्ष श्री निजलिगप्पा ने नहीं दिया। वावूजी और श्री फखरुद्दीन अली अहमद को दिए गए अपने पत्रोत्तर की एक प्रति राज्य विधान मंडल की कांग्रेस पार्टियों और प्रदेश कांग्रेस-अध्यक्षों को भेजे गए तार की एक प्रति के साथ एक पत्र भी श्री निजलिगप्पा ने श्रीमती इंदिरा गांधी को भेजा। प्रधान मंत्री के नाम भेजे गए पत्र में उन्होंने लिखा था कि “जनसंघ और स्वतंत्र पार्टियों के साथ मिल-जुलकर सरकार बनाने की अफवाह सारहीन है। मैंने जनसंघ और स्वतंत्र पार्टियों से ही बातचीत नहीं की बल्कि और भी कई पार्टियों के नेताओं के साथ टेलीफोन पर या प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किए हैं। प्रजा समाजवादी पार्टी, भारतीय क्रांति दल, मुस्लिम लीग आदि पार्टियों के नेताओं के साथ फोन पर भेरी बातचीत हुई है। मैंने केवल उनसे अपने उम्मीदवार को मत देने का ही निवेदन किया है। जहां तक मौजूदा कांग्रेस-सरकार गिराने का सवाल है, यह बिल्कुल भूठ है। आशा है आप इन मनघड़ंत कहानियों पर कान नहीं देंगी, क्योंकि यह कहानियां पार्टी में दरारें ही पैदा करती हैं। हमारा कर्तव्य है कि हमारा उम्मीदवार जीते और कांग्रेस को सफलता प्राप्त हो।”

कांग्रेस-अध्यक्ष श्री निजलिगप्पा के १२ अगस्त के पत्र में अपने प्रश्नों का उत्तर न पाकर वावूजी ने स्पष्ट रूप से असंतोष प्रकट किया था। कांग्रेस-अध्यक्ष को पत्रोत्तर देते हुए वावूजी और श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने लिखा — “हमें यह नहीं बताया गया कि आपने कैसे और क्यों जनसंघ तथा स्वतंत्र पार्टी से सम्पर्क स्थापित किए जबकि इन

पार्टियों ने— (१) श्री संजीव रेड्डी के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा किया है (२) प्रधान मंत्री को हटाने की खुले आम मांग की है (३) प्रधान मंत्री को उन्होंने कम्युनिस्ट विचारधारा का बताया है (४) वैंकों के राष्ट्रीयकरण समेत उन्होंने हमारी समाजवादी नीतियों का खुले आम विरोध किया है और (५) राष्ट्रपति से वैंकों के राष्ट्रीयकरण संबंधी विवेक पर हस्ताक्षर न करने का निवेदन किया है। ऐसी हालांत में वफादार और निष्ठावान कांग्रेसी होने के नाते हमने आपको अपने मनोभावों से अवगत कराकर कोई गलती नहीं की। आपने अपने पत्र में मुख्य बातों का स्पष्टीकरण नहीं किया है। हमारे लिए संसद और राज्य विधान मंडलों के अपने सदस्यों को इस बात के लिए राजी करना कठिन हो गया है कि वे अपने अन्तःकरण के अनुसार मतदान न करें। प्रधान मंत्री ने जिस आधार पर श्री रेड्डी का नामांकन पत्र दाखिल किया है वह आधार अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। इस बात में अब कोई सन्देह नहीं रह गया कि हमारी समाजवादी नीतियों और हमारे धर्म-निरपेक्ष लोकतंत्र तथा कांग्रेस के अन्य आदर्श खतरे में पड़ गए हैं। इस संकट का हल केवल अपनी जन-मर्जी से मतदान करने का अधिकार देने से ही हो सकता है। जहां तक डा० जाकिर हुसैन के बारे में प्रधानमंत्री द्वारा अन्य राजनैतिक पार्टियों से बातचीत करने का प्रश्न है, वह उन्होंने तभी की थी जब अन्य दलों ने कांग्रेसी उम्मीदवार के खिलाफ अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की थी। जब उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया तो न तो प्रधान मंत्री और न ही तत्कालीन कांग्रेस-अध्यक्ष श्री कामराज ने अन्य राजनैतिक दलों से अपने उम्मीदवार के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए सम्पर्क स्थापित किया था। कम्युनिस्ट पार्टी के परिपत्र का संदर्भ हमारी समझ में नहीं आया। जहां तक हमारा ख्याल है, कांग्रेस ने कभी भी कम्युनिस्ट पार्टी से अपनी नीतियों के समर्थन का आश्वासन नहीं चाहा है। लेकिन जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी श्री रेड्डी को इसलिए समर्थन देने को तैयार हुई हैं कि कांग्रेस-अध्यक्ष ने उनके साथ सीधा सहयोग

स्थापित किया था। ऐसी स्थिति में संसद तथा राज्य विधान मंडलों के सभी सदस्यों को अपने अन्तःकरण के अनुसार मतदान का अधिकार देना चाहिए। आशा है इस पर आपको कोई आपत्ति नहीं होगी।”

बाबूजी तथा श्री फखरुद्दीन अली अहमद के १२ अगस्त के पत्रोत्तर में श्री निजलिगप्पा ने लिखा था कि क्या आपकी राय में कांग्रेसी उम्मीदवार की पराजय से कांग्रेस के आदर्श सुरक्षित रहेंगे। कांग्रेस के आदर्श लाखों कांग्रेसी नेताओं की प्रेरणा के स्रोत हैं और केवल अनुशासनहीनता ही उस स्रोत के लिए खतरा बन सकती है। लिहाजा पार्टी का अनुशासन, जिसे कई प्रदर्शनों के त्याग और बलिदान से निर्मित किया गया है, इस पर न्योछावर नहीं किया जा सकता चाहे ऐसा चाहने वाला आदमी कितना ही बड़ा बयो न हो? श्री निजलिगप्पा ने आशा व्यक्त की थी कि लोग पार्टी के निर्णय की कद्र करेंगे। पर जैसा कि सभी जानते हैं, श्री संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद का कांग्रेसी उम्मीदवार घोषित करने वालों में समस्त पार्टी नहीं थी बल्कि निहित स्वार्थ के कुछ ही लोग थे जो अपने को पार्टी का सर्वोत्तम समझते थे और जिन्हें ‘सिडीकेट’ के नाम से पुकारा जाता था। पार्टी से ज्यादा उनका ध्यान अपने स्वार्थ सधने से रहता था। हालांकि बाबूजी और श्री फखरुद्दीन अली अहमद के पत्रोत्तर में कांग्रेस-अध्यक्ष ने पार्टी के निर्णय की कद्र करने की बात लिखी थी। पर स्वयं वे जानते थे कि केवल सिडीकेट के निर्णय को समस्त पार्टी का निर्णय न कहा जा सकता था और न माना जा सकता था।

प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी कांग्रेस के अध्यक्ष श्री निजलिगप्पा के ६ और १२ अगस्त के पत्रों का उत्तर देते हुए लिखा था कि ‘आप जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी से मिलकर जिस चुनाव समझौते पर पहुँचे हैं, उससे कई संसद तथा राज्य विधान मंडलों के सदस्यों के मन में आशंका पैदा हो चली है जिसकी जानकारी आपको भी है। अनेकों सदस्य महसूस करने लगे हैं कि जिस आधार पर श्री संजीव रेड्डी के नामांकन पर सहमति हुई थी वह आधार अब खत्म हो चुका है। मैंने

संसदीय बोर्ड के निर्णय का पालन करने का फैसला किया था और इसी वजह से श्री संजीव रेड्डी का नामांकन पत्र दाखिल भी किया। लेकिन वाद के घटना-चक्र से कुछ सन्देह भी पैदा हो गए हैं, जिनका हवाला श्री जगजीवनराम और श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने अपने पत्रों में दिया था। चुनाव हमारे मूल्यों के लिए संघर्ष का एक माध्यम है और मतदान इन मूल्यों के साथ अपनी एकता व्यक्त करता है। मैं सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए चुनाव जीतने की कल्पना ही नहीं कर सकती। ऐसी परिस्थितियों तथा संवैधानिक कारणों से मैं किसी प्रकार का भी 'व्हिप' (निर्देश) जारी करना उचित नहीं समझती।'

तत्कालीन कांग्रेस-अध्यक्ष श्री निजलिगप्पा के १३ अगस्त के पत्रोत्तर में वावूजी और श्री अहमद ने स्पष्ट कहा था कि बार-बार लिखने के बावजूद कांग्रेस-अध्यक्ष ने उनके मूल प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है, जिसके फलस्वरूप सन्देहों का घेरा बढ़ता जा रहा है। वावूजी ने अपने पत्र में जनसंघ और स्वतन्त्र पार्टियों से संपर्क स्थापित करने वाली बात पर पुनः काफी बल दिया और स्पष्ट कह दिया कि चूंकि प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने श्री निजलिगप्पा के प्रयास का समर्थन नहीं किया है जिसकी कांग्रेस-अध्यक्ष अपेक्षा करते थे, लिहाजा वह प्रधान मंत्री को भी शक की नज़र से देखने लगे थे। डा० जाकिर हुसैन के चुनाव के सम्बन्ध में विरोधी पार्टियों से समझौते की बातचीत तथा तत्कालीन स्थिति में श्री निजलिगप्पा द्वारा अन्य दलों के साथ बातचीत करने के ढंग में उन्होंने स्पष्ट अन्तर दिखलाया था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि पार्टी में जब शंका और सन्देह का वातावरण दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक सदस्यों को अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार मतदान का अधिकार दे देना ही उचित होगा। अपना पत्रोत्तर देते हुए श्री निजलिगप्पा ने अपनी असहमति प्रकट की थी। उन्होंने अपने पत्र में लिखा था कि कोई भी समझदार और सम्माननीय व्यक्ति पार्टी में इस तरह की गद्दारी को स्वीकार नहीं कर सकता। अपने पत्रोत्तर में श्री निजलिगप्पा ने कांग्रेसी

मतिदाताओं के कांग्रेसी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान और श्री संजीव रेड्डी की सफलता के सम्बन्ध में अपनी आश्वस्तता प्रकट की थी। श्री निजलिंगप्पा ने अपने पत्र में गद्दारी की बात कही थी पर स्वयं वे पूर्ण रूप से जानते थे कि गद्दारी कौन कर रहा है ?

१५ अगस्त को इस प्रकारण के सबसे महत्वपूर्ण दो पत्रों का आदान-प्रदान प्रधान मंत्री और कांग्रेस-अध्यक्ष के बीच हुआ था। कांग्रेस-अध्यक्ष श्री निजलिंगप्पा को लिखे गये अपने पत्र में प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने लिखा था, 'अपने पिछले पत्र में कांग्रेसजनों के दिमाग को उद्वेलित करने वाले जिन मुद्दों को मैंने उठाया था उसका जवाब आपने नहीं दिया। आपने स्वतन्त्र और जनसंघ पार्टियों से जो बातचीत की है उसके बारे में अभी भी सन्देह बना हुआ है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां कांग्रेस की नीतियों के विरुद्ध हैं। आपको याद होगा कि भारत गणराज्य के राष्ट्रपति का स्थान जब रिक्त हुआ था तब मैं इस पक्ष में थी कि इस पद के लिए कोई ऐसा उम्मीदवार चुना जाए जो मोटे तौर पर सभी पार्टियों को स्वीकार हो। मैंने बहुत सी विरोधी पार्टियों से बातचीत भी की थी। आपको यह भी याद होगा कि कांग्रेस पार्टी आमतौर पर सभी लोगों की सहमति पर ही फैसले करती रही है लेकिन बंगलोर में पार्टी के नियमों को ताक पर रखकर जो मतदान द्वारा निर्णय लिया गया उन्हें थोपना ही कहा जायगा। संसदीय बोर्ड ने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मतदान करवा कर जो फैसले थोपे, वे हमारी परंपराओं के प्रतिकूल हैं। यह बात हमारे लिए दल की परंपराओं के साथ भविष्य में काम कराने के प्रश्न से जुड़ी हुई है। यह स्पष्ट है कि मैं आपको सहमत कराने में सफल नहीं हुई और हमारी आशंकाएं अब सच सिद्ध हो रही हैं। यद्यपि हमें पूर्ण बहुमत प्राप्त है तथापि आपने अन्य दलों का सहयोग लेने की कोशिश की, ऐसे दलों के साथ भी, जो हमारे आदर्शों और कार्यक्रमों के बिल्कुल विरुद्ध हैं। आपने इस तथ्य से इंकार नहीं किया है और इन दलों का पूरे उत्साह के साथ समर्थन प्राप्त किया है। मैं और मेरे अन्य सहयोगी

आपसे यह पूछते रहे हैं कि आपने यह सहायता किस आधार पर ली ? यह किसी के लिए भी विश्वास करना कठिन होगा कि ये दल जो कि कांग्रेस के सिद्धान्तों के विरोध में ही खड़े हुए हैं हमारी नीतियों का समर्थन केवल हमारे लिए करेंगे । इस मौलिक प्रश्न का अभी उत्तर नहीं दिया गया है । हमारी आशंकाओं को दूर करने के वजाय इन दलों के साथ आपकी बातचीत और किसी प्रकार की जानकारी देने के बदले आपने केवल इतना ही कहा है कि आप मेरी सरकार को उलटना नहीं चाहते, बल्कि १९७२ तक मुझे प्रधान मंत्री रहने देंगे । इस प्रकार मौलिक समस्याओं में अधिकार की राजनीति लाने की मैं सख्त निन्दा करती हूँ । मुझे किसी भी व्यक्तिगत आश्वासन की आवश्यकता नहीं है और न ही मैं हर मूल्य पर अपने पद से चिपकी रहना चाहती हूँ । लेकिन हमें उन मौलिक प्रश्नों का उत्तर मिलना चाहिए जो आपके सामने रखे गए हैं ।

इन्हीं परिस्थितियों में संसद और विधान सभाओं के बहुत से सदस्यों ने अपनी इच्छानुसार मत डालने का अधिकार मांगा है । एक लोक-तांत्रिक दल होने के नाते कांग्रेस इस मांग की अवहेलना नहीं कर सकती । यदि इस मांग को सम्पूर्ण प्रश्न से अलग कर देखा जाय तो इससे दल में गम्भीर फूट पैदा हो सकती है । इन परिस्थितियों में सदस्यों को अपने अन्तःकरण की आवाज के अनुसार मतदान की छूट देने से दल में नवजीवन का संचार होगा और नये विश्वास के साथ एकता बढ़ेगी । कांग्रेस एक गुट द्वारा चुने गये उम्मीदवारों को चुनाव जिताने की एकमात्र मशीन ही बनकर नहीं रह सकती । इसे आम जनता का राजनैतिक दल बनना होगा, जिसकी गतिविधि हर स्तर तक पहुंच जाये । यह केवल अपने आदर्शों और दल के कार्यक्रम पर ही चलने से संभव हो सकेगा ।" प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने भी अपने पत्र में बाबूजी द्वारा उठाये गये मूल प्रश्नों पर ही जोर दिया था ।

प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी के पत्रोत्तर में कांग्रेस-अध्यक्ष श्री निजलिंगप्पा ने जायज अन्तःकरण की आवाज के अनुसार मतदान की मांग



को ठुकरा दिया था। श्री निजलिगप्पा ने लिखा था 'आपके पत्र ने भुम्हे स्थिति को स्पष्ट रूप से सामने रखने के लिए मजबूर किया है। पिछली बार डा० जाकिर हुसैन राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी चुने गए थे। उस समय भी संसदीय समिति ने इसी प्रकार अपनी राय व्यक्त की थी। श्री संजीव रेड्डी ने लोक सभा के अध्यक्ष के रूप में हर क्षेत्र में प्रशंसा और सहयोग प्राप्त किया है। मैं श्री रेड्डी के अतिरिक्त किसी ऐसे उम्मीदवार की कल्पना ही नहीं कर सकता जिसे सामान्यतया इतनी स्वीकृति और सम्मान प्राप्त हुआ हो। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि उसी बैठक में जिसमें श्री रेड्डी के नाम की घोषणा की गयी थी आपने हमें गम्भीर परिणामों की धमकी दी थी। वाद की घटनाएं केवल उसी धमकी का दुर्भाग्यपूर्ण प्रदर्शन हैं। १ अगस्त को संसदीय बोर्ड ने यह स्वीकार किया था कि मैं सभी दलों और मतदाताओं से अपने उम्मीदवार के लिए मत मांगने के लिए बातें करूं। ५ अगस्त को मैंने संसदीय दल की बैठक में विरोधी दलों के साथ अपनी बातचीत का विवरण दिया था। उस वक्त आपने यही कहा था कि जो कुछ इस विषय पर कहा जाना चाहिए था अध्यक्ष ने कह दिया है। आपने यह भी कह दिया था कि राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के निर्वाचन का प्रश्न बंगलौर में ही हल हो गया है। बार-बार एक प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देना एक थका देने वाला कार्य है। इसलिए यह मैं अंतिम बार कहना चाहता हूं कि जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी के साथ कांग्रेस उम्मीदवार को अपना मत देने के बदले किसी प्रकार का समझौता नहीं हुआ है। आपकी यह मांग कि मतदान स्वतंत्र होना चाहिए, केवल श्री वी० वी० गिरि के पक्ष में मत प्राप्त करने का अधिकार मांगना है। वह एक ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें साम्यवादियों और साम्प्रदायिक लोगों ने चुना है। इतिहास में ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं होगा जब किसी प्रधानमंत्री ने अपने दल के उम्मीदवार का नाम प्रस्तावित किया हो और फिर न केवल उसके विरुद्ध काम किया बल्कि विरोधी दल के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान

का अधिकार मांगा। अगर यह दुखदायी वास्तविकता हमारे सामने नहीं होती तो मैं यह सोच लेता कि शायद यह कोई परियों की कहानी है। यह बात मेरे लिए अत्यन्त दुखदायी है कि आपने जानबूझकर मत-भेद और अनिश्चय फैलाकर मेरे कार्य को पक्षपातपूर्ण कहकर हमारे उम्मीदवार के रास्ते में बाधाएं खड़ी की हैं। आपका लम्बा पत्र मुझे आधी रात को मिला जबकि चुनाव में कुछ ही घंटे रह गये थे। मैं आपको पुनः आमंत्रित करता हूँ कि आप अपने इस विनाश के रास्ते पर पुनर्विचार करें।”

कांग्रेस के दोनों शिविरों के आपसी पत्र-युद्ध से अब यह स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगा था कि राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले १६ अगस्त १९६९ के मतदान के दिन कांग्रेस के दोनों शिविर अलग-अलग मतदान करेंगे और यही हुआ भी। कांग्रेस के सिडीकेट गुट से प्रभावित सदस्यों ने श्री नीलम संजीव रेड्डी के पक्ष में मतदान किया था और वाम्पूजी तथा प्रधानमंत्री के जैसे प्रगतिशील विचारों के लोगों ने पार्टी के आदेश को तोड़ते हुए श्री वाराह गिरि वेंकट गिरि के पक्ष में मतदान कर अपना समर्थन दिया था। २० अगस्त को राष्ट्र-पति-पद के चुनाव परिणामों की घोषणा होने वाली थी। इसी दिन यह स्पष्ट होने वाला था कि देश को किस समाज पद्धति की, किन विचारधाराओं की आवश्यकता है। समस्त राष्ट्र चुनाव परिणामों का देसन्नी से इन्तजार कर रहा था। समस्त देश की जनता के प्रतिनिधियों का ध्यान संसद के सेंट्रल हाल में लगे ताजी सूचना देने वाले बोर्ड की ओर केन्द्रित था।

२० अगस्त, १९६९ को बुधवार था। उस दिन छुट्टी नहीं थी। दोनों सदनों की कार्रवाई चल रही थी। परन्तु सांसदों की उपस्थिति नहीं के बराबर थी। सभी यही जानने के लिए उत्सुक थे कि कौन जीतता है? ठीक साढ़े ग्यारह बजे मतगणना शुरू हुई। मतगणना आरंभ होते ही संसद का सेंट्रल हाल भिन्न-भिन्न राजनैतिक पार्टियों के सदस्यों और संवाददाताओं से खचाखच भर गया था। दिन के साढ़े

ग्यारह बजे से लेकर रात ग्यारह बजे तक सेंट्रल हाल में लोगों की भीड़ लगी रही, लोग शोर गुल करते रहे। रात को ग्यारह बजे अंतिम परिणामों की घोषणा हुई थी। उस दिन सेंट्रल हाल अजीब लग रहा था। सेंट्रल हाल में एक ओर सिंडिकेट समर्थक लोग श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा के साथ बैठे थे तो दूसरी ओर 'युवा तुर्कों' की टोली भी काफी दिलचस्पी के साथ बंठी थी। कहीं जनसंघ के सदस्यों भी बैठक थी तो दूसरी ओर कहीं साम्यवादी दल के सदस्य भी काफी उत्सुकता दिखा रहा रहे थे। शाम तक के मतगणना के पहले दौर में श्री वी० वी० गिरि स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने में असफल थे फिर भी सिंडिकेट अपनी हार से अचमत हो चुका था और उमके समर्थक सेंट्रल हाल छोड़कर चले गए थे। रात को दस बजे सेंट्रल हाल में आकर वावूजी और श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने अपने समर्थकों को यह सूचना दी कि मतगणना के दूसरे दौर में श्री वी० वी० गिरि ने अपने पक्ष में आवश्यक मत प्राप्त कर लिया है और वे राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं। यह खबर पाते ही अनेकों सदस्यों ने वावूजी को बधाइयां दी थीं। कुछ उत्साहित नीजवान कांग्रेसी सदस्यों ने वावूजी को अपने कंधों पर उठा लिया था। वास्तव में राष्ट्रपति पद के लिए श्री वी० वी० गिरि की जीत वावूजी और प्रधानमंत्री की ही जीत थी। वावूजी और प्रधानमंत्री के प्रबल समर्थन से ही श्री वी० वी० गिरि निर्वाचित हुए थे और लोग वावूजी को बधाइयां देते यह स्वाभाविक ही था। राष्ट्रपति चुनाव पर टिप्पणी करते हुए एक पत्रकार ने लिखा था "मध्यप्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री तथा दिल्ली के वर्तमान राजनैतिक चक्र के प्रमुख सलाहकार द्वारका प्रसाद मिश्र के कुछ समर्थकों ने श्री वी० वी० गिरि के पक्ष में काफी कार्य किया परन्तु उनकी सफलता में सबसे प्रमुख हाथ आदिवासी हिंजैन विधायकों का है, जिनकी संख्या दल की एक-तिहाई है। इन विधायकों ने केन्द्रीय खाद्य-मंत्री जगजीवन राम से प्रेरणा ली और स्वतंत्र मतदान की मांग की।" इस पत्रकार की टिप्पणी मध्य प्रदेश से संबंध रखती है पर वास्तविकता यह है कि देश

के प्रत्येक प्रदेशों के विधान सभाओं और संसद के सदस्यों ने वावूजी से प्रेरणा ली थी।

१६ अगस्त को राष्ट्रपति-पद के लिए मतदान होने के बाद १८ अगस्त को ही कांग्रेस-अध्यक्ष श्री निजलिंगप्पा ने वावूजी, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री फखरुद्दीन अली अहमद को, राष्ट्रपति-चुनाव के दौरान उनके रवंगे पर 'शो कौज' का नोटिस भी दिया था। श्री निजलिंगप्पा ने इन लोगों से पूछा था कि उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में दल के उम्मीदवार का विरोध क्यों किया? १९ अगस्त को वावूजी और श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने कांग्रेस-अध्यक्ष को यह स्पष्ट कर दिया कि वे इस 'शो कौज' नोटिस से अपनी नीतियों और सिद्धान्तों से डिगने वाले नहीं हैं बल्कि उसके लिए अपनी स्थिति पर दृढ़ हैं।

२० अगस्त को श्री वी० वी० गिरि की होने वाली जीत ने सिंडीकेट के मनोबल को एक बार फिर गिराया। सिंडीकेट की पहली हार श्री मोरारजी देसाई को वित्त मंत्रालय से हटाये जाने के बाद पुनः उन्हें वित्त मंत्री बनाये जाने के प्रश्न पर हुई थीं। दूसरी हार श्री नीलम संजीव रेड्डी की हार के साथ हुई थी। आप जानते हैं कि मनुष्य का यह स्वाभाविक गुण है कि अपनी हार से वह घबड़ा जाता है, वीखला जाता है और यही नहीं उतावला होकर, झुंझलाकर वह पागल भी हो जाता है। ठीक यही दशा सिंडीकेट और उसके समर्थकों की भी हो गयी थी। वे भी अपने मस्तिष्क का संतुलन खो बैठे थे। २१ अगस्त को सिंडीकेट समर्थक कांग्रेस के ७० संसद-सदस्यों ने कांग्रेस-अध्यक्ष श्री निजलिंगप्पा से भेंट की और उनसे वावूजी, श्रीमती गांधी और श्री फखरुद्दीन अली अहमद को कांग्रेस की सदस्यता से वंचित करने की मांग की थी। यह स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगा था कि कांग्रेस दो भागों में विभाजित होकर ही रहेगी। वैसे कांग्रेस हो या कोई अन्य दल, संस्था या संगठन हो उनमें दो विचारधाराओं के लोग रहते ही हैं। सभी दलों में दो गुटों का रहना स्वाभाविक है। यदा-कदा प्रश्न

विशेष को लेकर किसी दल के दो गुटों का आपस में टकरा जाना भी स्वाभाविक सत्य है। कांग्रेस के इतिहास को ही आप उठाकर देखें तो शुरू से ही उसमें आपको दो गुट स्पष्ट रूप से दिखेंगे। महात्मा गांधी के समय को ही आप लें। उस समय भी कांग्रेस के अन्दर दो गुट थे। एक महात्मा गांधी के शान्तिपूर्ण सुझावों का समर्थक था तो दूसरा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के क्रान्तिकारी विचारों से प्रभावित था। इन दोनों शिविरों में यदा-कदा संघर्ष भी हो जाया करता था। कांग्रेस-अध्यक्ष के चुनाव के प्रश्न को लेकर महात्मा गांधी और नेताजी में स्पष्ट रूप से संघर्ष हुआ था। अध्यक्ष-पद के लिए महात्मा गांधी के उम्मीदवार श्री पट्टाभि सीतारमैया थे तो उनका विरोध नेताजी ने स्वयं अपने को उम्मीदवार बना कर किया था। तत्कालीन अध्यक्ष-पद के चुनाव के प्रश्न को महात्मा गांधी ने 'प्रेसिडेंट इशू' बना लिया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात की घोषणा भी की थी कि श्री पट्टाभि सीतारमैया की हार मेरी हार है। परन्तु चुनाव-परिणाम की घोषणा नेताजी के पक्ष में ही हुई थी। इसी तरह अपने-अपने विचारों को लेकर पंडित नेहरू और सरदार पटेल में भी यदा-कदा संघर्ष हो जाया करता था। १९५० में इसी राष्ट्रपति-पद को लेकर श्री नेहरू और श्री पटेल में संघर्ष होने की सम्भावना स्पष्ट हो गयी थी। एक ओर श्री नेहरू चाहते थे कि श्री राजगोपालाचारी को गणतंत्र भारत का राष्ट्रपति बनाया जाय तो दूसरी ओर सरदार पटेल राजेन्द्र बाबू को राष्ट्रपति बनाना चाहते थे और राजेन्द्र बाबू ही राष्ट्रपति बने थे। पुनः १९५७ में भी यही स्थिति हुई थी। समय-समय पर कांग्रेस के दोनों शिविरों में टकरा हो जाया करती थी पर ऐसा भय नहीं होता था कि संस्था ही विभक्त हो जायगी। पर १९६९ में भारत के चौथे राष्ट्रपति के चुनाव-प्रश्न को लेकर स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगा था कि आज या कल कांग्रेस दो भागों में विभाजित होकर रहेगी।

अपनी नीतियों और सिद्धान्तों के लिए और कांग्रेस के समाजवादी दल सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए बाबूजी और श्रीमती

गांधी काफी तत्पर थे। दस सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए वावूजी और प्रधान मंत्री दोनों कृतसंकल्प थे इसलिए ये दोनों कांग्रेस पार्टी के टूटने के भय से भयग्रस्त भी नहीं थे। क्योंकि वे जानते थे कि समाजवादी दस सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित करने से कांग्रेस कमजोर नहीं होगी और सदा बहुमत उनके साथ रहेगा। वे जहां रहेंगे वहीं कांग्रेस होगी। दूसरी ओर सिडीकेट के स्तम्भ श्री निर्जलिगप्पा और श्री सदाशिव कान्हाजी पाटिल आदि कांग्रेस के टूटने के भय से भयभीत थे। क्योंकि उनको अपना-अपना भविष्य स्पष्ट देख रहा था। वे जानते थे कि कांग्रेस के टूटने के साथ-साथ उनका निजी राजनैतिक जीवन भी समाप्त हो जायगा। इसी वातावरण में २५ अगस्त को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई। समस्त राष्ट्र का ध्यान अब उस दिन के परिणामों को जानने के लिए उत्सुक था। उस दिन वावूजी, प्रधानमंत्री और श्री फखरुद्दीन अली अहमद के भाग्य का निर्णय नहीं बल्कि देश के बहुमत का भाग्य-निर्णय होने वाला था। उस दिन जंतर-मंतर के कांग्रेस-कार्यालय के चारों ओर पुलिस का कड़ा पहरा था। आस-पास के इलाकों में घारा १४४ लगा दी गयी थी। कार्यकारिणी की बैठक गर्म वातावरण में आरम्भ हुई थी। सिडीकेट के प्रमुख जिनमें श्री कामराज, श्री एस० के० पाटिल, श्री निर्जलिगप्पा और श्री मोरारजी देसाई आदि इस पक्ष में थे कि प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी और उनके सहयोगी वावूजी आदि के विरुद्ध कार्रवाई की जाय।

श्री ब्रह्मानंद रेड्डी और श्री मोहन लाल सुखाड़िया आदि का कहना था कि यदि वावूजी और श्रीमती गांधी आदि के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जायगी तो पार्टी ही टूट जायगी। प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी ने श्री सुखाड़िया, श्री ब्रह्मानंद रेड्डी तथा श्री चन्द्रभानु गुप्त को स्पष्ट दिखला दिया था कि अगर केन्द्र की सरकार गिरनी है तो प्रदेशों में भी कांग्रेस-सरकार सुरक्षित नहीं रह पायेगी। श्री यशवंत राव चव्हाण, जिन पर सिडीकेट को काफी भरोसा था, प्रधान मंत्री के समक्ष आत्मसमर्पण कर चुके थे। राष्ट्रपति के निर्वाचन की घोषणा के बाद

२१ अगस्त और २५ अगस्त के बीच श्री चव्हाण प्रधान मंत्री से कई वार मिल चुके थे। उस समय यह भी खबर चर्चा का विषय बनी थी कि राष्ट्रपति के चुनाव में अपनी भूल के लिए उन्होंने खेद भी प्रकट किया था और उसके बाद वे पूर्णरूप से प्रधान मंत्री के साथ थे। श्री यशवंत राव चव्हाण ने एक समझौता प्रस्ताव भी तैयार किया था और कार्यकारिणी में उन्हीं के समझौते के प्रस्ताव को पढ़ा गया था। तत्कालीन कांग्रेस के महामंत्री श्री सादिक अली के अनुसार कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से श्री चव्हाण के समझौता प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। समझौता प्रस्ताव में यह कहा गया था कि पिछले कुछ हफ्तों में पार्टी का जिस तरह विभाजन हुआ है वह सबके लिए चिंता का विषय है। उस प्रस्ताव में 'अनुशासन हीनता' पर चिंता व्यक्त करते हुए कांग्रेस-अध्यक्ष तथा प्रधान मंत्री दोनों के पदों के महत्व पर जोर देते हुए दोनों को एक दूसरे का पूरक बतलाया गया था। कांग्रेस कार्यकारिणी ने एक अन्य ८ पंक्तियों का प्रस्ताव भी पास किया था। उसमें यह कहा गया था कि कांग्रेस-अध्यक्ष का बयान सुनने के बाद कार्यकारिणी को यह विश्वास हो गया है कि विरोधी पार्टियों के साथ उनकी बातचीत को लेकर जो अफवाहें फैली थीं वे गलत और भ्रामक थीं। २५ अगस्त को होने वाली कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक ने सिर्फ "खोदा पहाड़ और निकली चुहिया" वाली कहावत को ही चरितार्थ किया। सिडीकेट को अपनी शक्ति की गलत धारणा थी। सिडीकेट की कोई सबल समर नीति नहीं थी और न उनके साथ बाबूजी जैसा चाणक्य के समान कोई राजनीति का रण-कुशल ही था। सिडीकेट के सभी सदस्य अत्यन्त शक्तिशाली होने के भ्रम में थे। राष्ट्रपति के निर्वाचन के तुरन्त बाद अर्थात् २१ अगस्त को ही कांग्रेस-अध्यक्ष श्री निर्जलिगप्पा कार्यकारिणी की बैठक कर देते तो सम्भव था कि उनकी जीत हो जाती और प्रधान मंत्री के विरुद्ध वह कोई कार्रवाई करने में सफल भी हो जाते। पर ऐसा न करके उन्हें असफलता ही हस्तगत हुई। सिडीकेट को यह धारणा थी कि २१ सदस्यों की कार्यकारिणी

समिति में उसका ही बहुमत रहेगा। परन्तु कार्यकारिणी की बैठक में उसकी धारणा के प्रतिकूल ही वातावरण हो गया। वैसे देखने के लिए २५ अगस्त को कांग्रेस पर विभाजन का जो खतरा आया था वह कुछ समय के लिए अवश्य ही हट गया था परन्तु कोई यह दावा नहीं कर सकता था कि विभाजन का खतरा हमेशा के लिए टल गया। २६ अगस्त को प्रवान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कांग्रेस-अध्यक्ष श्री निजलिंगप्पा से उनके निवास-स्थान पर भेंट भी की थी। परन्तु पुनः २६ अगस्त को दाबूजी ने श्री निजलिंगप्पा तथा उनके समर्थकों और उनकी नीतियों की आलोचना स्पष्ट रूप से की और २५ अगस्त के एकता-प्रस्ताव की निरर्थकता को स्पष्ट करते हुए संघर्ष का संकेत और सिडीकेट को चुनौती दे दी। २५ अगस्त का प्रस्तावित एकता प्रस्ताव का खोखलापन स्पष्ट रूप से नजर आने लगा। ३० अगस्त को प्रधान मंत्री ने जब कहा कि प्रधान मंत्री को मंत्रिमण्डल गठन करने की पूरी-पूरी छूट है तब उनके इस कथन को कांग्रेस-अध्यक्ष श्री निजलिंगप्पा ने चुनौती दे डाली। श्री निजलिंगप्पा ने कहा कि श्री मोरारजी देसाई का अध्याय अभी समाप्त नहीं हुआ है। पुनः अब सत्ता और संगठन की एकता की जगह दुराव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगा।

सम्भव है राजनीतिक घटना-चक्रों और राजनीति की शतरंजी चालें देखते-देखते आप ऊब गए हों। तो आइए हम हरे-भरे खेलों की ओर मन बहलाने के लिए एक नजर डालें। आप जानते हैं कि हम लोगों के यहां कहा जाता है कि 'भूचे भजन न होहि गोपाला' और यह बात शत-प्रतिशत सत्य भी है। यह भी कहा गया है "पेट न पाइयां रोटियां, सब्जे गल्लां खोटियां।" भूचे पेट रहकर न राजनीति के दांव-पेंच में मन लग सकता है और न सीवे-सादे बैठकर राम का नाम ही लिया जा सकता है। खाली पेट रहने से मुंह बोलने में कांपने लगता है और जीभ भी थरथराने लगती है। अन्न के बिना सारे शरीर का अवशान्न हो जाना स्वाभाविक है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि कलि में अन्नगत ही प्राण है और वास्तव में अन्न बिना प्राण भी



चला जाता है। अन्न के महत्व के सम्बन्ध में दो मत कभी भी नहीं हो सकते। आपने भी सुना होगा 'वुभुक्षितः किं न करोति पापम्' अर्थात् भूखा व्यक्ति कोई भी पाप कर सकता है। वास्तव में भूखे व्यक्ति के लिए पाप अपना कुछ अर्थ ही नहीं रखता। पाप की शृंखला में जिनका प्रमुख स्थान है जैसे व्यभिचार, हत्या और आत्महत्या आदि यह सब भूखे व्यक्ति आए दिन करते ही रहते हैं। इसी अन्न की महत्ता स्वीकार करते हुए रहीम जैसे फक्कड़ को भी कहना पड़ा था—

“रहिमन कहें पेट से क्यों न हुए तूं पीठ।

रीते अनरीते करत भले विगारत दीठ ॥”

अन्न को तो हमारे धर्मशास्त्रों ने मां के रूप में माना है। बड़ी श्रद्धा से हम मां अन्नपूर्णा की पूजा करते हैं। हमारे धर्मग्रन्थों में भगवान् शंकर जैसे औड़रदानी को भी मां अन्नपूर्णा के समक्ष भीख की भोजन फँलाये हुए दिखाया गया है। हमारे मनुजी भी अपनी स्मृति में कहते हैं—

उपस्पृश्य द्विजो नित्यमन्नमद्यात्समाहितः ।

भुक्त्वा चोपस्पृशेत्सम्यग्दभिः खानि च संस्पृशेत् ॥

(२।५३)

“द्विज को चाहिए कि सदा आचमन करके ही सावधान हो, अन्न का भोजन करे और भोजन के अनन्तर भी अच्छी प्रकार आचमन करे और छः छिद्रों (अर्थात् नाक, कान और नेत्रों) का जल से स्पर्श करे।”

“पूजये दशनं नित्यमद्याच्चैतदकुत्सयन् ।

दृष्ट्वा हृष्येत्प्रसीदेच्च प्रतिनन्देच्च सर्वशः ।”

(२।५४)

“भोजन का नित्य आदर करे और उनकी निन्दा न करता हुआ भोजन करे, उसे देख हर्षित होकर प्रसन्नता प्रकट करे और सब प्रकार से उसका अभिनन्दन करे।”

“पूजितं ह्यशनं नित्यं बलमूर्जं च यच्छति ।

अपूजितं तु तद्भुक्तमुभयं नाशयेदियन् ॥” (२।५५)

“क्योंकि नित्य आदरपूर्वक किया हुआ भोजन बल और वीर्य को देता है और अनादर से खाया हुआ अन्न उन दोनों का नाश करता है।”

महाभारत के ‘अनुशासन पर्व’ में भीष्म पितामह ने नारदजी द्वारा अन्न के महत्त्व का किया गया वर्णन युधिष्ठिर को सुनाया था। नारदजी ने कहा था कि “देवता और ऋषि अन्न की ही प्रशंसा करते हैं। अन्न से ही लोकयात्रा का निर्वाह होता है और उसी से बुद्धि को स्फूर्ति प्राप्त होती है। अन्न ही सबका आधार है। अन्न के समान न कोई दान था और न होगा; इसलिए मनुष्य अधिकतर अन्न का ही दान करना चाहते हैं। अन्न शरीर के बल को बढ़ाने वाला है, अन्न के ही आधार पर प्राण विके हैं और सम्पूर्ण जगत् को अन्न ने ही धारण कर रखा है। संसार में गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासी भी अन्न से ही जीते हैं। अन्न से ही सबके प्राणों की रक्षा होती है, यह बात किसी से छिपी नहीं है।” पुनः भीष्म पितामह कहते हैं—“युधिष्ठिर ! ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ प्राणी और उत्तम क्षेत्र है, वहां जो बीज बोया जाता है, वह महान् पुण्य फल देने वाला है। अन्न का दान ही एक ऐसा दान है, जो दाता और भोक्ता दोनों को प्रत्यक्ष रूप से सन्तोष देने वाला होता है। इसके अलावा और जितने दान हैं, उनका फल तो परोक्ष है। अन्न से ही सन्तान की उत्पत्ति होती है, अन्न से ही धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि होती है और अन्न ही रोगों के नाश का कारण है। पूर्व काल में प्रजापति ने अन्न को अमृत बतलाया है। अन्न का आहार न मिलने पर शरीर में रहने वाले पांचों तत्त्व नष्ट हो जाते हैं। यदि अन्न खाने को न मिले तो बड़े-बड़े बलवानों का बल भी क्षीण हो जाता है। अन्न के बिना आमन्त्रण, विवाह और यज्ञ भी नहीं हो सकते। उसके बिना वेद का ज्ञान भी भूल जाता है। यह सम्पूर्ण चराचर जगत् अन्न के ही आधार पर टिका हुआ है।” पुनः हम महाभारत के ‘आश्वमेधिक पर्व’ को लें इसमें भी स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर को अन्न की महिमा बताते हुए कहा है—“तेज, बल, रूप, सत्व, वीर्य, धृति, द्युति, ज्ञान, मेधा और आयु— इन सबका आधार अन्न ही है। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान

—ये पाँचों प्राण अन्न के ही आधार पर रहकर देहधारियों को धारण करते हैं। समस्त विद्यालय और पवित्र बनाने वाले सम्पूर्ण यज्ञ अन्न से ही चलते हैं। इसलिए अन्न सबसे श्रेष्ठ माना गया है। रुद्र आदि सम्पूर्ण देवता, पितर और अग्नि अन्न से ही संतुष्ट होते हैं। प्रजापति ने प्रत्येक कल्प में अन्न से ही सारी प्रजा की सृष्टि की है, अतः इस लोक या परलोक में अन्न से बढ़कर कुछ नहीं है। यक्ष, राक्षस, ग्रह, नाग, भूत और दानव भी अन्न से ही सन्तुष्ट होते हैं इसलिए अन्न का महत्व सबसे बढ़कर है।" वास्तव में अन्न का जीवन धारण करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अन्न के लिए इन्सान कुछ भी कर सकता है। इन्ती अन्न की उपज बढ़ाने के लिए अन्नमंत्री के रूप में बाबूजी ने 'अधिक अन्न उपजाओ' के नारे का उद्घोष किया और देश के किसानों से 'हरी क्रांति' लाने की अपील करके 'हरियाली के संत' बन गए। अन्न मंत्री के रूप में जहाँ बाबूजी ने अकाल की काली छाया से देश को बचाया वहाँ दूसरी ओर 'हरी क्रांति' को क्रियान्वित कर अन्न के मामले में देश को आत्म-निर्भर बनाया।

## कृषकों के हितकारी रूप में

केंद्रीय अन्नमंत्री के रूप में वावूजी ने 'हरी क्रान्ति' की सफलता के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों को छः सूत्री कार्यक्रम की संज्ञा दी। जिसमें—(१) युक्ति-युक्त भूमि कानून, (२) सभी किसानों द्वारा अपनायी जाने वाली एक नयी नीति, (३) जमीन पर जोतने वालों का अधिकार, (४) भूमि का क्षेत्रवार विकास, (५) सभी किसानों को ऋण की सुविधाएं और (६) किसानों द्वारा उत्पादित माल को प्रोत्साहित करने के लिए मूल्य निर्धारण, सम्मिलित हैं। किसानों के सम्बन्ध में वावूजी ने कहा कि "किसान आज भी अपनी भूमि स्वामित्व के प्रति पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं हैं। जब तक उसे भूमि का पूर्ण स्वामित्व न मिल जाए तब तक वह उसमें धन नहीं लगाएगा और न उपज बढ़ सकेगी।" वास्तव में किसानों की भूमि का स्वामित्व मिलना अनिवार्य अनिवार्यता है और इसके सम्बन्ध में दो मत नहीं हो सकते। इसी अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए वावूजी ने मध्य-प्रदेश के कुरखई के हरिजन सम्मेलन में कहा था कि भूमिहीन हरिजनों को जबरन अनजोती जमीन पर कब्जा कर लेना चाहिए। उस खाली पड़ी भूमि का स्वामी कोई भी हो, भूमिहीन किसान जोतने-बोने के लिए उस पर कब्जा कर लें। जिसके चलते वावूजी को अनेकों आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था।

वावूजी की 'हरी क्रान्ति' के फलस्वरूप कृषि उत्पादन में भी काफी वृद्धि हुई है। पर यह दुर्भाग्य की बात है कि यह क्रान्ति देश की सिंचाई वाले भागों में ही ज्यादा सफल हुई है। जिन भागों में सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं हैं और किसानों को पानी के लिए आकाश की ओर देखना

पड़ता है, उन भागों में इस 'हरी क्रान्ति' को ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं हुई है। परन्तु ऐसी बात भी नहीं है कि वावूजी असिंचित भूमि की कठिनाइयों के लिए चिंतित नहीं थे। कृषि-मंत्रालय के जिम्मेदार अधिकारी और वैज्ञानिक भी 'हरी क्रान्ति' की असमान सफलता पर गम्भीर रूप से सोच रहे थे। असिंचित भूमि की सिंचाई के लिए किसानों को ऋण के रूप में पम्प आदि की व्यवस्था बड़े पैमाने पर की गई। कृषि-विकास और खाद्यान्नों के उत्पादन-क्षेत्र में मिलने वाली उपलब्धियों ने किसानों के मन को काफी सन्तोषजनक रूप में आन्दोलित किया।

वावूजी की इस 'हरी क्रान्ति' के कार्यक्रमों में मुख्य रूप से इन बातों पर काफी जोर दिया गया—(१) चकवन्दी और भूमि संरक्षण, (२) खेतों की जुताई में सुधार, (३) कार्बोलिक खाद का प्रयोग, (४) फसलों के लिए अधिकाधिक जल का संचय और उपयोग, (५) जमीन में गहरे उर्वरक डाल कर और पत्तों के माध्यम से और आवश्यकतानुसार हवाई जहाज से छिड़काव करके पोषक तत्व पहुंचाना, (६) भारतीय कृषि-अनुसंधान द्वारा विकसित वैक्टोरिया बहुल उर्वरकों के प्रयोग से मटर और दालों जैसी फलियों की फसलें उगाकर जैव रूप से नाइट्रोजन पहुंचाना, (७) सोयाबीन, अधिक प्रोटीन वाला मक्का मैक्रोनी गेहूं, अल्पकालिक रेंडी, कपास, आलू तथा खजूर जैसी वारह मासी फसलें उगाना, जिनसे लघु खाद्य-उद्योग विकसित हो सकते हैं और विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है, (८) पशुओं के लिए पौष्टिक नींबू घास और श्रेष्ठ पशुओं के संयोग से देशी पशुओं की नस्ल सुधारने का विस्तृत कार्यक्रम, क्योंकि इन इलाकों में गहरी जुताई के लिए लोहे के भारी हलों का प्रयोग करना होगा, (९) पशुओं के लिए पौष्टिक चारे आदि की व्यवस्था।

केन्द्रीय सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तुत योजना को कार्यान्वित करने के लिए २० करोड़ रुपये खर्च करने का निश्चय किया है। लेकिन हमें किसानों की कठिनाइयों की तरफ भी ध्यान देना होगा और यह अत्यावश्यक है। अभी अधिकतर किसान नयी तकनीकी, नये

साधन और नयी सिंचाई के साधन से काफी मात्रा में वंचित हैं। इसका मूल कारण यह है कि सरकार द्वारा दिए गए साधनों और सहायताओं का बड़े-बड़े किसान ही उपयोग कर रहे हैं। विश्व बैंक ने भी 'हरी क्रांति' की प्रशंसा की है और इसकी सफलता की कामना की है। परन्तु अफसोस की बात यह है कि सहकारी समितियों द्वारा दिए गए ऋण, बीज, यंत्र आदि से ज्यादातर बड़े-बड़े किसान ही लाभान्वित हुए हैं। फिर उन्नत बीजों का प्रयोग, रासायनिक खाद देना, नलकूप लगवाना, ट्रैक्टर रखना भी उन्हीं सभी के लिए सम्भव है जो बड़े-बड़े किसान हैं और जो काफी धनी हैं। साधारणतया यह भी देखा जाता है कि सरकार द्वारा नियुक्त परामर्शदाता खेती सम्बन्धी नयी-नयी बातों की जानकारी बड़े-बड़े किसानों को देना ही अपना उद्देश्य समझते हैं। क्योंकि ये परामर्शदाता बड़े-बड़े किसानों के घर पर ही ठहरना उचित समझते हैं और उनका कोई भी कैम्प बड़े-बड़े किसानों के दरवाजे पर ही लगता है। छोटे-छोटे किसानों को ये परामर्शदाता उपेक्षा की नज़र से देखते हैं। हालांकि सच पूछा जाय तो छोटे किसानों की ही संख्या ज्यादा है और उन्हीं को ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित कर 'हरी क्रांति' को ज्यादा सफलता प्राप्त हो सकती है।

इस 'हरी क्रांति' के लिए केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीयकृत बैंकों से छोटे किसानों को ऋण देने की बात पर भी काफी गहराई से सोच रही है। सहकारी समितियों का कार्य-क्षेत्र वास्तव में सीमित है और इस बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को ऋण देना ज्यादा लाभदायक रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि आगामी वर्षों में पांच अरब रुपया १५ लाख छोटे-छोटे किसानों में वितरित किया जायगा। यह काम बैंकों की शाखाओं द्वारा किया जायगा। जिन क्षेत्रों में सहकारी बैंकों द्वारा ऋण की सुविधाएं अनुपलब्ध हैं, उन क्षेत्रों के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं द्वारा प्रतिवर्ष २५० करोड़ रुपये का ऋण का उत्तर प्रदेश सरकार ने निश्चय किया है। दो प्रतिभूतियों पर अभी तक सहकारी संस्थाओं के सदस्यों को १००० रुपये तक का

ऋण मिल सकता था परन्तु भविष्य में ३५ हजार रुपये तक ऋण प्रदान करने की योजना के कार्यान्वयन का प्रारम्भ भी शीघ्र ही होने वाला है। सेवा सहकारी समितियों द्वारा ऋण प्रदान करने की योजना काफी लचीली बनायी जा रही है। यह ऋण कृषि उपयोगी साधनों और पशुओं की खरीद के लिए दिए जाएंगे। छोटे-छोटे किसानों की भलाई को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में शीघ्र ही विकास एजेंसियों की स्थापना के कार्य का श्रीगणेश होने वाला है। इन विकास एजेंसियों की उपयोगिता को देखने के लिए केन्द्रीय सरकार ने अभी २० जिलों में ही विकास एजेंसियों की स्थापना की योजना बनाई है। हर एक एजेंसियों पर ५०००० किसानों की सहायता करने का उत्तरदायित्व रहेगा। इन विकास एजेंसियों के माध्यम से छोटी-छोटी राशियों में ढाई अरब रुपये के ऋण दिए जाने की योजना है। इस कार्य के लिए धन जुटाने का दायित्व केन्द्र और राज्य सरकार दोनों पर रहेगा। फिर भी केन्द्र पर दायित्व ज्यादा रहेगा। ये ऋण दीर्घ और अल्पकालीन दोनों रहेंगे।

किसानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के मूल्य-निर्धारण की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए वावूजी ने कहा कि कृषि मूल्य आयोग, किसानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करेगा। मूल्य निर्धारित करते समय उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऐसा मूल्य निर्धारित हो कि उससे किसानों को उत्पादन की गति तीव्र करने के लिए प्रोत्साहन मिले। कृषि मंत्री के रूप में, किसानों के हित का ध्यान रखते हुए वावूजी ने कृषि मूल्य आयोग के खाद्यान्नों के मूल्य कम करने के सुझाव का विरोध किया। वावूजी, खाद्यान्नों का मूल्य घटाने की अपेक्षा बढ़ाने के पक्ष में थे। क्योंकि इन्हें देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाना था और ये जानते थे कि खाद्यान्नों का मूल्य घटने से किसान हतोत्साहित होंगे और उत्पादन की गति भी शिथिल हो जायगी। किसानों के उत्पादित माल का मूल्य-निर्धारण जायज नहीं होगा तो उन्हें खेतों में काम करने में आनन्द नहीं आएगा। किसानों के श्रम का प्रतिफल उचित नहीं मिलेगा तो उत्पादन की गति तीव्र करने का उनका

मनोबल गिरेगा। कुछ आलोचकों ने वावूजी द्वारा कृषि मूल्य आयोग के खाद्यान्नों के मूल्य कम करने के सुझाव का विरोध करने की आलोचनाएँ भी की थीं। उन आलोचकों का तर्क था कि खाद्यान्नों की मूल्य-वृद्धि से सिर्फ बड़े-बड़े किसानों का ही फायदा होगा। उस अनुपात में छोटे किसान ज्यादा लाभान्वित नहीं होंगे। ठीक है कि खाद्यान्नों की मूल्य वृद्धि से छोटे किसानों की अपेक्षा बड़े किसान ज्यादा लाभान्वित होंगे। पर इस बात की ओर भी ज्यादा ध्यान रखना आवश्यक है कि अन्न का उत्पादन ज्यादा-से-ज्यादा हो कि देश खाद्यान्न के मामले में अन्य देशों से भिखमंगी न कर आत्मनिर्भर हो जाय। खाद्यान्नों का मूल्य ज्यादा रहने से बड़े किसानों के साथ-साथ छोटे किसानों का भी उत्पादन ज्यादा-से-ज्यादा करने की तरफ ध्यान रहेगा। सदा बड़े या छोटे दोनों वर्ग के किसान अपनी उत्पादन-क्षमता की गति को तीव्र कर ज्यादा मुनाफा प्राप्त करने के लिए तत्पर रहेंगे। आलोचकों का कहना यह भी ठीक है कि जीवन-यापन करने की अन्य चीजों का दाम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है जिससे छोटे किसानों को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। परन्तु केवल खाद्यान्नों का मूल्य कम कर देने से ही उन्हें कैसे लाभ होगा? खाद्यान्न का मूल्य कम कर देने से तो उन्हें और कठिनाई होने लगेगी। प्रायः यही देखा जाता है कि किसानों के लिए अन्न ही विनिमय का साधन बनता है। अगर उसका भी मूल्य कम हो जाय तो उसकी क्रय-शक्ति का ह्रास होगा और छोटे किसानों को अन्य अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ जायगा। खाद्यान्न के मूल्य के साथ-साथ अन्य आवश्यक आवश्यकताओं की चीजों का भी मूल्य घटाया जाय तभी सबको फायदा हो सकता है। साथ ही भूमि हदबन्दी और चक्रबन्दी कानूनों के लग जाने के बाद सम्भवतः कोई बहुत बड़ा किसान नहीं रह जायगा। कानून बनाने और उसे लागू करने में निश्चित रूप से कुछ समय लगना स्वाभाविक है और इस स्थिति में खाद्यान्नों का मूल्य कम कर देने से उत्पादन शक्ति भी शिथिल हो जाएगी।



साथ ही अर्थशास्त्र के मूल्य-निर्धारण नियम के अनुसार जब उत्पादन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा या उत्पादन आवश्यकता और पूर्ति की सीमा का अतिक्रमण करेगा तो मूल्य स्वतः नीचे की ओर घसक जायेगा। यही नियम खाद्यान्न के मूल्य-निर्धारण के साथ भी लागू होगा। जब खाद्यान्न आवश्यकता पूर्ति करने से ज्यादा हो जायगा तो उसका भी मूल्य अपने आप नीचे की ओर चला जायगा। कृषि मूल्य आयोग के खाद्यान्नों के मूल्य कम करने के सुझाव का वावूजी द्वारा विरोध किए जाने की बात का हम अर्थशास्त्र की मान्यताओं के अनुसार विवेचन करें। पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि 'मूल्य' क्या है? प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मार्शल के अनुसार :—“मूल्य एक सापेक्षिक शब्द है और वह किसी निश्चित समय तथा स्थान पर दो वस्तुओं के बीच संबंध बतलाता है।” (The term value is relative and it expresses the relation between two things at a particular place and time.) इसे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि “किसी वस्तु का मूल्य उसके बदले में प्राप्त दूसरी वस्तु की मात्रा या इकाइयों की संख्या होती है।” (Value of a commodity is the quantity of other commodities or number of units of commodities or a commodity got in exchange.) अब हमारे समक्ष प्रश्न यह है कि किसी वस्तु का मूल्य कैसे निर्धारित होता है? इसके लिए हमें यह जानना आवश्यक है कि मूल्य कौन चुकाता है और मूल्य कौन मांगता है? मूल्य देने वाला क्रेता है जिसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तु चाहिए। मूल्य मांगने वाला विक्रेता है और वह वस्तु के उत्पादन में हुए खर्च को मूल्य के रूप में मांगता है। मार्शल के पहले के अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, रिकार्डों आदि ने कहा कि किसी वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन व्यय (Cost of Production) द्वारा निर्धारित होता है। कुछ दूसरे अर्थशास्त्री वालरास, जेवन्स आदि के अनुसार वस्तु का मूल्य उसकी उपयोगिता के आधार पर निश्चित होता है। पर ये दोनों परिभाषाएं भ्रामक थीं। बाद में मार्शल ने कहा

कि "कीमत न तो मांग द्वारा निर्धारित होती है और न पूर्ति द्वारा वरन् इन दोनों की अन्तर्क्रिया द्वारा निर्धारित होती है। (Price is determined neither by demand nor by supply but by an interaction of the two.) एडम स्मिथ, रिकार्डो, वालरास, जेवन्स आदि से ज्यादा स्पष्टता दिखाते हुए मार्शल ने कहा "The value of a commodity, at a given time in a market is determined by the equilibrium of the forces of demand and supply" किसी समय किसी वस्तु का मूल्य किसी बाजार में मांग एवं पूर्ति की शक्तियों के सन्तुलन से निर्धारित होता है। मार्शल ने एक कैंची का उदाहरण देते हुए कहा कि "कैंची की दोनों पत्तियों से कपड़ा काटने का कार्य होता है। किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि इनमें से केवल ऊपर वाली पत्ती ही कपड़ा काटने का काम कर रही है। उसी प्रकार यह भी नहीं कहा जा सकता है कि मूल्य-निर्धारण अकेले केवल मांग (उपयोगिता) के द्वारा या अकेले केवल पूर्ति (उत्पादन व्यय) के द्वारा होता है "Just as we cannot say whether it is the upper or the lower blade of a pair of scissors that cuts a piece of cloth when the two blades operate together, similarly we can not say whether demand (depending on utility) alone or supply (depending on cost of production) alone determines value and just as there can be no cutting until the two blades meet, so there can be no value until supply meets demand, the point at which they meet in order to cut, i.e. the equilibrium point is the point at which market value is fixed."

इस तरह हम देखते हैं कि मांग, मूल्य और पूर्ति एक दूसरे को प्रभावित करते हैं (There is inter-relationship between demand, price and supply)। मार्शल पुनः कहता है "As a ge-

neral rule, the shorter the period which we are considering, the greater must be the share of our attention which is given to the influence of demand on value, and larger the period, the important will be the influence of cost of production of value." साधारणतया समय जितना ही कम रहता है, मूल्य-निर्धारण में उतना ही अधिक मांग पर हमारा ध्यान जाना चाहिए और समय जितना ही अधिक होता है, उत्पादन व्यय का महत्त्व उतना ही अधिक होता है।" शटल काक का उदाहरण देते हुए मार्शल कहता है "The price may be tossed hither and thither like a shuttle-cock as one side or the other gets the better in the higgling and bargaining of the market." कीमत एक शटल काक की भांति इधर से उधर उछलती है और उसी बिन्दु पर स्थिर हो जाती है जहां मांग-मूल्य (Demand Price) तथा पूर्ति-मूल्य (Supply Price) दोनों बराबर हो जाते हैं।"

पुनः मार्शल कहता है कि 'न सीमान्त उपयोगिता और न सीमान्त लागत मूल्य को निर्धारित करते हैं, वरन् ये स्वयं मूल्य सहित मांग और पूर्ति द्वारा पूर्ति के सापेक्षिक सम्बन्धों से शासित होते हैं "Marginal uses and marginal cost do not govern value, but are governed together with value, by the general relations of demand and supply."

मार्शल के उपरोक्त समस्त कथनों को ध्यान में रखते हुए भी अगर हम देखें तो दावूजी ने कृषि मूल्य आयोग के खाद्यान्न का मूल्य कम करने के सुझाव का विरोध करके कोई गलती नहीं की थी। इन्होंने खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ही यह विरोध किया था। ठीक है कि सरकार के कृषि मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित मूल्य एकाधिकार मूल्य (Normal Price) था। फिर भी खाद्यान्न के अधिक उत्पादन से पूर्ति

की मात्रा अधिक हो जाती और मांग कम तो स्वतः मूल्य को नीचे आना ही पड़ता ।

हां, आलोचकों का यह तर्क कि खाद्यान्न का मूल्य ज्यादा रहने से भूमिहीन मजदूर वर्ग बहुत कठिनाई में रहता है, शत प्रतिशत सही है । खेतों में काम करने वाला भूमिहीन मजदूर वर्ग वास्तव में काफी कठिनाई में है । ऐसे भूमिहीन मजदूर वर्ग को अन्न के रूप में या नगद पैसे के रूप में जो भी पारिश्रमिक किसान वर्ग द्वारा दिया जाता है वह बहुत कम होता है । इस वर्ग को बड़ी दयनीय स्थिति में अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण करना पड़ता है । इस भूमिहीन मजदूर वर्ग की मजदूरी बढ़े यह अत्यन्त आवश्यक है ।

कृषि-उत्पादन की गति को तीव्र करने के लिए वावूजी ने किसानों के साथ-साथ देश के वैज्ञानिकों को भी बढ़ावा दिया । हमारे देश के वैज्ञानिक भी खाद्यान्न के उत्पादन को तीव्र गति से बढ़ाने के लिए अनुसंधानों में लगे हुए हैं । सरकारी संस्थानों के साथ-साथ आज निजी उद्योग भी पौध संरक्षण की नई-नई दवाओं का आविष्कार कर रहे हैं । भारत कृषि अनुसंधान के वैज्ञानिकों ने कई उपयोगी अनुसंधान और सर्वेक्षण के कार्य किये हैं और कर रहे हैं । असिंचित खेतों की गहरी जुताई पर काफी बल दिया गया है । गहरी जुताई के सम्बन्ध में कहा गया है कि गहरी जुताई केवल उन्हीं इलाकों के लिए ज्यादा उपयुक्त है जिन इलाकों की जमीन की सतह काफी कड़ी है और जमीन में पानी सोखने की आवश्यक शक्ति की कमी है साथ ही पौधों की जड़ें जमीन में पूरी तरह से फैल नहीं सकतीं । गहरी जुताई वाले इलाके निर्धारित करने के लिए भूमि संरचनाओं का विस्तृत अध्ययन जारी है । पहले यह सोचा जाता था कि सभी सूखे इलाकों की मिट्टी में रेह और लवणीयता अधिक मात्रा में होती है । पर यह विस्तृत अध्ययन और सर्वेक्षण के बाद गलत सिद्ध हुआ है ।

भारत के अन्न और कृषि मंत्री के रूप में वावूजी के कर्णों पर बहुत बड़े दायित्व का बोझ था । परन्तु अन्न मंत्री के रूप में वावूजी

ने क्या किया ? इन्हें कितनी सफलता मिली ? सत्र के सामने है। इन्होंने अन्न मन्त्री के रूप में मां अन्नपूर्णा की ऐसी अर्चना की कि मां को प्रकट होना पड़ा। मां अन्नपूर्णा ने प्रकट हो कर दावजूजी के भारत को खाद्यान के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की साधना को सफल किया। क्षुधा की ज्वाला बहुत तेज होती है। इसको शान्त करने के लिए इन्सान सत्र कुछ कर बैठता है। इसी क्षुधा की अर्चना करते हुए दुर्गा सप्तशती कहती है—

या देवि सर्वभूतेषु, क्षुधा रूपेण संस्थिता ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ।”

इस श्लोक में क्षुधा की अर्चना करने के साथ-साथ मां अन्नपूर्णा की महानता को भी स्वीकार किया गया है। महाभारत में भी गान्धारी कहती है—

“प्रथमं कष्ट जरा कष्टं, द्वितीय कष्ट निर्धनम् ।

पुत्र शोक महाकष्टं कष्टातिकष्टतरं क्षुधा ॥”

गान्धारी वृद्धा हो गयी थी। कुरुक्षेत्र में उसके सौ पुत्र मार दिये गये थे। वह राजमाता थी। वह राजमाता साधारण राजा की नहीं बल्कि दुर्योधन जैसे प्रतापी और बड़े राजा की माता थी। परन्तु कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र में उसके पुत्र मार दिये गए और उसका साम्राज्य छिन गया था। पुत्र-शोक और धन-शोक दोनों के चलते उसका व्याकुल हो जाना स्वाभाविक था। गान्धारी बड़ी ही पतिव्रता, भाग्यवती और तपस्विनी स्त्री थी। अन्धे पति की पत्नी होने की वजह से उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। पतिव्रता होने की वजह से उसे यह मान्य नहीं था कि उसका पति वृतराष्ट्र अन्धा रहे और वह आंखों वाली रहे। नेत्रों पर पट्टी बांधकर नेत्र रहते हुए भी वह नेत्रहीन बन गयी थी। जीवनपर्यन्त उसकी आंखों पर पट्टी बंधी रह गई थी। परन्तु महर्षि व्यास के वर से उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। महाभारत की युद्ध की समाप्ति के बाद अपने मरे हुए पुत्रों को अन्तिम वार देखने के लिए वह कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में पहुंची थी। आप स्वयं सोच सकते हैं कि

महाभारत जैसे युद्ध का युद्धस्थल कैसा होगा ? बड़ा ही रोमांचकारी दृश्य था उस युद्धभूमि का । वह हड्डी, केश और चरवी से भरा था । चारों ओर अनगिनत लोथें पड़ी थीं । चारों तरफ की धरती रक्त-रंजित थी । जहां नजर जाती थी वहीं हाथी, घोड़े, रथ और द्योत्ताओं के मस्तकहीन शरीर और शरीर हीन मस्तक दिखाई पड़ रहे थे । भगवान् व्यास की आज्ञा से युधिष्ठिर आदि पाण्डव, धृतराष्ट्र और श्रीकृष्ण के पीछे कुरुकुल की समस्त स्त्रियां कुरुक्षेत्र की भूमि में आयी थीं । महाभारत में बड़ा ही करुणाजनक वर्णन उस समय का है । उस भीषण संहार भूमि में पहुंचकर कुरुकुल की स्त्रियों का चेतना खो देना स्वाभाविक ही था । वहां उन स्त्रियों ने अपने भाई, पुत्र, पति और पिता आदि को मृत देखा था । अपन कुल की स्त्रियों की चीत्कार को सुनकर और उनकी दयनीय दशा देखकर गान्धारी ने कृष्ण को अपने निकट बुलाया । उसने कृष्ण से जो कुछ कहा वह बड़ा ही करुणाजनक है । कृष्ण ने उसे इस संसार की नश्वरता और असारता समझाने की चेष्टा की । पर गान्धारी नारी थी । बुढ़ापा ने उसे दवा दिया था । उसके हाथ से बहुत बड़ा साम्राज्य छिन गया था । वह कृष्ण का उपदेश न समझ पा रही थी । तब कृष्ण ने अपनी जीला रची । गान्धारी को बहुत जोरों की भूख लगी । सामने उसे बेर का वृक्ष दिखाई पड़ा । अपनी क्षुधा को तृप्ति के लिए वह बेर के पास पहुंची । पर फल उसके पहुंच के बाहर थे । उसने फल को प्राप्त करने के लिए लाशों को खींच खींच कर वृक्ष के निकट किया । उन लाशों पर चढ़ कर उसने फल तोड़े । अभी वह खाने भी नहीं पाई थी कि कृष्ण उसके सामने मुस्कराते हुए प्रकट हो गए । तब उसे ज्ञान हुआ । उसने देखा कि अपने ही पुत्रों की लाशों पर चढ़कर अपनी क्षुधा मिटाने के लिए उसने फल तोड़े हैं । कण्टों की मारी गान्धारी ने अपने कण्टों का वर्णन करते हुए कहा कि पहला कण्ट बृद्धावस्था ही है । दूसरा कण्ट निर्धन हो जाना है । मां के लिए पुत्र का मर जाना बहुत बड़ा कण्ट है । लेकिन क्षुधा का कण्ट तो सबसे बड़ा कण्ट है । उसने कण्टों का

साक्षात्कार क्रिया था अतः उसके कष्टों के वर्णन में कितनी सार्थकता होगी यह आप स्वयं सोच सकते हैं ।

‘क्षुधा’ के सम्बन्ध में लार्ड वायडगोर ने भी कहा है—“ ‘क्षुधा’ समस्त राजनीतियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है । वह लोकतंत्र शासन के विकास पथ में जवर्दस्त रोड़ा है । लोग अन्न और जीवन-निर्वाह की आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध न होने पर सहसा यह विश्वास करने लगते हैं कि वे शासन को पलट कर अथवा आर्थिक व्यवस्था को मिटा कर उसे प्राप्त कर सकते हैं” हमारा हितोपदेश भी कहता है—

तजेत् क्षुधार्था महिला सुपुत्रम्,  
खादेत् क्षुधार्था भुजंगी स्वमन्यम् ।  
विभुक्षितः किं न करोति पापम्,  
क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति ॥”

वास्तव में क्षुधा की ज्वाला शान्त करने के लिए मां सुपुत्र को भी छोड़ कर चल देती है । क्षुधा की तृप्ति के लिए सर्पिणी अपने अण्डों को भी खा जाती है । भूख से व्याकुल कौन पाप नहीं कर सकता है ? क्योंकि भूख से व्याकुल को करुणा नहीं रहती और करुणाहीन व्यक्ति को पाप या पुण्य से कोई मतलब नहीं रहता । क्षुधा से व्याकुल राजपि और ब्रह्मपि विश्वाभिन्न ने भी चाण्डाल के घर जाकर चोरी से कुत्ते का मांस खाया था । चाण्डाल ने जब अपना परिचय दिया तो उसे जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि अभी क्षुधा को तृप्त कर लेने दे पुनः इसका प्रायश्चित्त मैं कर लूंगा । नवजात शिशु को किसी बात की चिंता नहीं रहती । वह नहीं सोचता है कि वह किस अवस्था में है । उसे नंगा रखा गया है या वह कपड़ा पहने है इसकी परवाह भी उसे नहीं रहती । पर भूख लगते ही वह भी चिल्लाने लगता है ।

भारत की समस्त जनता की क्षुधा शान्त करने की जिम्मेदारी वावूजी के कंधों पर भारत के अन्न मंत्री के रूप में थी । अकाल रूपी काल के गाल से वावूजी ने हमें अपने कार्य-काल में बचाया । भारत की जनता को अपनी भूख शान्त करने के लिए अन्य देशों के सामने

भीख की भोली फैलानी पड़ती थी। परन्तु अन्न मंत्री के अपने कार्य-काल में बाबूजी ने हमें आत्म-निर्भर बनना सिखलाया, आत्म-निर्भरता सिखलायी है।

( ६ )

आइए, पुनः हम बाबूजी को समाजवादी अर्थव्यवस्था कायम करने और समाजवादी नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए संगठन में होने वाले संघर्ष में रत देखें। आपने देखा कि २५ अगस्त, १९६६ को कांग्रेस के दोनों शिविरों ने एक खोखले एकता प्रस्ताव को मान लिया था। परन्तु वह एकता प्रस्ताव केवल दिखावा मात्र था। दोनों शिविरों में एकता होना या रहना असम्भव था। २६ अगस्त को प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कांग्रेस-अध्यक्ष श्री निजलिंगप्पा से भेंट की थी पर वह भेंट कोई विशेष अर्थ नहीं रखती थी। उस भेंट को अगर हम औपचारिक कहें तो सम्भवतः कोई अत्युक्ति नहीं होगी। २६ अगस्त को बाबूजी ने कांग्रेस-अध्यक्ष श्री निजलिंगप्पा की आलोचना कर और स्पष्ट कर दिया कि सिडीकेट के समक्ष इन्होंने आत्म-समर्पण नहीं किया है। अगर सिडीकेट संघर्ष करना चाहती है तो यह उसकी चुनौती को स्वीकार करते हैं। बाबूजी के वक्तव्य से स्पष्ट हो गया कि एकता प्रस्ताव निरर्थक है। ३० अगस्त को एक ओर श्रीमती गांधी ने भी अपने वक्तव्य में कहा कि प्रधान मन्त्री को मन्त्रिमण्डल गठन करने की पूरी-पूरी छूट है तो दूसरी ओर कांग्रेस-अध्यक्ष श्री निजलिंगप्पा ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि श्री मोरारजी देसाई का अध्याय अभी समाप्त नहीं हुआ है। पुनः कांग्रेस के दोनों शिविरों में आरोपों और प्रत्यारोपों का सिलसिला तीव्र गति से आरम्भ हो गया। यह लड़ाई सिद्धान्त सम्बन्धी लड़ाई थी। राष्ट्रपति निर्वाचन के क्रम में हार जाने के बावजूद भी सिडीकेट का भ्रम अभी दूर नहीं हुआ था।

६ सितम्बर को प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने पानपुर में कहा था, 'व्यक्ति-पूजा' की आड़ में उन पर नया आक्रमण करने की साजिश की जा रही है। उसी दिन के अपने वक्तव्य में बाबूजी ने भी



स्पष्ट संकेत दे दिया था कि गूट-संघर्ष पहले से भी तीव्र गति में है। वावूजी ने स्पष्ट कहा था कि 'कांग्रेस-अध्यक्ष' की तलवार हमारी गर्दन पर अब भी झूल रही है मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोग सरफरोश हैं।' स्पष्ट रूप से गुटिय संघर्ष की झलक दृष्टिगोचर हो रही थी। १६ सितम्बर को प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपने एक पत्रकार सम्मेलन में कहा था कि उनके विरोधी कांग्रेस एकता को खतरा पैदा कर रहे हैं। इधर चण्डीगढ़ की समस्या भी काफी गम्भीर रूप धारण कर चुकी थी। चण्डीगढ़ की समस्या के समाधान के लिए वावूजी ने १८ सितम्बर को पंजाब और हरियाणा के मुख्य मन्त्रियों की बातचीत की सलाह दी थी। १६ सितम्बर को उत्तर-प्रदेश से कांग्रेस महासमिति के कुछ सदस्यों ने कांग्रेस-अध्यक्ष श्री निजलिगप्पा के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास किया था। इस बीच ६ सितम्बर को कांग्रेस अध्यक्ष श्री निजलिगप्पा और प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की आपसी बातचीत भी हुई थी। पर उस बातचीत का कोई फल न निकलने पाया था। २७ सितम्बर को गुटिय संघर्ष ने श्री सी० सुब्रह्मण्यम को बाध्य कर दिया कि तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष-पद से वे त्याग-पत्र दे दें। श्री सी० सुब्रह्मण्यम ने त्याग-पत्र देने के बाद श्री कामराज पर प्रधान मन्त्री के विरुद्ध पड़्यन्त्र रचने का गम्भीर आरोप लगाया। कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक के सिर्फ एक दिन पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्री निजलिगप्पा ने ३१ अक्टूबर को कांग्रेस कार्यकारिणी के दो सदस्यों श्री चिदम्बरम सुब्रह्मण्यम और श्री फखरुद्दीन अली अहमद को कार्यकारिणी की सदस्यता से मुक्त कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष श्री निजलिगप्पा ने श्री सुब्रह्मण्यम को कार्यकारिणी की सदस्यता से मुअत्तल करते हुए उन्हें एक पत्र द्वारा सूचना दी कि अब वह तमिलनाडु प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष न होने के कारण कांग्रेस महासमिति के सदस्य नहीं रहे फलस्वरूप कांग्रेस कार्यकारिणी की उनकी सदस्यता वैध और नियमानुसार नहीं मानी जा सकती। श्री फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में कांग्रेस अध्यक्ष श्री निजलिगप्पा का यह तर्क था कि उन्होंने

कांग्रेस के विरुद्ध कार्य किया और कांग्रेस अध्यक्ष का विश्वास खो दिया। परन्तु कांग्रेस के विरुद्ध कार्य करने और कांग्रेस अध्यक्ष का विश्वास खोने जैसे आरोपों से ज्यादा महत्त्व उनका कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक के कुछ ही दिन पहले दिए हुए उस वक्तव्य का था, जिसमें उन्होंने सिडीकेट के रवैये की निंदा करते हुए कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष तथा उनके सहयोगियों ने २५ अगस्त के एकता प्रस्ताव की भावना के विरुद्ध काम किया है।

राष्ट्रपति के निर्वाचन के बाद अपनी और अपने समर्थक सिडीकेट की हार से कांग्रेस अध्यक्ष किर्कर्टव्य विमूढ़ से हो गए थे। श्री कामराज और श्री सदाशिव पाटिल की यह राय थी कि वावूजी के शिविर की आक्रामक रण-नीति के जवाब में, वचाव की जगह आक्रमणकारी रण-नीति अपनाना आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक है कि वावूजी और प्रधान मन्त्री को कांग्रेस कार्यकारिणी में उनके समर्थकों की संख्या कम करके कमजोर बना दिया जाए। परन्तु सिडीकेट को पता नहीं था कि उसकी इस आक्रमणकारी नीति का फल क्या होगा? सिडीकेट नहीं समझ पाया था कि उसकी इस नीति की वजह से पार्टी के दो भागों में विभाजन की नींव भी पड़ सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा श्री सुब्रह्मण्यम और श्री अहमद के कांग्रेस कार्यकारिणी से निष्कासन की तुरन्त प्रतिक्रिया हुई। ३१ अक्टूबर को प्रधान मन्त्री के निवास-स्थान पर वावूजी तथा उनके समर्थकों ने कांग्रेस अध्यक्ष श्री निर्जलिगप्पा की 'मनमानी कार्रवाई' के विरुद्ध जवाबी कार्यसमिति की बैठक करने का निर्णय लिया।

कांग्रेस के इतिहास की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना १ नवम्बर को हुई। १ नवम्बर को कांग्रेस की दो कार्यकारिणी समितियाँ बन गईं। दोनों कार्यकारिणी समितियों की बैठकें भी अलग-अलग हुईं। सिडीकेट समर्थक कांग्रेस कार्यकारिणी जन्त-र-मन्तर में कांग्रेस के कार्यालय में बैठी और कांग्रेस की समाजवादी नीतियों को कार्यान्वित करने वाले समर्थकों की बैठक प्रधान मन्त्री के सफ़दरजंग निवास में हुई। प्रधान मन्त्री के

निवास स्थान पर होने वाली बैठक में वायूजी के साथ प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी, श्री फखरुद्दीन अली अहमद, श्री यशवंत राव चव्हाण, श्री त्रिदम्बरम् मुत्रह्मण्यम, श्री वसंतराव नाइक, श्री मोहन लाल सुब्बाड़िया, श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी, श्री शंकर दयाल शर्मा, श्री उमा-शंकर दीक्षित और केरल के श्री क० च० अब्राहम थे। सिंडीकेट समर्थक कार्यकारिणी की बैठक में श्री निजलिगप्पा, श्री भोरारजी देसाई, श्री कामराज, श्री सदाशिव कान्होजी पाटिल, श्री अतुल्य घोष, श्री हितेन्द्र देसाई, श्री चन्द्रभानु गुप्त, श्री व्यंकट सुन्वेया, श्री सादिक अली और डा० रामसुभग सिंह थे। केरल के श्री अब्राहम प्रधान मन्त्री के निवास पर होने वाली बैठक में ही शामिल थे पुनः वह जन्तर-मन्तर कार्यालय में भी आए थे। उन्हीं के आने के बाद सिंडीकेट के समर्थक लोगों ने अपना फोटो खिचवाया था। क्योंकि बिना श्री अब्राहम के उनकी संख्या सिर्फ १० रह जाती और अपने को बहुमत कहने की उनकी बात असत्य हो जाती। इस तरह दोनों कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या ११ ही रही। वैसे ३१ अक्टूबर की शाम तक इसी बात की चर्चा थी कि डा० रामसुभग सिंह भी प्रधान मन्त्री के निवास पर होने वाली बैठक में ही भाग लेंगे परन्तु १ नवम्बर को वह जन्तर-मन्तर के कार्यालय में होने वाली बैठक में शामिल हुए। सफदरजंग की बैठक में विशेष आमंत्रित के रूप में असम के मुख्य मन्त्री श्री विमल प्रसाद चालिहा, जम्मू और कश्मीर के मुख्य मन्त्री श्री गुलाम मुहम्मद सादिक, मध्यप्रदेश के मुख्य मन्त्री श्री श्यामा चरण शुक्ल, हरियाणा के मुख्य मन्त्री श्री बंसीलाल, बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री अनन्त प्रसाद शर्मा, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री मिश्री लाल गंगवार तथा श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री कमलापति त्रिपाठी, हिमाचल प्रदेश के मुख्य मन्त्री श्री य० श० परमार, श्री दिनेश सिंह, श्री सत्यनारायण सिंह, श्री ललित नारायण मिश्र, श्री गुलजारी लाल नन्दा, श्री इन्द्र कुमार गुजराल, श्री नाथूराम मिर्धा थे। श्री शंकर दयाल शर्मा के सम्बन्ध में आम राय यही थी कि वे श्री निजलिगप्पा के प्रबल समर्थक

हैं अतः वे उन्हीं का साथ देंगे। पर उन्हें भी सफदरजंग में होने वाली बैठक में ही पाया गया।

सफदरजंग में प्रधान मन्त्री के निवास पर होने वाली बैठक में प्रधान मन्त्री ने अपने तथा संस्था के कुछ संचालकों के बीच होने वाले मतभेद के बारे में बताते हुए कहा था कि कामराज आरम्भ से ही मुझ पर मनमाने दबाव डाल रहे थे। १९६६ में जब मैंने श्री अशोक मेहता को मन्त्रिमण्डल में लिया तो उन्होंने मुझ पर रोष प्रकट किया। मैंने उनसे कहा कि आपको पहले ही बताना चाहिए था कि मन्त्रिमण्डल में श्री अशोक मेहता को लिया जाना आपको पसन्द नहीं है। अब जब कि वह सरकार में लिए जा चुके हैं तो शिकायत फिजूल है। मतभेदों का जिक्र करते हुए श्रीमती इन्दिरा गांधी ने यह बात भी कही कि जिन श्री अशोक मेहता के १९६६ में श्री कामराज विरोधी थे वही आज उनके मुख्य सलाहकार हैं और उनके विचारों को अच्छी अंग्रेजी में लिपिबद्ध कर रहे हैं। वैसे प्रधान मन्त्री के इस वक्तव्य पर श्री कामराज ने अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करते हुए कहा था कि मैंने श्री अशोक मेहता का विरोध नहीं किया बल्कि केवल इतना कहा था कि जो लोग हाल में ही किसी दूसरी पार्टी से कांग्रेस में आए हैं उन्हें तुरन्त मन्त्रिमण्डल में लेना उचित नहीं है। सफदरजंग में होने वाली बैठक ने यह निर्णय लिया कि २२ और २३ नवम्बर को नई दिल्ली में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन का आयोजन हो और इस अधिवेशन में श्री-निजलिंगप्पा को कार्य-मुक्त करके नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाय। इस संदर्भ में श्री सुब्रह्मण्यम ने कहा था कि विशेष अधिवेशन बुलाने के लिए जहां ७०९ में से केवल १५० सदस्यों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है वहां ४०५ सदस्य हस्ताक्षर कर चुके हैं।

जंतर-मंतर के कार्यालय में होने वाली सिडीकेट समर्थक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रचान मन्त्री के समर्थकों की विशेष अधिवेशन बुलाने की मांग नियम-विरुद्ध है। इसकी कार्यकारिणी ने यह चेतावनी भी दी कि जो लोग श्रीमती गांधी के समर्थकों द्वारा आयोजित कांग्रेस

महासमिति के विशेष अधिवेशन में २२ और २३ नवम्बर को हिस्सा लेंगे उन्हें गंभीर परिणामों के लिए तैयार रहना चाहिए। बैठक में एकता कायम करने की अपील भी की गयी थी। एकता अपील के सम्बन्ध में सफदरजंग की बैठक ने एकता अपील को नकली कहते हुए कहा कि किसी ठोस प्रस्ताव या सुझाव के बिना यह एकता अपील निरर्थक है।

अपने जवाबी हमले के क्रम में सिडीकेट समर्थक कार्यकारिणी ने १२ नवम्बर को प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को कांग्रेस संगठन से निष्कासित करने का अपना फैसला घोषित किया। इस निर्णय के आगे 'सर्वसम्मति' भी लगा दिया गया। वावूजी के पक्ष के लिए यह समाचार कोई खास महत्व नहीं रखता था। उसी दिन वावूजी और श्रीमती गांधी के वरिष्ठ सहयोगियों की बैठक प्रधान मंत्री के निवास पर डेढ़ घंटे तक हुई। इसके बाद एक वयान जारी किया गया— 'कांग्रेस-संगठन के कुछ चुने हुए लोगों ने लोकतंत्र और अनुशासन को तमाशा बना दिया है और खुद को संगठन मान बैठे हैं।' इस बैठक में निष्कासन को अवैध घोषित करते हुए कहा गया कि कांग्रेस का संसदीय दल जब तक श्रीमती इंदिरा गांधी में अविश्वास प्रकट नहीं करता तब तक वह हमारी नेता बनी रहेंगी। इस बैठक में वावूजी, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री चव्हाण, श्री फखरुद्दीन अली अहमद आदि केन्द्रीय मंत्रियों के साथ श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र, श्री दामोदरन संजिवैया और मुख्य मंत्री श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी, श्री वी० पी० चालिहा, श्री गुलाम मुहम्मद सादिक, श्री श्यामाचरण शुक्ल आदि भी मौजूद थे।

कांग्रेस-अध्यक्ष ने शाम को कांग्रेस संसदीय दल के कार्यालय में कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री श्यामनन्दन मिश्र के नाम एक पत्र भेजा। उस पत्र में प्रधान मंत्री के निष्कासन और नये नेता के चुनाव की बात लिखी गयी थी। परन्तु दल की कार्यकारिणी में दोनों शिविरों के लोग थे। जिसका नतीजा यह हुआ कि परस्पर विरोधी आदेश और परिपत्र

जारी किए गए। एक ओर श्री श्यामनन्दन मिश्र ने अगले दिन होने वाली बैठक को स्थगित करने की सूचना निकाली तो दूसरी ओर सचिव श्री शंकर दयाल शर्मा ने बैठक होने की बात पर बल दिया। दूसरे दिन संसद के सेंट्रल हाल में श्रीमती इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। इस मीटिंग में स्पष्ट हो गया कि बहुमत सिडीकेट के विरुद्ध है। इस बैठक में सदस्यों ने स्पष्ट रूप से कांग्रेस-अध्यक्ष के प्रति अविश्वास और अपने नेता के रूप में श्रीमती गांधी के प्रति विश्वास प्रकट किया। १६ नवंबर रविवार के दिन पुनः बैठक होने की सूचना के साथ सभा विसर्जित कर दी गई।

१६ नवंबर रविवार के दिन दोनों शिविरों के संसद सदस्यों की अलग-अलग बैठकें हुईं। लेकिन सत्तापक्ष के शिविर में ही बहुमत रहा। प्रधान मंत्री ने पूरे विश्वास के साथ अपने समर्थकों को सूचित किया कि १० नये सदस्य कांग्रेस संसदीय दल में आ मिलेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि १० सूत्री कार्यक्रम लागू करने के सम्बन्ध में कुछ दिन वाद निश्चित प्रस्ताव पेश किया जायगा और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की २२ और २३ तारीख की बैठक में नीति सम्बन्धी वक्तव्य प्रसारित किया जायगा। श्री निजलिंगप्पा के निवास पर सिडीकेट समर्थकों की बैठक में तभी शामिल हुआ जा सकता था जब कार्यकारिणी के निर्णय में लिखित रूप में विश्वास प्रकट किया जाता। इस बैठक में लोकसभा के ६५ और राज्य सभा के ४५ सदस्य शामिल हुए थे। इस पक्ष के समक्ष संसदीय नेता के चुनाव की तबसे भारी समस्या थी। श्री सदाशिव पाटिल ने कहा कि नेताओं के नाम 'राहुकालम' के वाद घोषित किए जाएंगे। डेढ़ घंटे वाद यानी 'राहुकालम' का समय समाप्त होने के बाद श्री निजलिंगप्पा ने नये नेताओं के नामों की घोषणा की। दक्षिण भारत के सभी सम्प्रदायों के लोगों का विश्वास है कि 'राहुकालम' डेढ़ घंटे की वह घड़ी है जब कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। श्री निजलिंगप्पा की घोषणा में डॉ० राम नुनगन्निह को लोकसभा का और श्री श्यामनन्दन मिश्र को राज्य सभा का नेता

वनाया गया था और श्री मोरारजी देसाई को संसदीय दल का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद डा० रामसुभगसिंह ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर सूचना दी कि इंदिरा जी कांग्रेस की सदस्यता से वंचित की जा चुकी हैं और अब वह सदन की नेता भी नहीं रही हैं, अतः अनुकूल कार्रवाई की जाय। उन्होंने अपने पत्र के साथ अपने समर्थकों की सूची भी संलग्न की थी। बैठने की अलग व्यवस्था करने के सम्बन्ध में भी लोकसभा अध्यक्ष से कहा गया।

२२ और २३ नवम्बर '६६ को नई दिल्ली में कांग्रेस महासमिति का विशेष अधिवेशन हुआ था। इस विशेष अधिवेशन में श्री चिदम्बरम सुब्रह्मण्यम् को कार्यकारी (अन्तरिम) अध्यक्ष बनाया गया। इसी समय यह निश्चित हुआ कि बम्बई में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन में इस नई कांग्रेस के अध्यक्ष-पद का दायित्व बाबूजी के कंधों पर सौंपा जायगा। श्री सुब्रह्मण्यम की कार्यसमिति में २० सदस्यों को रखा गया था जिनमें पुरानी कांग्रेस के नौ सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए। इस कांग्रेस की रूपरेखा इस तरह रही—

अध्यक्ष—श्री चिदम्बरम् सुब्रह्मण्यम्।

निर्वाचित सदस्य—श्रीमती इंदिरा गांधी, बाबूजी, श्री फखरुद्दीन अली अहमद, श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी, श्री मोहनलाल सुखाड़िया, श्री उमाशंकर दीक्षित, श्री शंकर दयाल शर्मा, श्री वी० पी० नाइक, श्री यशवंत राव चव्हाण और श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र (नये सदस्य)।

मनोनीत सदस्य—श्री हेमवती नंदन बहुगुणा (महासचिव), श्री मीर कासिम, श्री दामोदरन संजीवय्या, श्री चन्द्रजीत यादव, श्री विद्या चरण शुक्ल, श्री के० आर० गणेश, श्रीमती नंदिनी सतपथी, श्री के० करुणा करण, श्री सिद्धार्थ शंकर राय और श्री मलाया कोलुट।

इस बीच बाबूजी को बदनाम करने के लिए यह कहा गया कि इन्होंने १० साल से आय कर का भुगतान नहीं किया है। इस बात का जोर-शोर से प्रचार किया गया। इसमें प्रमुख हाथ मंत्रिमंडल से निष्कासित वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई का था। जब तक वह वित्त

मन्त्री थे तब तक कर-भुगतान के प्रति उनकी कोई खास दृष्टि नहीं थी। क्योंकि कभी उन्होंने इसका भुगतान नहीं किए जाने की चर्चा कहीं भी नहीं की थी। परन्तु शायद बंगलौर अधिवेशन में ही तत्कालीन वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई को पता चला कि बाबूजी ने दस वर्षों से आय-कर भुगतान नहीं किया है। और वह भी शायद इसलिए कि बाबूजी के समक्ष वह निष्प्रभ से लगते थे। खैर २४ दिसम्बर को लोक-सभा में बाबूजी का कर-भुगतान ५ घंटे तक बहस का विषय बना रहा। बाबूजी के विरोधियों का इनके कर-भुगतान न किए जाने के विषय की जांच के लिए संसदीय जांच समिति गठित करने का प्रस्ताव था। वह प्रस्ताव ७५ के विरुद्ध १५८ मतों से गिर गया।

बहुधा कहा जाता है कि आदमी गलतियों का पुतला होता है। लेकिन आदमी और महापुरुष में सिर्फ इतना ही अन्तर है कि आदमी गलती करता है पर मानता नहीं और महापुरुष अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है। बाबूजी ने भावावेश में कंपकंपाते स्वर में सदन को सम्बोधित करते हुए यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उनसे आय कर के भुगतान में विलंब हो गया है लेकिन जान-बूझकर ऐसी बात नहीं हुई थी। इन्होंने कभी आय-कर अपबन्धन की बात सोची भी नहीं थी। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में श्री मोरारजी देसाई की इस बात की पुष्टि की कि यह बताया जाने पर कि इन्होंने १० साल से आय-कर का भुगतान नहीं किया है अपने पद से त्याग-पत्र देने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन 'अगले दिन मुझे ज्ञात हुआ कि मोरारजी भाई इस मसले का राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं।' बाबूजी के स्पष्ट कथन के समर्थन में प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी बड़े तीव्र स्वर में कहा कि इन पर लगाये गए आरोपों के मूल में राजनैतिक कारण हैं।

माक्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य श्री विश्वनाथ मेनन ने स्वतंत्र पार्टी के श्री इमाम के प्रस्ताव का समर्थन किया। कांफ़ी हो-हल्ले के बीच श्री विश्वनाथ मेनन ने यह भी बात कही थी कि उन्हें ऐसी



सूचना मिली है कि श्री जगजीवनराम ने विदेशी बैंकों में २ करोड़ रुपया जमा कर रखा है। इस पर वावूजी ने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति यह साबित कर दे कि इन्होंने एक पैसा भी विदेशी बैंकों में जमा कर रखा है तो वह अपने सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लेंगे और यह आरोप सिद्ध न हो सका तो आरोप लगाने वाले को ऐसा ही करना चाहिए।

श्री मोरारजी देसाई का यह तर्क था कि वावूजी ने आय-कर का भुगतान करने में टाल-मटोल की या नहीं? उन्होंने यह भी कहा था कि 'जब १० वर्ष तक आय-कर के प्रपत्र ही नहीं भरे गये तो और क्या कहा जाए।'

वावूजी ने स्पष्ट रूप से अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा था कि वह यह नहीं कहते कि इनसे कोई गलती नहीं हुई है। १० वर्ष तक आय-कर का कोई हिसाब न दिया जाना एक गलती थी। लेकिन इसके पीछे आय-कर के भुगतान से बचने का कोई इरादा नहीं था। वह कंपनी, जिसमें इन्होंने पैसा लगाया था, प्रतिवर्ष आय-कर अधिकारी को उन्हें मिलने वाले मुनाफे का विवरण भेजती रहती थी। आय-कर छिपाने का आरोप तभी ठीक होता जब आय-कर संबंधित जानकारी आय-कर अधिकारी को नहीं होती। यदि वावूजी चाहते तो १० वर्ष की जगह केवल एक ही वर्ष का हिसाब देकर बच निकलते लेकिन इन्होंने स्वयं १० वर्ष का हिसाब देने पर बल दिया। एक नियमित कर-दाता होने की वजह से इन्हें समय पर नोटिस दिया जाना चाहिए था। आय-कर विभाग द्वारा नोटिस नहीं दिया जाना आय-कर विभाग की गलती थी पर वावूजी ने कहा कि इस गलती के लिए आय-कर विभाग पर वह कोई दोष लगाना नहीं चाहते।

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री सेठी ने एक वयान देते हुए कहा कि निश्चित समय पर आय-कर का हिसाब न चुकाने वालों या देर से चुकाने वालों में लगभग ३५० संसद सदस्य शामिल हैं। हालांकि श्री सेठी के इस वयान पर संसद में काफी शोर हुआ और संसद सदस्यों

ने यह मांग की कि आय-कर न चुकाने वाले संसद सदस्यों का नाम बताया जाना चाहिए। प्रधान मंत्री ने संसद को आश्वासन देते हुए कहा कि नामों की सूची एक माह के अन्दर ही पेश की जायगी। कर वसूल करने की पद्धति की बहुत सी खराबियों को भी प्रधान मंत्री ने स्वीकार किया। राज्य वित्त मंत्री श्री सेठी ने कहा कि वावूजी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया गया है। उचित कार्रवाई पूर्ण हो जाने की भी सूचना उन्होंने दी।

कांग्रेस के संसद सदस्य श्री एन० के० पी० साल्वे ने कहा कि वावूजी ने कोई गम्भीर कानूनी अपराध नहीं किया है। उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में विस्तारपूर्वक तकनीकी वारीकियों का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि वावूजी की आमद से आय-कर विभाग पूर्ण रूप से अवगत था। उन्होंने कहा कि आमद का हिसाब न रखा जाना कभी भी कर-अपवंचन का मामला नहीं हो सकता, इसे ज्यादा से ज्यादा एक 'मामूली तकनीकी असावधानी' भर कहा जा सकता है।

श्री साल्वे के वक्तव्य के सम्बन्ध में श्री मोरारजी देसाई ने कहा कि यह 'एक कमजोर मामले का सशक्त वचाव' है। उन्होंने यह बात भी कही कि वावूजी का मामला एक असाधारण मामला है क्योंकि उन्होंने अपने १० वर्ष की अपनी आमद का हिसाब नहीं दिया है। परन्तु लगता था कि श्री देसाई उस दिन की बात भूल गए थे जिस दिन श्री मधुलिमये ने उनके सुपुत्र के कारनामों से सदन को अवगत किया था। उनके सुपुत्र के कारनामों के लिए देसाई पर उत्तरदायित्व देते हुए श्री मधुलिमये ने उनसे त्यागपत्र दे देने की मांग भी की थी।

इस प्रकरण में संगठन कांग्रेस के नेता डा० रामनुभगसिंह ने अपना सुझाव देते हुए इस मामले को अगले सत्र तक के लिए स्थगित करने की बात कही थी। परन्तु बंचारे डा० रामनुभगसिंह के सुझाव को संसद ने अमान्य कर दिया। डा० रामनुभगसिंह के सुझाव के पक्ष में केवल ८२ सदस्यों ने अपना समर्थन दिया और उसके विरुद्ध १६४ मत पड़े।

वहस के दौरान वावूजी के मुखमण्डल पर किसी तरह की उलझन की झलक नहीं दिखती थी। इस निश्चिन्तता से स्पष्ट जाहिर होता था कि आय-कर के मामले में इन्होंने कोई गम्भीर गलती नहीं की थी और जो भी गलती इनसे अनजाने में हो गई थी उसे इन्होंने एक बहादुर की भांति स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया था। इन्सान से भूल हो जाना स्वाभाविक है। लेकिन अपनी भूल को सभी स्वीकार नहीं करते। भूल जब स्वीकार कर ली जाती है तब वह भूल नहीं रहती। वावूजी ने अपनी भूल को तुरन्त सुधारा। परन्तु केवल राजनैतिक प्रतिद्वन्द्विता को लेकर वावूजी की अकारण निन्दा और आलोचना की गई। अकारण निन्दा महात्मा ईसा की भी की गई थी। इसी तरह स्वामी दयानन्द, श्रद्धानन्द, विवेकानन्द प्रभृति लोगों पर भी अकारण कीचड़ उछाला जाता था। पर महापुरुष उसकी परवाह नहीं करते। वावूजी आत्मा की आवाज में पूर्ण आस्था रखते हैं। ये अपने विरोधों की कभी परवाह नहीं करते। विरोधी को परास्त कर ही तो इनका निर्माण हुआ है। लोगों की झूठी और निस्सार आलोचनाओं से कभी भी परेशान नहीं होते। कायरों की भांति अपनी किसी भी भूल को इन्होंने कभी भी छिपाया नहीं है बल्कि बहादुरों की भांति सदा उसे स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। ये सदा अनुचित को छोड़ उचित को करना जानते हैं। ऋग्वेद कहता है—

“कद्ध ऋतं कदनृतं यव प्रत्ना.....

(१।१०।५।५)

अर्थात् क्या उचित है या अनुचित, यह विचार कर जरूरी कार्य पहले करो। वावूजी भी यही जानते हैं। इन्हें हमेशा अपने पर भरोसा रहता है। ये आत्मविश्वासी हैं और यही इनका बल है। कहा भी है—

‘ नास्ति चात्मसमं बलम् ।

अर्थात् अपने पर विश्वास जैसी दूसरी कोई शक्ति नहीं है। सदा प्रभु से इनकी यही प्रार्थना रहती है—

विश्वे यजत्रा वोचतोतये  
त्रायध्वं नो दुखोया अभिहुतः ।  
सत्यया वो देवहृत्या हुवेम  
शृण्वन्तो देवा अवसे स्वस्तये ॥  
(ऋ० १०।६३।११)

“हे सकल पुजनीयो ! हमें समझाओ ताकि हम अपनी रक्षा कर  
सकें । कुटिलतायुक्त बुरे मार्ग से हमें बचाओ । सुनो, दिव्य ज्योतियों !  
मेरी इस सच्ची टेर को सुनो । जीवन सफल और सुरक्षित हो ।”

## बम्बई में नई कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में

अपने ७ सितम्बर १९६६ के अंक में 'दिनमान' लिखता है—“श्री सुब्रह्मण्यम के कांग्रेस अध्यक्ष बने रहने का प्रश्न नहीं था। एक तो इसलिए कि अंतरिम कार्यकारिणी की रचना करते समय में उन्होंने अनजाने कुछ कलंक मोल ले लिया था। दूसरे वह कितने भी तेज तर्रार हों वृद्धावस्था की गरिमा में वह पुरानी कांग्रेस के किसी चुराट के मुकाबले ठहर नहीं सकते थे और इस समय नई कांग्रेस संगठन को अपने शीर्ष स्थान पर एक अदद ऐसे ही परिपक्व व्यक्तित्व की जरूरत थी।

श्री जगजीवन राम को अनेक वर्षों से चुनाव-संगठन का और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को अपने चुनिंदा साथियों के बूते पर समर्थन प्रदान करने का अनुभव प्राप्त है। मंत्रिपद पर रहते हुए एकमुक्त समर्थन देना जब तक उनके लिए संभव रहता तब तक तो कोई कठिनाई प्रधान मंत्री के लिए हो ही नहीं सकती थी। अब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में श्री जगजीवन राम पर समूची नई कांग्रेस को दलबद्ध करने का दायित्व दिया गया है, वह उन्हें एकाएक किसी व्यक्ति को समर्थन न देने की स्थिति में नहीं रखता। बल्कि उनके सम्यक् नेतृत्व की कड़ी परीक्षा आगे के दिनों में होने वाली है जब कि नई कांग्रेस के भीतर एक ओर इंदिरा गांधी के प्रति व्यक्तिगत निष्ठा, दूसरी ओर संतुलन वादी शक्तियों का टी० टी० कृष्णमाचारी के रूप में प्रादुर्भाव और तीसरी ओर उन कांग्रेसियों की स्वाभिमानी आकांक्षा जो नये दल में रहते हुए भी सरकार में नहीं हैं, ये सब नये कांग्रेस अध्यक्ष पर जबरदस्त दबाव डालेंगी।” पुनः वह लिखता है, “तो भी श्री जगजीवन राम के प्रति न्याय करते हुए नई कांग्रेस दल के अधिकांश लोगों ने यह माना है कि वह प्रधान

मन्त्री के घनिष्ठ सहयोगी होते हुए भी अंगूठा लगाने वाले अध्यक्ष नहीं होंगे। उनका कार्यकाल एक ही वर्ष का है, किन्तु यही वर्ष नई कांग्रेस के लिए और स्वयं नये अध्यक्ष के लिए निर्णायक सिद्ध होगा। दल में थोड़े बहुत और बाहर शायद बहुत काफी लोगों की धारणा है कि श्री जगजीवन राम आय-कर वाले मामले से उनकी पदोन्नति का संबंध है। यह धारणा तथ्यों पर आधारित नहीं जान पड़ती क्योंकि २४ नवम्बर को लोकसभा में प्रधान मंत्री ने आय-कर के मामले पर पूरी बहस की चुनौती दी ही थी। प्रधान मंत्री से ३ सीट दूर निश्चित खाद्य मंत्री विराजमान थे।”

दिनमान ने यह भी स्पष्ट लिखा था, “कार्य-कारिणी समिति को लेकर जितना भी विवाद हो कांग्रेस के नये अध्यक्ष श्री जगजीवन राम को लेकर कोई विवाद नहीं है।”

वास्तव में खाद्य मंत्रालय के समान ही नये कांग्रेस का अध्यक्ष बनना कांटों का ताज ही पहनना था। यह वह घड़ी थी जब कांग्रेस के प्रति जनता की आस्था खतम हो गई थी। आमतौर से जनता कांग्रेस और कांग्रेसी नेताओं के प्रति विक्षुब्ध थी। जगह-जगह पर कांग्रेस के नाम पर धूल और पत्थर की वर्षा भी हो जाती थी। इनका मूल कारण यह था कि जनता अपने को परित्यक्त अनुभव कर रही थी और दूसरी ओर कांग्रेसी नेताओं को स्वार्थ के घिनौने रंग-विरंगे खेल खेलते देख रही थी। इसका स्पष्ट उदाहरण आम निर्वाचनों में कांग्रेस के समर्थन में दिए गए मत ही हैं। १९६७ के आम निर्वाचन में तो कांग्रेस ने ४० से ४५ प्रतिशत तक राष्ट्रीय समर्थन खो दिया था। अनेक राज्य कांग्रेस के हाथों से निकल गए थे। साथ ही संसद में भी कांग्रेस का कोई ग्वास बहुमत नहीं रह पाया था। इसके बाद कांग्रेस के विभाजन ने सबसे स्पष्ट रूप से सोचने का अवसर दे दिया था कि कांग्रेस संस्था ही अब समाप्त हो जाएगी। हालांकि बैंक राष्ट्रीयकरण रूपी ‘कोरामिन’ दिया जा चुका था और कांग्रेस को जिन्दा रखने के लिए माही धैनियों को समाप्त करने की घोषणा कर ‘आरजीजन’ देने की भी व्यवस्था की जा

चुकी थी। फिर भी सबको सदा यही भय रहता था कि कभी भी कांग्रेस का दम निकल सकता है, इसका जीवन समाप्त हो सकता है। साथ ही कांग्रेस के सभी दिग्गज कहे जाने वाले नेताओं ने संगठन कांग्रेस के नाम से अपने को संगठित कर लिया था। बड़ी गम्भीर समस्या थी। इस स्थिति में कांग्रेस को पुनः संगठित करने का या यों कहें पुनर्जीवित करने का दायित्व ही नहीं बल्कि गम्भीर उत्तरदायित्व कांग्रेस-अध्यक्ष के कंधों पर था। कांग्रेस-अध्यक्ष का पद सम्भालना बाबूजी के लिए पुनः कालकूट विष का पान ही करना था। आप ही सोचिए खाद्य मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष दोनों गम्भीर दायित्व वाले पद थे। दोनों को एक साथ निवाहना सामान्य व्यवित की कल्पना के बाहर की बात थी। परन्तु आपने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि बाबूजी ने इन दोनों दायित्वों को किस खूबी से और कितनी सफलता से पूरा किया है।

बंबई में सत्तारूढ़ कांग्रेस दल के अध्यक्ष के रूप में बाबूजी की सवारी बड़ी शानदार निकली थी। लोगों का कहना था कि इतना शानदार जुलूम बंबई जैसी नगरी में पहली बार निकला था। बाबूजी चार घोड़ों की एक बग्घी में दोनों हाथ जोड़े हुए खड़े थे। बग्घी में चार भूरे रंग के घोड़े जुते थे। बग्घी में शानदार लैम्प लगे हुए थे। बाबूजी के पीछे एक व्यक्ति खुबसूरत पीला छत्र लिए हुए खड़ा था। इस जुलूस में अपार जनसमूह था। अनुमानतः चार लाख से कम आदमी किसी भी हालत में न होंगे। देश-विदेश के पत्रकारों की भी पर्याप्त संख्या थी। जगह-जगह पर फोटो लेने वाले फोटो खींच रहे थे। स्थान-स्थान पर लोग अपने प्रिय नेता पर फूलों और मालाओं की वर्षा कर सम्मान प्रकट कर रहे थे। जुलूस में १७३ घोड़े, ३ ऊंट, ७३ बैल-गाड़ियां और २०० ट्रक भी थे। जगह-जगह पर तोरण-द्वार बने हुए थे। वैसे तो बंबई में परदा नाम की कोई चीज ही नहीं है फिर भी कुछ घरों में औरतें अभी भी परदे में रहती हैं। परदे में रहने वाली औरतें भी बाबूजी का दर्शन करने के लिए परदे का बहिष्कार कर अपनी-अपनी छतों पर चली आयी थीं। लोग बाबूजी की ओर उंगली

का इशारा कर आपस में बातें कर रहे थे। बच्चे भी वृद्धों के कन्वों पर चढ़ चढ़कर बाबूजी का दर्शन कर रहे थे और तालियां पीट-पीट कर अपनी हार्दिक खुशी दिखला रहे थे। बंबई नगरी भी काफी सज-धज कर संवरी थी। सम्भवतः महात्मा गांधी के काल में १९४२ में बंबई में होने वाला अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन भी, जिसमें 'भारत छोड़ो' (Quit India) और 'करो या मरो' (Do or Die) का नारा दिया गया था, इतना शानदार नहीं हुआ होगा और शायद उसमें भी इतने अपार जन-समूह ने भाग नहीं लिया होगा। रंग-विरंगे परचे भी बांटे जा रहे थे। बम्बई के अपार जनसमूह के अभिनन्दन ने स्पष्ट कर दिया कि बाबूजी भारतीय वाम जनता के कितने निकट हैं और जनता अपने इस नेता का कितना आदर और सम्मान करती है। वास्तव में इनके नेतृत्व की सफलता का रहस्य सम्भवतः इनका अपने विचारों और अन्य के विचारों के साथ सामंजस्य और संतुलन रखना है। बहुत पहले इन्होंने ही कहा है "नेता वह है, और उसी का नेतृत्व है, जो जनता को अपने साथ ले चलता है और जो यह देखता है कि जिस सिद्धान्त का वह समर्थन करती है वह अमल में आ सकता है या नहीं।' यही उनके नेतृत्व की शानदार सफलता का कारण है।

बम्बई में नयी कांग्रेस के अध्यक्ष होने के बाद बाबूजी पर संगठन और सृजन की गम्भीर जिम्मेदारी आ गई। सृजन का काम आसान काम नहीं है। प्रसिद्ध ब्रह्मसमाजी केशव चन्द्र सेन के साथ बातचीत के सिलसिले में एकवार भगवान् रामकृष्ण परमहंस ने सृजन के सम्बन्ध में कहा था 'सृजन करने का अर्थ है भगवान् के सदृश होना। जब तुम समस्त सत्ता के सार से पूर्ण हो जाओगे तब तुम जो कुछ कहोगे वही सत्य हो जायगा। कवियों ने सद्गुणों व सत्य को प्रगप्ता की है; परन्तु उससे क्या उनके पाठक सद्गुणी व सच्चे हो गये हैं? जब कोई निःस्वार्थ व्यक्ति हमारे बीच में रहता है, तो उसका प्रत्येक कार्य सद्गुण व सत्य से स्फुरित जीवित बनता होता है। वह दूसरों के लिए जो कुछ करता है, उससे उसके निकृष्टतम स्वप्न भी उन्नत हो जाते



हैं। वह जिसे भी स्पर्श करता है, वह पवित्र व सत्य हो जाता है। वह वास्तविकता का जनक हो जाता है। वह जिस वस्तु की सृष्टि करता है वह कभी काल के गर्त में विलीन नहीं होती। वास्तव में सृजन की कितनी सुन्दर व्याख्या भगवान् रामकृष्ण ने की है। सृजन का दायित्व कन्धों पर पड़ने के बाद बाबूजी ने एक नये समाज और नये संगठन का सृजन किया और इस सृजन में भी इन्हें शत प्रतिशत सफलता मिली है।

कांग्रेस-अध्यक्ष का पद-भार सम्भाल कर बाबूजी ने श्रीकृष्ण के गोवर्धन धारण की याद दिलायी। ब्रज-भूमि में ब्रजवासियों को इन्द्र की पूजा करने की तैयारी करते हुए देख उत्सुकतावश बुजुर्गों से इसका कारण जानना चाहा। नन्द जी ने कहा कि 'मेघ' और जल के स्वामी देवराज इन्द्र हैं। उनकी प्रेरणा से ही मेघगण जलरूप रस की वर्षा करते हैं। ये पर्जन्य देव (इन्द्र) पृथ्वी के जल को सूर्य किरणों द्वारा खींच कर सम्पूर्ण प्राणियों की वृद्धि के लिए उसे मेघों द्वारा पृथ्वी पर बरसा देते हैं। इसलिए वर्षा-ऋतु के समय समस्त राजा लोग, हम और अन्य मनुष्य-गण देवराज इन्द्र की यज्ञों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक पूजा किया करते हैं। इन्द्र की पूजा के विषय में सुनकर भगवान् श्री कृष्ण ने कहा—'हमारे देवता तो गौएं ही हैं; क्योंकि हम लोग वनचर हैं। आन्वीसिकी (तर्क शास्त्र), त्रयी (कर्मकाण्ड), दण्ड, नीति और वार्ता—ये चार विद्याएं हैं। महाभाग! वार्ता नाम की यह एक विद्या ही कृषि, वाणिज्य और पशुपालन इन तीनों वृत्तियों का आश्रय भूता है। वार्ता के इन तीनों भेदों में से कृषि किसानों की, वाणिज्य व्यापारियों की और गोपालन हम लोगों की उत्तम वृत्ति है। जो व्यक्ति जिस विद्या से युक्त है, उसका वही इष्टदेवता है, वही पूजा-अर्चा के योग्य है और वही परम उपकारिणी है। जो पुरुष एक व्यक्ति से फल लाभ करके अन्य की पूजा करता है, उसका इहलोक और परलोक में कहीं भी शुभ नहीं होता। हम लोग न तो किवाड़ तथा भित्ति के अन्दर रहने वाले हैं और न निश्चित गृह, अथवा खेत वाले किसान ही हैं, अतः हमें इन्द्र से क्या

प्रयोजन है? हमारे देवता तो गौएं और पर्वत ही हैं। ब्राह्मण लोग मन्त्र यज्ञ तथा कृपक गण सीरयज्ञ (हल का पूजन) करते हैं, अतः पर्वत और वनों में रहने वाले हम लोगों को गिरियज्ञ और गो यज्ञ करने चाहिए।

“अतएव आप लोग विधि-पूर्वक विविध सामग्रियों से गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। आज सम्पूर्ण व्रज का दूध एकत्रित कर लें और उससे ब्राह्मणों तथा अन्यान्य याचकों को भोजन करावें; गोवर्धन की पूजा, होम और ब्राह्मण-भोजन समाप्त होने पर शरद् ऋतु के पुष्पों से सजे हुए मस्तक वाली गौएं गिरिराज की प्रदक्षिणा करें। गोपगण! आप लोग यदि प्रीतिपूर्वक मेरी इस सम्मति के अनुसार कार्य करेंगे तो इससे गौओं को, गिरिराज को और मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी।” भगवान् श्री कृष्ण के विचारों से गोकुल वासी भी काफी प्रभावित हुए।

इसके बाद गोकुलवासियों ने गिरियज्ञ के अनुष्ठान को पूरा किया। इधर इन्द्र अपनी पूजा नहीं किए जाने की वजह से क्रुपित हो गए। इन्द्र ने अत्यन्त रोषपूर्वक अपने संबतक आदि मेघों से कहा—“अरे मेघो! देखो, अन्य गोपों के सहित दुर्बुद्धि नन्द गोप ने भी कृष्ण की सहायता के मद में चूर हो कर मेरा यह यज्ञ रोक दिया है। अतः उनकी जो परम जीविका और उनके गोपत्व का कारण है, उन गौओं को तुम मेरी आज्ञा से वर्षा और वायु के द्वारा पीड़ित कर दो।” इन्द्र की ऐसी रोषपूर्वक आज्ञा पाकर प्रचण्ड वायु बहने लगी, साथ ही मूसलाधार वृष्टि भी होने लगी। आपने देखा होगा कि काले मेघों से घिर जाने के कारण दिन में भी अन्धकार हो जाता है, रात हो जाती है। यही दशा व्रजभूमि की थी। पता नहीं चले पाता था कि दिन कब होता है। भीषण वर्षा में व्रजभूमि जलमय हो गयी। प्रचण्ड आंधी और भीषण वर्षा से गौएं कांपने लगीं। दीनबदन बछड़े कृष्ण की ओर देख आहि-प्राहि करने लगे। सभी को भयप्रस्त देव भगवान् ने इन्द्र के प्रकोप से व्रज की रक्षा करने की ठानी। उन्होंने गोवर्धन

पर्वत को उखाड़ लिया और उसे अपने एक हाथ पर ही उठा लिया । गोपों से उन्होंने कहा — “आओ शीघ्र ही इस पर्वत के नीचे आ जाओ, और सब मिलकर इस पर्वत को ऊपर किए रहें ताकि नीचे अन्य सब वायुहीन और वर्षाहीन जगहों पर बैठ कर विश्राम कर सकें । निर्भय होकर प्रवेश करो, पर्वत के गिरने का भय न करो ।”

भगवान् श्रीकृष्ण के ऐसा कहने पर भीषण वर्षा और प्रचण्ड वायु से पीड़ित समस्त गोपगण और गोपियां गाँवों के साथ अपना सामान ले कर गोवर्धन के नीचे आ गए । कुछ गोप भी पर्वत में अपना-अपना डन्डा लगा कर गोवर्धन के भार को थामने में श्रीकृष्ण को सहायता देने की चेष्टा कर रहे थे । परन्तु गोवर्धन का भार केवल भगवान् की भुजा पर था । भगवान् गोवर्धन धारण किए खड़े रहे और समस्त ब्रजभूमि के लोग गोवर्धन के नीचे चैन से विश्राम कर रहे थे ।

गोपों का नाज करने की कल्पना करने वाले इन्द्र की प्रेरणा से प्रेरित मेघ सात दिन और सात रात तक लगातार रूप से महा-भयंकर वृष्टि करते रहे । परन्तु भगवान् द्वारा रक्षित ब्रजभूमि को देख इन्द्र को ज्ञान होना स्वाभाविक था । उनके मेघ रुक गए । समस्त ब्रजवासी वहाँ से निकल कर अपने-अपने स्थानों पर आ गए और कृष्ण ने भी उन ब्रजवासियों और इन्द्र के विस्मयपूर्वक देखते-देखते गिरिराज गोवर्धन को रख दिया ।

ठीक यही दशा अव्यक्ष-पद सम्भालने के समय भी थी । कांग्रेस में पूजे जाने वाले कुछ सिडीकेट नाम से पुकारे जाने वाले सदस्य नहीं पूजे जाने पर कुपित हो गए थे । उनको यह अम हो गया था कि वे ही कांग्रेस हैं । वे कहते थे कि उनका कहना ही ठीक है । वह यह भी सोच रहे थे कि जो वे सोचते हैं वही सही है । वे स्वप्न देखते थे कि उन्हीं का स्वप्न सत्य है । पूजा न पाने से कुपित हो गए थे । कांग्रेस की अर्थी उन्होंने निकाल दी थी । पहली उनकी चेष्टा कांग्रेस के घोषित कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में देरी करनी थी । दस सूत्री कार्यक्रम को न लागू करने से देश की जनता लाभान्वित नहीं होती थी । जनता के

सामने कांग्रेस का चेहरा कुछ विकृत-सा हो गया था। यह स्वाभाविक है कि सब लाभ ही के फेर में रहें। लाभ न होने के कारण जनता का कांग्रेस से रुष्ट हो जाना स्वाभाविक था। जनता अब अपने को परित्यक्त भी समझने लगी थी। शक्तिशाली होकर भी अपने को परित्यक्त देखना कोई नहीं चाहता। प्रजातन्त्र में जनता स्वयं ही शक्ति है। वह जिसके पास है वही राजा है। इसमें जनमत को ही मान्यता है। मुझे इस बात से भी कोई मतलब या वहस नहीं है कि वह जनमत कैसी हो? पर प्रजातन्त्र कहता है कि जनमत ही राजा है और वह कैसा हो इससे उसे कोई खास मतलब नहीं है, पर उसे प्रबल होना आवश्यक है। प्रबल का अर्थ होता है शक्तिशाली होना। सीधी-सी बात है कि राजा शक्तिशाली होता है। शक्तिशाली जब अपने को परित्यक्त समझता है तो वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। परित्यक्त समझे जाने पर शक्तिशाली का विध्वंस होना स्वाभाविक है। शक्तिशाली स्वाभिमानी होता है। सब कुछ वह वर्दाशत कर लेता है पर अपना अपमान उसके वर्दाशत के बाहर की बात है। अबसर आते ही उसका अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर देना स्वाभाविक है। मतदान अवसर है जब जनमत का प्रदर्शन होता है। जिसे यह समर्थन देता है वही राजा होता है। वह समर्थन कैसा हो? इससे भी प्रजातन्त्र को कोई खास मतलब नहीं है केवल उसे प्रबल होना आवश्यक है। जनता किननी जल्दी अपना समर्थन कांग्रेस से खींचती जा रही थी सबके सामने था। १९६७ आते-आते अधिकांश प्रदेश कांग्रेस के हाथ से निकल भी गए। लोगों का दृढ़ विश्वास था कि १९७२ में या किसी भी मध्यावधि संसदीय चुनाव में केन्द्र में भी सतरंगी सरकार बन जाएगी। कांग्रेस को नष्ट करने वालों ने इसकी चिन्ता तैयार कर दी थी। आग जटाने के प्रबन्ध के रूप में इसका दिमाजन भी कर दिया गया था। दो कांग्रेस बन गयी थीं। परन्तु यह निश्चित होता बाकी था कि कौन असली है और कौन नकली। कांग्रेस के पीछे प्रश्नवाचक चिह्न लग गया था। नाम भी अलग-अलग हो गए थे। एक नाम के आगे या पीछे पुरानी

या संगठन लगा रहता था तो दूसरी को लोग सत्तारूढ़ या नयी कहते थे। 'ध्रुवीकरण' का प्रकरण भी जारी था। कांग्रेस और उसके हित-चिन्तकों को चिन्तित हो जाना स्वाभाविक था। कांग्रेस और उसके हित-चिन्तकों की अग्नि परीक्षा की घड़ी आ गई थी। कांग्रेस को ही अब इस प्रश्न का हल करना आवश्यक हो गया था कि देश किस विचारधारा का है और अपने लिए किस विचारधारा को मान्यता प्रदान करता है ?

आजादी प्राप्ति के बाद म० गांधी ने भी कांग्रेस को समाप्त कर देने की बात कही थी। वे महात्मा थे, उन्होंने सत्य की साधना और पूजा की थी। जीवन भर उन्होंने सत्य की सात्विक अर्चना की थी। कहते हैं १२ वर्ष तक सत्य की साधना करने के बाद साधक स्वयं सत्य हो जाता है। उसके मुख से जो भी उच्चरित होता है वह सत्य का ही रूप होता है। कांग्रेस को समाप्त हो जाना आवश्यक था।

अब वह घड़ी आ गयी थी जिसमें समस्त राष्ट्र की बोली को रामभना आवश्यक हो गया था। समस्त राष्ट्र की बोली को समझते हुए आगे बढ़ना कोई आसान काम नहीं है। नयी संस्था के संगठन और सृजन करने का और उसे आगे बढ़ाने का उत्तरदायित्व अध्यक्ष के कंधों पर होता है। सबल नेतृत्व प्रदान करना सुनने में भले ही आसान लगे ; पर करने में महा कठिन है। वास्तव में 'सृजन करने का अर्थ भगवान होना है।' सब सृजन नहीं कर सकते। कांग्रेस का विभाजन करके और सच्चे कांग्रेसियों को कांग्रेस से हटा कर सिडीकेट वालों ने 'इस घर को आग लग गयी घर के चिराग से' वाली बात को ही सिद्ध किया था। कांग्रेस मृत हो चुकी थी। पुनः इसे जीवित करना नया सृजन करना ही था। वह भी सृजन कैसा ? उसे जीवन्त होना भी आवश्यक था और जीवन्त सृजन सम्भवतः भगवान् के सिवा दूसरा नहीं कर सकता।

कांग्रेस को मृत देख कर उससे प्रेम करने वालों का विव्हल हो जाना स्वाभाविक था। विव्हल और कातर कांग्रेस समर्थकों के साथ-साथ कांग्रेस की भी रक्षा करने की बात थी। इसलिए बम्बई में बाबूजी ने

अध्यक्ष पद रूपी गोवर्धन धारण किया और बड़ी सफलता से या यों कहें, कृष्ण के समान तब तक गोवर्धन धारण किए रहे जब तक भयत्रस्त आश्वस्त नहीं हो गए, सबों को जब विश्वास हो गया कि वे रक्षित हैं तो पुनः बाबू जी ने गोवर्धन रूपी अध्यक्ष पद को छोड़ दिया ।

२६ दिसम्बर, १९६६ को, बम्बई में होने वाला कांग्रेस अधिवेशन समाप्त हुआ था । इस अधिवेशन में ही प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी की ललकार 'हम पर मध्यावधि चुनाव भी थोपा गया तो हम उसका मुकाबला करेंगे' भी सुनने को मिल गयी थी । इसमें ४६८ म० स० सदस्यों के साथ-साथ करीब ५ लाख जनता ने भी भाग लिया था । इस अधिवेशन में सुविधाजनक समाजवादी अर्थव्यवस्था को कायम करने की बात भी कही गयी । पुराने बड़े वायदों को पूरा करने में असमर्थता देखते हुए वायदों का रूप छोटा करना पड़ा था । इसमें यह भी कहा गया, 'बिना वायदा किए भी हम जब जो काम संभव समझेंगे कर डालेंगे—आज जैसी जरूरत होगी आज और कल जैसी जरूरत होगी कल ।' शक्तिशाली जनता की शक्ति को समझते हुए उसका भी आह्वान किया गया था । पूंजी के एकाधिकार की जत्रन्य राजनैतिक शक्ति को समझते हुए उसके दमन की भी चर्चा की गयी; साथ ही 'समता के लिए किसी का सर न काटे जाने' की घोषणा भी घोषित हुई थी । इस अधिवेशन में राष्ट्र के समस्त वर्ग की जनता को नवनिर्माण करने के लिए आह्वान किया गया ।

कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के आपसी मतभेद की वजह से आर्थिक प्रस्ताव पारित करने में कुछ विलम्ब भी हुआ । 'युवा तुकों' के नेता के रूप में श्री चन्द्रशेखर और प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी में कुछ कहा-सुनी भी हो गयी थी । आर्थिक प्रस्ताव में यह कहा गया था कि कांग्रेस को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक काम करने के अवसर और स्वतंत्रता की समानता के सिद्धांतों पर आधारित एक जाति-विहीन और वर्ग-विहीन समाज की रचना करना है । युद्ध और अकाल के भय से भयत्रस्त होने के बावजूद भी देश की उन्नति का लेखा-

जोखा हुआ। आम बीमे का राष्ट्रीयकरण, प्रिवीपर्सों और विशेषाधिकारों की समाप्ति, शहरी सम्पत्ति की हदबंदी, खाद्यान्नों में विशेषकर चावल और गेहूं की खरीददारी के काम शीघ्र करने का आश्वासन था। उसमें इस बात का भी उल्लेख किया गया था कि “जिस प्रकार सम्पन्न लोगों को सम्पत्ति रखने का अधिकार है, उसी प्रकार संपत्तिहीन को संपत्ति पाने का भी अधिकार है।” आयात की नीति के सम्बन्ध में कच्चे माल के आयात को सरकारी क्षेत्र में लाने की बात कही गयी।

कृषि को प्राथमिकता देते हुए कृषि के क्षेत्र में विभिन्न सघन कार्यक्रमों की आवश्यकता को महसूस करते हुए किसानों के लिए ऋण, पानी और विजली की व्यवस्था के साथ-साथ भूमि सुधार सम्बन्धी सभी पारित कानूनों को १९७०-७१ तक लागू कर देने की बात भी थी।

प्रस्ताव की औद्योगिक नीति में उत्पादन शक्तियों को बढ़ावा देने और सरकारी वित्त संस्थाओं में सुधार करने की बात थी। औद्योगिक क्षेत्रों को अलग-अलग पारिभाषित किये जाने की आवश्यकता को महसूस किया गया था, जिनमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को कायम करने की बात थी।

प्रस्ताव में महानगरों और दूसरे शहरी इलाकों में तीव्र विरोध के कारण उत्पन्न समस्याओं पर नये ढंग से विचार करने की आवश्यकता को अनुभव किया गया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि “लोगों के लिए साफ-सुथरे मकानों, सस्ते परिवहन आदि की व्यवस्था तुरंत करने की आवश्यकता है। बड़े शहरों में गंदी वस्तियों का पृथक आवास निगम बना कर दूर किया जाना चाहिए। शिशु-कल्याण और पीने के पानी की व्यवस्था की आवश्यकता है।” बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या का भी ध्यान रखना आवश्यक था। इसलिए इस समस्या के समाधान के सम्बन्ध में कहा गया कि आर्थिक योजना के लक्ष्यों में अधिक रोजगार जुटाना एक प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए साथ ही इसके निदान के सम्बन्ध में आर्थिक समृद्धि और उसके समान वितरण के सिद्धान्त की भी चर्चा

की गयी थी। आर्थिक समिति की वेकार के खर्चों में कटौती करने की बात को भी स्वीकार कर लिया गया था। पुनः एक बार स्वदेशी का नारा भी वुलन्द किया गया था। कहा गया था “भारत की औद्योगिक उपलब्धि के प्रति गर्व पैदा करने के लिए यह आवश्यक है कि एक बार फिर स्वदेशी आंदोलन चलाया जाय।” प्रस्ताव के अन्त में—समस्त देशवासियों और विशेषकर कांग्रेस जनों को, निर्धनता, बेरोजगारी, और असमानता के विरुद्ध लड़ी जाने वाली लड़ाई में शामिल होने के लिए आह्वान भी किया गया था।

सामुदायिक समस्या के सम्बन्ध में इस अधिवेशन में अध्यक्षीय पद से भाषण देते हुए बाबूजी ने कहा, “अंग्रेजों ने निश्चित रूप से इस परिस्थिति का फायदा उठाया और अनैतिक राजनीतिज्ञों ने उसका अपने हित में उपयोग करने की कोशिश की... इसलिए सांप्रदायिक, वर्ण, क्षेत्र और भाषा सम्बन्धी तनावों की समाप्ति एक सांस्कृतिक परिवर्तन और सोचने के वर्तमान ढंग को बदल कर वैज्ञानिक चिंतन के युग की शुरुआत करेगा। इस सांस्कृतिक परिवर्तन और वैज्ञानिक चिंतन के लिए जरूरी है कि एक दूसरे की भावनाओं के प्रति सम्मान और सहानुभूति पैदा की जाय। “समाज के हर वर्ग को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि उसे धर्म-क्षेत्र या अन्य किसी वहाने से दूसरे वर्ग के इस अधिकार पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए जिससे वह अपने ही ढंग से जीवन व्यतीत करना चाहता हो।”

इस अधिवेशन में नयी कार्यकारिणी भी बनी। इसमें अध्यक्ष बाबूजी ने प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्रियों की राय के अनुसार १० व्यक्तियों को चुना जो सर्वसम्मति से निर्वाचित घोषित हुए। कार्यकारिणी के लोगों का नाम इस प्रकार था :—प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री कमलापति त्रिपाठी, श्री हेमवती नंदन बहुगुणा, श्री चन्द्रशेखर, श्री वसन्त राव नाइक, श्री मोहन लाल सुखाड़िया, श्री चन्द्रजीत यादव, श्री फखरुद्दीन अली अहमद, श्री ब्रह्मानंद रेड्डी, श्री यशवंत राव चव्हाण, श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र, श्री द्वारिका नाथ तिवारी, श्री



उमाशंकर दीक्षित, श्री कोल्लुर मालप्पा, श्री दरंवारा सिंह, श्री दामोदरन संजीवैय्या, श्री शंकर दयाल शर्मा, श्री हेनरी आस्टीन, श्री सी० सुब्रह्मण्यम, और श्री सिद्धार्थ शंकर राय ।

श्री ट्वॉरिका प्रसाद मिश्र को कोपाध्यक्ष बनाया गया और श्री शंकर दयाल शर्मा और श्री हेमवती नंदन बहुगुणा प्रधान सचिव बने रहे ।

राजनीति के रंग-विरंगे दांव-पेंच चलने शुरू हो गये । एक तो पहले से ही प्रदेशीय सरकारों में स्थायित्व का अभाव था अब तो और भी यह अभाव खटकने लगा । अहमदाबाद में वावूजी ने कहा कि यदि मौजूदा गुजरात सरकार टूट गयी और स्वतंत्र पार्टी ने अपनी सरकार बनायी तो उसे हमारी पार्टी का समर्थन प्राप्त होगा । वावूजी ने स्पष्ट शब्दों में यह भी कहा कि यह समर्थन बिना शर्त के नहीं होगा—वह दोनों पार्टियों द्वारा समर्थित कार्यक्रम के लिए होगा ।

श्री चिदम्बरम् सुब्रह्मण्यम को तमिलनाडु से चुनाव लड़ने के लिए वावूजी ने मना किया । कांग्रेस संसदीय पार्टी की बैठक में वावूजी ने श्री सुब्रह्मण्यम से अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता के आधार पर स्पष्ट कहा था कि आपको तमिलनाडु से राज्य सभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि उसमें आपकी हार लगभग निश्चित है । पर श्री सुब्रह्मण्यम अपनी जिद्द पर अटल थे । प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी सुब्रह्मण्यम का ही समर्थन किया । वावूजी स्पष्ट रूप से देख रहे थे कि तमिलनाडु विधान सभा में सत्ताधारी कांग्रेस की स्थिति नगण्य है । दूसरे इस प्रदेश में श्री कामराज का भी शक्तिशाली अस्तित्व है । स्पष्ट था कि श्री कामराज पुनः श्री सुब्रह्मण्यम को अपने प्रदेश से चुनाव लड़ने में विजयी बनने न देगे । ऐसी स्थिति में तमिलनाडु ने चुनाव लड़ने की श्री सुब्रह्मण्यम की जिद्द राजनीतिक दृष्टि से एकदम बेकार थी । वावूजी के समझाने पर भी सुब्रह्मण्यम ने अपनी जिद्द नहीं छोड़ी जिसके फलस्वरूप राज्य सभा के चुनाव में उनकी हार हो गयी ।

श्री सुब्रह्मण्यम ने मध्य प्रदेश से दुर्ग का उपचुनाव लड़ने से इसीलिए इनकार किया था कि उपचुनाव में हार से सत्ताधारी कांग्रेस की प्रतिष्ठा गिरेगी, पर तमिलनाडु से राज्यसभा का चुनाव लड़ना उनकी दूरदर्शिता का ही प्रमाण बना। वे चुनाव हार गए और सत्ताधारी कांग्रेस की प्रतिष्ठा पर आघात लगा।

वावूजी के अहमदाबाद के उस वक्तव्य की काफी आलोचना हुई जिसमें इन्होंने गुजरात में सरकार टूटने के बाद स्वतंत्र पार्टी को समर्थन देने की बात कही थी। पार्टी के बाहर और भीतर इस वक्तव्य का विरोध किया जा रहा था। विरोध किए जाने का तर्क यह था कि “राष्ट्रपति चुनाव के दौरान सत्ताधारी कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने श्री निजलिंगप्पा पर यह आरोप लगाया था कि वह जनसंघ और स्वतंत्र जैसी पार्टियों से जो कि कांग्रेस पार्टी की घोषित नीतियों के विरुद्ध हैं, सांठ-गांठ कर रहे हैं और इस आधार पर उन्होंने श्री संजीव रेड्डी को समर्थन न देने की घोषणा की थी।” प्रतिपक्षी कांग्रेस की यह दलील थी कि “सत्ताधारी कांग्रेस की राजनीति सिद्धान्तों पर नहीं सत्तालोलुपता पर आधारित है।” पर मेरी समझ में यह आलोचना तथ्यहीन थी। क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव समस्त राष्ट्र पर प्रभाव डालने वाला था परन्तु गुजरात की बात प्रदेश तक सीमित रहने वाली थी। साथ ही समर्थन की बात बिना शर्त के नहीं थी। संगठन कांग्रेस के श्री हितेन्द्र देसाई की सरकार के विकल्प में बनने वाली सरकार को दोनों पार्टियों द्वारा समर्थित कार्यक्रम पर चलने की बात थी। वावूजी ने कोई खास गलती नहीं की थी। इसलिए पार्टी में इनके विरुद्ध बगावत होने की कोई गुंजाइश नहीं थी। कुछ समाचार पत्रों ने तो यहां तक छाप दिया था “सत्ताहूड़ कांग्रेस पार्टी के अन्दर श्री जगजीवनराम के विरुद्ध अच्छा खासा वातावरण बन गया है और श्री जगजीवनराम दोनों ही कांग्रेस अध्यक्ष तथा मंत्री का पद नहीं सभालना चाहते—अतः वह इस्तीफा देगे।” इस तरह के निराधार समाचार का खंडन करने के लिए तत्काल वावूजी ने एक प्रेस सम्मेलन बुलाया।

उस प्रेस सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के समाचार का खंडन करते हुए बाबूजी ने कहा कि ऐसा कोई प्रश्न या संकट मेरे सामने नहीं है। इस सम्मेलन में कुछ संवाददाताओं ने इनका ध्यान कांग्रेस-अध्यक्ष नामजद होने के बाद दिए गए उस वक्तव्य की ओर आकृष्ट किया जिसमें इन्होंने कहा था कि “वहादुरों के लिए भी मंत्री पद और अध्यक्ष पद एक साथ सम्भालना मुश्किल है। मंत्री तथा कांग्रेस अध्यक्ष दोनों का बोझ एक साथ भारी पड़ता है।” इस संदर्भ में बाबूजी ने कहा, “बोझ भारी जरूर पड़ता है लेकिन इतना भारी नहीं कि उसे संभाला न जा सके।”

बाबूजी ने शक्ति की स्थिति में रह कर गुजरात में स्वतंत्र पार्टी की सरकार को समर्थन देने की बात कही थी। शक्तिहीन होकर स्वतंत्र पार्टी से सरकार बनाने की बात इन्होंने नहीं कही थी। लार्ड वांस्टिटाट ने कहा है—“शक्ति की स्थिति से वार्ता आरंभ करो, शक्तिहीनता की अवस्था में नहीं, नहीं तो तुम्हें यह महसूस होगा कि पहले तुम किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा कर वार्ता कर रहे हो—जो घृणित कार्य है और बाद में अपने आप को नुकसान पहुंचाकर समझौते पर उतर आए हो—जो विनाशकारी है।” राष्ट्रपति चुनाव-संदर्भ में जनसंघ और स्वतंत्र पार्टियों से जो वार्ता या समझौता श्री निजलिंगप्पा ने की थी वह शक्तिहीनता की स्थिति में की थी। उन्होंने जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी से सहायता मांगी थी पर बाबूजी ने शक्ति की स्थिति में रहने हुए सहायता देने की बात कही थी। ‘मांगने’ और ‘देने’ जैसे शब्दों का अर्थ समझना सामान्य व्यक्ति के लिए भी आसान है। कमजोर सहायता मांगता है और शक्तिशाली सहायता देता है। यही इतिहास भी कहता है। दूसरी बात विरोधी शिविर को उखाड़ने की भी थी। जिन आलोचकों ने यह कहा था कि बाबूजी के वक्तव्य से सत्तारूढ़ पार्टी को आघात पहुंचा है उन्हें समझने में भूल हो गयी थी। बाबूजी के वक्तव्य से सत्तारूढ़ पार्टी की प्रतिष्ठा को आघात नहीं लगा था बल्कि प्रतिष्ठा बढ़ी ही थी।

दूसरी बात यह थी कि कांग्रेस विभाजन के साथ-साथ 'ध्रुवीकरण' का प्रकरण भी जारी था। स्पष्ट रूप से अब देश की दो विचार-धाराओं का राजनीति के मैदान में समर चल रहा था। 'जनरलों के शिक्षक कप्तान' कैप्टन लिडिल हाट, समरनीति की सबसे स्पष्ट और यथार्थवादी व्याख्या करते हुए कहते हैं—“समर का अंत एक लड़ाई नहीं हो सकती। उसके अंत शत्रु की पराजय है—लड़ाई केवल अन्य उद्देश्यों के साथ शत्रु की पराजय का एक माध्यम हो सकती है। जहां तक सम्भव हो वास्तविक सफलता इस प्रकार मिश्रण योजनाओं से प्राप्त की जानी चाहिए जिससे शत्रु को धोखा लगे। शत्रु को धोखा देने के लिये यह सदा आवश्यक है कि उसके सामने अनिश्चय का एक परिस्थिति पैदा कर दीजिए। विजय शत्रु के शारीरिक-नाश से प्राप्त नहीं की जानी चाहिए बल्कि उसके नैतिक ह्रास से और यह विशेष प्रकार के समर चातुर्य से पैदा की जा सकती है। जहां तक सम्भव हो सबसे अधिक कम खर्चीला रास्ता अपनाया जाना चाहिए।” कैप्टन लिडिल हाट की समर-नीति की इस स्पष्ट और यथार्थवादी व्याख्या को देखने के बाद भी स्पष्ट हो जाता है कि वाबूजी का वक्तव्य गलत नहीं था। बल्कि समरनीति के चातुर्य और रहस्य से भरा पूरा था। इनका लक्ष्य प्रतिपक्षी कांग्रेस को राजनीति के रंगमंच से उतार फेंकने का था।

संसदीय कांग्रेस कार्यकारिणी की एक बैठक में जो मुख्य रूप से कपास का उत्पादन बढ़ाने और बैकों के राष्ट्रीयकरण के बाद आवश्यक कदम उठाने के लिए कार्यक्रम निर्धारित करने के उद्देश्य से बुलायी गयी थी, श्री कृष्णकांत ने पार्टी के नेतृत्व पर पार्टी की 'जड़स्थिति दिशाहीनता और कुंठा' के लिए दोषपूर्ण स्वर में आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले वर्ष कांग्रेस के विभाजित होने के बाद यह विश्वास था कि समाजवादी कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए सत्ताधारी दल कुछ ठोस कदम उठाएगा, लेकिन वह विश्वास अब भूटा सिद्ध हो रहा है। दिशाहीनता से कांग्रेसी संसद-सदस्यों और

कार्यकर्ताओं के हतोत्साहित होने की बात भी उन्होंने कही थी। चोटी के नेताओं द्वारा उचित मार्ग-दर्शन न दिए जाने का आरोप भी उन्होंने लगाया था। अपना अनुभव सुनाते हुए उन्होंने यह भी कहा कि देश भर में जहाँ भी वे घूमे थे वहीं उन्हें कांग्रेसी कार्यकर्ता असन्तुष्ट, क्षुब्ध और हतोत्साहित मिने थे। इसलिए उन्होंने नेतृत्व वर्ग को जागरूक हो कर प्रदेश और जिला समितियों के लिए कार्यक्रम निश्चित करने और शीघ्र ही कार्यकारिणी की नीतियों को निर्धारित करने का सुझाव भी दिया था।

प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और कार्यकारिणी के कुछ अन्य सदस्यों ने श्री कृष्णकांत की बातों का समर्थन किया था परन्तु दल के मुख्य सचिव श्री शंकर दयाल शर्मा ने आपत्ति की थी कि यह दल का निजी मामला है। बाबूजी ने अपने ६३वें जयन्ती के अवसर पर ५ अप्रैल, १९७० को कहा कि 'वेशक असाधारण ऊहापोह से गुंजरने के कारण दल में कुछ खामियां आ गयी हैं, लेकिन ये खामियां शीघ्र ही दूर की जा सकेंगी—दूर की जा रही है।' उस दिन उन्होंने यह भी कहा था कि जो लोग यह कह रहे हैं कि संगठन नष्ट हो रहा है वे पराजय की भावना से ग्रस्त हैं।

१० अप्रैल, १९७० को प्रधान मंत्री के निवास स्थान १, सफदरजंग रोड पर संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और विधान सभाओं के कांग्रेस नेताओं ने भाग लिया। इस बैठक में राज्यसभा के चुनावों में होनेवाली हारों का लेखा-जोखा हुआ।

वंदई अधिवेशन के बाद दूसरी होनेवाली कार्यकारिणी की बैठक में 'युवा तुर्कों' ने खुलकर अपनी भुंभलाहट प्रकट की। 'युवा तुर्कों' के नेता श्री चन्द्रशेखर ने बाबूजी को सम्बोधित करते हुए कहा, "ऐसा लगता है कि हम लोग कांग्रेस के सदस्य केवल सांकेतिक अर्थ में हैं। हमारी कोई वास्तविक हैसियत नहीं है। नेता हमारी राय के बिना मनमाने निर्णय लेते हैं।" श्री चन्द्रजीत यादव ने श्री चन्द्रशेखर का समर्थन करते हुए कहा "संस्था का केन्द्रीय कार्यालय गतिरोव की स्थिति

में है। वह प्रदेश शाखाओं का नेतृत्व कर सकने में असफल सिद्ध हुआ है। राज्यसभा के चुनाव में अनेक राज्यों में कांग्रेस की पराजय की जिम्मेवारी बहुत हद तक केन्द्रीय कार्यालय पर है।” संस्था के महामंत्री श्री हेमवती नंदन बहुगुणा और श्री चन्द्रजीत यादव में झड़प भी हो गई। श्री बहुगुणा का कहना था कि “केन्द्रीय कार्यालय को दोष देना फिजूल है। स्वयं हमारे संसद-सदस्य और प्रवक्ता संगठन की गतिविधियों में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं।” हालांकि श्री चन्द्रजीत यादव की टिप्पणी थी कि कार्यालय ने उनसे सहयोग लेने का कभी प्रयास नहीं किया।

संगठन का विषय काफी विवादास्पद बन गया। संगठन पर तरह तरह के आक्रमण किए गए। कुछ लोगों ने वावूजी के सम्बन्ध में यह कहा कि “वे मंत्रालय के कार्यों में अत्यधिक व्यस्त व्यक्ति हैं और संस्था की गतिविधियों में सक्रिय दिलचस्पी नहीं लेने के कारण असमर्थ सिद्ध हो रहे हैं। यहां तक कि वह केन्द्रीय कार्यालय में भी गाहे-बगाहे ही पधारते हैं। अन्यथा संस्था का काम यन्त्रवत् चल रहा है। उन्हीं की उदासीनता का नतीजा यह हो रहा है कि संगठन पूरी तरह विश्रुंखल है और अनुशासन जैसी कोई चीज रह नहीं गई है।” उस दिन की बैठक में स्पष्ट रूप से पुनः दो शिविरों के निर्माण की झलक दिखाई पड़ने लगी थी। एक ओर सत्ताधारी कांग्रेस के संगठन के केन्द्रीय कार्यालय से सम्बद्ध पदाधिकारी थे तो दूसरी ओर कांग्रेस कार्य-कारिणी समिति के कुछ सदस्य थे। लग रहा था कि पुनः कांग्रेस में दरार पड़ जायगी। क्योंकि नयी कांग्रेस की नींव ही पारस्परिक अविश्वास और शंका की घड़ी में पड़ी थी। परन्तु वावूजी ने एक अनुभवी राजनेता की तरह पुनः विभाजन की प्रक्रिया को तुरंत दबा दिया। इन्होंने अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय देते हुए संगठन सुधार करने का कार्य ज्यादातर संगठन के आलोचकों को ही सौंप दिया। संगठन में सुधार लाने के लिए एक समिति गठित कर दी गई। इस समिति का अध्यक्ष श्री सुब्रह्मण्यम को बना दिया गया और सदस्यों में

श्री चन्द्रजीत यादव, श्री चन्द्रशेखर, श्री कोल्लूर मालप्पा, डा० हेनरी आस्टीन, श्री द्वारिका नाथ तिवारी, श्री हेमवती नंदन बहुगुणा और श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र का नाम था।

बाबूजी की समर-नीति ने अपना रंग लाना शुरू कर दिया था। विधान सभाओं के होने वाले उप-चुनावों में सत्ताधारी कांग्रेस-की जीत पर्याप्त मात्रा में होने लगी थी। उसने उपचुनावों में ८ सीटों पर अपना कब्जा कर लिया था। उसने संगठन कांग्रेस की अधिकतर सीटों को अपने हाथ में लिया था। बाबूजी की समरनीति जिसका लक्ष्य संगठन कांग्रेस को राजनीति के रंगमंच से उखाड़ फेंकने का था, पूरा हो रहा था। कुछ दिनों से कुछ स्वार्थ-लोलुप लोग इस सत्तारूढ़ कांग्रेस में रहकर भी बाबूजी की आलोचना कर रहे थे। महाराष्ट्र के श्री मोहन धारिया को बाबूजी को अध्यक्ष पद और साथ ही मंत्रिपद पर देखकर काफी चिन्ता हो रही थी। वे बाबूजी को मंत्रिपद से त्याग-पत्र दे देने की मांग कर रहे थे। हालांकि उनकी चल नहीं रही थी फिर भी वे सक्रिय थे। उन्होंने कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों के नाम अपनी एक टिप्पणी भी वांटी थी। उनकी उस टिप्पणी में भी वही बातें दुहरायी गयी थीं जो वह कई बार कह चुके थे। श्री मोहन धारिया की उपरोक्त मांग का रहस्य भेदन करने वालों का कहना था कि वह यह चाहते हैं कि बाबूजी श्री यशवंत राव चव्हाण के मार्ग का रोड़ा न बनें। श्री मोहन धारिया ने जिस तर्क के आवार पर बाबूजी की आलोचना शुरू की थी वह खोखला था। उनके तर्क का कांग्रेस कार्यकारिणी में भी काफी विरोध हुआ। बाबूजी के समर्थकों ने पं० जवाहर लाल नेहरू का उदाहरण देते हुए स्पष्ट रूप से कहा था कि इसके पहले भी ऐसा हुआ है कि एक ही व्यक्ति ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने के साथ ही मंत्रि परिपद का भी कार्य-भार संभाला है। पं० नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष रहने के साथ-साथ प्रधान मंत्री के पद पर भी थे। इनके समर्थकों ने स्पष्ट रूप से इस बात की ओर भी संकेत किया था कि कांग्रेस विभाजन के मूल में संगठन और सत्ता का शक्ति

परीक्षण था। कांग्रेस अध्यक्ष और प्रधान मंत्री दोनों अपने को एक दूसरे से अधिक महत्वपूर्ण समझते थे। इनके उैन समर्थकों ने स्पष्ट रूप से यह बात भी कही कि अगर उसी गलती की पुनरावृत्ति हुई तो सम्भव है कि कांग्रेस पुनः विभाजित हो जाय इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष का मंत्रिपरिषद का एक सदस्य होना सबके लिए लाभदायक है।

मु० मंत्रियों के सम्मेलन में भूमि सुधार को १९७० तक समाप्त कर देने का निश्चय किया गया था। सत्तारूढ़ कांग्रेस के दम्बई में होने वाले अधिवेशन के समय कार्यकारिणी की बैठक में इस बात पर काफी बल दिया गया था कि राज्य सरकारों पर दबाव डाला जाय कि १९७१ के पहले ही अपने राज्यों में भूमि सुधार कानून लागू कर दें। आरम्भ से ही बाबूजी भूमि सुधार कानून लागू कर देने की बात पर काफी बल दिया करते हैं। कुरुवई के हरिजन सम्मेलन में जब बाबूजी ने खुले आम यह कहा कि 'जो जोते उसकी जमीन' तो अपने को समाजवादी कहने वाले कांग्रेसियों ने ही इनकी काफी आलोचना की थी। यहां तक कि बाबूजी के इस कथन का कुछ केन्द्रीय मंत्रियों ने भी आलोचना की और कहा था कि श्री जगजीवन राम वर्ग संघर्ष तथा जातीय संघर्ष कराने के फेरे में हैं। हालांकि बाबूजी ने समाजवादी सिद्धांत को ही ध्यान में रखते हुए यह बात कही थी। बाबूजी के कथन का स्पष्ट अर्थ यह था कि जोतने वाले को ही जमीन रखने का अधिकार होना चाहिए और जो नहीं जोतता उसका स्वामित्व जमीन परसे हटा देना चाहिए।

पुनः महासमिति का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में देश की साम्प्रदायिक स्थिति ही मुख्य रूप से चर्चा का विषय था। इस अधिवेशन के आरंभ में ही बाबूजी ने देश की साम्प्रदायिक स्थिति और जातिवाद से संबंधित सभी पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला था। यह महासमिति अधिवेशन जून में हुआ था। इसमें पारित प्रस्ताव के अनुसार 'आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने हमारे प्राचीन समाज में बहुत से विरोधाभासों को उभारा है। दकियानूसी परंपराओं और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों के बीच निहित संघर्ष है। भाषा और मत भिन्न-भिन्न हैं। गरीब और अमीर,



पिछड़े एवं अधिक विकसित क्षेत्रों में विषमता है। यह हमारे राष्ट्रीय जीवन की वास्तविकताएं हैं। अधिनायकवादी और प्रतिक्रियावादी रास्ता इस परिस्थिति को और भी गंभीर बना देगा। इन संघर्षों को युक्तिसंगत प्रजातांत्रिक, धर्म-निरपेक्ष समाजवादी रास्ते से ही हल किया जा सकता है।” प्रस्ताव में तत्कालीन सांप्रदायिक दंगों के कारण देश में गंभीर परिस्थितियों पर चिन्ता व्यक्त की गयी थी। साथ ही यह भी कहा गया था कि “ये शक्तियां हमारे समाज के धर्मनिरपेक्ष आधार को गंभीर चुनौती दे रही हैं और इनका सामना करना आवश्यक है।”

श्री सुब्रह्मण्यम ने १९७२ का निर्वाचन जीतने के लिए वामपंथी पार्टियों के एकीकरण का प्रस्ताव किया था। पर बाबूजी ने इस वामपंथी पार्टियों की एकता प्रस्ताव को अमान्य कर दिया। बाबूजी ने अपने भाषण में स्पष्ट कहा कि जो लोग १९७२ में कांग्रेस की हार की चर्चा कर रहे हैं वे पराजय की भावना से ग्रस्त हैं। बाबूजी समाजवादी एकता के भक्त अवश्य हैं पर ये किसी ऐसे एकीकरण के समर्थक नहीं हो सकते जिसमें कम्युनिस्ट शामिल हों।

## महान् विजेता रक्षा-मन्त्री के रूप में

बाबूजी राष्ट्रीयता का महत्त्व समझने वाले हैं। इनका दृष्टिकोण बराबर यही रहा है कि पार्टी और सरकार का स्वरूप राष्ट्रीय होना आवश्यक है। इनका कहना है कि पार्टी और सरकार की नीतियां लोकतांत्रिक समाजवादी होनी चाहिए परन्तु उनका स्वरूप राष्ट्रीय होना आवश्यक है। कम्युनिस्ट पार्टी के उद्देश्यों और कार्यक्रमों से इनका मेल खाना असम्भव है।

बाबूजी रूस गए हुए थे। इसी बीच २६ जून १९७० को मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हुआ। वैसे बहुत दिनों से मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होने का हल्ला था। इस मंत्रिपरिपद में बाबूजी, श्री यशवंतराव चव्हाण और श्री दिनेश सिंह के विभागों में परिवर्तन हुआ। बाबूजी को खाद्य मंत्रालय की जगह देश की रक्षा करने का भार दे दिया गया। श्री चव्हाण को गृह मंत्रालय की जगह वित्त मंत्रालय दिया गया। श्री दिनेश सिंह को विदेश मंत्रालय से हटाकर उद्योग विकास मंत्री बना दिया गया। कुछ नये लोगों को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। गृह मंत्रालय का कार्यभार स्वयं प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपने हाथ में रखा। रूस से लौट कर आने पर बाबूजी से कुछ प्रश्नकर्त्ताओं ने जानना चाहा कि मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की खबर उन्हें थी कि नहीं? बाबूजी ने उत्तर दिया कि मंत्रिमंडल-पुनर्गठन के प्रश्न पर इनसे राय ली गई थी।

संगठन कांग्रेस सत्तारूढ़ कांग्रेस को सत्ता से हटाने के प्रयत्न में काफी सक्रिय दिखाई पड़ रही थी। संगठन कांग्रेस को अपनी चिन्ता

नहीं थी लेकिन 'लोकतंत्र बचाओ', 'देश को बचाओ' का नारा वह अवश्य बुलंद कर रही थी। लोकतंत्र और देश की चिन्ता उसे काफी हो गई थी। संगठन कांग्रेस के लोग क्रुद्ध थे। उनका क्रुद्ध होना स्वाभाविक था। उन्हें देख 'बड़े बेआबरू होकर तेरी महफिल से हम निकले' की बात स्मरण हो आती थी। उनके हाथ से संगठन और सत्ता दोनों छिन गई थीं। उनका समाजवादी मुखौटा उठ चुका था। सभी उनके वास्तविक चेहरों से अवगत हो गए थे। सत्ता और संगठन दोनों हाथ से निकल जाने के कारण उनका भयग्रस्त होना भी स्वाभाविक हा था। एक जर्मन कहावत है "Timid dogs bark most." और यही हालत संगठन कांग्रेस की हो गई थी।

संगठन कांग्रेस का, भारत का प्रधान मंत्रित्व अपने हाथों में लेने का सुनहला स्वप्न भी टूट गया था। आदमी जब कोई सुहाना स्वप्न देखता रहता है तो उसमें व्यवधान पड़ने पर क्रुद्ध हो जाता है। यही हालत उनकी भी थी। एक पुरानी कहावत है, "खिसियानी विल्ली खम्भा नोंचे" और यह वह कर भी रहे थे।

संगठन कांग्रेस ने जब देखा कि उनके समाजवादी नारों का खोखलापन सबके सामने आ गया है तो 'राष्ट्रवादी और लोकतंत्री' पार्टियों से समझौते की ढोल पीटनी शुरू की। उनके इस ढोल से मधुर आवाज की जगह वेसुरा कर्कश स्वर निकलने लगा। साथ ही राष्ट्रवाद और लोकतंत्र के नाम पर अन्य पार्टियों से समझौता करने के सिवा उनके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। राष्ट्रपति चुनाव-प्रकरण में इन्हीं दलों के साथ बात करके उन्होंने अपनी कन्न खोद दी थी। पुनः उन्हीं पार्टियों के साथ समझौते की बात करके उन्होंने अपने आपको दफना भी दिया। राष्ट्रपति के चुनाव संदर्भ में अविभाजित कांग्रेस के अध्यक्ष श्री निजलिंगप्पा के जनसंघ और स्वतंत्र पार्टियों से बात करने की बात पर दूरदर्शी वावूजी ने तत्काल अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। अब संगठन कांग्रेस ने उन्हीं दलों के साथ समझौते की बात करके वावूजी की दूरदर्शिता को सबके सामने रख दिया।

स्पष्ट रूप से देशकी राजनीति के मैदान में दो पंथों का संघर्ष शुरू हो गया था। वामपंथ और दक्षिणपंथ का मोर्चा तैयार था। दोनों पंथ अपनी व्यूह रचना में संलग्न हो गये थे। एक ओर कम्युनिस्ट पार्टी, डी० एम० के० आदि वामपंथी पार्टियों के सहारे पर सत्तारूढ़ कांग्रेस सत्ता में टिकी थी तो दूसरी ओर जनसंघ और स्वतंत्र जैसे दक्षिण पंथी दलों से समझौता करके संगठन कांग्रेस सत्ता में टिकने का असफल प्रयास कर रही थी। १९७० के जून के अन्तिम सप्ताह में होने वाले केन्द्रीय मंत्रिमंडल पुनर्गठन ने संगठन कांग्रेस को पहले से कुछ ज्यादा सक्रिय बना दिया था। वह अपनी रण-नीति के संदर्भ में सोच रही थी कि मंत्रिमंडल के पुनर्गठन के बाद कुछ विक्षुब्ध उसकी पार्टी में आ मिलेंगे। इधर जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी तथा कुछ निर्दलीय संसद सदस्यों के समर्थन से उसकी स्थिति कुछ सुधर ही गई थी। इन सब बातों को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस से सत्ता छीनने की उनकी महत्त्वाकांक्षा का बढ़ना स्वाभाविक ही था।

राष्ट्रपति-चुनाव के दौरान भी संगठन कांग्रेस ने यह सपना देखा था कि भारत का प्रधानमंत्री उनका अपना आदमी होगा। उस समय भी संगठन कांग्रेस के समक्ष भारत के प्रधान मंत्री होने वालों में श्री मोरारजी देसाई और श्री यशवंतराव चव्हाण के नाम थे। पुनः 'राष्ट्रवादी मोर्चा' के निर्माण और मंत्रिमंडल के पुनर्गठन ने उनको इस बात पर कल्पना करने को उकसाया कि भारत का भावी प्रधान मंत्री कौन होगा? इस बार भी संगठन कांग्रेस के सामने दो नाम थे। एक नाम था श्री मोरारजी देसाई का और दूसरा डा० रामसुभग सिंह का नाम था।

स्वतंत्र, जनसंघ और संगठन कांग्रेस के होने वाले गठबंधन के सम्बन्ध में तरह-तरह के रहस्य-भेदन भी हो रहे थे। इस रहस्य-भेदन के संदर्भ में यहां तक कहा गया था कि 'राष्ट्रवादी पार्टियों' को एक मंच पर लाने के प्रस्ताव की रचना स्वतंत्र पार्टी के श्री मीनू मसानी और जनसंघ के श्री वलराज मधोक ने की थी।

सत्तारूढ़ पार्टी के कुछ लोग स्वतंत्र, जनसंघ और संगठन कांग्रेस के होने वाले गठबंधन को देख कर निश्चित रूप से भयभीत हो गए थे। संगठन के गठबंधन ने सत्तारूढ़ में पहले की अपेक्षा ज्यादा एकता ला दी। सत्तारूढ़ कांग्रेस के कुछ सदस्य, जो बराबर केन्द्रीय नेतृत्व की आलोचना करने में लगे रहते थे उन्होंने अपनी आलोचना की नीति को छोड़कर एक प्रस्ताव पारित कर संगठन कांग्रेस के राष्ट्रवादी मोर्चे को राष्ट्रविरोधी घोषित किया। श्री चन्द्रजीत यादव, श्री रणधीर सिंह, श्री द्वारिका नाथ तिवारी, श्री सीताराम केशरी आदि ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, “प्रतिपक्षी कांग्रेस, जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी एकाधिकार को बनाए रखने के लिए अपनी अन्तिम लड़ाई लड़ रही है। देश के सभी प्रगतिशील और लोकतांत्रिक संगठनों का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वे संगठित हों और यथास्थितियों की स्थितियों से लड़ें।” परन्तु सत्तारूढ़ दल के अध्यक्ष के रूप में बाबूजी जनसंघ, स्वतंत्र और संगठन कांग्रेस के होने वाले गठबंधन से जरा भी चिन्तित नहीं थे।

आइए अब हम तत्कालीन राजनीति के रंगमंच पर होने वाले प्रमुख अभिनयों को भी देखें। जब संगठन कांग्रेस के करीब-करीब सभी प्रमुख यह अनुभव करने लगे थे कि सत्तारूढ़ कांग्रेस के साथ अकेले लड़ने में वे असमर्थ और असफल हैं और रहेंगे तब उन्होंने तय किया कि राष्ट्रवाद और प्रजातंत्र के नाम पर अन्य पार्टियों के साथ एकता कायम कर सत्तारूढ़ कांग्रेस को उखाड़ा जाए। अपनी शक्तिहीनता की अनुभूति प्राप्त कर वे अन्य पार्टियों का सहयोग प्राप्त कर शक्तिशाली बनने के लिए क्रियाशील भी हो गए। अन्य दलों के नेताओं के साथ उनकी बातें होने लगीं। इस कदम को उठाने के पहले उन्होंने यह थोथी दलील भी दी कि सत्तारूढ़ कांग्रेस ने सत्ता में बने रहने के लिए ‘पदों के पीछे’ साम्यवादी दल और साम्प्रदायिक दलों के साथ समझौता किया है। अतः इन राष्ट्रविरोधी तत्त्वों से सत्ता छीनने के लिए सभी राष्ट्रवादी और लोकतंत्री दलों को एक मंच पर आना आवश्यक है। इस संदर्भ में

समाजवाद का नकाब धारण करने वाले पुराने नेता श्री मोरारजी देसाई ने संसोपा के नेता जार्ज फर्नांडीज से बात की और श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने श्री राजनारायण सिंह से भेंट की थी। पर संगठन कांग्रेस का समाजवादी नकाब पहले ही इस रहस्य-भेदन से उतर गया था जिसमें इस बात की चर्चा थी कि राष्ट्रवाद और लोकतंत्र की रक्षा करने के प्रयास के प्रस्ताव की रचना स्वतंत्र पार्टी के नेता श्री मीनू मसानी और जनसंघ के प्रो० बलराज मधोक की राय से की गई थी। अपना समाजवादी मुखौटा उतरा हुआ देख कर संगठन कांग्रेस के नेताओं ने इस बात की चर्चा बड़े जोर-शोर से शुरू की थी कि सत्तारूढ़ कांग्रेस ने अपने को साम्यवादी और साम्प्रदायिक राष्ट्र विरोधी दलों के साथ जोड़ लिया है। सम्भवतः उनकी यह बात अपने मुखौटे को मुख पर वारण किए रहने की कोशिश-मात्र थी। क्योंकि जनसंघ तथा स्वतंत्र पार्टियों के साथ गठबंधन करने से उनके मुख का सौन्दर्य मिट रहा था। उनका यह गठबंधन उनके मुख पर पुते हुए 'समाजवाद' का पाउडर और होंठों पर लगे 'धर्मनिरपेक्षता' की 'लिपिस्टिक' को धो रहा था।

संगठन कांग्रेस के संसद के नेता डा० रामसुभग सिंह ने एक पत्र प्रतिनिधि से बात करते हुए कहा था कि "जो लोग देश को विदेशी प्रभाव और खतरे से मुक्त करना चाहते हैं वह इस अभियान में हमारे साथी हो सकते हैं ताकि वर्तमान केन्द्रीय सरकार को नष्ट कर दिया जाय। क्योंकि हिंसात्मक और राष्ट्र विरोधी तत्त्वों के साथ इसका गठबंधन है।" जब उस प्रतिनिधि ने इस अभियान के सम्बन्ध में अन्य दलों के नेताओं के साथ हुई बातों को जानने की इच्छा व्यक्त की तो विरोधी दल के नेता डा० रामसुभग सिंह ने कहा था कि "हमने कोई औपचारिक बातचीत नहीं की है, अनौपचारिक रूप से तो मैं रोज ही विरोधी दलों के नेताओं से मिलता रहता हूँ और देश की समस्याओं पर हमारा विचार-विमर्श होता है।" हालांकि बात यह नहीं थी। तथाकथित अभियान का आह्वान करने वालों में जनसंघ के प्रो० बलराज मधोक और स्वतंत्र पार्टी के श्री मीनू मसानी के नामों की प्रमुखता का रहस्य-भेदन

पहले ही हो चुका था ।

इस गठबंधन अभियान के संदर्भ में संगठन कांग्रेस के श्री मोरारजी देसाई ने प्रसोपा के नेताओं से भी बातचीत की थी । इस बात का संकेत भी मिला था कि प्रजा समाजवादी नेता श्री हरिविष्णु कामथ ने कोई व्यापक समझौता करने के पूर्व संसद के शरत्कालीन सत्र में एक कामचलाऊ समझौता करने की अपनी इच्छा प्रकट की थी ।

सोनपुर में संसोपा के होने वाले अधिवेशन के बाद संसोपा के महामंत्री जार्ज फर्नांडीज ने विभिन्न राजनैतिक दलों को चिट्ठी लिखी थी । जिसमें सत्तारूढ़ पार्टी से सत्ता छीनने के लिए वजट सत्र से पहले एक सामूहिक प्रयास करने की बात लिखी थी । दोनों साम्यवादी पार्टियों ने जनसंघ, स्वतंत्र और संगठन कांग्रेस के साथ मिलकर कोई भी कदम उठाने की बात को अस्वीकृत कर दिया था ।

तथाकथित राष्ट्रवादी मोर्चा के अभियान के सम्बन्ध में सत्तारूढ़ कांग्रेस के 'युवा तुर्क' के मुखर नेता श्री चन्द्रशेखर ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि "यह गठबंधन साम्प्रदायिक और पूंजीवादी तत्त्वों का प्रगतिशील शक्तियों के विरुद्ध मोर्चा बनाने का प्रयास है ।"

भारतीय क्रान्ति दल के चौधरी चरणसिंह के अनुसार स्वयं वह केन्द्र की सरकार को गिराने के पक्ष में नहीं थे । पर उन्होंने विरोधी दलों के कदम, केन्द्र की सरकार गिराने के अभियान को उचित ठहराया था ।

स्वतन्त्र, संगठन कांग्रेस और जनसंघ के गठबंधन का आह्वान अब क्रमशः कार्यरूप में भी परिवर्तित होने की स्थिति में आ गया । चण्डीगढ़ में होने वाले जनसंघ की महापरिषद की बैठक में संगठन कांग्रेस का निमंत्रण कुछ विरोध के साथ स्वीकार कर ही लिया गया । इसके पहले जनसंघ ने देशव्यापी मांग-पत्र अभियान की घोषणा की थी । उस मांग-पत्र में ये मांगें थीं—(१) परमाणु बम का निर्माण और परमाणु शक्ति विस्तार का कार्यक्रम चले, (२) १८ वर्ष की आयु में मतदान का अधिकार मिले, (३) मूल अधिकारों में कार्य का भी अधिकार शामिल किया जाय, (४) भूमिहीनों में, विशेषतया हरिजनों और आदिवासियों

में अतिरिक्त भूमि बांटने का समयनिष्ठ कार्यक्रम बने और अनुपजाऊ खेतों के किसानों को पांच वर्ष में अदा करने वाला व्याज रहित ऋण दिया जाए। इस मांग-पत्र पर १ करोड़ से अधिक लोगों के हस्ताक्षर होने की कल्पना की गई थी।

जनसंघ अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दोनों दलों (जनसंघ और संगठन कांग्रेस) के बहुमत से संयुक्त मोर्चे का नेता चुनने की राय दी थी। संगठन कांग्रेस के साथ गठबन्धन के पक्ष में श्री मधोक ने कहा था कि “राष्ट्र-विरोधी तत्त्व, जिनका प्रतिनिधित्व सत्ताधारी कांग्रेस-कम्युनिस्ट-मुस्लिम लीग गठबन्धन कर रहा है, एकजुट हो गए हैं। कम्युनिस्टों और मुस्लिम लीगियों को केन्द्रीय मंत्रिमंडल में भूतपूर्व पार्टी सदस्य और रजाकारों के रूप में जगह मिल गई है।” गठबन्धन के पक्ष में पारित प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि “वक्त आने की देर है कम्युनिस्ट और लीग को सत्ताधारी कांग्रेस सत्ता में हिस्सा बंटाने का निमन्त्रण देगी” ... “इस निमन्त्रण का रास्ता खुल रहा है। श्री सुब्रह्मण्यम ने खुलेआम इसकी मांग की है और केन्द्रीय मन्त्री खाडिलकर ने खुले आम कहा है कि मुस्लिम लीग साम्प्रदायिक नहीं है। श्रीमती गांधी नक्सलवादी आतंक और मार्क्सवादी वन्द और कम्युनिस्ट पार्टी के भूमि-छीनो आन्दोलन पर चुप बैठी है ...।” कहने का मतलब यह कि इस प्रस्ताव में जनसंघ और संगठन कांग्रेस के गठबन्धन का पूर्ण रूप से औचित्य सिद्ध करने का ही प्रयास किया गया था। लेकिन जनसंघ ने केवल संसद में ही गठबन्धन का औचित्य समझा।

एक राजनैतिक प्रस्ताव पास करके स्वतन्त्र पार्टी की महासमिति ने भी संगठन कांग्रेस के चलाए हुए एकता अभियान में साथ देने का निश्चय कर लिया। स्वतन्त्र पार्टी के संस्थापक तथा देश के वयोवृद्ध नेता श्री राजगोपालाचारी ने कहा कि “पार्टी के बाहरी स्वरूप की समाप्ति का मतलब हमारे सिद्धान्तों की प्राप्ति है। हमें कमर कसकर उस लड़ाई को जीतना है जो हम शुरू कर रहे हैं।” उन्होंने समझौता से ज्यादा एकता पर बल दिया। श्री राजगोपालाचारी ने भारतीय



लोकतन्त्र की रक्षा करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था, “यह समय समझौता का नहीं है बल्कि सम्पूर्ण एकता का है जो वर्तमान ‘सरकारी सर्वाधिकारी’ का अन्त कर सके। प्रधान मन्त्री इंदिरा गांधी का शासन भारत के लिए उतना ही खतरनाक है जितना कि यूरोप में हिटलर का था। भारतीय लोकतन्त्र अपने को जलाने पर आमादा है। हमें इस प्रकार की ‘आत्महत्या’ पर रोक लगानी चाहिए।” प्रो० रंगा और श्री मीनू मसानी ने राजाजी की बातों का स्पष्ट समर्थन किया। प्रो० रंगा का विचार था “यद्यपि संगठन कांग्रेस ने राजाजी और उनके साथ गद्दारी की है लेकिन उसने देश के साथ गद्दारी नहीं की, लिहाजा हमें उसके हाथ मजबूत करने चाहिए।” श्री मीनू मसानी की यह राय थी कि इस गठबन्धन को केवल संसद तक ही सीमित न रखा जाए। वे हर तरह के चुनावों-उपचुनावों को भी साथ-साथ एक ढण्डे के नीचे लड़ने की बात कर रहे थे। इस प्रस्ताव के अलावा प्रमुख प्रस्ताव कम्युनिस्ट पार्टी पर रोक लगाने का था। एक दूसरे प्रस्ताव के अनुसार यह कहा गया था कि “बंगाल में अगर भूमि हथियाने की नीति पर रोक न लगाई गई तो बंगाल भारत का उत्तर विएतनाम बन जाएगा। इसमें कम्युनिस्ट विएतकाङ्ग की भूमिका अभिनीत करेंगे और चीन उनकी पीठ पर होगा।”

अब राजनीति के क्षेत्र में संसद का मध्यावधि चुनाव होने की भी काफी चर्चा चलने लगी थी। हालांकि १६ जुलाई '७० को प्रधान मन्त्री ने कहा था कि अभी वह १९७२ के पहले चुनाव कराने के पक्ष में नहीं हैं। फिर भी कुछ लोगों का अनुमान था कि मध्यावधि चुनाव १९७१ के जनवरी या फरवरी में होगा। राज्यों की राजनीतिक स्थिति देखते हुए लोगों का अनुमान था कि समय से पूर्व होने वाले चुनाव में सत्ता-रुद्ध कांग्रेस के लगभग १५० सदस्य चुनाव जीत कर आ पायेंगे। राजनीतिक चहल-पहल के इसी वातावरण में संसद का पावस अधिवेशन भी होने वाला था। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का अनुमान था कि पावस अधिवेशन में नहीं तो इसके बाद वाले संसद अधिवेशन में सत्ता-रुद्ध

पार्टी सत्ताच्युत हो जाएगी क्योंकि उसे अब संगठित विरोध का सामना करना पड़ेगा ।

केरल के कम्युनिस्ट मुख्यमन्त्री के इस्तीफा दे देने और मध्यावधि चुनाव की सिफारिश करने से केरल में भी मध्यावधि चुनाव होने वाला था । वहां भी सभी दलों की चुनाव तैयारियां हो रही थी । २७ जुलाई को केरल में १७ सितम्बर से मध्यावधि चुनाव होने की घोषणा भी कर दी गई, साथ ही संसद का पावस अधिवेशन भी शुरू हुआ । केरल की स्थिति की पूर्ण जानकारी के लिए सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी ने अपने महामन्त्री श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा को केरल भेजा । केरल से लौटकर आने के बाद श्री बहुगुण ने अपनी रिपोर्ट कांग्रेस संसदीय बोर्ड को दी । उनकी रिपोर्ट में कहा गया था कि "पिछले कुछ महीनों में केरल में सत्ताधारी कांग्रेस की स्थिति में सुधार हुआ है और उसकी लोक-प्रियता बढ़ी है । राष्ट्रीय स्तर की पार्टी में सत्ताधारी कांग्रेस आज भी सबसे बड़ी पार्टी है और इसलिए अगले चुनाव में पार्टी को उन गैर कांग्रेसी पार्टियों के साथ सौदा करना चाहिए जो कि चुनाव के बाद अपनी सरकार बनाने के इच्छुक हैं ।" श्री बहुगुणा की रिपोर्ट में इस बात का भी स्पष्टीकरण किया गया था कि उनकी पार्टी केरल में होने वाले मध्यावधि चुनाव में जनसंघ, स्वतन्त्र तथा संगठन कांग्रेस के साथ किसी भी तरह का सहयोग नहीं करेगी । केरल के साथ-साथ पंजाब में अकाली दल के साथ सहयोग करने का भी प्रश्न था । कार्यकारिणी में श्री सी० सुब्रह्मण्यम, श्री चन्द्रशेखर, श्री चन्द्रजीत यादव, श्री मोहन लाल सुखाड़िया और श्री केशवदेव मालवीय ने अकाली दल के साथ सहयोग की बात का काफी विरोध किया । श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र के अनुसार भी अकाली दल के साथ सहयोग की बात अपने बुनियादी सिद्धान्त की हत्या करना था । अन्त में तय हुआ कि अकाली दल जब तक अपना साम्प्रदायिक सिद्धान्त नहीं छोड़ता तब तक उसके साथ कहीं भी किसी तरह की बात नहीं हो सकती । श्री चन्द्रशेखर, श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री केशवदेव मालवीय ने इस बात का जिक्र किया था

कि. अभी उनकी पार्टी में प्रदेशीय और केन्द्रीय स्तर के संगठन में काफी त्रुटियां हैं और इस हालत में कोई भी मध्यावधि चुनाव होना दल के हित में नहीं होगा। उनका यह भी कहना था कि संगठन को सुधारने के लिए श्री सुब्रह्मण्यम की अध्यक्षता में जो समिति गठित की गई थी उसके सुझावों को भी अब तक व्यवहार में नहीं लाया गया है। बाबूजी ने कहा था कि प्रदेश, कांग्रेस समितियों तथा जिला समितियों का एक राजनैतिक सम्मेलन बुलाना चाहिए और पार्टी के विचारों की जनता को जानकारी दी जाना चाहिए। अन्त में कार्यकारिणी समिति ने यह निर्णय किया कि पार्टी का वार्षिक अधिवेशन १९७१ के जनवरी में उत्तर प्रदेश में किया जाय और अगला अधिवेशन विहार में अक्तूबर में आयोजित हो।

संसोपा और प्रसोपा में भी विलय की बात चल रही थी। प्रसोपा और संसोपा के विलय का प्रस्ताव १९७० के जनवरी में होने वाले संसोपा के सोनपुर अधिवेशन में किया गया था। इसके बाद प्रसोपा ने फरवरी में होने वाले अपने बड़ौदा अधिवेशन में विलय प्रस्ताव का स्वागत किया था। दोनों दलों के महासचिवों के पत्र-व्यवहार के फल-स्वरूप दोनों दलों के प्रतिनिधि ८ मार्च को दिल्ली में मिले थे और दोनों दलों ने विलय की जरूरत को महसूस किया। पर एकता का दृढ़ आधार प्रस्तुत करने के लिए बुनियादी सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक नीतियों पर समान राय बनाने की बात से ज्यादा बात न हो सकी थी। पुनः १३ जुलाई को होने वाले वार्त्तालाप में कुछ फल निकलने की सम्भावना बनी थी। विलय वार्त्ता के लिए संसोपा के प्रतिनिधि श्री कर्पूरा ठाकुर (अध्यक्ष), श्री जार्ज फर्नांडीज (महामन्त्री), श्री एस० एम० जोशी (पूर्व अध्यक्ष) श्री रामसेवक यादव (पूर्व महामन्त्री और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष) और श्री भूपेन्द्र नारायण मण्डल (सदस्य राज्य सभा) थे। प्रसोपा के प्रतिनिधि श्री एन० जी० गोरे (अध्यक्ष), श्री प्रेम भसान (महामन्त्री) और मधु दण्डवते थे। लेकिन वाद में विस्तारित बैठकों में संसोपा की ओर से श्री मधुलिमये और प्रसोपा की

ओर से श्री नाथ पै, श्री बांके बिहारी दास, श्री हरिविष्णु कामधर, श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी और श्री सुरेन्द्र मोहन आदि भी भाग लेते थे। दोनों दलों के राजनैतिक प्रस्तावों में समान और असमान मन्तव्यों को लिखित रूप में स्पष्ट करने के लिए संसोपा ने एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया। परन्तु प्रसोपा के प्रतिनिधियों ने उसको सोचने और समझने के लिए कुछ समय की मांग की जिसके फलस्वरूप २६-३०-३१ जुलाई तक के लिए वार्ता स्वतः स्थगित हो गई। ३०-३१ जुलाई को भी अधिकतर संकुच्य दल की राजनैतिक दिशा पर ही बात होकर रह गई। इस विलय वार्ता को देखकर सत्तारूढ़ कांग्रेस के कुछ लोग भयभीत हो गए थे, वे उसे असफल करने की विफल चेष्टा कर रहे थे। विलय वार्ता एक ही दिन चली थी कि अपनी राजनीतिक कूटनीतिज्ञता का परिचय देते हुए सत्तारूढ़ कांग्रेस-अध्यक्ष के रूप में बाबूजी ने प्रसोपा अध्यक्ष के नाम एक पत्र लिखकर प्रसोपा को 'सार्थक सम्वाद' चलाने का निमन्त्रण दे दिया। फलस्वरूप सत्तारूढ़ कांग्रेस के समाजवादी कार्यक्रम से प्रभावित प्रसोपा के कुछ सदस्यों को बल मिला और विलय वार्ता पुनः दो महीनों के लिए टल गई। संसद के पावस अधिवेशन में भी संसोपा के सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में प्रसोपा के नेता श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी ने संसोपा का विरोध ही किया और अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाले मतदान में भी प्रसोपा ने तटस्थता की नीति ही अपनायी।

संसद के वर्षाकालीन अधिवेशन में जहां पर यह दिखता था कि अविश्वास प्रस्ताव के चलते सरकार गिर जाएगी वहां सत्तारूढ़ कांग्रेस, दक्षिण पंथी कम्युनिस्ट पार्टी, द्रविण मुनेत्र कड़गम और कुछ अन्य दल तथा निर्दलीय सदस्यों के सहयोग से सरकार स्थिर रह गई। अविश्वास प्रस्ताव का साथ देने वाले संसोपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट, स्वतन्त्र, जनसंघ और पुरानी कांग्रेस पार्टी थी। जहां अविश्वास प्रस्ताव के सम्बन्ध में इतनी चर्चा थी कि वह सरकार को गिराकर ही रहेगी वहां २६ जुलाई को वह भारी बहुमत से पराजित हो गया।

१९७० में ही मुस्लिम लीग का भी राष्ट्रीय स्तर पर पुनः पदार्पण हो गया। राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम लीग का पुनर्गठन वास्तव में बहुत महत्त्वपूर्ण नजरों से देखने की चीज हो गयी। आरम्भ से ही बाबूजी लीग और लीगी नीतियों के विरोधी रहे हैं। नयी कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में बाबूजी ने भी पत्रकारों से मुस्लिम लीग के पुनर्गठन को 'अवांछनीय' ही कहा। इनके अनुसार 'मुस्लिम लीग' मुसलमानों को तब तक सुरक्षा की भावना नहीं दे सकेगी जब तक मुसलमान 'राष्ट्रीय प्रवाह' के अंग न बन जाएं। उर्दू भाषा के सम्बन्ध में तथा मुस्लिम रोजी-रोजगार के सम्बन्ध में बाबूजी ने कहा कि "यह सामान्य समस्या है—किसी वर्ग की विशिष्ट नहीं, क्योंकि और भी बहुत से फ़ैसलों पर अमल नहीं किया जा सका है।" इधर केरल का मध्यावधि चुनाव निकट आ गया।

१ अगस्त को केरल के अच्युत मेनन मंत्रिमण्डल ने अपना त्याग-पत्र दिया। ४ अगस्त को केरल में राष्ट्रपति शासन की घोषणा हुई। सत्तारूढ़ कांग्रेस को भी केरल के चुनाव में भाग लेना था। श्री बहुगुणा के बाद श्री सुब्रह्मण्यम को केरल की स्थिति की पूरी जानकारी के लिए केरल भेजा गया था। श्री सुब्रह्मण्यम के केरल से लौटकर आने के बाद पार्टी में मुस्लिम लीग के साथ चुनाव समझौता के सवाल पर विचार-विमर्श हुआ। बाबूजी, श्री फखरुद्दीन अली अहमद तथा श्री यशवंतराव चव्हाण लीग के साथ किसी भी चुनाव समझौते के विरुद्ध थे। उनका कहना था कि "इस समझौते से तत्कालीन राजनीतिक फायदा हो सकता है लेकिन इससे संस्था की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचेगा और अन्य प्रदेशों में उसे क्षति होगी। दूसरे मुस्लिम लीग एक विश्वसनीय संस्था नहीं है। उसकी राजनीति न केवल साम्प्रदायिक है बल्कि आत्म-घाती भी है।" परन्तु श्री सी० सुब्रह्मण्यम् और श्री सिद्धार्थ शंकर राय की राय यह थी कि केरल मुस्लिम लीग की स्थिति अन्य प्रदेशों से अलग है। एक स्थानीय संस्था होने की वजह से उन्हें उससे कोई राष्ट्रीय खतरा नहीं दिखता था। इससे उन्होंने कहा कि "सीमित स्तर पर चुनाव समझौता करने में नैतिकता अनैतिकता का प्रश्न नहीं उठना चाहिए।"

प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी के विचार के अनुसार केरल के प्रदेश नेताओं की राय को महत्व देते हुए केरल में कम्युनिस्ट पार्टी तथा मुस्लिम लीग के सीमित चुनाव समझौते में कोई हर्ज नहीं था। हालांकि समझौते के तौर पर यह तय किया गया कि "कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा-पत्र जारी करे जिसमें यह स्पष्ट कर दिया जाय कि वह राजनैतिक हिंसा और हर तरह की साम्प्रदायिकता के विरुद्ध है।" मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी तथा संसोपा केरल के मध्यावधि चुनाव के स्थगन की मांग करने लगे। ऐसा भी आसार दिखने लगा था कि केरल का मध्यावधि चुनाव १७ सितम्बर को न होकर ८ अक्टूबर को हो। उनका तर्क यह था कि केरल की वर्षाकालीन अवस्था को देखते हुए मध्यावधि चुनाव को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर देना ही उचित होगा। सत्तारूढ़ कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में बाबूजी ने सिर्फ इतना ही कहा था "वर्षाकालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए चुनाव-स्थगन की मांग का महत्व बढ़ गया है।" चुनाव स्थगन की सब मांगों के प्रतिकूल विशेष संशोधन के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हो गई। इधर श्री ए० के० गोपालन ने मतदाता सूची की वैधता को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी। उसकी सुनवाई १७ अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। चुनाव-दंगल में भाग लेने वाले दलों के आपसी समझौते में भी उलट-फेर हो रहा था। सत्तारूढ़ कांग्रेस संसदीय बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में श्री सुब्रह्मण्यम् ने केरल पहुंचकर सीटों के वंटवारे के बारे में अपनी पार्टी के प्रदेश नेताओं से बात की। श्री सुब्रह्मण्यम् के अनुसार "लघु मोर्चा मार्क्सवादियों के विरुद्ध है अतः सत्तारूढ़ कांग्रेस अकेले किसी पार्टी से नहीं, लघुमोर्चा से चुनाव सहयोग करेगी।" खैर, केरल में मध्यावधि चुनाव हुआ और बाबूजी की अध्यक्षता वाली कांग्रेस ही अकेले सबसे ज्यादा सीटों से अपने उम्मीदवारों को सफल कराने में सफल रही। इस मध्यावधि चुनाव में बाबूजी की अध्यक्षता वाली कांग्रेस के प्रत्याशियों को जो सफलता प्राप्त हुई उसने यह स्पष्ट रूप से दिखाया कि संगठन कांग्रेस से ज्यादा नयी कांग्रेस लोकप्रिय है। केरल विधान सभा

भंग होने के समय जहां कांग्रेस सदस्यों की कुल संख्या ६ थी वहां मध्यावधि चुनाव में बाबूजी की कांग्रेस को ३२ स्थान प्राप्त हुए और वह विधान सभा की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। नई कांग्रेस के समर्थन से श्री अच्युत मेनन ४ अक्टूबर को केरल के मुख्य मंत्री बन सके। श्री अच्युत मेनन के मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग आदि लघु मोर्चा के सदस्य सम्मिलित हुए पर बाबूजी की अध्यक्षता वाली कांग्रेस ने सत्ता से बाहर रहकर ही सरकार का समर्थन करने का निश्चय किया।

१२ अक्टूबर को बाबूजी की अध्यक्षता वाली कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की पटना में होने वाली बैठक में संपत्ति की सीमा निर्धारण करने की घोषणा की गयी। पटना में होने वाले अधिवेशन में बाबूजी ने गांधी जी की परंपरा का पालन करते हुए जनता एक्सप्रेस से जिसमें केवल तीसरा दर्जा रहता है, यात्रा कर पटना पहुंचे। पटना स्टेशन पर बाबूजी का शानदार स्वागत किया गया। कांग्रेस-अध्यक्ष के रूप में बाबूजी का एक विशाल जुलूस निकला। इस अधिवेशन में पांच लाख बेकारों को एक वर्ष में रोजगार देने की बात भी कही गयी। १३ अक्टूबर से पटना में महासमिति का अधिवेशन शुरू हुआ। १४ अक्टूबर को एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें १९७१ तक परती जमीन बांटने की बात कही गयी। कुछ कारणवश यह अधिवेशन अपने निर्धारित समय के एक दिन पहले ही समाप्त हो गया। मूल रूप से इस अधिवेशन में उत्तर प्रदेश की सरकार का प्रश्न ही ज्यादा चर्चा का विषय रहा। इस अधिवेशन में उत्तर प्रदेश के नेता सम्मिलित नहीं हो सके। नयी कांग्रेस अधिवेशन के इन दिनों में अपने मोर्चों को ही सशक्त करने के प्रयत्न में ज्यादा लगी रही। इस अधिवेशन में केंद्रीय वित्त मंत्री श्री यशवंतराव बलवंतराव चव्हाण ने बेकारी मिटाने की योजना पर प्रस्ताव रखा।

नयी कांग्रेस में यदा-कदा अन्य वामपंथी पार्टियों के साथ समझौता करने की बात बराबर जोर पकड़ती रहती थी। एक बार पुनः नयी कांग्रेस में नयी कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों के एका की आवाज को

काफी जोर-शोर से बुलंद किया गया। पुनः वामपंथी पार्टियों के साथ एका की आवाज को बुलन्द करने वालों में संसदीय दल के सचिव श्री रामकृष्ण सिन्हा, तत्कालीन राज्य शिक्षा मंत्री श्री भगवत भा आजाद और 'आक्रोश पंथी' श्री चन्द्रशेखर और श्री चन्द्रजीत यादव के नाम प्रमुख थे। अध्यक्ष रूप में बाबूजी कोई भी लचीला गठबंधन करने का अपना संतुलित मत व्यक्त कर रहे थे। प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और वित्त मंत्री श्री यशवंत राव चव्हाण समाजवादी शक्तियों को एक मंच पर आने का निमंत्रण देते थे।

९ नवम्बर से संसद का शीतकालीन अधिवेशन आरंभ होने वाला था। ८ नवम्बर की संध्या में सत्तारूढ़ कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक हुई। कार्यकारिणी की इस बैठक में अध्यक्ष के रूप में बाबूजी ने और दल के नेता के रूप में श्रीमती गांधी ने एकता का आह्वान किया। १० नवम्बर को संसद में मेघालय को राज्य बनाने की घोषणा की गयी। २६ नवम्बर को पुनः नयी कांग्रेस और प्रजा समाजवादी पार्टी में परस्पर सहयोग और समझौते पर वार्ता हुई। शीतकालीन संसद के अधिवेशन काल में विरोधी दल मध्यावधि चुनाव की घोषणा की आशा में थे। १८ दिसंबर को संसद का शीतकालीन अधिवेशन समाप्त हो गया परन्तु मध्यावधि चुनाव की घोषणा नहीं हुई।

इधर ५-६ दिसंबर को आयोजित संगठन कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में प्रारंभ हुआ। ६ दिसम्बर को लखनऊ में संगठन कांग्रेस द्वारा तीन दलीय समझौता सम्वन्धी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया।

२४ दिसंबर को ९, अशोक रोड पर बाबूजी की अध्यक्षता वाली कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई। इसमें तीन घंटे की बहस के बाद मध्यावधि चुनाव कराये जाने की बात पर सब सहमत हो गए। इस बैठक में मध्यावधि चुनाव में पूर्ण बहुमत प्राप्त करने के सही अवसर को पहचाना गया। सबों ने इस बात को महसूस किया कि अगर इस समय मध्यावधि चुनाव होगा तो नयी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त



होकर रहेगा। बैठक समाप्त होने के बाद पत्रकारों ने वावूजी से यह जानने की पूरी कोशिश की कि मध्यावधि चुनाव कब होंगे? पर वावूजी पत्रकारों के प्रश्नों से कतराते रहे फिर भी एक पत्रकार ने जब यह पूछा कि अगर मध्यावधि चुनाव हों तो कब होने चाहिए तो वावूजी ने कहा कि "क्या आप समझते हैं कि बजट पारित करवाने के बाद हम मध्यावधि चुनाव करावेंगे?" और यह उत्तर देते हुए इन्होंने मध्यावधि चुनाव होने का संकेत भी दे दिया। इसी दिन नयी कांग्रेस दल के नेता और प्रधान मंत्री के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति गिरि को मध्यावधि-चुनाव कराने की बात कही थी। इसके बाद २७ दिसंबर को मंत्रिमंडल की एक आवश्यक बैठक हुई और प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी ने राष्ट्रपति को लोक सभा भंग करने का सुझाव दिया। उस समय लोक सभा की आयु १४ महीना बाकी ही थी क्योंकि चौथी लोकसभा समाप्त होने का समय २ मार्च, १९७२ को होने वाला था।

सम्पूर्ण देश की विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नयी कांग्रेस को मध्यावधि चुनाव कराने का फैसला करना आवश्यक हो गया था। वैसे देखा जाय तो एक वर्ष पूर्व ही जब कांग्रेस का विभाजन हो गया था तो मध्यावधि चुनाव कराने की आवश्यकता हो गई थी। पर वामपंथी पार्टियों के समर्थन और कांग्रेस संसद सदस्यों के बहुसंख्यक सदस्यों के साथ रहने से सत्तारूढ़ कांग्रेस सत्ता में बनी हुई थी। प्रबल बहुमत के अभाव में सत्तारूढ़ दल को अपनी सही समाजवादी नीतियों को कार्यान्वित करने में असमर्थता और कठिनाई अनुभव होती थी। इसके साथ-साथ वामपंथी पार्टियों के कन्धों का सहारा लेने की अपेक्षा अपने पांवों पर खड़ा रहने की आवश्यकता को महसूस किया जा रहा था क्योंकि तमाम वामपंथी पार्टियां जिनके सहारे सत्तारूढ़ कांग्रेस सत्ता में बनी हुई थी वे सत्तारूढ़ कांग्रेस पर तरह-तरह के दबाव भी डाला करते थे। तीसरी बात यह थी कि वावूजी ने जब से सत्तारूढ़ कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली थी तब से होने वाले कई उपचुनावों में दल के उम्मीदवार की विजय ने यह आश्वासन दिया कि सत्तारूढ़

कांग्रेस की लोकप्रियता देश में बढ़ी थी ।

दिसंबर, १९६६ में सत्तारूढ़ कांग्रेस का बंबई में अधिवेशन हुआ था और उसी समय वावूजी ने अध्यक्ष पद सम्भाला था । तब से विभिन्न विधान सभा के उप-चुनावों में ३२ स्थानों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा जिनमें उसे २३ स्थानों पर सफलता भी मिली । संगठन कांग्रेस ने १६ स्थानों पर चुनाव लड़ा था और उसे सिर्फ ४ स्थान ही प्राप्त हो सके थे । लोकसभा के लिए होने वाले ६ उप-चुनावों में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने ५ स्थानों पर सफलता प्राप्त की थी । लोकसभा के १९६७ के चुनावों में प्राप्त मतों की अपेक्षा नयी कांग्रेस को अधिक मत प्राप्त हुए थे । महाराष्ट्र के गुलदाना संसदीय उप-चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस के उम्मीदवार ने संगठन कांग्रेस के प्रत्याशी को १ लाख ७२ हजार मतों से पराजित किया था । इसी तरह उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर संसदीय उप-चुनाव में नयी कांग्रेस का उम्मीदवार १७,२५२ मतों से विजयी घोषित हुआ था जबकि इस चुनाव-क्षेत्र में अविभाजित कांग्रेस के कांग्रेसी उम्मीदवार की १६६ मतों से हार हुई थी । गुरदासपुर संसदीय उप-चुनाव में भी नयी कांग्रेस का उम्मीदवार ६८,५७६ मतों से विजयी हुआ जबकि उसके पहले कांग्रेसी उम्मीदवार को इससे बहुत कम मत मिले थे । केरल विधान सभा का मध्यावधि चुनाव भी स्पष्ट रूप से संगठन कांग्रेस की अपेक्षा सत्तारूढ़ कांग्रेस की अधिक लोकप्रियता को सिद्ध कर चुका था । १९६६ में दल विभाजन के बाद सत्तारूढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष और नेता के रूप में वावूजी और श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो नीतियां अपनायीं और कदम उठाए उनका जनता ने समर्थन किया ; साथ ही उनसे कांग्रेस की गिरती हुई प्रतिष्ठा स्पष्ट रूप से काफी ऊपर उठी । क्योंकि उप-चुनावों और केरल के मध्यावधि चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस को अत्यन्त सराहनीय सफलता मिली थी ।

मध्यावधि चुनाव कराने के सन्दर्भ में यह बात भी थी कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद सत्तारूढ़ कांग्रेस ने अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त की थी । सम्भव था कि ज्यादा दिनों के बाद यह लोकप्रियता भी घट

जाती। दूसरी बात यह थी कि सामान्य जनता की आर्थिक व्यवस्था चरमरा रही थी इससे यह आशंका होने लगी थी कि सत्तारूढ़ कांग्रेस से भी अविभाजित कांग्रेस की तरह जनता अपना मुंह न मोड़ ले।

संसद भंग होने और मध्यावधि चुनाव कराने की घोषणा के बाद प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी ने राष्ट्र के नाम एक संदेश प्रसारित किया था। उसमें उन्होंने कहा कि उनकी सरकार १९७२ तक चल सकती थी। कांग्रेस विभाजन के बाद कांग्रेस के बहुमत के अभाव में भी वे नेता बनी रहीं कारण कि सदन के सदस्यों की बहुसंख्या ने उन्हें अपना नेता स्वीकार कर लिया था। उन्होंने कहा, “हम न केवल सत्ता में रहना चाहते हैं बल्कि हम उस सत्ता को अपनी जनता के जीवन को अच्छा बनाने के लिए और न्यायसंगत सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने की उनकी आकांक्षा का आश्वासन देने को भी इच्छुक हैं। नये चुनाव इसलिए जरूरी हो गए कि वर्तमान परिस्थितियों में सरकार अपने घोषित कार्यक्रमों और आश्वासनों को पूरा करने में कठिनाई का अनुभव कर रही है।” अपने संदेश में वैकों के राष्ट्रीयकरण एकाधिकार को समाप्त करने के कानून और नरेशों की शाही थैलियों को समाप्त करने की चर्चा करते हुए श्रीमती गांधी ने कहा कि प्रतिक्रियावादी तत्त्वों द्वारा उनका विरोध किया गया। उन्होंने कहा, “एक ओर से साम्प्रदायिक दल तनाव पैदा कर रहे हैं और दूसरी ओर उग्रपंथी हिंसावाद का प्रचार कर रहे हैं। एक राष्ट्र की जिन्दगी में एक ऐसा समय आता है जब सरकार को वर्तमान समस्याओं को हल करने के लिए गैर मामूली कदम उठाने पड़ते हैं। अब यह समय आ गया है।”

लोकसभा भंग होने और मध्यावधि चुनाव की घोषणा का कुछ दलों ने खुले दिल से स्वागत किया था पर कुछ ने इसकी तीव्र आलोचना भी की थी। स्वागत करने वालों में मुख्यतया सत्तारूढ़ कांग्रेस के सहयोगी दल ही थे पर विरोधी दल मुख्यतया आलोचक ही थे। जनसंघ नेता प्रो० बलराज मधोक ने इसे ‘असंवैधानिक और अनैतिक’ कहा था। जनसंघ-अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस घोषणा का

स्वागत करते हुए दो संभावनाएं व्यक्त की थीं—पहली यह कि सत्तारूढ़ पार्टी के कुछ सदस्य पार्टी छोड़ देंगे और प्रतिपक्ष के साथ मिलकर सरकार बनायेंगे और दूसरे प्रतिपक्ष के बहुत से सदस्य मिलकर सत्तारूढ़ कांग्रेस में प्रवेश करेंगे और श्रीमती इंदिरा गांधी को नेता पद से हटा देंगे। लेकिन इसकी संभावना तभी होगी जब प्रतिपक्ष का महान गठबन्धन हो पायेगा। जनसंघ-अध्यक्ष के मुताबिक चुनाव के बाद सत्तारूढ़ दल में नेता पद के लिए संघर्ष जरूर छिड़ेगा। उन्हें यह विश्वास था कि सत्तारूढ़ कांग्रेस की सदस्य संख्या २२८ से घटकर १८० तक रह जाएगी। स्वतंत्र पार्टी के श्री रंगा ने मध्यावधि चुनाव की घोषणा की तीव्र निंदा की और अन्य दलों से एक साथ मिलकर सामना करने का आह्वान किया। संगठन कांग्रेस के नेता डा० रामसुभगसिंह ने कहा कि राष्ट्रपति को चाहिए कि वर्तमान सरकार को कार्यकारी सरकार न बनायें। साथ ही विरोधी दलों ने एक मांग की कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रपति एक राष्ट्रीय सरकार का गठन करें, जिसमें सभी विरोधी दलों के प्रतिनिधि हों।

२६ दिसंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त श्री एस० पी० सेनवर्मा ने यह घोषणा की कि नयी लोकसभा का मध्यावधि चुनाव २८ फरवरी या १ मार्च को शुरू होगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वे अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को शीघ्र ही भेज देंगे।

अब चुनाव समझौते शुरू होने के दौर भी आरम्भ हो गये। सत्तारूढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में वावूजी ने स्पष्ट शब्दों में अखिल भारतीय स्तर पर किसी भी दल के साथ समझौते की बात को अस्वीकार कर दिया था। हालांकि प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी तथा अन्य पार्टी के लोग वामपंथी पार्टियों के साथ अखिल भारतीय स्तर पर समझौता करने की बात बार-बार दुहराया करते थे पर वावूजी क्षेत्रीय दलों के साथ समझौता करने की लचीली नीति अपनाने की बात ही कहते थे। फलतः क्षेत्रीय दलों के साथ समझौता करने की बात ३१ दिसंबर को तेलंगाना प्रजा समिति और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के साथ बात करते

हुए प्रारंभ हुई। चुनाव समझौते के संदर्भ में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने पंजाब में सत्तारूढ़ अकाली दल के साथ भी बात की। चुनाव समझौते की वार्ता विभिन्न स्तरों पर हुई। सत्तारूढ़ कांग्रेस का लक्ष्य लोकसभा की अधिक से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करना था। पश्चिम बंगाल में बंगला कांग्रेस से चुनाव समझौते का प्रयास प्रारम्भ हुआ। बंगला कांग्रेस और सत्तारूढ़ कांग्रेस के सिद्धांतों में कोई मतभेद नहीं था। पश्चिमी बंगाल में भारतीय साम्यवादी दल के नेतृत्व में गठित आठ दलीय मोर्चा के अधिसंख्य सदस्यों ने यह धमकी दी थी कि “यदि साम्यवादी दल ने सत्तारूढ़ कांग्रेस के साथ किसी तरह का समझौता किया तो वे मोर्चा से सम्बन्ध विच्छेद कर लेंगे।” तब सत्तारूढ़ कांग्रेस के समक्ष भी बंगला कांग्रेस के साथ चुनाव समझौता करने के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं था। लोकसभा मध्यावधि चुनाव में केरल में केरल के सत्तारूढ़ दल के साथ समझौता होना तो स्वाभाविक ही था पर केरल कांग्रेस भी सत्तारूढ़ कांग्रेस के साथ गठबंधन में बंध गयी। इसके साथ-साथ कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों ने भी सत्तारूढ़ कांग्रेस का साथ दिया। जम्मू और कश्मीर के नेशनल कांग्रेस के नेता वल्शी गुलाम मोहम्मद विधिवत् सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल हो गये और उनके दल ने भी मध्यावधि चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस का ही साथ दिया। इसी तरह महाराष्ट्रवादी गोमंत समिति के नेता और गोआ के मुख्यमंत्री वंदोडकर ने भी यह आश्वासन दिया था कि लोकसभा के मध्यावधि चुनाव के विजयी उम्मीदवार केन्द्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस का ही समर्थन करेंगे। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल ने भी घोषणा की थी कि जहां लीग के उम्मीदवार खड़े नहीं होंगे वहां वह सत्तारूढ़ कांग्रेस का समर्थन करेंगे। विहार में भारखंड पार्टी के सहयोग का भी आश्वासन मिला था। उड़ीसा में उड़ीसा जन कांग्रेस के नेता श्री हरे कृष्ण मेहताव भी सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल हो गये। उड़ीसा में लोकसभा और विधानसभा दोनों का चुनाव होनेवाला था। तमिलनाडु में भी लोकसभा और विधानसभा दोनों का चुनाव होनेवाला था। वहां पर

डी० एम० के० के साथ विधानसभा को छोड़कर केवल लोकसभा का चुनाव लड़ने की बात तय हुई थी। इस मध्यावधि चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेसके समक्ष केवल लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को जिताकर ले जाने का लक्ष्य था।

इधर संगठन कांग्रेस भी मध्यावधि चुनाव में विजयी बनने के लिए व्यग्र होकर अखिल भारतीय स्तर की पार्टियों के साथ अखिल भारतीय स्तर पर चुनाव समझौता करने की क्रिया में संलग्न थी। चुनाव समझौता वार्ता स्वतंत्र, जनसंघ, संगठन कांग्रेस और संसोपा के बीच २ जनवरी को आरंभ हुई। तीन जनवरी को स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष बड़े आवेश में सहयोग वार्ता को छोड़कर चले गए। पर पुनः आठ जनवरी को स्वतंत्र पार्टी की राष्ट्रीय कार्य-समिति में इस महासहयोग में शामिल होने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया गया था। इतना ही नहीं श्री मसानी ने पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इस बात की भी घोषणा की कि संगठन कांग्रेस महासमिति का जून १९७० का दिल्ली प्रस्ताव स्वतंत्र पार्टी का चुनाव घोषणा-पत्र होगा। अब स्वतंत्र पार्टी के समझौते में शामिल हो जाने के बाद संगठन कांग्रेस की सत्तारूढ़ कांग्रेस के विरुद्ध मोर्चा बनाने की क्रिया भी पूरी हो गई थी। वैसे इस महासहयोग में अखिल भारतीय स्तर के भारतीय क्रांति दल के शामिल होने की भी चर्चा काफी जोर-शोर में थी पर वह अलग ही रहा। संगठन कांग्रेस, जनसंघ, स्वतंत्र और संसोपा को एक साथ देखकर बाबूजी की अव्यक्षता वाली कांग्रेस के समर्थकों को भयभीत हो जाना स्वाभाविक हीं था पर अव्यक्ष के रूप में इस अद्भुत मानव के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। संकट या प्रसन्नता की हर घड़ी में जिस तरह बाबूजी निश्चिन्त मुद्रा में रहते हैं ठीक उसी निश्चिन्त मुद्रा में इस समय भी थे। भिन्न-भिन्न लोगों ने भिन्न-भिन्न प्रतिक्रियाएं व्यक्त कीं पर बाबूजी ने अपनी राजनीति की माहिर नजरों से इस महासहयोग के अंगों की कमजोरी समझ ली थी।

उत्तर प्रदेश में मनीराम के उपचुनाव में संगठन कांग्रेस के उम्मी-

देवार तथा तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री त्रिभुवन नारायण सिंह सत्तारूढ़ कांग्रेस के प्रत्याशी से २५ जनवरी को चुनाव हार गये थे। इससे भी सत्तारूढ़ कांग्रेस का मनोबल बढ़ा और विरोधी मोर्चे की पहली करारी हार हुई। २७ जनवरी को चुनाव तिथि के संबंध में राष्ट्रपति की पहली अधिसूचना जारी हुई।

सर्वप्रथम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने चुनाव-घोषणापत्र जारी किया। उन्होंने अपने २२ पृष्ठीय चुनाव-घोषणा पत्र में संविधान को बिल्कुल बदल देने की बात कही थी। उन्होंने नये संविधान की चर्चा की जिसमें लोगों की प्रभुसत्ता दिखायी गयी हो न कि निहित स्वार्थों की। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी वर्तमान संविधान को संघीय मानती थी। वे कहते थे कि संविधान एकात्मक है, केन्द्र सर्वशक्ति सम्पन्न है और नौकरशाह लोकतंत्री अधिकारों के नाम पर पुलिस शासन चला रहे हैं। वह किसी भी अन्य पार्टी के साथ कोई भी चुनाव गठजोड़ के विरोधी थे। उसने अपने को संगठन कांग्रेस और नयी कांग्रेस दोनों के साथ चुनाव लड़ने के लिए कृतसंकल्प होने की बात कही थी। वे चाहते थे कि राज्यों को अधिक अधिकार दिये जायें और राज्य से केन्द्रीय करों की वसूली का ७५% राज्यों पर ही खर्च किया जाय। इसका कारण यह था कि सिर्फ दो राज्यों केरल और प० वंगाल में उनका कुछ जमा हुआ था। दो गुटों से अपने को तटस्थ दिखलाते हुए उसमें कहा गया था कि मौजूदा चुनावों में दो गुटों का परस्पर संघर्ष है। एक तरफ कम्युनिस्ट और डी० एम० के० के साथ सत्तारूढ़ कांग्रेस का गठजोड़ है तो दूसरी तरफ सिडिकेट कांग्रेस के साथ जनसंघ तथा अन्य पार्टियों का। इन दोनों गुटों को मार्क्सवादी जनता का दुश्मन समझते हैं। दक्षिणपंथी साम्यवादियों को अवसरवादी कहते हुए उन्होंने कहा था कि वह सत्तारूढ़ कांग्रेस की सहायता करती है और ये साम्यवादी मौजूदा संविधान की कसम खाते हैं। वह यह भी कहते थे कि संसोपा नेता सिडिकेट और जनसंघ से मिलकर अवसरवादी बने हुए हैं क्योंकि समाजवाद वर्तमान ढांचे के संविधान से प्राप्त नहीं किया

जा सकता। इसमें मुसलमान जनता को साम्प्रदायिक मुसलमानों के भुलावे में न आने की शिक्षा दी गई थी। उर्दू के व्यवहार की खुली छूट का विश्वास भी दिलाया गया था। पर यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि संविधान में परिवर्तन किस बात के लिए आवश्यक था।

घोषणा पत्रों के संदर्भ में भारतीय क्रांति दल संयुक्त मोर्चे के सदस्यों की नीति से प्रसन्न नहीं था। उसे 'संसोपा की तीखी आंदोलनात्मक नीति, जनसंघ की हिन्दुत्व प्रधान वेगात्मकता और दोनों कांग्रेसों की प्रशासनात्मक दुरावस्था' एकदम नापसन्द थी। उसे एक ओर समाजवाद से कोई विरोध नहीं था तो दूसरी ओर पूंजीवाद से कोई भी लगाव नहीं था। परन्तु वह सम्पत्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा की भी बात कहता था क्योंकि इस अधिकार की समाप्ति का मतलब वह स्वतंत्रता की समाप्ति, संगठन बनाने के अधिकार की समाप्ति साथ ही अस्तित्व की समाप्ति से लगाता था। कानूनव्यवस्था की रक्षा की बात उसमें आवश्यक समझी गयी थी क्योंकि इसके न रहने से अराजकता फैल जाएगी। उसका कहना था कि एक ओर पूंजीवाद में व्यक्ति को व्यक्ति का शोषण करने का अधिकार है तो दूसरी तरफ समाजवाद या साम्यवाद में राज्यों को व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता में बाधा देने या उसे एकदम खत्म कर देने का अधिकार है। वह बीच के रास्ते को उपयुक्त समझता था। दल के चुनाव घोषणा पत्र में हिन्दू कोड बिल में संशोधन, जनसंख्या की वृद्धि को भयंकर अतः परिवार नियोजन आवश्यक, पत्नी को पति की सम्पत्ति में आधा हिस्सा लेने की बात कही गयी थी। जाति-धर्म, स्त्री-पुरुष का कोई भेद-भाव नहीं, अन्तर्जातीय विवाह को मान्यता तथा उसके लिए तैयार होने वाले पुरुषों को राजपत्रित कर्मचारियों में प्राथमिकता देने की भी बात कही गई थी। अन्य कई लुभावने वायदे किए गए थे पर उनको पूरा करने का कोई सही ढंग और ठोस उपाय नहीं बताया गया था। निर्जो उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में उसका मत था। क्योंकि इससे उसे राष्ट्रीय हित की गारंटी नहीं दिखती थी। उसके



घोषणापत्र में, बड़े उद्योगों को निजी क्षेत्र में चलने या बने रहने की छूट थी लेकिन उनके नियम और नियंत्रण का अधिकार सरकार के पास होने की बात थी।

पिछले चुनाव में पंजाब के अकाली दल ने जनसंघ के साथ समझौता किया था। पर मध्यावधि चुनाव में केवल अपने पैर पर खड़ा होने की बात उसे अच्छी लगी। उसने अपना चुनाव घोषणा पत्र अधिक स्पष्ट और अधिक व्यापक रखा। उसके घोषणा पत्र की मुख्य विशेषताएं राज्यों के लिए स्वायत्तता के अधिक अधिकारों की मांग, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और खाद्यान्नों के व्यापार को पूर्णतया सरकारी स्तर पर करने की मांग थी।

भूमि सुधार कानून में कोई अतिरिक्त संशोधन करने के पक्ष में वह नहीं थी। उसका कहना था कि 'अब तक जो सुधार हुए हैं वे काफी हैं। उद्योगपतियों, व्यापारियों और शहरी सम्पत्ति को कब्जे में रखने वालों पर भी उसकी नजर थी। उसमें एकाधिकार प्राप्त लोगों और विदेशी व्यापार संस्थाओं से देश के अहित की बात का जिक्र था और इनके विरुद्ध कड़ा कदम उठाने का भी आश्वासन था। शायद इस दल को ज्यादा समाजवादी सिद्ध करने के ख्याल से ही यह बात कही गई थी। किसानों—सम्पन्न किसानों के हितों को विशेष रूप से इस घोषणा पत्र में ध्यान रखने की चेष्टा की गई थी। कृषि उत्पादनों के मूल्य में वृद्धि करने की प्रतिज्ञा की गई थी। केन्द्र या कांग्रेस के विरोध में कुछ खास चर्चा नहीं की गई थी। राज्य के पुनर्गठन पर भी काफी बल दिया गया था। इस पुनर्गठन को 'भाषायी आधार पर तत्काल होने' की बात कही गई थी।

जनसंघ ने अपने घोषणा पत्र में आमदनी का अनुपात १:२० करने की बात कही थी। इस घोषणा पत्र को गौर से देखने से लगता था कि जनसंघ अल्पसंख्यकों पर विश्वास नहीं करता है और उन्हें दूसरे दरजे का नागरिक मानता है। वह अपने घोषणा पत्र में केवल इतना कह पाया था कि असांप्रदायिक राज्य के 'प्राचीन आदर्श' को

पूर्ण रूप से मानता है। उसमें हर खेत को पानी और हर हाथ को काम देने का विश्वास दिलाने की चेष्टा की गई थी। जनसंघ के घोषणा पत्र में आमदनी का अनुपात १:२० करने की बात पर कांग्रेस के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि कुछ-न-कुछ नुस्खा तो चाहिए जिससे जनता गुमराह हो सके। जनसंघ के सम्बन्ध में वैसे कांग्रेसी नेताओं की आम राय दल के प्रतिक्रियावादी और पुरातन पंथी होने का रहता है। अपने घोषणा-पत्र में इस बात की जनसंघ ने काफी चेष्टा की थी कि दकियानूसी हिन्दू रूठ न जायें। उस घोषणा-पत्र में किसी की 'खुशामद' न करने की बात कही गई थी। जनसंघ के घोषणा-पत्र में भी कुछ वास्तविक सार नहीं था। जनता के लिए यह बेजान ही जान पड़ता था।

२८ जनवरी को स्वतंत्र पार्टी ने अपना चुनाव घोषणा-पत्र जारी किया। उसके घोषणा-पत्र में विशेषतया सरकार परिवर्तन की मांग की गई थी। स्वतंत्र पार्टी ने स्पष्टतया संगठन कांग्रेस महासमिति के जून १९७० के दिल्ली प्रस्ताव को ही अपने घोषणा-पत्र का रूप दे दिया था। उसके घोषणा-पत्र को देख कर यही लगता था कि दोनों एक दूसरे में विलीन हो जायेंगी।

१९ जनवरी को संगठन कांग्रेस का चुनाव घोषणा-पत्र प्रसारित हुआ। उस घोषणा-पत्र में 'लोकतंत्री समाजवाद' लाने की बात कही गयी थी। मुख्यतया इसमें 'लोकतंत्री समाजवाद' की आवाज बुलंद की गयी। संगठन कांग्रेस के चुनाव घोषणा-पत्र पर अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करते हुए सत्तारूढ़ कांग्रेस के महासचिव श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा ने कहा था—“कहां है पुरानी कांग्रेस के घोषणा-पत्र में १० सूत्री कार्यक्रम, जो कामराज की सदारत में अपनाया गया था? कारण साफ है। जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी के साथ गलबाहियां डाल कर चलने और राजाओं को गोद लेने के बाद पुरानी कांग्रेस राष्ट्रीयकरण का विस्तार करने की बात किस मुंह से कह सकती है। दबी जवान से यह कहना कि मुनासिब तरीके से चाही थैली खत्म होनी चाहिए, वास्तव

में दबी जबान में शाही थैली की वकालत करना है ।

दोनों समाजवादी दलों के घोषणा पत्रों में कुछ समाजवादी भ्रूलकियां थीं । जैसे उनके घोषणा पत्र में कहा गया था कि संपत्ति का अधिकार 'मौलिक अधिकार' की श्रेणी में नहीं आना चाहिए । फिर भी इस विवाद का अंत करने और नए सिरे से एक प्रजातांत्रिक संविधान बनाने में वैधानिक कठिनाई का प्रतीत होना स्वाभाविक था । इस विषय में प्रजा समाजवादी दल का घोषणा पत्र ज्यादा बुद्धि-संगत लगता था क्योंकि उसमें स्वर्गीय नाथ पै द्वारा प्रस्तुत किए हुए विधेयक की चर्चा करते हुए संसद को संविधान में संशोधन करने के अधिकार की मांग का गई थी ।

दोनों साम्यवादी पार्टियों में दक्षिण पंथी साम्यवादी दल के घोषणा पत्र में प्रतिक्रियावादियों को परास्त करने पर काफी बल दिया गया था । मार्क्सवादी साम्यवादी दल के घोषणा पत्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस की नीतियों पर प्रहार करना स्वाभाविक था क्योंकि सत्तारूढ़ कांग्रेस ने देश के हित को ध्यान में रखते हुए मार्क्सवादियों पर देश में हिंसा का वातावरण फैलाने का आरोप लगाया था । मार्क्सवादियों की मांग कि प्रदेशों के अधिकार बढ़ें इस बात की ओर स्पष्ट रूप से संकेत करती थी कि वे केन्द्र को अशक्त कर अराजक तत्त्वों को बढ़ावा देना चाहते हैं । मार्क्सवादी साम्यवादी पार्टी के महासचिव श्री सुंदरैया ने कहा था कि इंदिरा सरकार जनता की 'दुश्मन न० १' है । संसोपा नेता श्री मधुलिमये, जनसंघ अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी और मार्क्सवादी साम्यवादी दल के महासचिव श्री सुंदरैया का कहना था कि श्रीमती गांधी को सरकार बनाने का मौका दे देने पर वह लगभग ४०० करोड़ रुपए के अतिरिक्त कर लगायेंगी । इसी वजह से जनता के क्रोध से वचने के लिए उन्होंने लोकसभा भंग कर मध्यावधि चुनाव कराने का निर्णय लिया है ।

नयी कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखकर पुरानी कांग्रेस के अध्यक्ष श्री निर्जलिंगप्पा, महासचिव श्री श्यामधर मिश्र, मुखर सदस्या श्रीमती

तारकेश्वरी सिन्हा और श्रीमती सुचेता कृपलानी आदि ने कहा कि लोकसभा का यह मध्यावधि चुनाव केवल श्रीमती गांधी की तानाशाही को ज्यादा बलवान करने के लिए हो रहा है। उन्होंने यह भी प्रकट किया कि सत्तारूढ़ कांग्रेस पुनः सत्तारूढ़ हो गयी तो वह न्यायालय की गरिमा को समाप्त कर देगी क्योंकि उसके घोषणा-पत्र में सर्वोच्च न्यायालय पर भी कटाक्ष किया गया है। साम्यवादी दल के महासचिव श्री राजेश्वर राव और प्रसोपा के महासचिव श्री प्रेम भसीन ने यह शिकायत की थी कि नयी कांग्रेस के घोषणा-पत्र को देखने से लगता है कि वह वामपंथी होने के बजाय ज्यादा दक्षिण पंथी होती जा रही है और किसी तरह प्रयत्न कर रही है कि उसका पूर्ण बहुमत लोकसभा में हो जाय। उनका कहना था कि घोषणा-पत्र में ज्यादातर गोलमोल बातें कही गयी हैं। संविधान में क्या संशोधन और कैसे होंगे स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रधान मंत्री का यह कहना कि पहले अधिकार सौंपो, तब हम बतायेंगे कि हम क्या चाहते हैं इस बात की ओर स्पष्ट रूप से संकेत करता है कि वह सीधी लड़ाई से कतराना चाहती हैं।

स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष श्री मीनू मसानी की यह शिकायत थी कि जनसंघ, स्वतंत्र, संसोपा और पुरानी कांग्रेस को एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी करना आवश्यक था। क्योंकि ऐसा होने से लोगों को अधिक विश्वास होता कि इंदिरा गांधी को हटाने का प्रयास करने वाले वास्तव में एक साथ मिल कर यह कार्यक्रम पूरा करने का प्रयत्न कर रहे थे। श्री मसानी ने कहा था कि इसमें संसोपा का ही सबसे बाधक रत्न था। अपनी नीति की बात कहते हुए अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि स्वतंत्र पार्टी ने तो इतना तक त्याग किया कि वह पुरानी कांग्रेस के लखनऊ प्रस्ताव को अपने घोषणा पत्र का आधार बना दिया।

जनसंघ, स्वतंत्र, पुरानी कांग्रेस और संसोपा की नीतियों के साथ कुछ समानता रहने पर भी मार्क्सवादी साम्यवादी दल के महासचिव श्री सुंदरैया का कहना था कि श्रीमती गांधी से सत्ता छीनने के लिए चारों दलों से सहायता लेना उचित नहीं है। श्री सुंदरैया के वक्तव्य

में दक्षिण पंथी साम्यवादियों और डी० एम० के० पर ज्यादा भुंभुलाहट सुनाई पड़ती थी। उनका कहना था कि केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में जनता के बढ़ते हुए कदम में इन्होंने ही अवरोध खड़ा किया है। दक्षिण पंथी साम्यवादी और संसोपा के घोषणा-पत्र के सम्बन्ध में उनका मन्तव्य था कि उसमें कथनी और करनी का विरोधाभास है और इससे इन दोनों दलों की प्रवृत्ति को उन्होंने 'विश्वासघाती' ठहराया था।

प्रसोपा के महासचिव श्री प्रेम भसीन ने जनसंघ, पुरानी कांग्रेस, स्वतंत्र और संसोपा के चौधड़े को प्रतिक्रियावादी ठहराते हुए यह आरोप भी लगाया कि यह अमेरिका से प्रेरित होकर कम्युनिस्ट देशों के साथ भारत के सम्बन्ध को बिगाड़ने में सचेष्ट है। दोनों साम्यवादी दलों के सम्बन्ध में उनकी राय यह थी कि उनके वक्तव्य 'ऊपरी' अधिक हैं पर 'तात्त्विक' कम हैं। दक्षिण पंथी साम्यवादियों ने नयी कांग्रेस की कमियों को दिखाया फिर भी नयी कांग्रेस के साथ रहना पसन्द किया। नयी कांग्रेस के साथ दक्षिण पंथी साम्यवादी दल का रहना लाचारी दिख रहा था क्योंकि चौधड़े के साथ टकराने के लिए उसे नयी कांग्रेस के साथ रहने के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं था। नयी कांग्रेस के सम्बन्ध में श्री मसानी की राय थी कि वह अपनी पुरानी बातों को भूलती जा रही है। उनका कहना था कि नयी कांग्रेस अपने बंबई और पटना अधिवेशन के स्वीकृत प्रस्तावों को भी भूल गई है। जनसंघ के घोषणा पत्र में उन्हें मुसलिम विरोधी गन्ध मिलती थी।

संसोपा के संयुक्त सचिव श्री वेंकटराय ने नयी कांग्रेस के घोषणा पत्र में विरोधाभास पाया था। उन्होंने कहा था कि नयी कांग्रेस अपनी अविभाजित अवस्था के अतीत से मुक्ति पाना चाहती है। साथ ही भविष्य में अपने को स्वतन्त्र भी रखना चाहती है। उन्होंने कहा था कि १९६७ के आम चुनाव में हार के लिए वह अपने पुराने नेताओं और उनकी नीतियों को दोषी बताती है। उनका कहना था कि विरोधियों के गठबन्धन, उग्र वामपंथियों और सर्वोच्च न्यायालय से वह ज्यादा

भयभीत दिखती है फिर भी अपने घोषणा पत्र में उसने जनता को विश्वास दिलाया है कि इन वाधाओं से भी वह रुकेगी नहीं। 'क्रान्तिकारी परिवर्तनों' की बात से संसोपा नेता को आतंक फैलने की आशंका थी। नयी कांग्रेस के घोषणा पत्र में पार्टी को क्रान्तिकारी कदम उठा सकने के लिए पूर्ण बहुमत की मांग का भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि यह देखना है कि नयी कांग्रेस के भुलावे में कितने आते हैं? जनसंघ के घोषणा पत्र में संसोपा नेता श्री वेंकट राय के अनुसार मार्ग ढूँढ़ने की कोशिश की गयी थी। उन्होंने संसोपा के न्यूनतम और अधिकतम आय का अनुपात १:१० रहने के बावजूद भी जनसंघ के अनुपात १ और २० वांछने के निर्णय का स्वागत किया था। उन्होंने संपत्ति और अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में जनसंघ के रुख को और ठीक करने की राय दी थी। "संसोपा भी संपत्ति का अधिकार मानती है लेकिन उसे मौलिक अधिकारों की कोटि में रखकर रजवाड़ों और बन्नासेठों का पोषण नहीं करना चाहती। इसी प्रकार टेढ़े-मेढ़े तरीके से मुसलमानों के प्रति अपनी अनुदारता जनसंघ छिपा नहीं पाया। स्वतन्त्र पार्टी जरा और खुल कर संपत्ति वालों की हमदर्दी करती है और किसी हद तक यह सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन में, इंदिरा कांग्रेस से भी अधिक वर्तमान व्यवस्था से चिपकी रहना चाहती है।"

पुरानी कांग्रेस ने संभवतः संसोपा की दलील को ध्यान में रखते हुए १८ साल की वय से ही मताधिकार प्राप्त करने की बात को अपने घोषणा-पत्र में तरजीह दी थी। दक्षिण पंथी साम्यवादी सरकार की असफलताओं को ढूँढ़ने में व्यस्त थे। प्रसोपा के घोषणा-पत्र में तत्कालीन सरकार की आलोचना न देख संसोपा नेता ने यह जानने की इच्छा व्यक्त की थी कि "क्या इसलिए कि प्रसोपा का घोषणा पत्र नयी कांग्रेस से इसकी चुनाव वार्ता विफल होने के पहले ही तैयार हो गया था?"

राष्ट्रपति ने मध्यावाधि चुनाव सम्बन्धी अपनी पहली अधिसूचना २७ जनवरी को जारी की थी। जिसमें ११ राज्यों और ३ केंद्र शासित

प्रदेशों के लिए लोकसभा के चुनाव की तिथियों और समय की घोषणा की गई थी। राष्ट्रपति ने अपनी दूसरी अधिसूचना १ फरवरी को जारी की जिसमें ६ राज्यों और ५ केन्द्र शासित प्रदेशों के चुनाव तिथियों का एलान किया गया था। त्रिपुरा के चुनाव के सम्बन्ध में बाद में अधिसूचना जारी करने की बात थी। पहली अधिसूचना के अनुसार ५१८ निर्वाचन क्षेत्रों में ३४८ निर्वाचन क्षेत्रों में १ मार्च से चुनाव आरम्भ होने की बात थी। नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीख ३ फरवरी और नाम वापस लेने की ६ फरवरी रखी गई थी। लेकिन बिहार और तमिलनाडु में नाम वापस लेने की अन्तिम तिथि ८ फरवरी रखी गई थी।

वैसे १२ जनवरी को ही मुख्य चुनाव आयुक्त श्री एस० पी० सेन वर्मा ने नयी कांग्रेस को चुनाव चिह्न के रूप में अविभाजित कांग्रेस के पुराने चुनाव चिह्न दो वल्लों की जोड़ी देने का निर्णय किया था। पर २० जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वल्लों का चुनाव चिह्न कांग्रेस के दोनों गुटों में से किसी को न देने का फैसला हुआ। इसके बाद नयी कांग्रेस को चुनाव चिह्न के रूप में गाय-बछड़ा मिलने पर चौघड़े (संगठन कांग्रेस, जनसंघ, स्वतन्त्र और संसोपा) के साथ भारतीय क्रांति दल ने भी नयी कांग्रेस के इस चुनाव चिह्न के विरुद्ध ज्ञापन दिया था। फिर भी उनके ज्ञापन को चुनाव आयोग ने कोई खास महत्व न देकर चुनाव प्रतीकों की सूची को जारी कर दिया। विरोध करने वालों का कहना था कि "जब सर्वोच्च न्यायालय ने वल्लों की जोड़ी का चुनाव चिह्न देने पर मनाही की है तो चुनाव आयोग द्वारा गाय और बछड़ा का चिह्न नयी कांग्रेस को देना सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अवहेलना करना है।" नयी कांग्रेस ने सर्वोच्च न्यायालय में एक अर्जी दाखिल कर गाय और बछड़े के चुनाव-चिह्न के प्रयोग की मांग की थी। गुजरात उच्च न्यायालय में श्री राजू ने एक याचिका दाखिल कर नयी कांग्रेस को गाय-बछड़े के चुनाव-चिह्न के प्रयोग से रोकने की मांग की थी। पर गुजरात उच्च न्यायालय ने याचिका को अस्वीकार करते

हुए कहा कि नयी कांग्रेस को गाय और बछड़ा चुनाव-चिह्न दिए जाने के विरोध में कोई ठोस तर्क नहीं दिए गए।

मध्यावधि चुनाव की घोषणा के बाद दिन-रात कार्य व्यस्त रहने की वजह से बाबूजी अचानक गम्भीर रूप से अस्वस्थ हो गए। सब चिन्तित हो गए थे कि अब क्या होगा? पर भगवान की असीम अनुकम्पा से बाबूजी धीरे-धीरे स्वास्थ्य लाभ करने लगे। इन्होंने ३ फरवरी को अपने पुराने चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इनके पुराने सासाराम संसदीय क्षेत्र से इनके मुकाबले में ७ प्रत्याशी मैदान में उतरे। १९६७ के आम चुनाव में भी इन्होंने ७ प्रत्याशियों का मुकाबला किया था। इनके चुनाव क्षेत्र में इनके विरुद्ध जोरों का प्रचार जारी था। चौधड़े के सदस्यों अर्थात् संगठन कांग्रेस, जनसंघ, स्वतन्त्र और संसोपा ने मिलकर श्री महावीर पासवान को इनके विरुद्ध खड़ा किया था। श्री महावीर पासवान संगठन कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए थे। श्री महावीर पासवान विहार के महामाया मन्त्रि-मण्डल में राज्य मंत्री रह चुके थे। मुख्यतया बाबूजी और श्री पासवान में ही मुकाबला था। पहले इनके चुनाव क्षेत्र में श्रीमती इंदिरा गांधी विरोधी अभियान काफी जोरों पर था। उसे देख इनके हितैषियों को इनकी जीत में आशंका होना स्वाभाविक था। इनके संसदीय क्षेत्र के विधान सभा के ६ क्षेत्रों की सीटों में ३ प्रसोपा को और एक-एक नयी कांग्रेस, जनता पार्टी और जनसंघ की थीं। श्री महावीर पासवान तो संगठन कांग्रेस के उम्मीदवार थे ही उनके जीप पर संसोपा और जनसंघ का भी झंडा लहराता था। इस चुनाव क्षेत्र में ६,०२,७९८ मतदाता थे। मतदाताओं की संख्या मुख्य जातियों की जातीय दृष्टि से अनुमानतः इस प्रकार थी—हरिजन ढाई लाख, यादव १ लाख, राजपूत १ लाख, मुसलमान ६० हजार, ब्राह्मण ६० हजार और कुरमी ५० हजार। चुनाव-क्षेत्र का सर्वेक्षण करने से स्पष्ट दृष्टिगोचर होता था कि हरिजनों और पिछड़ी जातियों का मत तो बाबूजी को मिलेगा ही, राजपूत मत भी अन्ततः इन्हें ही प्राप्त होंगे।



वैसे अधिकतर राजपूत श्री पासवान की ही बात करते थे पर उनकी बातों में स्थायित्व का अभाव था। ब्राह्मण मतों पर जनसंघ का प्रभाव दिखता था और ब्राह्मण इतना तक कहते पाए जाते थे कि श्री जगजीवन राम श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंद्वी हैं। इसलिए उनकी हराना आवश्यक है।

वावूजी अपने निर्वाचन क्षेत्र में आए। अपनी विरोधी हवा को इन्होंने अपने पक्ष में किया। निर्धारित तिथि १ मार्च को चुनावों के पहले दौर में मतदान आरम्भ हुआ और सासाराम में भी मतदान इसी दिन हुआ।

मध्यावधि चुनाव समाप्त होने के बाद निर्वाचन फल जानने और सुनने के लिए सारा देश व्याकुल था। पत्रकारों ने जब वावूजी से यह जानना चाहा कि मध्यावधि चुनाव में उनके दल के कितने प्रत्याशी विजयी होंगे तो वावूजी ने कहा था कि अनुमानतः ३२० से ऊपर ही हमारे दल के लोग संसद में जीत कर आयेंगे। विरोधी दल के लोग वावूजी के इस वक्तव्य की आलोचना करते और इसे आधार-हीन कहते। निर्वाचन फल घोषणा की तिथि भी आ गई। सब की आंखें समाचार-पत्र की ओर और कान रेडियो की ओर लगे रहते थे। रेडियो से बराबर यही सुनने को मिलता कि वावूजी की अध्यक्षता वाली कांग्रेस के लोग विजयी हो रहे हैं। निर्वाचन निकट आने के बाद विभाजित कांग्रेस के दोनों भागों का नाम नयी और पुरानी के बदले जगजीवन कांग्रेस और निर्जलिगप्पा कांग्रेस हो गया था। वावूजी भी अपने निर्वाचन क्षेत्र से करीब दो लाख मतों से विजयी घोषित किए गए। १४ मार्च को वावूजी की अध्यक्षता वाली कांग्रेस को संसद में सिर्फ बहुमत ही नहीं बल्कि दो-तिहाई बहुमत प्राप्त हो गया। इस प्रथम मध्यावधि चुनाव में देश के कुल २७ करोड़ ५० लाख मतदाताओं ने लोकसभा के ५१८ सदस्यों का चुनाव किया। इस मध्यावधि चुनाव में लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या लगभग २७५० थी जबकि १९६७ के आम चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या

२३७० थी। बाबूजी की अध्यक्षता वाली कांग्रेस के ४४२ उम्मीदवार लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त करने के लिए खड़े थे जिनमें १८५ उम्मीदवार भंग लोकसभा के सदस्य थे और २५७ नये थे। नये उम्मीदवारों में ५०% के लगभग उम्मीदवार ४० वर्ष से कम आयु के थे। चौधड़े के सदस्य दलों के उम्मीदवारों की संख्या इस तरह थी—संगठन कांग्रेस २३७, जनसंघ १५२, संसोपा ६२ और स्वतंत्र पार्टी ६२, इस तरह चौधड़े के ५४३ उम्मीदवार चुनाव के मैदान में थे। उत्तर प्रदेश और बिहार में इस चौधड़े के सदस्यों में आपसी टकराव भी हुए थे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल ८५ सीटों के लिए चौधड़े के १०६ उम्मीदवार थे जिनमें संगठन कांग्रेस के ४५, जनसंघ के ३७, संसोपा के २४ और स्वतंत्र पार्टी के ३ उम्मीदवार खड़े हुए थे। इसी तरह बिहार में चौधड़े के ८१ उम्मीदवार खड़े हुए थे जबकि कुल सीट ५३ हैं। यहां जनसंघ ने २७, संगठन कांग्रेस ने २४, संसोपा ने २७ और स्वतंत्र पार्टी ने ३ उम्मीदवार खड़े किए थे।

निर्वाचन फल की घोषणा के बाद ५१८ सदस्यों की लोकसभा में बाबूजी की अध्यक्षता वाली कांग्रेस को ३५० सीटें प्राप्त हुईं जबकि इसके पहले २२३ सदस्य थे। निर्जलिगप्पा की अध्यक्षता वाली कांग्रेस को १६ सीटें मिलीं जबकि इसके पहले लोकसभा में इसकी सदस्य-संख्या ६६ थी। इस तरह हम देखते हैं कि बाबूजी ने अपने दल के विजयी सदस्यों की संख्या के सम्बन्ध में जो भविष्यवाणी की थी वह शत-प्रति-शत सही और सत्य सिद्ध हुई। इस बीच तरह-तरह की अफवाहें उड़ायी गईं। अपने पत्रकार सम्मेलन में बाबूजी ने कहा कि संसदीय दल के नेता का प्रश्न अभी हल होना बाकी है। हालांकि श्रीमती गांधी ने कुछ समय पूर्व कहा था कि चुनाव के बाद नेता चुनने के लिए कोई औपचारिक बैठक नहीं होगी। मगर बाबूजी ने कहा कि ऐसी बैठक का आयोजन होगा। बाबूजी के इस वक्तव्य से किसी को चौंकने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि औपचारिक बैठक करने के बाद ही नेता का चुनाव करना नियमानुकूल था। बाबूजी अपनी पार्टी के अध्यक्ष थे और उनका

वह वक्तव्य नियम संगत ही था। हालांकि बाबूजी के इस वक्तव्य से राजनैतिक क्षेत्र में काफी खलबली मच गई थी। लोग तरह-तरह की अटकलें लगाने लगे थे। कुछ लोगों का कहना था कि बाबूजी अपने समर्थकों के साथ विरोधी दलों के सहयोग से सरकार बनायेंगे। पर बात दरअसल यह नहीं थी। बाबूजी के सम्बन्ध में यदा-कदा इस तरह की अफवाहें उड़ा करती हैं। कांग्रेस के विभाजन के पूर्व और बाद भी कई बार इस तरह की अफवाहें उड़ीं। पर हर बार बाबूजी ने उन तमाम अफवाहों का खंडन किया मध्यावधि निर्वाचन के बाद, इस तरह की अफवाह और ज्यादा जोरों से उड़ी थी। बाबूजी की ज्यादा बातों से अपनी सहमति प्रकट करते हुए संगठन कांग्रेस के अध्यक्ष श्री निर्जलिगप्पा ने एक विशेष प्रश्न के उत्तर में कहा कि अगर सभी अच्छे लोग एक हो जाएं तो श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधान मंत्री नहीं रह सकतीं। उन्होंने बाबूजी से कई बार भेंट भी की। भारतीय क्रांति दल के अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह ने भी कहा कि वह बाबूजी के वक्तव्य का खुले दिल से स्वागत करते हैं। पर बाबूजी सच्चे कांग्रेसी हैं। इन्होंने मृत कांग्रेस को जिलाया है और उसे पहले से भी अधिक सशक्त बनाया है। बाबूजी के सम्बन्ध में यह सोचना कि ये कांग्रेस छोड़ देंगे, लोगों की भूल थी। ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने कभी भी प्रधान मंत्री बनना चाहा है। अगर प्रधानमंत्री बनना चाहते तो इन्हें पर्याप्त अवसर प्राप्त हुए थे और अन्य अवसरवादियों की तरह अवसर प्राप्त होने के बाद प्रधान मंत्री बन गए होते। इस तरह की अफवाहें उड़ा कर विरोधी इस फेरे में थे कि बाबूजी और श्रीमती गांधी में मतभेद पैदा करा दिया जाए। बाबूजी से इस बात के प्रश्न भी पूछे गए कि क्या श्रीमती गांधी में और इनमें मतभेद है? पर बाबूजी ने स्पष्ट रूप से इनकार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के साथ इनका कोई मतभेद नहीं है। संसदीय दल के नेता पद के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम का प्रस्ताव बाबूजी ने ही किया था। दल के नेता पद के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम प्रस्तावित करते हुए बाबूजी ने कहा—“उनको जो बृहद् सम्मान प्राप्त

है, उसे देखते हुए मुझे पूरा यकीन है कि वह देश को भद्र-भाव की समाप्ति तथा निर्धनता के उन्मूलन की ओर ले जाएंगी और जनता सुखी तथा संतुष्ट होगी।” उन्होंने कहा कि “अब वचन प्रतिबद्धता का नया युग प्रारम्भ हुआ है। निस्सन्देह, जनता उस राजनीति से घृणा करने लगी है जिसमें सत्ता के लिए जोड़-तोड़ तथा हाथापाई होती है। इंदिरा जी तथा उनकी पार्टी को जितनी महान विजय मिली है, उतनी ही विराट समस्याएं भी सामने खड़ी हैं। श्रीमती गांधी इसे बखूबी जानती हैं, इस लिए उन्होंने कहा कि यह खुशी से फूल उठने का समय नहीं है। उन्होंने पुनः गरीबी तथा विषमता को दूर करने के लिए पूर्ण प्रयत्न का जो आश्वासन दिया है, उसकी पूर्ति के लिए हम शुभकामना अर्पित करते हैं।”

१५ मार्च को वावूजी की कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई। मध्यावधि चुनाव की रणभूमि में इस पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिली थी और अब इसे शासन सम्भालने की कर्मभूमि में जाना था। इस बैठक में ‘जनता के नाम हलफनामा’ शीर्षक प्रस्ताव में इस बात की चर्चा की गई कि “साधारण आदमी, विशेष कर नयी पीढ़ी, बेहतर भविष्य की प्रत्याशाएं मन में लिए हुए है। इसे हासिल करने के लिए जनता ने पार्टी को अपना विश्वास सौंपा है। पार्टी पर यह जिम्मेदारी है कि वह इन प्रत्याशाओं को पूरा करे। कांग्रेस अपनी यह प्रतिज्ञा दोहराती है कि वह एक रह कर तथा अनुशासन पूर्वक जनता की सेवा करेगी और लोगों के बेहतर भविष्य के लिए प्रयास करेगी। देश से गरीब, बेरोजगारी और भयानक विषमताएं समाप्त करने के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है। कांग्रेस के चुनाव घोषणा-पत्र में ये कार्यक्रम शामिल हैं। सरकार इन कार्यक्रमों के संबंध में विस्तृत योजनाएं बनाएगी और विभिन्न कानूनी और प्रशासनिक उपायों के जरिए उन्हें अमल में लाएगी।” संगठन और सत्ता दोनों की आवश्यकता को समझते हुए यह भी कहा गया कि “आर्थिक पुनर्निर्माण और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में सरकार जो कदम उठायेगी संगठन के स्तर पर उनका पोषण

करना होगा । परिवर्तन लाने के लिए जनता का सक्रिय सहयोग ज़रूरी है । चुनाव के दौरान जनता के साथ जो निकट संपर्क कायम हुआ था उसे बनाए रखना ज़रूरी है । संगठन को जनता की प्रत्याशाओं का प्रतिबिम्ब तथा उनकी वाणी बनना चाहिए ।”

## लोकसभा के मध्यावधि चुनाव के महान प्रणेतार और विजेता

वास्तव में मार्च, १९७१ का यह प्रथम लोकसभा मध्यावधि चुनाव कई विषयों को ध्यान में रखते हुए अभूतपूर्व रहा। इस मध्यावधि चुनाव की वाढ़ में दक्षिण पंथी और वामपंथी अनेक पार्टियां बह गयीं। लोकसभा में अधिकांश पार्टियों का ध्वंसावशेष मात्र दिखाई पड़ता है। बाबूजी की अध्यक्षता वाली कांग्रेस को छोड़ शेष अन्य दलों को अपनी पुरानी स्थिति में आने में अनेकानेक वर्ष लग जायेंगे। वैसे सत्तारूढ़ कांग्रेस के लिए भी यह मध्यावधि चुनाव कम विस्मयकारी नहीं रहा क्योंकि इसे कल्पना के बाहर दो-तिहाई बहुमत से भी अधिक जनमत प्राप्त हुआ।

अध्यक्ष के रूप में बाबूजी और नेता के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी को देखकर जनता ने नयी कांग्रेस पर विश्वास किया। अपने विश्वास को प्रकट करने के लिए जनता ने अपना प्रबल बहुमत देकर नयी कांग्रेस को इतना शक्तिशाली बना दिया कि उसे लोकसभा में दो-तिहाई से भी अधिक बहुमत प्राप्त हो गया। साथ ही जनता ने अपनी सारी जिम्मेवारी को भी बाबूजी और श्रीमती गांधी के हाथों में सौंप दिया और समस्त विरोधी दलों को ध्वस्त-सा कर दिया है।

बाबूजी की अध्यक्षता वाली कांग्रेस की अभूतपूर्व विजय देखकर भिन्न-भिन्न दलों के नेताओं ने भिन्न-भिन्न प्रतिक्रियाएं व्यक्त कीं। अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करते हुए संसोपा अध्यक्ष श्री कर्पूरी ठाकुर ने कहा—“जिस ढंग का हम लोगों का मोर्चा था उसके चलते नुकसान हुआ। अल्पसंख्यक वोट हमको नहीं मिला, इसलिए कि हम जनसंघ

के साथ थे। कार्यक्रमों का असर तो जनता पर कम ही है, किन्तु संगठन कांग्रेस के साथ होने से भी हमारी तस्वीर खराब हुई है। जनमानस में इस दल के प्रति धारणा है कि यह प्रगतिशील नहीं है। नयी कांग्रेस के प्रति धारणा है कि वह प्रगतिशील है, चाहे यह बात हो या न हो।”

जनसंघ अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तो अपनी टिप्पणी में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि चार दलीय मोर्चा न बनने पर भी इसमें सम्मिलित लोग ज्यादा सफलीभूत नहीं हो पाते। उन्होंने कहा कि चार दलीय मोर्चा में सम्मिलित दल एक दूसरे पर दोषारोपण की प्रवृत्ति से ग्रसित हैं जो अच्छी बात नहीं है। यह समय एक दूसरे पर दोषारोपण करने का नहीं है बल्कि आत्म-निरीक्षण करने का है। अपने चौधड़े मोर्चे के असफल होने का प्रमुख कारण उन्होंने ‘धन, वाहन और साधन’ की कमी को माना। उन्होंने नयी कांग्रेस पर दोषारोपण करते हुए कहा था कि नयी कांग्रेस ने मध्यावधि निर्वाचन में रेडियो आदि सरकारी तन्त्रों का दुरुपयोग किया है। जनसंघ-अध्यक्ष ने यह बात भी स्वीकार की कि अपनी डेढ़ साल की सत्ता में नयी कांग्रेस ने यह प्रभाव जमा दिया कि परिवर्तन वही कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हरिजन और मुसलमानों के साथ-साथ इंदिरा जी के औरत होने के कारण औरतों ने भी उन्हें ही अपना मत दिया। अपने चौधड़े के सम्बन्ध में उन्होंने कहा— “हमें पराजय के पाठ पढ़ने हैं, लेकिन हथियार डाल नहीं देना है। जनसंघ लोकसभा के भीतर प्रतिपक्ष की भूमिका तो निभायेगा ही, लोकसभा के बाहर वह बेकारी, मूल्य वृद्धि, बढ़ती हुई विषमता के खिलाफ जन-जागरण करेगा और जन-आंदोलन चलायेगा।” उन्होंने यह भी कहा कि, “संसद के भीतर क्या होता है। इसके बजाय अब अधिक महत्त्वपूर्ण यह होगा कि संसद के बाहर क्या होता है।”

प्रसोपा के महासचिव के अनुसार नयी कांग्रेस की इतनी बड़ी जीत का सबसे बड़ा कारण यह था कि नयी कांग्रेस ने गरीबी हटाने के साथ आर्थिक प्रगति की बात की। साथ ही साथ उसने आर्थिक और सामाजिक विषमताओं को भी दूर करने का वादा किया। संविद सरकारों को

भी उन्होंने नयी कांग्रेस की जीत और विरोधी पार्टियों की वुरी हार का दूसरा प्रमुख कारण बताया। नीतियों और उद्देश्यों के तालमेल न खाने के बावजूद भी जितनी सतरंगी सरकारें प्रदेशों में १९६७ के आम चुनाव के बाद बनीं उनमें आपस में टकराहट भी हुई जिसके चलते दल-बदल का कारोबार भी काफी बड़े पैमाने पर हुआ। सदा उनमें स्थायित्व का अभाव रहा। इन सब बातों से जनता का ऊब जाना स्वाभाविक था। नयी कांग्रेस की यह अपील कि केवल “नयी कांग्रेस ही मजबूत केन्द्र स्थापित कर सकती है”, काफी कारगर हुई। चार दलीय मोर्चे के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि इस मोर्चे के कारण भी नयी कांग्रेस अपने को ज्यादा प्रगतिशील सिद्ध कर सकती। प्रेम भरोहन ने भविष्यवाजी करते हुए कहा था कि “हिन्दुस्तान की जनता ने अंतिम बार लोक-तांत्रिक पद्धति और शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन करने का मौका दिया है। अगर वह परिवर्तन अब भी नहीं हो पाता तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और नक्सलपंथी को ही बढ़ावा मिलेगा, जो कि परिवर्तन के लिए हिंसा प्रचारित करते रहे हैं।

श्री निजलिगप्पा की अव्यवस्था वाली कांग्रेस और भंग लोकसभा के विरोधी दल के नेता तथा सिंडीकेट के वल पर प्रधान मंत्री बनने के स्वप्नद्रष्टा डा० राममुभग सिंह ने अपने मोर्चे की हार का प्रमुख कारण साधनों की कमी बताया। उन्होंने कहा था, “ये परिणाम कोई अनहोनी बात नहीं है। कई देशों में तो रातों-रात क्रांति द्वारा सत्ता परिवर्तन हो जाता है। यहां तो गनीमत है कि फिर भी शांतिपूर्ण मतदान में द्विपक्ष को पराजित होना पड़ा।” ‘बंगला देश’ का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि “हमारे यहां तो गिनी-चुनी कुछ एक हत्याएं हुईं।” लोकतन्त्र में जनता के निर्णय को सर्वोपरि बताते हुए उन्होंने कहा “राजनैतिक दलों के संसदीय जीवन में कभी भी शोचनीय पराजय का सामना करना पड़ सकता है। अतः मध्यावधि चुनाव में पराजय से मैं हतान नहीं हूँ। कांग्रेस के दस सूत्री कार्यक्रम को कार्यरूप देने का हम प्रयत्न करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर जन-आंदोलनों का भी हम



सहारा लेंगे।”

लोकसभा के इस प्रथम मध्यावधि चुनाव में हरेक विरोधी पार्टियों के प्रमुख नेता हार गये। सिडीकेट वालों की पराजय तो और भी दयनीय लगी। संगठन कांग्रेस के हारने वाले प्रमुख नेताओं में डा० रामसुभग सिंह, श्री एस. के. पाटिल, श्री नीलम संजीव रेड्डी, श्री अशोक मेहता, श्री सी. एम. पुनाचा, श्रीमती सुचेता कृपालानी, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा, श्री कृष्ण वल्लभ सहाय, श्री महेश प्रसाद सिंह, श्री बीजू पटनायक आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। संगठन कांग्रेस के कोषाध्यक्ष श्री कमलनयन बजाज भी हारे और संगठन कांग्रेस के नेता तथा विख्यात सिडीकेटी सदस्य श्री अतुल्य घोष की जमानत भी जप्त हो गयी। संसोपा के हारने वाले नेताओं में श्री मधुलिमये, श्री जार्ज फर्नांडीज, श्री रामसेवक यादव, श्री राजनारायण सिंह आदि के नाम प्रमुख हैं। भारतीय क्रांति दल के अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह और महासचिव श्री प्रकाशवीर शास्त्री भी चुनाव हार गये। जनसंघ का दिल्ली-गढ़ भी ध्वस्त हो गया। लोकसभा में प्रसोपा के नेता श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी के साथ-साथ श्री हेमवरुआ की भी हार हुई। प्रमुख उद्योगपतियों में श्री नवल टाटा और श्री कृष्ण कुमार विड़ला की हार विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

इस तरह हम देखते हैं कि इस मध्यावधि चुनाव में लोकसभा में नयी कांग्रेस के समस्त विरोधी दलों के महारथियों की हार ने उनके दलों की स्थिति को बुरी ही नहीं दयनीय भी बना दिया। लोकसभा में नयी कांग्रेस का सशक्त कोई विरोधी दल या नेता नहीं रह गया। लोकसभा के प्रथम मध्यावधि चुनाव में जिस तरह देश की जनता ने समस्त विरोधी पार्टियों को परास्त ही नहीं लगभग ध्वस्त कर अपनी समस्त जिम्मेदारियों को नयी कांग्रेस के हाथों में सौंपा इससे नयी कांग्रेस का सम्मान बढ़ने के साथ-साथ कार्यों का भार भी गम्भीर हो गया है। अब इसे ही शासन करने के साथ-साथ शासन की त्रुटियों की आलोचना भी करनी होगी। सत्ता के उपयोग के साथ-साथ उसका विरोध करना भी

उसी का काम होगा।

महाकवि कालिदास ने कहा है :—

‘न रत्नं अभिष्यति मृग्यते हि तत्’ इसे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि रत्न किसी को खोजता नहीं है वरन् वह खोजा जाता है। ठीक इसी तरह १९६६ में कांग्रेस विभाजन के बाद नयी कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में वावूजी को हूँदा गया। विभाजन के बाद कांग्रेस के संगठन के नाम पर वावूजी को सिर्फ टूटी-फूटी व्यवस्था के सिवा और कुछ भी नहीं मिला था। इस टूटी-फूटी व्यवस्था में भी तरह-तरह के स्वार्थरत लोगों को ही साथ रखने की जिम्मेदारी वावूजी के कंधों पर थी। यह जिम्मेदारी कितनी कुशलता के साथ निभाई गई यह हम सबके सामने है। वैसे कांग्रेस पार्टी के इतिहास का अध्ययन किया जाय तो हमें स्पष्ट रूप से कांग्रेस के भीतरी संघर्ष दृष्टिगोचर होंगे। अपने स्वार्थ के पीछे कांग्रेस में आपसी टकराहट बराबर सुनने को मिलती रही है। ऐसी बात नहीं है कि महात्मा गांधी के समय में या नेहरू के काल में संघर्ष नहीं होता था। महात्मा गांधी के समय में भी एक बार जमकर संघर्ष हुआ था। जिसमें महात्मा गांधी को भी पराजय ही हाथ लगी थी। कांग्रेस-अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने पट्टाभि सीतारमैया को खड़ा किया था और दूसरी ओर से स्वयं नेताजी खड़े हुए थे। क्या हुआ वह सब आप जानते ही हैं। हालांकि उस समय पार्टी के हाथ में सत्ता नहीं थी और कांग्रेस केवल आजादी की लड़ाई लड़ रही थी। उस समय केवल विचारों और नीतियों की लड़ाई कांग्रेस में लड़ी जाती थी। फिर भी इतना तय है कि उस समय भी लड़ाई होती थी और बड़ी सज-धज-कर मोर्चाबन्दी कर लड़ाई लड़ी जाती थी।

१५ अगस्त, १९४७ को स्वाधीनता मिली। इसके बाद वापू ने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि कांग्रेस का काम आजादी दिलाने का था और वह पूरा हो चुका है। काम समाप्त हो जाने के बाद कांग्रेस को भी खत्म कर देना चाहिए। फिर भी कांग्रेस बनी रही। कांग्रेस के आन्तरिक संघर्ष की चर्चा करते हुए एक पत्रकार लिखता

है—“१९४८ में गांधीजी की मृत्यु के तत्काल बाद कांग्रेस ने जब अपना विधान बदलकर एक राष्ट्रीय मंच का स्वरूप छोड़ा और एक पार्टी का रूप ग्रहण किया, तब से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी के इतिहास को एक शब्द में बयान किया जा सकता है — सत्ता संघर्ष । इस सत्ता संघर्ष के चलते कितने ही व्यक्ति और समूह इस बीच कांग्रेस में जाते-जाते रहे । लेकिन ऐसा मौका पिछले साल से ही आया है कि दो राजनैतिक समूह बन गए हैं, दोनों ही ‘असली’ होने का दावा करते हैं ।

१९५० में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ था । इस चुनाव में श्री जवाहरलाल नेहरू ने आचार्य कृपालानी का समर्थन किया था और सरदार वल्लभभाई पटेल ने श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन का । श्री टण्डन विजयी हुए थे । लेकिन दिसम्बर १९५० में ही सरदार पटेल की मृत्यु हो गई । उसके बाद फिर प्रधानमन्त्री और कांग्रेस अध्यक्ष के बीच रस्साकशी शुरू हुई और आचार्य कृपालानी आदि ने जो इस संघर्ष में श्री नेहरू के साथ थे और श्री टण्डन के विरुद्ध, एक ‘कांग्रेस लोकतान्त्रिक मोर्चा’ बनाया । इस मोर्चे के कुछ अन्य प्रमुख सदस्य थे श्री प्रफुल्ल चन्द्र घोष, श्रीमती सुचेता कृपालानी, श्री सादिक अली, श्री टी० प्रकाशन । लेकिन कांग्रेस महासमिति में श्री टण्डन को बहुमत प्राप्त था । नतीजा यह निकला कि १९५१ में ही ‘लोकतान्त्रिक मोर्चे’ के सदस्यों ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर ‘किसान मजदूर प्रजापार्टी’ बनाई । कुछ समय के लिए तो श्री रफी अहमद किदवई ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था । लेकिन जब श्री नेहरू ने कांग्रेस कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया तो टण्डन जी ने हथियार डाल दिए और श्री नेहरू स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष बन गए ।

दूसरा मौका १९६१ में आया था, जब श्री कामराज कांग्रेस अध्यक्ष बने थे । यह बात अब साबित हो चुकी है कि उसके पहले ही, १९५६ में श्रीमती इंदिरा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाकर उन्हें अपने राजनैतिक उत्तराधिकारी के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए श्री नेहरू प्रारम्भिक कार्यवाही कर चुके थे । श्री कामराज ने यह सुभाव दिया

कि दल के कुछ प्रमुख नेता सरकार से हटकर संगठन के काम में लगे, ताकि संगठन मजबूत हो। इस सुझाव का श्री नेहरू ने जिस तरह इस्तेमाल किया वह उनकी कूट बुद्धि की अनुपम मिसाल है। सारे देश के सभी मंत्रियों के इस्तीफे उन्होंने अपने पास मंगवा लिए फिर उसमें से छांटकर कुछ इस्तीफे स्वीकृति के लिए सम्बन्धित राज्यपालों या राष्ट्रपति को भेज दिए गए। जिनकी छंटाई हुई उनमें श्री मोरारजी देसाई, श्री सदाशिव पाटिल, श्री चन्द्रभानु गुप्त, श्री जगजीवनराम आदि प्रमुख थे। इस तरह हम देखते हैं कि इस पत्रकार ने स्पष्ट रूप से कांग्रेस के भीतरी सत्ता संघर्ष की पोल खोलने की सफल चेष्टा की है। १९६९ की टकराहट ने तो दो कांग्रेस खड़ी कर दीं। कांग्रेस के समस्त अनुभवी महारथियों ने अपने को संगठन कांग्रेस के नाम से संगठित कर दिया। कांग्रेस के इस संक्रमण काल में अध्यक्षता का दायित्व बाबूजी को सम्भालने के लिए दिया गया। लोकसभा का यह मध्यावधि चुनाव इस बात का प्रमाण है कि बाबूजी ने कितनी निपुणता से इस दायित्व को सम्भाला।

इन्होंने वक्त की नब्ज पर एक कुशल वैद्य की तरह ठीक हाथ रखा और कांग्रेस को संक्रमण काल से निकालकर इतना सबल और सशक्त बना दिया कि सब आश्चर्यचकित रह गए। मध्यावधि चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ अखिल भारतीय स्तर पर चुनाव समझौता न करके इन्हीं की सूझ से क्षेत्रीय दलों के साथ समझौते किए गए। क्षेत्रीय दलों के साथ चुनाव समझौते की सूझ ने इन्हें चाणक्य की कांठि से भी ऊंची कोठि में ला खड़ा किया है। चाणक्य की तरह कांग्रेस के वंगलौर अधिवेशन में सिडीकेट को परास्त करने के लिए इनकी चोटी खुली थी और देश के मध्यावधि चुनाव में सिडीकेटियों को दुरी तरह से परास्त कर राजनीति के रंगमंच से उतार फेंकने के वाद इन्होंने अपनी चोटी बांधी।

वैसे श्रीमती गांधी आदि का विचार था कि अखिल भारतीय स्तर पर साम्यवादी (दक्षिण पंथी) दल के साथ नई कांग्रेस का समझौता

हो पर अध्यक्ष के रूप में बाबूजी ने इसे अमान्य कर दिया था। अधिसंख्य क्षेत्रीय दलों का जनक कांग्रेस ही है और इनके साथ समझौता करना आसान था। साथ ही यह एक राजनीतिक दाव भी था जिसके चलते मध्यावधि चुनाव की आंधी में सम्पूर्ण भारत में सत्तारूढ़ कांग्रेस के सिवा अन्य कोई दल टिक न सका। साथ ही जितना बहुमत इनकी अध्यक्षता के समय कांग्रेस ने पाया उतना स्वतन्त्र भारत में नेहरू के जमाने में भी कांग्रेस को नहीं मिल पाया था और बाबूजी ने स्पष्ट रूप से यह प्रमाणित कर दिखाया कि ये जहां रहेंगे वहीं कांग्रेस भी रहेगी और वही असली कांग्रेस है। इस मध्यावधि चुनाव की आंधी में केवल एक क्षेत्रीय दल डी० एम० के० अपने को खड़ा रख सका वरन्ता पंजाब के अकाली दल; केरल में केरल कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में भारतीय क्रान्ति दल, विहार में जनता पार्टी, बंगाल में बंगला कांग्रेस आदि सबके सब चित हो गए। यही दशा अखिल भारतीय स्तर के चार दलों अर्थात् संगठन कांग्रेस, जनसंघ, स्वतन्त्र और संसोपा की भी हुई जो एक साथ मोर्चा बनाकर बाबूजी की कांग्रेस को परास्त करने का दम्भ भरते थे। प्रजासमाजवादी दल की भी ठीक वही दशा हुई। वास्तव में देश में जितने छोटे-मोटे दल हैं सबों ने अधिकतर सत्ता लोलुपता में ही कांग्रेस से बाहर आकर अपने को संगठित किया है और बाबूजी ने अपनी अध्यक्षता वाली कांग्रेस से लड़ाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया।

प्रारम्भ से ही बाबूजी का जीवन संघर्ष का जीवन रहा है। वचपन आर्थिक तंगी से लड़ते हुए और सामाजिक व्यवस्थाओं के प्रति विद्रोह करते हुए बीता। वचपन में भरपेट भोजन के भी लाले पड़े रहते थे। इनकी पांच वर्ष की अवस्था में ही पिताजी का देहान्त हो जाने के बाद मां ने इनका लालन-पालन बड़ी आर्थिक तंगी में किया। यहां तक कि उन्हें खेतों में मजदूरी तक करनी पड़ती थी। मां वच्चे के पालन के लिए खेतों से वालों को तोड़ लाती थी और उन वालों से दाने भाड़कर उन्हें भूजकर बाबूजी को खिलाती थीं। इन्होंने बड़ी गरीबी के दिन काटे और इसी से गरीबों से इन्हें विशेष सहानुभूति रहती है। ये मीरा के "घायल

की गति घायल जाने और न जाने कोय” के अनुसार गरीबों की सेवा के लिए सदा तत्पर रहते हैं।

स्कूल के वातावरण में भी इन्हें सामाजिक व्यवस्थाओं से लड़ना पड़ता था। सहपाठी एक साथ बेंच पर बैठना भी पसन्द नहीं करते थे। ब्राह्मण शिक्षक इनकी कापी या पुस्तक को इनसे स्पर्श हो जाने के भय से इनके हाथों पर ऊपर से छोड़ दिया करते थे। सहपाठियों को एक ही घड़े से पानी पीना भी अमान्य होता था। बनारस में पढ़ने के समय भी इन्हें तरह-तरह के सामाजिक वहिष्कारों को सहना पड़ा था। पर किसी भी संघर्ष में किसी समय बाबूजी घबड़ाने की बात जानते ही नहीं थे।

अपने शिक्षा-काल से ही देश की आजादी की लड़ाई में बाबूजी सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। स्वाधीनता की लड़ाई में भाग लेने वाले प्रत्येक नेता ऐसे ही थे जो आर्थिक रूप से सम्पन्न थे और जिन्हें सामाजिक सम्मान भी प्राप्त था। वह चाहे गांधीजी, नेताजी, राजेन्द्रबाबू, नेहरूजी, सरदार पटेल या अन्य जो भी आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले थे वे सबके सब आर्थिक रूप से सम्पन्न होने के साथ-साथ सामाजिक सम्मान प्राप्त भी थे। पर बाबूजी के साथ ऐसी बात नहीं थी। इन्हें आर्थिक तंगी और सामाजिक वहिष्कारों के बीच आगे बढ़ना था और आजादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लेना था। पर अपनी हर विरोधी परिस्थितियों को मात देते हुए बाबूजी आगे बढ़े और उन्होंने अपने देश-प्रेम का उज्ज्वल आदर्श पेश किया।

अपने मां-बाप का स्वप्न साकार कर ये उनके ऋण से मुक्त हुए। जिस वर्ग में इन्होंने जन्म लिया उस वर्ग के व्यक्ति को सफलता के इस उच्चतम शिखर पर पहुंचने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। नेपोलियन कहता था कि असम्भव शब्द को शब्दकोष से निकाल दो पर इन्होंने असम्भव को सम्भव करके दिखला दिया। भगवान शंकर सा कालकूट हलाहल का पान इन्होंने एक बार नहीं अनेकों बार किया। जिसे आप लोग प्रत्यक्ष देख चुके हैं।

मानवता की सेवा और देश-प्रेम इनका आदर्श है और अपने

आदर्श की लड़ाई इन्होंने बराबर लड़ी है तथा सफलता सदा इनकी चरणदासी बनकर रहती है। समाज द्वारा युगों से दलित, उपेक्षित, हीन और वहिष्कृत वर्ग में जन्म लेकर भी सफलता के चरमोत्कर्ष पर पहुंचकर मुस्कराने वाला व्यक्ति सिद्ध कर्मयोगी नहीं तो और कौन हो सकता है ? इनके समस्त जीवन को देखकर यह कहना कि इस कर्मयोगी ने कर्मयोग की हरेक सिद्धियों को प्राप्त किया है गलत नहीं हो सकता। समाज के जिस वर्ग में इनका जन्म हुआ है उस वर्ग के व्यक्ति के सम्बन्ध में शिक्षित होने की बात स्वप्न में भी नहीं सोची जा सकती थी। तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था या शासन व्यवस्था में इस वर्ग को आज की तरह सुविधाएं प्राप्त नहीं थीं। पग-पग पर कठिनाइयों और उपेक्षा का सामना करते हुए भी बाबूजी ने उनसे अनासक्त रहकर इस जमाने में भी कृष्ण के कर्मयोग की परिभाषा को साकार किया है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा है—“ ‘अनासक्ति का अर्थ’ विवेकहीनता अथवा सत्कर्म के प्रति प्रतिहीनता नहीं है बल्कि निःस्वार्थपरता है। अनासक्त भाव से कार्य करने का अर्थ इस लोक व परलोक में किसी पुरस्कार की आशा व दण्ड की आशंका को त्याग कर कार्य करना है...” पुनः वह कहते हैं—“अनासक्त होकर कार्य करना, विशेषतः आज कल के युग में अत्यन्त कठिन है, और केवल कुछ चुने हुए व्यक्ति ही उस आदर्श तक पहुंच सकते हैं।...” आज कल के युग में अनासक्त रहकर कार्य करने वाले कुछ चुने हुए व्यक्तियों में बाबूजी हैं इसमें जरा भी सन्देह नहीं है।

सामान्यतया योगी कहने से लोग ऐसे व्यक्ति से अर्थ लगाते हैं जिसे अपने श्वास-प्रश्वास पर अधिकार हो और जो कुछ शारीरिक व्यायाम प्राणायाम करना जानता हो। पर पातञ्जल योग की परिभाषा करते हुए कहते हैं:—

“योगश्चित्तवृत्ति निरोधः ॥२॥” अर्थात् ‘चित्त की प्रवृत्तियों का रोकना योग है।’ पातञ्जल के अनुसार चित्त की वृत्तियों को रोकने वाले को योगी कहा जाता है। हमारे अव्यात्म-जगत के मनीषियों ने

योग को कई श्रेणियों में विभक्त किया है जैसे हठयोग, राजयोग, कर्म-योग, ज्ञानयोग, सांख्य योग, प्रेम योग, भक्ति योग आदि आदि। 'गीता रहस्य' लिखते हुए श्री बालगंगाधर तिलक ने केवल कर्मयोग की महत्ता को ही स्वीकार किया है, साथ ही भगवान् श्रीकृष्ण ने भी अपनी 'गीता' में कर्मयोग की ही प्रशंसा की है। इतना ही नहीं ज्ञानयोग की सफलता के लिए भी कर्मयोग की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया है। भगवान् ने कर्मों में फल और आसक्ति दोनों के त्याग को कर्मयोग बतलाया है:—

“कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।  
मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्व कर्मणि ॥”  
(अ० २ श्लोक ४७)

“अर्थात् तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार होवे फल में कभी नहीं और तू कर्मों के फल की वासना वाला भी मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी प्रीति न होवे ।”

“योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनंजय ।  
सिद्ध्यसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥”  
(अ० २ श्लोक ४८)

“हे धनंजय आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर और यह समत्व भाव ही योग कहा जाता है ।”

“ब्रह्मण्यध्याय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः ।  
लिप्यते न स यापेन पद्मपत्रमिवाम्भला ॥”  
(अ० ५ श्लोक १०)

“जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है वह पुरुष जल से कमल के पत्र की तरह लिपायमान नहीं होता ।”

“कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियै रपि ।  
योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्म शुद्धये ॥”  
(अ० ५ श्लोक ११)



“निष्कामं कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इन्द्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अन्तःकरण की शुद्धि के लिए कार्य करते हैं।”

“युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमा न्योति नैष्ठिकीम् ।

अयुक्तकामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥”

(अ० ५ श्लोक १२)

“निष्काम कर्मयोगी कर्मों के फल को परमेश्वर को अर्पण करके भगवत् प्राप्ति रूप शान्ति को प्राप्त होता है और सकामी पुरुष फल में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बंधता है।”

“अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः ।

संन्यासी च योगी च न निरग्नितन्वाक्रियः ॥”

(अ० ६ श्लोक १)

“जो पुरुष कर्म के फल को न चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है वह संन्यासी और योगी है और केवल अग्नि को त्यागने वाला भी संन्यासी और योगी नहीं है।

“यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्जते ।

सर्वं संकल्प संन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥”

(६।४)

“जिस काल में न तो इन्द्रियों के भोगों में आसक्त होता है तथा न कर्मों में ही आसक्त होता है उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है।”

नहि देहमृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः ।

यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥”

(१८।११)

“देहधारी पुरुष के द्वारा सम्पूर्णता से सर्व कर्म त्यागे जाने को शक्य नहीं है, इससे जो पुरुष कर्मों के फल का त्यागी है वह ही त्यागी है ऐसा कहा जाता है।”

कर्मयोग को इसी तरह भगवान् श्रीकृष्ण ने पारिभाषित किया है

और कर्मयोग की इस परिभाषा की कसौटी पर वावूजी के जीवन कार्यों को कसने पर वे स्पष्ट रूप से एक सिद्ध कर्मयोगी दिखते हैं बाबाल्या वस्था से लेकर आज तक जितने भी कार्य वावूजी द्वारा किए गए हैं वे सबके सब एक कर्मयोगी के ही कार्य हैं। इन्होंने कभी भी कोई कार्य उसके फलाफल से आसक्त होकर नहीं किया है। चाहे वह शिक्षा प्राप्त करने का हो या आज्ञादी की लड़ाई हो, मंत्रित्व संभालने का कार्य हो या अन्य कोई भी कार्य हो उसके फलाफल से कभी भी आसक्त नहीं रहते। इनके जीवन को निकट से देखने पर स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि इनका जीवन कृष्ण के समान एक सिद्ध कर्मयोगी का जीवन और पूर्व काल में वर्णित जनक, जिन्हें विद्वेह कहा जाता है, का जीवन है। इनका जन्म ऐसे वर्ग में हुआ है जो बहिष्कृत, उपेक्षित और पददलित था। वह ऐसा वर्ग था जिसमें जन्म लेकर कोई शिक्षित हो, कल्पना के बाहर की बात थी। आज की तरह तत्कालीन शासन व्यवस्था में इस वर्ग को कोई विशेष सुविधा या व्यवस्था प्राप्त नहीं थी। कोई जरूरी नहीं था कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद जीविकोपार्जन का कोई साधन भी उपलब्ध हो जाय। पर शिक्षा प्राप्त करने की साधना के फलाफल से अनासक्त वावूजी ने एक सफल शिक्षार्थी की साधना को पूरा किया है। शिक्षण काल में समाज के ठेकेदारों से इन्हें जैसी उपेक्षाएं मिलीं उन उपेक्षाओं के बीच कोई कर्मयोगी ही बढ़ सकता है। सामान्य पुरुष के वश के बाहर की बात है वह। ठीक इसी तरह बी० एस०-सी० की परीक्षा में सफलता के साथ सफल होने के बाद अर्थोपार्जन के बदले समाज सेवा का व्रत ले लेना भी इनके कर्मयोग की साधना का ज्वलन्त प्रमाण है। तत्कालीन अन्य समाज सेवियों की तरह इनका परिवार साधन सम्पन्न नहीं था। पारिवारिक जीवन बड़ी आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। साथ ही इनके समकालीन समाज-सेवी और राष्ट्र-सेवी सदां ने सोने की चम्मच या चांदी की चम्मच के साथ जन्म लिया था पर इनके साथ सोने या चांदी की बात तो टोड़िये लकड़ी की चम्मच भी नहीं थी। जितने भी समाज-सेवी या राष्ट्र-सेवी रंगमंच

पर थे वे सब के सब समाज के प्रतिष्ठित वर्ग के व्यक्ति थे पर बाबूजी के साथ ठीक विपरीत परिस्थितियाँ थीं। यह भी तय नहीं था कि देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले गुलामी की जंजीर तोड़ सकने में समर्थ होंगे और उन्हें पुरस्कार मिलेगा। फिर भी फलाफल से बनासक्त हो बाबूजी ने आजादी की लड़ाई लड़ी और समाज की सेवा की। इसके बाद एक लम्बे अर्से तक देश का मंत्रित्व संभालना इस बात की ओर संकेत करता है कि इनकी कर्मयोग की साधना सफल सिद्ध हुई है और ये कर्मयोग के सिद्ध साधक हैं। १९६७ के भीषण अकाल के काल में भारत का अन्न-मंत्रित्व संभालना और देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाना इनके सिद्ध कर्मयोगी होने का ही प्रबल प्रमाण है। उस अकाल की अवस्था में सब चिन्तित थे कि अव क्या होगा? सामान्य रूप से अन्न मंत्रित्व के कार्यभार का फल असफलता का द्योतक था। फिर भी बाबूजी ने उसके फलाफल की ओर ध्यान दिए बिना अपने कर्मयोग की साधना के बल पर उस कार्य-भार को संभाला और इस बात का प्रमाण दिया कि ये सिद्ध कर्मयोगी हैं। ठीक यही बात कांग्रेस के अध्यक्ष पद को सम्भाल कर इन्होंने किया है।

हमेशा इन्होंने सत्ता से ज्यादा सेवा को महत्त्व दिया है। १९३६ में अठाइस वर्ष की अवस्था में ही इन्हें बिहार विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया था। तत्कालीन परतन्त्र भारत में विधान परिषद की सदस्यता बहुत ही महत्त्वपूर्ण बात थी। पर जैसा कि आपने देखा है जन कल्याण के लिए नहर रेट प्रश्न पर बाबूजी ने उसे छोड़ दिया। पुनः १९६३ में कामराज योजना के अन्तर्गत इनसे मंत्रित्व पद से त्याग की मांग की गई। यह घटना महाभारत में 'वनपर्व' में वर्णित कर्ण के कवच और कुंडल के दान को स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर कराती है। कर्ण सूर्य के पुत्र थे। उनका जन्म अविवाहित कुन्ती के गर्भ से हुआ था। कर्ण ने शरीर पर कवच और कानों में कुंडल के साथ जन्म लिया था। कवच और कुंडल के साथ रहने पर वह अवध्य और अजेय थे। सामाजिक मर्यादा का पालन करने के लिए जन्म लेते ही कर्ण को पिटारी

में वन्द करके अश्व नदी में छोड़ दिया गया था। कर्ण की पिटारी बहते-बहते अधिरथ सूत की नगरी चम्पापुरी में गंगा तट पर लगी। सूत अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने कर्ण का लालन-पालन अपने घर में किया। अधिरथ ने जब देखा कि कर्ण बड़े हो गए तो उन्हें विद्या पाने के लिए हस्तिनापुर भेज दिया जहां उन्होंने द्रोणाचार्य से अस्त्र विद्या की शिक्षा पाई। दुर्योधन के वे मित्र हो गए। द्रोण, कृप और परशुराम से चारों तरह के अस्त्रों का संचालन सीखकर वह महान् धनुर्धर हो गए। सम्पूर्ण लोकों में उनकी प्रसिद्धि हो गई। दुर्योधन और कर्ण की मित्रता से अर्जुन के हितचिन्तकों को चिन्ता बनी रहती थी। कहते हैं अर्जुन इन्द्र के पुत्र थे। इन्द्र भी काफी चिन्तित रहते थे। कर्ण का नियम था कि वे मध्याह्न के समय जल में खड़े होकर हाथ जोड़ सूर्य की स्तुति करते और अर्घ्य देते थे। सूर्य की स्तुति समाप्त कर कर्ण ब्राह्मणों को दान दिया करते थे। उनके पास ऐसी कोई वस्तु न थी जिसे वे ब्राह्मणों को न दे सकें। इन्द्र ने ब्राह्मण का छद्मवेश धारण कर उनसे कवच-कुंडल का दान ले लेने की कुमन्त्रणा की। सूर्य ने अपने पुत्र कर्ण को स्वप्न में इन्द्र की कुमन्त्रणा से अवगत करा दिया था। एक दिन देवराज इन्द्र ब्राह्मण का छद्मवेप धारण कर कर्ण के पास आए और 'भिक्षां देहि' ऐसा कहा। इस पर कर्ण ने कहा, 'पधारिए, आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपको क्या दूँ।' इन्द्र ने कर्ण से उनके जन्म के साथ उत्पन्न हुए कवच और कुंडल को मांगा। कर्ण ने इन्द्र को छद्मवेश में पहचान लिया। यह जानते हुए भी कि कवच और कुंडल का दान अपना जीवन दान देना है, कर्ण ने ब्राह्मण वेशधारी इन्द्र को अपना कवच और कुंडल दान में देकर महाभारत में दान की एक अनोखी मिसाल पेश की है। ठीक इसी तरह कामराज योजना छद्मवेश धारण कर इनसे भी मंत्रित्व से त्यागपत्र रूपी दान मांगा गया। चावूजी 'कामराज योजना' की योजना से पूर्व परिचित थे फिर भी इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और कर्ण के दान की परम्परा को कायम रखा। चावूजी ने भगवान् रामकृष्ण की कही हुई बात 'किसी जीवित विश्वास

को एक स्पर्श गोचर रूप में ही दिया व ग्रहण किया जा सकता है, और इस दान व ग्रहण के समान सत्य वस्तु दुनिया में और कोई नहीं है।' को स्पष्ट रूप से सिद्ध किया है।

एक बार भगवान रामकृष्ण ने नरेन्द्र (विवेकानन्द) आदि प्रिय शिष्यों से कहा था, "किसी भी वस्तु को केवल मेरे कहने के कारण स्वीकार न करो। स्वयं प्रत्येक वस्तु की परीक्षा करो।" और वावूजी भी यही कहते हैं। यही कारण है कि मध्यावधि चुनाव में इन्होंने अपनी कांग्रेस को संक्रमण काल से निकाल पुनः सत्तारूढ किया।

दक्षिणेश्वर में एक बार भगवान रामकृष्ण ने भावाविष्ट अवस्था में कहा था, "जीव ही शिव है। उन पर दया-प्रदर्शन का दुःसाहस कौन कर सकता है? दया नहीं, परन्तु सेवा; मनुष्य की सेवा ही भगवान की सेवा है।" जिसे सुनकर विवेकानन्द ने शिवानन्द से कहा था, "आज मैंने एक महान सत्य को सुना है। मैं इस जीवित सत्य की सारे संसार में घोषणा करूंगा।" एक बार और भगवान रामकृष्ण ने कहा था, "भगवान सब मनुष्यों में हैं, परन्तु सब मनुष्य भगवान में नहीं हैं। यही कारण है कि वे कष्ट भोगते हैं" वावूजी के जीवन का भी लक्ष्य मानवता की सेवा ही है। ये भी मानवता के सच्चे सेवक हैं। सेवा के किसी भी अवसर पर ये चूकते नहीं बल्कि मानवता की सच्ची सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मानव-प्रेम और सेवा इनके जीवन का मूलमन्त्र है। इन्हें प्रेम का अवतार कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

इन्होंने अहिंसा की सात्त्विक अर्चना की है जो किसी भी हालत में महावीर, गौतम और गांधी से कम नहीं है। जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया उसे अशक्त समझना भूल है। वह वर्ग काफी सशक्त और सबल है। अपनी उपेक्षा से वह वर्ग खूनी क्रान्ति के लिए तत्पर था। पर इन्होंने ही उस लाल क्रान्ति को सफेद क्रान्ति में परिवर्तित करके अपनी अहिंसा की पूजा का प्रबल प्रमाण दिया है और देश को वर्ग-संघर्ष की ज्वाला में जलने से बचाया है।

सन् ४० की बात है, हरिजनों में फिर एक बार धर्म-परिवर्तन की लहर दौड़ चली। फूट डालो और राज्य करो की नीति को अपनाए हुए अंग्रेजों ने हिन्दू-मुस्लमान फूट के लिए क्रमशः सर सैयद, सर सफात और जिन्ना साहब को चुना और हरिजनों को हिन्दुओं से पृथक करा देने के लिए डा० अम्बेडकर को चुना। डा० अम्बेडकर द्वारा उठाया गया धर्म परिवर्तन आन्दोलन की सफलता स्पष्ट रूप से दृष्टि-गोचर हो रही थी। साफ दिखाई दे रहा था कि हरिजन हिन्दू धर्म से नाता तोड़ किसी अन्य धर्म के साथ अपना सम्बन्ध जोड़ेंगे। लगता था कि विश्व का सबसे अल्प मत में रहने वाला हिन्दू धर्म हरिजनों के साथ सम्बन्ध टूट जाने से और भी अल्प मत हो जाएगा। पर वाबूजी की सूझ ने ही डा० अम्बेडकर के धर्म परिवर्तन आन्दोलन को विफल किया। उन्होंने ही हिन्दू धर्म से हरिजनों के टूटते हुए सम्बन्ध को जोड़ा ही नहीं बल्कि उसे और दृढ़ किया। इन्होंने ही हिन्दू-धर्म में उपेक्षित और बहिष्कृत अपने वर्ग को सिंहासनासीन किया है। इन्होंने ही शांतिपूर्ण तरीकों से अपने वर्ग को समाज में प्रतिष्ठा और सुविधाएं दिलवाई हैं। स्पष्ट शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि हिन्दू धर्म को विघटन से बचाया है। इन्होंने हिन्दू धर्म के लिए दयानन्द और श्रदानन्द से कम काम नहीं किया है।

इन्होंने मनुष्यों द्वारा बने हुए समाज की विद्युतियों की एक कुशल सिद्धहस्त चिकित्सक की भांति चिकित्सा की है और उसे स्वस्थ बनाया है। चिकित्सा और चिकित्सक के कर्म की परिभाषा देते हुए लिखा गया है :—

“याभिः क्रियाभिर्जायन्ते शरीरे धातवः समा।

सा चिकित्सा विकाराणां कर्म तत् भिषजा स्मृतम् ॥”

अर्थात् जिस क्रिया द्वारा शरीर में विषय धानु सम होंगे, उसे चिकित्सा कहते हैं और चिकित्सकों का कर्म है। भिषज और चिकित्सक की कसौटी बताते हुए चरक लिखते हैं :—

“तदेव युक्तं भैषज्यं यदारोग्याय कल्पते ।

त एव भिषजां श्रेष्ठो रोगेभ्यो यः प्रमोचयेत् ॥”

अर्थात् वही औषध उपयुक्त है, जो आरोग्य को देने वाली होती और वही चिकित्सक श्रेष्ठ है जो रोगी को रोग मुक्त करे। वावूजी ने हिन्दू समाज के छुआछूत रूपी रोग की चिकित्सा की है और काफी अंश में इसमें सुधार लाया है।

इन्हें भी पाकिस्तान की तरह एक पृथक राष्ट्र हरिजनिस्तान बनाने का अवसर प्राप्त हुआ था। पर अपने देश-प्रेम और देश-भक्ति का प्रमाण पेश करते हुए इन्होंने देश के अन्य विभाजन को रोका है। अंग्रेजों की यह नीति थी कि भारत को कई टुकड़ों में बांट दिया जाय। मि० जिन्ना के नेतृत्व में प्रतिक्रियावादी मुसलमानों ने एक पृथक राष्ट्र पाकिस्तान बना ही लिया। अंग्रेज चाहते थे कि अम्बेडकर भी मिस्टर जिन्ना की तरह पृथक राष्ट्र बना लें। डा० अम्बेडकर भी इस ओर क्रियाशील नजर आते थे पर वावूजी का सहयोग और समर्थन उन्हें प्राप्त नहीं हो पाया। अगर वावूजी चाहते तो डा० अम्बेडकर को सहयोग दे कर प्रस्तावित हरिजनिस्तान का प्रधान मंत्री या राष्ट्रपति बन सकते थे पर इन्होंने अपनी देशभक्ति का प्रबल प्रमाण पेश करते हुए देश को एक अन्य टुकड़ा होने से बचाया है।

श्रेष्ठ भगवद्भक्त की परिभाषा देते हुए नारद पुराण में लिखा हुआ है :—

“ये हिताः सर्वजन्तूनां गतासूयाः अमत्सराः ।

वशिनो निस्पृहाः शान्तास्ते वै भागवतोत्तमाः ॥५०॥

कर्मणा मनसा वाचा परपीडां न कुर्वते ।

अपरिग्रहशीलाश्च ते वै भांगवताः स्मृताः ॥५१॥

सत्कथा श्रवणे येषां वर्तते सात्वकी मतिः ।

तद्भक्त विष्णुभक्ताश्च ते वै भागवतोत्तमाः ॥५२॥

मातापित्रोश्च शुश्रूषां कुर्वन्ति ये नरोत्तमाः ।

गङ्गा विश्वेश्वरधिया ते वै भागवतोत्तमाः ॥५३॥

व्रतिनां च यतिनां च परिचर्यापराश्च ये ।

विद्युवत परनिन्दाश्च ते वै भागवतोत्तमाः ॥५४॥

सर्वेषां हितवाक्यानि ये वदन्ति नरोत्तमाः ।

ये गुणग्राहिणो लोके ते वै भागवताः स्मृताः ॥५६॥

आत्मवत् सर्वं भूतानि ये पश्यन्ति नरोत्तमाः ।

तुल्याः शत्रुषु मित्रेषु ते वै भागवतोत्तमाः ॥५७॥

अन्येषामुद्वेगं दृष्ट्वा येऽनिनन्दन्ति मानवा ।

हरिनाम परा ये च वै भागवतोत्तमाः ॥६१॥

शिवे च परमेशे च विष्णौ च परमात्मनि ।

समबुद्ध्या प्रदत्तन्ते ते वै भागवताः स्मृताः ॥७२॥

(नारद पुराण १।५)

“जो सब जीवों के हितेषी हैं, जो दूसरों का दोष नहीं देखते, जो किसी से डाह नहीं करते, मन-इन्द्रियों को वश में रखते हैं, निस्पृह और शांत हैं, वे भगवद्भक्त हैं। जो कर्म, मन और वचन से दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाते, जिनका संग्रह करने का स्वभाव नहीं है, वे भगवद्भक्त हैं। जिनकी सात्विकी बुद्धि उत्तम भगवत्कथा सुनने में लगी रहती है तथा जो भगवान और उनके भक्तों के भी भक्त हैं, वे श्रेष्ठ भगवद्भक्त हैं। जो श्रेष्ठ मनुष्य माता-पिता के प्रति गङ्गा और विश्वनाथ का भाव रख कर उनकी सेवा करते हैं, वे श्रेष्ठ भगवद्भक्त हैं। जो व्रतधारियों और यतियों की सेवा में लगे रहते हैं और परायी निन्दा कभी नहीं करते वे श्रेष्ठ भगवद्भक्त हैं। जो श्रेष्ठ पुरुष सबके लिए हित भरे वचन बोलते हैं और केवल गुणों को ही ग्रहण करते हैं, वे इस लोक में भगवद्भक्त हैं। जो श्रेष्ठ पुरुष समस्त जीवों को अपने ही समान देखते हैं तथा शत्रु-मित्र में भी समान भाव रखते हैं, वे श्रेष्ठ भगवद्भक्त हैं। जो मनुष्य दूसरों का अभ्युदय देख कर प्रसन्न होते और सदा हरिनाम परायण रहते हैं, वे श्रेष्ठ भगवद्भक्त हैं और जो परमेश्वर शिव एवं परमात्मा विष्णु के प्रति समबुद्धि से वर्तव्य करते हैं, वे श्रेष्ठ भगवद्भक्त हैं।”



उपरोक्त श्रेष्ठ भगवद्भक्त की परिभाषा की कसौटी पर अगर हम बाबूजी को लेते हैं तो स्पष्ट रूप से ये श्रेष्ठ भगवद्भक्त दिखते हैं। इनका जीवन एक श्रेष्ठ भगवद्भक्त का जीवन है। कार्य-व्यस्तता के क्षणों में भी यह प्रभु का ध्यान रखते हैं और प्रभु का नाम लेते रहते हैं। इनका भगवत्स्मरण हर घड़ी जारी रहता है। सर्व-शक्तिमान प्रभु से इनकी प्रार्थना हर घड़ी हर क्षण जारी रहती है।

प्रार्थना के महत्व को बाबूजी जानते हैं इसी से इनकी प्रभु की प्रार्थना कभी भी छुटने नहीं पाती और सम्भवतः इनके जीवन की सफलता का रहस्य भी यही है। क्योंकि डा० फ्रैंक लुव की पुस्तक में लिखा गया है कि 'प्रार्थना दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, जो सभी मनुष्यों को सुलभ है।' एक दूसरा आध्यात्मिक लेखक इम्मट फाक्स कहता है :—'परम आत्मा के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, वह प्रतिक्षण चमत्कार करता है।' डा० एमिली केडी ने भी लिखा है :—“There is some thing about the mental act of thanks-giving that seems to carry the human mind far beyond the region of doubt into the clear atmosphere of faith and trust, where all things are possible” अर्थात् प्रार्थना की मानसिक क्रिया से, धन्यवाद की भावना से ऐसा कुछ होता है कि शंका के लोक से मानव-मन श्रद्धा की भूमिका में आ जाता है, जहां सब कुछ सम्भव है।”

इन्होंने निजत्व की रक्षा करते हुए विवेक चूड़ामणि की इस मान्यता की रक्षा की है :—

लब्ध्वा कथंचिन्नरजन्मदुर्लभं

तत्रापि स्त्वं श्रुति पारदर्शनम् ।

यः स्वात्मयुक्तौ न यतेत मूढधीः

स ह्यात्महा स्वं विनिहन्त्य सद् ग्रहात् ॥

(विवेक चूड़ामणि १।४)

बाबूजी का लक्ष्य एक ऐसे समाज की स्थापना करने का है जिसमें

आपसी मतभेद न हों। कोई किसी का अपमान और विरोध न करे। सब एक दूसरे को प्यार करें। भूख और वासना, विद्वंस और हाहाकार के बीच वावूजी एक नए समाज की रचना के लिए सचेष्ट हैं। इनके द्वारा नवनिर्मित समाज में सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे। न्याय की कमी न होने पाएगी। उस समाज के वातावरण में न अभाव होगा और न अभियोग ही। चारों ओर सुख और स्वच्छन्दता की लहर दिखाई पड़ेगी। कोई किसी से भयभीत न होने पाएगा। सब एक दूसरे के प्रति न्याय, सम्मान और प्रेम प्रदर्शित करेंगे। तभी तो राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने इनके सम्बन्ध में कहा है—

“तुल न सके धरती धन धाम,  
 धन्य तुम्हारा पावन नाम।  
 लेकर तुम सा लक्ष ललाम,  
 सफल काम जग जीवन राम।”

वास्तव में इनका जीवन सबके लिए एक प्रेरणास्रोत है और खास कर उन लोगों के लिए तो इनका जीवन 'पलेश लाइट' की तरह है जो अंधा उठना चाहते हैं। ये स्वनिर्मित मानव हैं। इन्होंने सबको स्पष्ट दिखला दिया कि कांटों के बीच कैसे खिला जाता है, निर्बलता में घनी होना कैसे सम्भव हो सकता है। इनके जीवन से जीवन मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा, प्रोत्साहन और आत्म बल प्राप्त होता है। इन्होंने जाति भेद, वर्ग भेद और अन्य तमाम समाज के विभेदों को मिटाने का दृढ़ संकल्प लिया है और अपने अन्य तमाम संकल्पों की तरह इसे भी पूरा कर के रहेंगे। भारत के महान पुत्र होने के नाते इनमें हमें भारत की मिट्टी की सुगन्ध मिलती है। यही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे भेंट करने वालों में आपको एक ओर चमचमाती मोटर कारों से उतरने वाले पूंजीपति दिखेंगे तो दूसरी ओर धूल-बूसरित पैर लिए पैरों में विवाय फटे और फटे-पुराने कपड़े पहने हुए मजदूर और किसान भी देखेंगे। ऐसी बात नहीं है कि मोटर से उतरने वाले पूंजीपतियों का महत्व इनके सामने ज्यादा रहता हो बल्कि इनके पास

मजदूरों और किसानों का स्थान ज्यादा ऊंचा रहता है। इन्होंने आज जितना ऊंचा स्थान प्राप्त किया है वह किसी व्यक्ति विशेष की कृपा से नहीं बरन् अपने त्याग, तपस्या, परिश्रम और योग्यता के बल पर किया है। एक जमाना इनका वह भी था जब इनको सामने देख यात्रा भंग होने के डर से इन्हें लोग चांटा मारा करते थे और एक जमाना अब है कि लोग इनकी कृपा दृष्टि के लिए तरसते हैं। इन्हें अपने निकट देख सब अपना सौभाग्य मनाते हैं।

इनमें गम्भीरता के साथ-साथ विनोदप्रियता भी है। विनोद का अवसर आने पर कभी भी विनोद करने से ये चूकते नहीं। दिल्ली में होली के अवसर पर होने वाले मूर्ख सम्मेलन में खुले दिल से भाग लेना इनकी विनोदप्रियता की ही निशानी है। एक बार की घटना है कि बाबूजी आरा आये हुए थे। उस समय कामराज योजना के अन्तर्गत इन्होंने मंत्रि-पद से त्याग-पत्र दे दिया था। इन्हें दिल्ली जाना था। टेलीफोन से पूछने पर पता चला कि आसाम मेल ठीक समय से आ रही है। इनके साथ हम लोग प्लेटफार्म पर पहुंचे। पर गाड़ी लेट हो गई। साधारणतया प्लेटफार्म पर विलम्बित गाड़ी का इन्तजार करना उबाने वाली घटना हो जाती है। बाबूजी इसे समझते थे। कई तरह बातें करते-करते इन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन का एक संस्मरण सुनाया। इन्होंने कहा कि मैं अपने विद्यार्थी जीवन में नित्य प्रति सुबह गांव से स्टेशन समाचार पत्र लेने के लिए आया करता था। एक दिन अपने एक स्कूल के शिक्षक को जिन्हें लोग भराक पण्डित कहते थे इन्होंने स्टेशन पर कम्बल बिछाये बैठे देखा। बाबूजी उनके पास गये और स्टेशन पर आने का कारण पूछा। पण्डित जी ने जवाब दिया कि मुझे बाहर जाना है। जिस गाड़ी से बाहर जाने की बात उन्होंने कही उसका निश्चित निर्धारित समय कुछ घंटों के बाद होता था। बाबूजी ने उनसे इतनी जल्दी आ जाने का कारण पूछा। पण्डित जी ने कहा कि इससे पहले चला आया हूं कि कहीं गाड़ी अपने निर्धारित समय से कभी पहले न चली आवे और मेरी यात्रा स्थगित हो जाय।

बाबूजी उसी घटना को सुनाते हुए हम लोगों से कहने लगे कि यही हालत आज मेरी हो गयी है। हम सबों की हालत हँसते-हँसते बुरी हो रही थी। साथ ही हम सोच रहे थे कि इतने गम्भीर दिखने वाले बाबूजी कितने विनोदप्रिय हैं। गम्भीर से गम्भीर विषयों पर भाषण देते हुए भी बाबूजी श्रोताओं को हँसाने से बाज नहीं आते। छोटे बच्चों के बीच बाबूजी बच्चा बन जाते हैं और उनके साथ खेला करते हैं।

ये गरीबों के देवता हैं। गरीबों के लिए ये सब कुछ करने को सदा तत्पर रहते हैं। इनमें अपने मित्रों के प्रति अपूर्व वफादारी भी है। अपने पुराने मित्रों को यह सदा स्मरण रखते हैं। इनमें एक ओर भावुकता है तो दूसरी ओर दृढ़ता भी। इनके समक्ष हाथ पसारने वाला कभी भी खाली हाथ नहीं रहा है जो इनके उदारमना होने का परिचायक है।

जिस वर्ग में इन्होंने जन्म लिया है उस वर्ग की करुण दशा का वर्णन करते हुए सन् १९३५ में मंसूरी में भाषण देते हुए महामना मालवीय जी ने कहा था — "मानव नामधारी ये करोड़ों प्राणी कितनी दयनीय दशा से गुजर रहे हैं। इन्हें एक वक्त्र का अन्न जुटाने के लिए असंख्य यंत्रणाओं का सामना करना पड़ता है फिर भी उन्हें भर पेट भोजन नहीं मिल पाता। मैंने अपनी आंखों से देखा है इन सैकड़ों बालक और बालिकाओं को गाय के गोबर में से अन्न के दाने बीनते हुए ताकि उनका वे अपनी धुधा निवारणार्थ उपयोग कर सकें।" यह कहते-कहते उनकी आंखों से अजस्र अश्रुधारा वह निकली थी। ऐसे दीन-हीन वर्ग में भी जन्म लेकर इन्होंने सब के सामने यह प्रमाण पेश किया है कि अपना निर्माण कैसे किया जाता है। इन्होंने लोकप्रिय होने के साथ-साथ लोक संग्रह का भी कार्य किया है।

विश्व के सबसे अधिक सफल भविष्य द्रष्टा और महानतम सन्त विवेकानन्द ने १९ वीं सदी के अंतिम चरण में समाजवाद की स्थापना की बात कही थी। ऐसी बात नहीं थी कि उन्होंने १९०५ में होने वाली बुर्जुआ क्रान्ति को देखकर ऐसी बात कही हो क्योंकि इसके दो वर्ष पूर्व

ही १९०३ में इन्होंने अपने को परमात्मा में विलीन कर दिया था। वही पहले व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने स्पष्ट रूप से पहले पहल देखा कि “आजादी का संघर्ष अब सामंती शक्तियों के द्वारा सामंतवादी राज्य की स्थापना के लिए नहीं होगा जैसा कि १८५७ में हुआ था। यह संघर्ष जनतंत्र, व्यक्ति स्वातंत्र्य, समाजवाद और संस्कृति के लिए जन-साधारण द्वारा होगा।” १८९० में अपनी विदेश यात्रा के पूर्व ही उन्होंने इस बात की चर्चा की थी कि भारत आजादी प्राप्त करने के बाद कमजोर होने पर चीन की ओर से आक्रांत हो सकता है। उस भय को दूर करने का उपाय बतलाते हुए उन्होंने यह भी स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत को तत्काल शक्ति सग्रह के कार्य में जुट जाना चाहिए। ‘हिन्दी चीनी भाई-भाई’ के नारे के समय संसद में जब स्वामी विवेकानन्द के इस कथन की चर्चा की गयी थी तो हमारे प्रधान मंत्री ने उस बात का मखोल उड़ाया था पर कुछ ही दिनों बाद उस संत की भविष्यवाणी शत-प्रतिशत सही सिद्ध हुई थी। ठीक उसी तरह की भविष्यवाणी उन्होंने अपने वर्णचक्र में की है जिसके कुछ अंश इस प्रकार हैं :—

“मानव-समाज का शासन अपने-अपने क्रम से चारों जातियों के द्वारा होता है—पुरोहित, सैनिक, व्यापारी और श्रमिक (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र) इनमें से प्रत्येक के शासन के अपने-अपने गुण और दोष हैं।

अब तक प्रथम तीनों ने अपने दिनों का उपयोग कर लिया। अब समय है इनमें से अन्तिम वर्ग का और उन्हें यह अवश्य मिलेगा—उसे अब कोई नहीं रोक सकता। मैं स्वर्णमान (गोल्डन स्टैण्डर्ड) अथवा रजतमान (सिलवर स्टैण्डर्ड) की कठिनाइयों के विषय में पूरी तरह से परिचित नहीं हूँ, परंतु इतना मैं अवश्य देख रहा हूँ कि स्वर्णमान गरीबों को और अधिक गरीब तथा धनिकों को और धनी बनाता जा रहा है। रजतमान गरीबों को इस विषमता के संघर्ष में श्रेष्ठतम अवसर प्रदान करेगा। मैं एक समाजवादी हूँ, इसलिए नहीं कि मैं इसे

पूण समझता हूँ, अपितु इसलिए कि पूरी रोटी न मिलने की दशा में आधी रोटी ही अच्छी है।”

“चाहे तुम आर्य पूर्वजों से अपनी वंश परम्परा का कितना ही दिग्दर्शन क्यों न किया करो और प्राचीन भारत की महानताओं का दिन-रात कितना ही गुणगान क्यों न करते रहो तथा अपने उच्च कुल के जन्म के अभिमान में कितने ही दंभपूर्वक क्यों न चलो, भारत के उच्च वर्गों, क्या तुम यह समझते हो कि तुम जीवित हो? ओह ! तुम निश्चय ही दस सहस्र वर्ष पुरानी ‘ममी’ हो। जिन लोगों को तुम्हारे पूर्वजों ने चलते-फिरते मृत सांस-पिंड कहकर घृणा की दृष्टि से देखा। भारत में आज जो कुछ भी जीवन शेष रह गया है, वह उन्हीं में है और वह तुम्हीं हो जो चलते-फिरते मुर्दे हो। ओ भारत के उच्च वर्गों, तुम बीते युग का प्रतिनिधित्व करते हो। तुम्हीं शून्य हो, भविष्य की स्वरहीन चीज हो। कल्पित स्वप्नलोक के वासियों ! तुम अभी तक यहाँ घूम रहे हो ? विगत भारत के मृत शरीर के मांसहीन रक्तहीन कंगालो, तुम क्यों नहीं शीघ्र अपने को धूलि में मिलाकर वायु में अदृश्य हो जाते ? ... अपने को शून्य में विलीन कर दो। नये भारत को उमड़ने दो—हल चलाने वाले किसान की भोंपड़ी से, मछुओं, मोचियों और मेहतरों की मड़ैया से, परचून की दूकानों से और छोटी मिठाई वाले की दूकान की अंगीठी के पास से उसे श्रान्त की भांति उमड़ कर आने दो। कारखानों, पैठ और बाजारों से उसे प्रसून होने दो। कुओं और जंगलों से, पहाड़ियों और पर्वतों से उसे प्रकट होने दो। इन साधारण लोगों ने सहस्रों वर्षों से पद-दलित होते रहने का कष्ट सहन किया है और फलस्वरूप इनमें आश्चर्यजनक सहनशक्ति एवं नाहन का विकास हुआ है। इन्होंने युगों से कष्ट भेले हैं जिसने उन्हें अदम्य शक्ति प्रदान की है। मुट्ठी भर अन्न पर जीवित रहकर ही ये समस्त संसार में श्रान्ति ला सकते हैं।”

“जीवन-संश्राम में सदा लगा रहने के कारण निम्न वर्ग के लोगों में अभी तक ज्ञान का प्रकाश नहीं हो पाया है। वे लोग अभी तक

मानव बुद्धि के परिचालित यंत्र की भांति एक ही भाव से काम करते जा रहे हैं और बुद्धि वाले चतुर व्यक्ति इनके परिश्रम और काम का सार निचोड़ लेते हैं। सभी देशों में ऐसा हुआ है। परन्तु अब वे दिन नहीं रहे। निम्न वर्ग के लोग धीरे-धीरे यह बात समझ रहे हैं और इसके विरुद्ध सब सम्मिलित रूप से खड़े होकर अपने समुचित अधिकार प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प हो गए हैं। यूरोप और अमेरिका में निम्न वर्गीय लोगों ने जागृत होकर इस दिशा में प्रयत्न भी आरम्भ कर दिए हैं और आज भारतवर्ष में भी इसके लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे हैं... अब उनके प्रयत्न करने पर भी उच्च वर्गीय लोग निम्न श्रेणियों को दबाकर नहीं रख सकेंगे।”

“भारत की एक मात्र आशा वहां के निम्न वर्ग से है। उच्च वर्ग शारीरिक रूप से मृत है।”

“याद रखो कि राष्ट्र भोंपड़ी में रहता है। किंतु दुख है कि उनके लिए कभी किसी ने कुछ नहीं किया... क्या तुम उन्हें ऊपर उठा सकते हो? निम्न वर्ग को ऊपर उठाना, उनके धर्म और संस्कृति को क्षति पहुंचाये बिना, यही हमारा मूल मंत्र होना चाहिए।”

इस तरह हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि वावूजी और इनके वर्ग को स्वामी विवेकानन्द जैसे महानतम सन्त का आशीर्वाद प्राप्त है। इनकी प्रजाति की तीव्र गति को कोई नहीं रोक सकता।

अच्छा ! वावूजी को इस समय हम छोड़ें ज्यादा छेड़ें नहीं। इस समय देश की सुरक्षा का भार इनके कंधों पर है और इनके नेतृत्व से भारत को अभी बहुत-बहुत आशाएं हैं। पुनः कुछ दिनों बाद इनकी उपस्थिति में ही मिला जायगा। उपनिषद् के शब्दों में इनके सम्बन्ध में इतना ही कहा जा सकता है—

“विज्ञानतरे केन विजानीयात् ।”

जो विज्ञान के परे है, उसे कौन जान सकता है ?

## बाबूजी

तात् ! तुम्हारे पौरुष से,  
आज हो गई पूजित मानवता ।  
जग के जीवन की नई ज्योति से,  
आज भाग चली है दानवता ॥  
आज तुम्हारे प्रिय आदर्शों में,  
उपेक्षित जनों को त्राण मिला है ।  
आज तेरे ही सतकर्मों में,  
मृत समाज को प्राण मिला है ॥  
हर कांटों भरे मार्ग को,  
तूने ही कुसुमित पथ में बदला ।  
दानवता अब हार चुकी,  
नहीं करेगी कभी वह हमला ॥  
युग - युग की घोर उपेक्षा से,  
मुषत आज मानव को करके ।  
मूलभूत अधिकार दिलाये,  
आज तूने जन - जन के ॥  
कांटों बीच निर्माण कर अपना,  
सबको आगे बढ़ने की शिक्षा दी है ।  
“उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि”,  
के मन्त्र की सदको दीक्षा दी है ॥  
वर्ग संघर्ष दबाकर तूने  
एक नये समाज का निर्माण किया है ।



आज धन्य हो गई है धरती  
 ऐसा तूने वरदान दिया है ॥  
 आज तुझे देख सब वाद मूक हैं,  
 केवल एक समाजवाद सुस्काया।  
 अध्यात्म वाद कह रहा है हंस  
 सच्चा सन्त आज ही आया ॥  
 साधना, साधक और साध्य  
 सबका एकाकार तुम्ही में है।  
 भक्ति, भक्त और भगवान  
 सबका साक्षात्कार तुम्ही में है ॥  
 तुलसी के आदर्शों के,  
 और शबरी के राम तुम्ही हो।  
 सूर के नटखट कृष्ण,  
 और सीरा के घनश्याम तुम्ही हो ॥  
 हर आदर्शों की रक्षा की  
 तूने देकर अपनी अग्नि परीक्षा।  
 जन - जन का कल्याण करो  
 सदा करें भगवान तुम्हारी रक्षा ॥

(आशा वर्मा)

## बंगला देश और बाबूजी

“अगर पाकिस्तान ने हम पर युद्ध थोपा तो वह युद्ध पाकिस्तान की भूमि पर होगा” इस दृढ़ घोषणा ने विश्व-मानस को चौंका दिया। यह घोषणा भारत के प्रतिरक्षा मंत्री और हम लोगों के बाबूजी द्वारा की गई थी। विश्व इनसे परिचित है कि ये केवल कहना नहीं करना भी जानते हैं। सभी इनकी दूरदर्शिता और कर्तव्यपरायणता से भली-भांति परिचित हैं। इनकी इस घोषणा ने भारतीयों को साहस, शक्ति और शौर्य से भरपूर कर दिया। सारे देश में सन्तोष की लहर दौड़ गयी। सेना के कर्तव्यपरायण और बहादुर जवानों में उत्साह की अपूर्व लहर दौड़ आई। बात क्या थी ?

१९४७ में आजादी प्राप्ति के २५ वर्षों में दो बार हमारे देश पर पाकिस्तान आक्रमण कर चुका था और एक बार चीन भी। पहली बार १९४७ में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद कश्मीर पर पाकिस्तान का आक्रमण हुआ। दूसरी बार १९६२ में चीन ने आक्रमण किया। अपने आक्रमण के दूसरे दौर में पाकिस्तान ने १९६५ में पश्चिमी मोर्चे पर कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में आक्रमण किया।

जबसे विदेशियों ने अखंड भारत को खंडित कर भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बना दिये तभी से पाकिस्तान भारत की ओर दुश्मन की नजर से देखता रहा। इसका स्पष्ट कारण कश्मीर को कह जाता है पर वास्तविकता है पाकिस्तान की हीन साम्प्रदायिक मनोवृत्ति। पहली बार उसने १९४७ में कश्मीर हड़पने का दुष्प्रयत्न किया पर उसे पूरी सफलता नहीं मिल पायी। हमारे बहादुर सैनिकों ने कश्मीर के बड़े भू-भाग को बचा लिया। फिर भी कश्मीर का बहुत

बड़ा भाग वह अभी भी हड़प कर बैठा है।

स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भारत अपने पुनर्निर्माण की योजनाओं में लगा हुआ था। चीन ने हमारी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया और हमने उस पर विश्वास कर उससे हाथ मिलाया तथा 'हिन्दी-चीनी भाई-भाई' का नारा बुलन्द किया। विश्व के रंगमंच पर हमने पंचशील के सिद्धान्तों का उद्घोष किया। फलस्वरूप शांति, सह-अस्तित्व, जनतन्त्र और धर्मनिरपेक्षता में हम विश्वास कर अपने नवनिर्माण को लेकर क्रियाशील हो गए। औद्योगीकरण की व्यवस्था जोर पकड़ती गई। शांति की आस्था में हम इतने प्रभावशाली बनने लगे कि युद्ध की सामग्रियों का उत्पादन, टेक्नीक और अन्वेषण सब-के-सब ठप्प पड़ गये। उधर चीन हमें भुलावा देकर युद्ध की तयारी में लगा था। इतना ही नहीं उसने १९६२ में लद्दाख और नेफा में हम पर आक्रमण भी कर दिया। हमारी पीठ में छुरा मारने की साजिश में चीन को सफलता मिली। हमारी सेना ने शौर्य के साथ चीन का मुकामिला किया पर सैन्य सामग्रियों के अभाव में कई मोर्चों पर हमारी हार हुई। हमारी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को काफी गहरा आघात लगा। यही प्रायश्चित्त था। हमने सेना और सैन्य-सामानों के प्रति जो उपेक्षा की नीति बरती थी उसका फल मिला। शांति-प्रियता की हमारी मोह-निद्रा भंग हुई।

अभी हम जगे ही थे कि १९६५ में हमें पुनः पाकिस्तानी आक्रमण का सामना करना पड़ गया। पाकिस्तान ने दूसरी बार हम पर युद्ध थोपकर हमारी विकास की गति को वन्द कर देने की कुचेष्टा की। तत्कालीन पाकिस्तानी प्रेसिडेंट अय्यूब खां ने भारत को परास्त करने का स्वप्न देख लिया था। खां साहब ने भारत पर आक्रमण कर अपने स्वप्न को साकार करने की चेष्टा की। पर बेचारे की चेष्टा असफल हो गई। इतना ही नहीं उन्हें सत्ता से भी हाथ धोना पड़ा। खां साहब के कठपुतले भुट्टो भी हिस्टीरिया रोग से काफी बड़बड़ा रहे थे। उन लोगों ने भारत की पश्चिमी सीमा कश्मीर, पंजाब और राजस्थान पर बड़े पैमाने में युद्ध छेड़ दिया। पाकिस्तान को अमरीका द्वारा मिले सैवरजेट

और पैटन टैंकों का बड़ा घमण्ड था। उसे उन्माद हो गया था। उनकी हेकड़ी थी कि वे अपने टैंकों पर सवार होकर दिल्ली तक बढ़ आयेगे। पैटन टैंक और सैंवरजेट की गर्मी ने मार्शल अय्यूब खां के तापमान को संभवतः १०८° तक पहुंचा दिया था। उनका आक्रमण योजनाबद्ध ढंग से भारत पर हुआ। पर चीन के आक्रमण ने भारत को मजबूर कर दिया था कि वह भी अपने सैन्य-बल पर जोर दे। नतीजा वही हुआ जिससे सभी अवगत हैं। भारत में निर्मित नेटों ने सैंवरजेट को पेट में मारना शुरू किया। भारतीय सेना के जवानों ने पैटन टैंक की दुर्गति कर डाली। पाकिस्तान का बहुत बड़ा क्षेत्र हमारे वहादुर जवानों के कब्जे में आ गया। भले वे क्षेत्र ताशकन्द समझौते में छोड़ दिए गए हों, पर भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान के जनरल अय्यूब खां और भुट्टो के युद्धोन्माद को काफी अंशों में ओझा की तरह उतार दिया। खेमकरण तो पैटन टैंकों का कब्रगाह बन गया। विश्व को भारत की शक्ति की झलक मिली।

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद जहां हमारे भारत में लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद का उद्घोष हो रहा था, वहां पाकिस्तान की जनता कराह रही थी। भारत में एक ओर विकास की नई-नई योजनाएं क्रियान्वित हो रही थीं वहां दूसरी ओर पाकिस्तान में कश्मीर को 'हमीनस्तो हमीनस्त' बना कर जनमानस को भुलावा दिया जा रहा था। भारतीय लोकतन्त्र में जनता जहां एक ओर मनपसंद व्यक्तियों को सत्ता सौंपती थी वहां दूसरी ओर पाकिस्तान की जनता अपने शासकों की तानाशाही मनोवृत्ति का शिकार रहती है। पाकिस्तानी जनता के बीच जब कभी असन्तोष की लहर आती है वहां के शासक उसे तरह-तरह का भुलावा देने लगते हैं। जनता के सामने पाकिस्तानी शासक कश्मीर का मामला पेश करते हैं और उसे पाकिस्तान में मिलाने की तस्वीर खींचते हैं। आखिर जनता-जनता ठहरी वह विचारी उनकी तस्वीर को देखकर सम्मोहित हो जाती है। उनके भुलावों में आ जाती है। पाकिस्तानी शासक जब कभी अपने प्रति जनता में असन्तोष की लहर

देखते हैं तो उसे वे भारत पर युद्ध थोपकर मोड़ना चाहते हैं । पाकिस्तानी सेना पर्याप्त संख्या में मारी जाती है । देश की अर्थ-व्यवस्था चरमरा जाती है, जनता परेशान हो जाती है, उसे इतना परेशान रखा जाता है कि वह अपने आप में परेशान-परेशान रहती है । उसे कुछ सोचने-समझने का मौका ही नहीं दिया जाता । कभी-कभी लोकतन्त्र की नाटकीय व्यवस्था भी की जाती है । चुनाव होते हैं पर पाकिस्तानी फौजी तानाशाहों के सामने चुने हुए प्रतिनिधि का कोई महत्व नहीं होता । सारी राज्य-व्यवस्था फौजी तानाशाहों के इशारे पर नाचती है ।

बंगला देश की कहानी और भी कष्ट है । १९४७ को पूर्वी पाकिस्तान के नाम पर आजाद बंगला देश को आजादी मिली थी । दास-प्रथा चलाने वालों की कूटनीति संस्कृति को मिटा देने की होती है । फलस्वरूप बंगला देश के पुराने शासकों ने आजादी मिलने के तुरन्त बाद दास-प्रथा को चलाने की अपनी साजिश आरम्भ कर दी । यहां की जनता से पश्चिमी पाकिस्तान के जागीरदारों ने गुलाम जैसा व्यवहार आरम्भ कर दिया । पश्चिमी पाकिस्तान में बसने वाले जागीरदारों ने यहां की जनता के साथ मालिक और नौकर जैसा सम्बन्ध बरतना शुरू किया । कनाडाई विद्वान के कलियर्ड के अनुसार पाकिस्तानी सत्ता सिर्फ "जागीरदारों और जमींदारों, पीरों और मीरों, मखदूमों, खानों और नवाबों के द्वारा संचालित हुई है ।" बंगला देश के पुराने साम्राज्यवादी शासकों का व्यवहार जनता के प्रति काफी घिनौना रहा । यहां के साम्राज्यवादी शासकों ने यहां की जनता को हमेशा धोखा दिया और पश्चिमी पाकिस्तान के अपने आक्राओं की पाकेट हमेशा भरते रहे । उनकी जीहुजूरी में हमेशा लगे रहे । वे हमेशा यहां की जनता की कमाई पश्चिमी पाकिस्तान के जागीरदारों की भोली में भरते रहे । बंगला देश में उपजने वाला पटसन, जो विश्व की पैदावार का ८० प्रतिशत था, उसकी आमदनी पर यहां के शासक स्वयं गुलछर्रे उड़ाते और अपने आक्राओं को भी हिस्सा देते रहे ।

१९४७ से १९६७ तक का ब्योरा देने वालों ने लिखा है कि पाकिस्तान और बंगला देश का कुल निर्यात मिलाकर ३६,६८,७१,०५,००० रुपया हुआ था। जिसमें सिर्फ बंगला देश का २०,६८,२३,६१,००० रु० का निर्यात हुआ था। १९४७ से १९६७ तक के होने वाले दोनों देशों के आयात की कुल रकम ४६,५७,२०,०७,००० रु० हुई और उसमें कुल रकम में से ३४,३८,८२,११,००० रु० का आयात सिर्फ पश्चिमी पाकिस्तान को मिला। जबकि ज्यादा का भागीदार बंगला देश था। पश्चिमी पाकिस्तान के तथाकथित साम्राज्यवादी शासकों ने आयात-निर्यात की ऐसी रूप-रेखा बनाई थी कि कच्चे माल का मुख्य सप्लायर होने के बावजूद भी बंगला देश की अर्थ-व्यवस्था निर्यात टैक्स की बहुत ऊंची दर से गड़बड़ा रही थी। जल द्वारा व्यापार करने के व्यवस्थापक भी पश्चिमी पाकिस्तान के लोग ही थे।

औद्योगीकरण-की व्यवस्था में भी उद्योगों द्वारा कपड़ा उत्पादन के कुल उत्पादन का ७८ प्रतिशत, जूते बनाने के कुल उत्पादन का ६६ प्रतिशत, धातुओं और विजली के सामानों के कुल उत्पादन का ६८ प्रतिशत और अन्य इंजीनीयरी सामानों के कुल उत्पादन का ६६ प्रतिशत उत्पादन प० पाकिस्तान में होना आरम्भ हो गया। फल-स्वरूप बंगला देश को ज्यादा-से-ज्यादा औद्योगिक वस्तुओं के लिए प० पाकिस्तान पर निर्भर करना आवश्यक हो गया। खूबी यह थी कि बंगला देश की सिर्फ चार चीजों की खपत प० पाकिस्तान में थी। प० पाकिस्तान में कृषि-विकास के लिए काफी खर्च किया गया पर बंगला देश की उपेक्षा की गयी। कृषि के क्षेत्र की भी वही दशा रही। बंगला देश को इस क्षेत्र में भी काफी नजरअन्दाज किया गया। जनता की उपज का ६० से लेकर ६० प्रतिशत तक का हिस्सा वहाँ के शासकों द्वारा बलात काफी निर्ममता के साथ वसूला गया। बंगला देश की धरती पर ८० प्रतिशत जागीरदारों की मिल्कियत रही। बेकारी की समस्या भी द्रुत गति से बढ़ता गयी।

दास-प्रथा चलाने के लिए बंगला देश की संस्कृति को मिटाने का भी कुचक्र जारी था। पाकिस्तानीकरण के नाम पर बंगला भाषा और संस्कृति को दफनाने की प्रक्रिया में भी वहां के शासक काफी क्रियाशील थे।

जहां पश्चिमी पाकिस्तान को एक ओर हर तरह से हर क्षेत्र में प्रगति का अवसर दिया गया वहां दूसरी ओर बंगला देश के साथ तरह-तरह के अत्याचार किए गए। वहां की संस्कृति का नामो-निशान तक मिटा देने की साजिश की गई। ५० पाकिस्तान बाढ़ से ज्यादा परेशान नहीं होता था फिर भी बेला बांध पर १० अरब रुपये मंजूर किए गए। पर बाढ़ग्रस्त बंगला देश के लिए सिर्फ ६ अरब रु० की मंजूरी ही शासकों को उचित लगी। संक्षेप में बंगला देश का हर तरह से शोषण किया गया। बंगला देश के साथ केवल ५० पाकिस्तानी शासकों ने हमेशा उपेक्षा की ही नीति बरती। ऐसा कुचक्र रचा गया कि बंगला देश किसी भी मामले में आगे न बढ़ सके, भरा-पूरा न हो सके, स्वावलंबी न बन पाये। बहुसंख्यक होते हुए बंगालियों को दूसरी श्रेणी का नागरिक समझा जाता था। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर पश्चिमी पाकिस्तान के प्रति व्यक्ति की सलाना आय बंगला देश के प्रति व्यक्ति की आय से अधिक रही। नौकरी देने में भी बंग-बंबुओं की उपेक्षा ही की जाती थी। पाकिस्तान की सेना में केवल ४ प्रतिशत बंगला देश के निवासियों की भर्ती को लेकर १९५१ में मौलाना भासानी ने भी आरोप लगाया था। पाकिस्तान सरकार की रिपोर्टों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर भी यह बात स्पष्ट दिखती थी। पाकिस्तानी योजना के प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बंगला देश की जनता ८४ प्रतिशत निरक्षर भट्टाचार्य थी। उस योजना के अन्तर्गत शिक्षा प्रसार पर काफी बल दिया गया था। पर नियम ऐसे उलटे थे कि शिक्षा-प्राप्ति की सुविधा केवल नाम-मात्र की थी। नौकरी करने वाला कोई भी छात्र पढ़ने में असमर्थ था पर पश्चिमी पाकिस्तान में केवल विज्ञान के विषय के छात्र को छोड़ कर सभी छात्र नौकरी के साथ-साथ पढ़ने के लिए स्वतन्त्र थे।

वंगला देश की चिकित्सा-व्यवस्था की दशा की भी दुर्दशा कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जलवायु के दृष्टिकोण से वंगला देश की जनता हैजा, चेचक और मलेरिया से काफी परेशान रहती थी। दाढ़ के थपेड़े भी उन्हें रोगग्रस्त ही करते रहते थे। कल्याणकारी समाज-व्यवस्था के अनुसार एक हजार व्यक्तियों पर एक अस्पताल होना आवश्यक है वहां वंगला देश में आठ हजार व्यक्तियों पर भी एक अस्पताल और एक डाक्टर की व्यवस्था प्राप्त नहीं थी। फलस्वरूप तपेदिक, हैजा, चेचक से मरने वालों की संख्या पर्याप्त थी और दिनोंदिन मरने वालों की संख्या वृद्धि पर ही थी।

वंगला देश की शोपित जनता ने जब कभी जुलम और शोषण के खिलाफ मुंह खोला, तानाशाहों ने हमेशा उसे बन्दूक के कुन्डों से शांत रखने का प्रयत्न किया। वंगला देश की अर्थ-व्यवस्था पर सीमित लोगों का ही अधिकार हो गया। खुदा के नाम पर खुदा के बन्दों पर ही तरह-तरह के क्रूर डाए जाते थे। पाकिस्तान को एक राष्ट्र का रूप देने में वंगला देश की जनता का कम त्याग नहीं है। पर पाकिस्तान बन जाने के बाद उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ी। धर्मन्धिता में उन्होंने तरह-तरह के कार्य किए पर जब पाकिस्तान बन गया तो उन्हें पता चला कि उनके साथ उपेक्षा की नीति बरती जा रही है और उनका वंगला देश नाम मात्र का पाकिस्तान है। उन्हें अब इस बात का ज्ञान होने लगा कि उनके साथ शोषण की नीति बरती जा रही है और उनका देश पश्चिमी पाकिस्तान के एक उपनिवेश मात्र के सिवा और कुछ नहीं है।

वैसे १९४६ में पाकिस्तान बनने से कुछ ही पहले गुहराबदों ने गन्द घोस आदि लोगों के साथ मिलकर स्वतंत्र वंगला देश बनाने की पहल की थी और उसी अनुक्रम में उनकी सक्रियता का परिचय देने वाले कांड नोआखाली और कलकत्ते में 'आयररेक्ट एक्शन' के नाम पर किए गए। 'आयररेक्ट एक्शन' के नाम पर दंगे जैसे गर्मनाक कांडों का कुछ दिनों काफी बोलबाला रहा। इस्लाम के नाम पर रंग-दिरंग गर्मनाक



कांड हुए। लगता है कि 'सुहंरौवदी' और उनके साथियों को बंगला देश के भविष्य का आभास पहले ही मिल गया था। सम्भवतः उन्हें इस बात की भनक मिल गई थी कि बंगला देश का नाम पाकिस्तान होगा पर वास्तविकता यह होगी कि वह पश्चिमी पाकिस्तान का सिर्फ एक उपनिवेश बनकर रहेगा।

'क्रायदे आजम' के नापाक क्रायदे भी बंगला देश के नागरिकों के प्रति बेक्रायदे के ही रहे। अखंड भारत को खंडित कराने वाले मि० जिन्ना, जो पाकिस्तान के राष्ट्र-निर्माता और राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, ने पहले मुस्लिम बहुमत होने की वजह से कश्मीर को हड़पना चाहा। पर वहां भी उन्हें हारना पड़ा। इस्लाम के नाम की हामी भरने वालों ने कश्मीर के इस्लाम मतावलम्बियों पर जो-जो जुल्म ढाए वह शब्दों से बयान करने के बाहर की बात है। फलस्वरूप सच्चे इस्लाम के अनुयायियों को 'क्रायदे आजम' के नापाक क्रायदे से नफरत हो गई।

कश्मीर में हारने के बाद 'क्रायदे आजम' बंगला देश को अपना उपनिवेश बनाकर रखने के क्रायदे सोचने लगे। 'क्रायदे आजम' को 'लियाकत' भी मिल गया था। बंगला देश को एक उपनिवेश बनाकर रखने की पहल में उन्होंने १९४८ में ढाका विश्वविद्यालय के कर्जन हाल में घोषणा की कि पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा उर्दू है। उन्होंने बंगला को हिन्दुओं की भाषा बतलाई। उनकी इस घोषणा ने बंगला देश के छात्रों को स्वतन्त्र मनोभावना को उभार दिया। छात्रों का रुख देखकर लीगी नेता और अखवार दोनों को बंगला भाषा का ही समर्थन करना पड़ा।

२६ जनवरी, १९५२ को तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान के दलाल प्रधानमंत्री ख्वाजा नाजिमुद्दीन ने उर्दू को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दे दी। जिसके विरोध में ३० जनवरी को बंगला देश पूरा बंद रहा और 'आल पार्टीज लीग कमिटी' का गठन हुआ। इसकी मीटिंग में बंगला देश के प्रमुख नेताओं ने उर्दू को राष्ट्र भाषा मानने से साफ इन्कार कर दिया और बंगला को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग की। २१ फरवरी को बजट सेशन के दिन आम हड़ताल करने का भी निर्णय

लिया गया। फलस्वरूप सभी प्रमुख नेता उपनिवेशवादी सरकार के बन्दी बना लिए गए। पर नेताओं के बन्दी बनाए जाने से समस्या के समाधान के प्रतिकूल समस्या और भी कठिन और गहन बन गई। २१ फरवरी को होनेवाली हड़ताल काफी सफल रही। १४४ धारा के वावजूद भी वातावरण क्रांतिकारी ही बना रहा। सभी स्कूल-कालेज बन्द थे। छात्र और छात्राओं ने जमकर पुलिस की दमन-नीति का विरोध किया। छात्र-पुलिस संघर्ष में कुछ छात्रों ने वीरगति प्राप्त कर शहीदों की श्रेणी में अपना नामांकन कराया। उस समय असेम्बली का अधिवेशन भी चल रहा था। असेम्बली में पश्चिमी पाकिस्तान के दलालों को बाहर के वातावरण से अवगत कराया गया। पर उन्होंने उस ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। जिसका नतीजा यह हुआ कि लीगी नेताओं में भी आक्रोश आ गया और एक पुराने लीगी नेता मौलाना अब्दुल रहीद तर्कवागीश ने क्रोध में कहा, “हमारे ध्वजों का बाहर जब हनन हो रहा है उस समय मुझे पंखों तले आराम से अन्दर बैठना बुरा लगता है।” और वह अनेक सदस्यों के साथ वाक्आउट कर गए। बंगला देश से बंगला भाषा और हिन्दी भाषा को मिटाने के लिए तरह-तरह के काले कारनामे किये गये। रंग-विरंगी साजिशें की गईं। पर बंगला भाषा के भक्तों ने अपना युद्ध जारी रखा और उन्हें हर वर्ग का हार्दिक सहयोग मिलता रहा।

पाकिस्तान की जघन्य औपनिवेशिक शोषण-नीति के विरुद्ध बंगला देख की जनता में क्रांति का शोला सुलगना स्वाभाविक ही था। क्रांति की दुधारी तलवार की एक धार बुद्धजीवी वर्ग की लेखनी भी सक्रिय हो गई। यह सर्वमान्य सत्य है कि लेखनी जब सत्ता का विरोध करने लगती है तो वह सत्ता के लिए खतरनाक सिद्ध हो जाती है। सत्ता में रहने वाले लेखनी से बहुत डरते हैं। आरम्भ से ही बंगला देश की लेखनी ने, पाकिस्तान की भाषा और धर्म के नाम पर बांछों में घूँस भोंकने की प्रवृत्ति को, बुद्धि का व्यभिचार माना। धर्मोपशासन में सर्वप्रथम पाकिस्तानी सरकार ने, इस प्रकरण में बदरहम उमर की

किंताव 'साम्प्रदायिकता' का 'इतिहास' को ज्वल कर, पहल की। बदरुद्दीन उमर ने कहा था—“पूर्व पाकिस्तान की संस्कृति की व्याख्या और रक्षा करने का दायित्व जिन्होंने लिया है, उनकी राय में रवीन्द्र 'हिन्दू' और भारतीय हैं, इसलिए रवीन्द्र संगीत सुनने से या उनके साहित्य पढ़ने या उन पर चर्चा करने से इस देश के 'तौहीदवादी' मुसलमानों का इहलोक भी बिगड़ेगा और परलोक भी। ...असल में यह आंदोलन बंगला भाषा और साहित्य विरोधी आंदोलन ही नहीं है, उससे भी अधिक सूक्ष्म है। ...यह एक संस्कृति विरोधी आंदोलन है। ...यह पूर्व बंग के निवासियों के समग्र जीवन को विध्वस्त करने की एक सूक्ष्म योजना है।”

बंगला देश के प्रसिद्ध कथाकार अब्दुल फजल ने धर्म की परिभाषा देते हुए कहा, “मैं कहता हूँ कि इस्लाम और मुसलमान अलग हैं। मुसलमानों को राजनीतिक नियन्त्रण के अधीन लाया जाता है किन्तु इस्लाम को नहीं, इसलिए राजनीतिक अर्थों में धर्मीय शासन की बात निरर्थक है ...यदि इस्लामी शासन परिवर्तन करना है तो सबसे पहले इस्लाम के जन्म-स्थान मक्का-मदीना में किया जाना चाहिए...धर्म की दृष्टि से इस्लाम एक विश्वधर्म है। जिसकी इच्छा हो इसे ग्रहण करे, किन्तु सभी मुसलमान रातोंरात पाकिस्तानी नहीं हो सकते किन्तु इस्लाम कबूल करके मुसलमान होने में किसी को एक मिनट की भी देरी नहीं लगेगी। धर्म और राजनीति की भूमिकाएं इतनी अलग हैं कि शुद्ध धार्मिक और शुद्ध राजनीति की अलग-अलग करके बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए...मेरा दृढ़ विश्वास है कि धर्म और राजनीति कभी भी एक साथ एकात्म होकर नहीं मिल सकते।” ३१ दिसंबर १९४८ को प्रसिद्ध लेखक शहीदुल्ला ने घोषणा की, “हम लोगों का हिन्दू या मुसलमान होना एक सत्य है, पर उससे भी बड़ा सत्य यह है कि हम बंगाली हैं। यह कोई आदर्श की बात नहीं है, एक यथास्थिति है। मां प्रकृति ने इतने हाथों से हमारे चेहरे और भाषापन पर बंगाली-पन की जी छाप लगा दी है, उसे माला, तिलक, चटिया और टोपी,

लुंगी या दाढ़ी से हगिज नहीं छिपाया जा सकता।” इस तरह हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि पाकिस्तान बनने के तुरन्त बाद बंगला देश की जनता ने पाकिस्तान का विरोध करना आरम्भ कर दिया था।

आरम्भ से ही पाकिस्तानियों के कुचक्र ने बंगला देश की शिक्षा, संस्कृति, धर्म और अर्थ सबके साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया था। किसी तरह वे बंगला देश को अपना उपनिवेश बनाकर रखने के लिए सक्रिय हो गए थे। उपनिवेशवादी मनोवृत्ति के पाकिस्तान ने बंगला देश के साथ किस तरह के खिलवाड़ नहीं किए? इस्लाम के नाम पर इस्लामी मनोवृत्ति के लोगों के साथ जघन्य अपराध किये गए। पाक के नापाक कारनामों ने मानवता के नाम पर अमिट काले छाप अंकित कर दिए हैं जिनका कोई प्रायश्चित्त नहीं। पाकिस्तान की लूट-खसोट और दमन की नीति के विरुद्ध बंगला देश में जब कभी आवाज उठी उसे पाकिस्तानी तानाशाहों की आशा से बन्दूकों की गोलियों ने शांत कर दिया।

पाकिस्तान की औपनिवेशिक नीतियों के विरुद्ध बंगला देश में क्रांति के बीज पनप चुके थे। अपनी परम्परा और संस्कृति किसको प्यारी नहीं होती? सभी वर्वर उपनिवेशवादी करतूतों से ऊबने लगे। अपनी माताओं और बहनों की अस्मिता का लूटा जाना किससे देखा जा सकता है? आज कौन दासता के जुए को अपने कंधों पर देखना चाहता है? ऐसा कोई नहीं जो परिवर्तन नहीं चाहें। कोई ऐसा नहीं जो शोषित होना पसन्द करेगा। अपनी भाषा की दुर्गति देखना किस भायेगा? जनता ऊब चुकी थी इन पाकिस्तानी नैतिक तानाशाहों से। फिर राज लोकतन्त्र और समाजवाद भी तो काफ़ी लोकप्रिय हो चुका है।

१९४८ में भाषा के प्रश्न पर बंगला भाषा की पहली लड़ाई बंगला देश की जनता ने पाकिस्तान से लड़ी थी। ७ मार्च, १९७१ को बंगला देश के निर्माता शेख मुजीबुर्रहमान ने रैसकोर्म मैदान में बंगला देश की जनता को याद दिलाया था, “इन्हीं जनविरोधी ताकतों ने १९४८ में

जनता की चुनी हुई सरकार का तख्ता उलटवाया, १९५५ में विधान सभा भंग कराई। १९५८ में मार्शल ला लागू किया और उसके बाद से ये लोग जनता के हर आंदोलन में बाधा डालते रहे हैं।” उन्होंने यह भी कहा था—“बंगला देश की ७ करोड़ जनता को पश्चिमी पाकिस्तान के मुट्ठी भर उद्योगपतियों की सुरक्षित मंडी बनाकर रखा गया है। अब हम इसे वर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं।” अय्यूब खां और याहिया खां ने लोकतन्त्र का मज्जाक उड़ाना शुरू कर दिया था। दोनों खां साहवों ने हमेशा जन प्रतिनिधियों की हंसी उड़ाई।

याह्या खां ने भी लोकतन्त्र का मज्जाक उड़ाया और जनता तथा जन-प्रतिनिधियों की हंसी उड़ानी चाही। पर पाकिस्तान को यह हंसी मज्जाक काफी महंगे पड़े। खां साहव औपनिवेशिक लोहे की जंजीरों साथ लेते गए। अगर बंगला देश की स्वतन्त्रता का श्रेय किसी को देना चाहिए तो वह बेचारे याह्या खां हैं। जिन्होंने १९७० के दिसम्बर में निर्वाचन का स्वांग रचा। पर निर्वाचन का स्वांग रचते ही उन्हें जनता के मताधिकार से कुछ भय लगने लगा था। साम्राज्यवादी सत्ता के कान खड़े हुए। सत्ता ने फरमान जारी कर दिए—“अगर पूर्व बंगाल (बंगला देश) के लोगों ने शासकों की मर्जी के खिलाफ वोट दिए तो उसे वे नहीं मानेंगे।” उन्होंने लोकतांत्रिक और समाजवादी लोगों को अपनी पुलिस और फौजों से तंग करवाना शुरू कर दिया। जिसकी उनसे शिकायत भी की गई। निर्वाचन के बाद शेख मुजीबुर्रहमान की पार्टी अवामी लीग को बंगला देश में स्पष्ट बहुमत आ गया। लोकतन्त्र समाजवाद और प्रगतिशील पार्टियों को ही बहुमत साम्राज्यवादी असेम्बली में मिला। स्वयं याह्या खां ने कहा कि “पाकिस्तान के भावी प्रधान मंत्री शेख मुजीबुर्रहमान होंगे।” दूसरी ओर उन्होंने मियां भुट्टो के साथ मिलकर जाल रचा। उन्होंने जनता और जन-प्रतिनिधि का खुले आम विरोध और लोकतन्त्र का अपमान करना शुरू कर दिया। लोकतन्त्र और समाजवादी सिद्धान्तों में आस्था रखने वाली बंगला देश की जनता ने ७ मार्च १९७१ को उपनिवेशवाद का विरोध करने

के लिए गांधीवादी सत्याग्रह का एक दस सूत्री कार्य-क्रम बनाया ।

पाकिस्तानी साम्राज्यवादी चालों का कुछ अन्दाज शेख मुजीबुर्रहमान को पहले ही लग गया था । क्योंकि २४ मार्च को उन्होंने घोषणा की थी कि—“बंगला देश के ऊपर किसी प्रकार का दबाव थोपा जायगा तो हम उसे कभी सहन नहीं करेंगे । दुनिया की कोई भी ताकत हमें अपने रास्ते से डिगा नहीं सकती है । किसी की मजाल नहीं जो अपनी लाल आंखें दिखा कर हमें डरा दे । किसी जालिम ताकत के सामने हम अपना सर नहीं झुकायेंगे । हम बंगला देश की स्वाधीनता के लिए और यहां की साढ़े सात करोड़ जनता के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे । ऐसे बहुत हैं, जो अपने शहीदों के खून की इज्जत नहीं समझते, लेकिन बंगला देश की जनता कभी उन शहीदों के खून को वेकार नहीं जाने देगी । मैं नहीं जानता कि मैं इस संघर्ष के संचालन के लिए जिन्दा रहूंगा या नहीं, लेकिन आपसे अर्ज है कि आप अपने अधिकारों की लड़ाई को कभी बन्द नहीं करें । मैं हंसते-हंसते गोलियों से छिद जाना पसन्द करूंगा, लेकिन मैं कभी इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा कि साढ़े सात करोड़ बंगाली गुलामों की जिदगी गुजारते रहें ।” अंत में उन्होंने कहा—“हम लोग कुत्ते और विलियों की मौत नहीं मरेंगे । आज बंगला देश का ध्वज बंगला देश के हर गांव में फहरा रहा है ।” २५ मार्च को साम्राज्यवादी याह्या ने शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया और इसी दिन से विश्व इतिहास के सबसे शर्मनाक कांड का सूत्रपात हुआ । पाकिस्तानी सेना ने बंगला देश की जनता पर तरह-तरह के जुल्म ढाने शुरू कर दिए । शेख मुजीब की गिरफ्तारी के तुरन्त बाद बंग बन्धुओं ने स्वाधीन बंगला देश की घोषणा कर दी ।

शेख मुजीबुर्रहमान की गिरफ्तारी के बाद साम्राज्यवादी सैनिकों के दानवी कारनामों आरम्भ हो गए । बंगला देश में लूट, आगजनी, बलात्कार, अपहरण का जो सिलसिला आरम्भ हुआ वह दयान के बाहर है । बंगला देश की जनता बड़ी नृशंखता से पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा लूटी जाने लगी । बंगला देश के गांवों में जाकर पाक की नापाक

सेना ने धन के साथ-साथ औरतों की अस्मत् को लूटना शुरू किया। इन नापाक सैनिकों ने गाँवों में जाकर धन लूटना शुरू किया, पुरुषों की हत्या आरम्भ की और सबसे बड़ी बात यह कि नारीत्व का अपमान प्रारम्भ कर दिया। नारियों के साथ बलात्कार करना उनके लिए मामूली बात हो गई। नारीत्व का अपमान खुले आम होने लगा।

उन नापाक सैनिकों के लिए मानवता का कुछ भी मतलब नहीं रह गया। मानवता का मखौल सरेआम उड़ाया गया। फलस्वरूप बंगला देश की जनता घबड़ा गई। लोग घर-द्वार छोड़कर भागने लगे। उन्हें पड़ोसी देश भारत दिखाई पड़ा जहाँ लोकतन्त्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता का संविधान था। शांतिप्रिय बंगबन्धु शरणार्थी के रूप में काफी संख्या में भारत आने लगे। भारत के लिए एक नई समस्या खड़ी हो गई। ३१ मार्च को भारतीय संसद में बंगला देश में होने वाले पाक के नापाक दमन और अत्याचार की तीव्र निंदा की गई। साथ ही भारतीय संसद में बंगला देश के प्रति पूरी सहानुभूति और एकता की भावना व्यक्त की गई। ४ अप्रैल को हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी ने घोषणा की कि भारत बंगला देश में पाकिस्तान के नृशंस अत्याचारों का मूक दर्शक बनकर बैठा नहीं रह सकता। फिर भी विस्तारवादी पाकिस्तानी शासकों ने अपने होश नहीं संभाले। शरणार्थियों की बाढ़ भारत में आने लगी। यह पाकिस्तानी विस्तारवादियों की चाल थी। यह भारत की अर्थ-व्यवस्था को पहले तबाह करने की उनकी कुमन्त्रणा थी।

२४ मई को लोक सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के क्रम में प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने संसद में अपना साहसिक वक्तव्य दिया। उधर बंगला देश में लोकतन्त्र और मौलिक मानव-अधिकारों की स्थापना के लिए चलाया जाने वाला मुक्ति-आंदोलन उग्र होता जा रहा था; साथ-ही साथ सैनिक तानाशाहों द्वारा बंगला देश के निहत्थे और निरीह लोगों पर अचानक क्रिया गया आक्रमण भी। इधर भारत में आने वाले पाक वर्वर अत्याचारों से पीड़ित शरणार्थियों की संख्या भा दिन-प्रतिदिन

लाखों की संख्या में बढ़ती जा रही थी ।

३१ मई को भारत के प्रतिरक्षा मंत्री के रूप में वावूजी ने लोक-सभा में कहा कि सरकार को इसकी कोई सूचना नहीं कि चीन के अलावा किसी अन्य देश ने पाकिस्तान को बंगला देश का संघर्ष दवाने के लिये हथियार दिए हैं । इससे यह बात पुष्ट हो गई कि चीनी हथियार उपलब्ध कर पाकिस्तान बंगला देश को अपना उपनिवेश बनाकर रखने के लिए कृतसंकल्प है । उसी दिन रक्षा-उद्योग-उत्पादन बोर्ड की बैठक में वावूजी ने कहा कि रक्षा-उद्योग को गैर रक्षा क्षेत्र के सहयोग से यथासंभव शीघ्र सामरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए ।

राज्य सभा में जब स्वतन्त्र पार्टी के डा० अन्तानी, जनसंघ सदस्य डा० भाई महावीर, कम्युनिस्ट पार्टी के श्री शंकरराय और कुछ अन्य सदस्यों ने भारत-पाक सीमा पर होने वाले छिटपुट हमलों के सम्बन्ध में जिज्ञासा व्यक्त की तो वावूजी ने कहा कि—“भारत-पाक सीमा पर दोनों देशों की सेनायें अपने-अपने इलाकों में अभ्यास कर रही हैं इसलिए यह समझना ठीक नहीं है कि सीमा पर शत्रु की सेनाओं का जमाव हो रहा है ।” वावूजी ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कहा कि “बंगला देश में जो भारी संख्या में पाकिस्तान की सेना एकत्र हो रही है उसका उद्देश्य भारत पर हमला है, यह नहीं कहा जा सकता । पश्चिमी पाकिस्तान की अधिकतर सेना बंगला देश के अंदरूनी मामले को सुलभान में लगी हुई है । हो सकता है कि कुछ सैनिक हमारी सीमा पर छिटपुट हमले करते हों ।” वावूजी ने राज्य सभा में सदस्यों को विश्वास दिलाया कि “हम अपनी सीमाओं पर शत्रुओं की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरा तैयार हैं ।” उन्होंने कहा कि “हमने अपनी सुरक्षा के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए कार्यक्रम तैयार किए हैं । निरन्तर ही हमारी सुरक्षा का स्थिति १९६२ के चीनी आक्रमण के समय से अच्छी है ।” उन्होंने जेट वन-दरपक बनाने की सरकारी योजना के बारे में भी कहा । उनका यह जवाब कांग्रेस के ही



श्री कृष्णकांत के उस प्रश्न के सम्बन्ध में था जिसमें चीन में जेट बम-वर्षक के निर्माण से पैदा हुए खतरे और सरकारी कदम के बारे में था। कुछ सदस्यों की मांग थी कि सीमा-सुरक्षा दल की जगह सीमाओं पर सेना तैनात कर दी जाय। पर इन्होंने उसे अस्वीकार करते हुए कहा कि सीमाओं पर तैनात सुरक्षा दल शत्रु को चुनौती का जवाब देने में सक्षम है और पूरी तरह मुस्तैद है। बाबूजी ने यह भी कहा कि किसी भी मामले में ढील नहीं दी जायेगी।

इस बीच बंगला देश की वस्तुस्थिति की जानकारी अन्य देशों को देने के लिए भारत के परराष्ट्र मंत्री श्री स्वर्णसिंह और सर्वोदय नेता श्री जयप्रकाश नारायण ने विदेशी दौरे किए। पर कोई खास सफलता नहीं मिली। विदेश मंत्री सरदार स्वर्णसिंह ने मास्को, बोन, ओरावा, वाशिंगटन और लंदन की तीन सप्ताह की यात्रा की। वे उन प्रमुख देशों को बंगला देश की स्थिति से अवगत कराने और अनुरोध करने गए कि वे पाकिस्तान पर दबाव डालकर राजनीतिक हल निकालने का यत्न करें। पर रूस को छोड़कर अन्य जगह उन्हें निराशा ही हाथ लगी। हां शरणार्थियों की सहायता के दृष्टिकोण को कुछ लचीला अवश्य बना दिया। इसके पहले प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी ने सभी बड़े देशों के राजाध्यक्षों को पत्र लिखकर वस्तुस्थिति की जानकारी दे दी थी और यह भी बताया चुकी थी कि यह समस्या सिर्फ भारत के लिए ही नहीं; इस क्षेत्र के तमाम देशों की शांति के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है। उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि किस प्रकार लाखों शरणार्थियों के हमारे क्षेत्र में आने से समस्या अब पाकिस्तान की आन्तरिक न रह कर भारत की समस्या बन गई है।

हमारे देश के नेता जब बंगला देश के बारे में कुछ कहते तो कुछ सिरफिरे ऐसे भी थे जो उसे पाकिस्तान के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप बतलाते। अगर उन नासमझों के देश में अचानक इतनी भारी संख्या में शरणार्थी चले जाते तो उनकी कमर ही टूट जाती। एक ओर भारत में आने वाले शरणार्थियों की संख्या दिन-प्रतिदिन जोरों से बढ़ती

जा रही थी। दूसरी ओर साम्राज्यवादी सैनिकों का बंगला देश में अत्याचार चरम-सीमा पर था। मुक्तिवाहिनी के वहादुर जवान उन साम्राज्यवादियों की सेना का मुकाबला बड़ी वहादुरी के साथ कर रहे थे। फिर साम्राज्यवादियों की सेना के क्रूर काले कारनामों में कोई कमी नहीं आ रही थी। लगता था साम्राज्यवादी सैनिक बंगला देश और वहाँ की जनता का नामोनिशान तक मिटा देने की कसम खा चुके थे।

शरणार्थियों की समस्या पर सारा विश्व मूक था। कुछ बंगला देश में तमाशा देख रहे थे। उन्हें लोकतन्त्र और समाजवाद का मजाक उड़ाने में आनन्द आता था। हालांकि लोग लोकतन्त्र और समाजवाद का ढिंढोरा बहुत पीटा करते हैं। पर वास्तविकता यह है कि उन्हें अपने बाजार की चिन्ता रहती है। वे अपने बाजार के लिए मानवता की हँसी खुलकर उड़ते हैं। उनका पिछला इतिहास यही कहता है। मनुष्य की जान का उनके सामने कोई महत्व ही नहीं है। एक ने दोपी भारत और पाकिस्तान दोनों को माना और दूसरे ने भारत को पाकिस्तान के अन्दरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए घमकी भी दी। मानवता की रक्षा और विश्व-शान्ति की सतर्कता का दम्भ भरने वाला यू० एन० ओ० ने भी बहुत दिनों तक शान्त रहना ही उचित समझा।

इधर भारत में बंगला देश को मान्यता देने की बात जोर पकटती जा रही थी, उधर बंगला देश में मुक्तिसेना पाक फौज को उखाड़ फेंकने के लिए कृतसंकल्प थी। बंगला देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति सैयद नजरूल इस्लाम ने कहा कि दुनिया के लोगों को यह साफ समझ लेना चाहिए कि स्वतंत्र बंगला देश एक हकीकत है और इसकी सार्वभौमता एवं स्वतंत्रता स्वीकार किए बिना समस्या का कोई समाधान सम्भव नहीं। बंगला देश की समस्या के समाधान के लिए उन्होंने चार शर्तें रखीं—

(१) बंगला देश के राष्ट्रपति बंग-ब्रंशु शेख मुजीबुर्रहमान तथा अबामी लीग के निर्वाचित सदस्यों को बिना शर्त रिहा किया जाए, (२) बंगला देश की भूमि से हमलावर पाकिस्तानी फौजें वापस जाएं, (३) सार्वभौम बंगला देश गणराज्य को मान्यता और (४) पाकिस्तानी सेना

के बर्बर क्रृत्यों से हुई क्षति का मुआवजा दिया जाए। स्वाधीन बंगला देश के वेतार केन्द्र से उन्होंने उक्त घोषणा की। उन्होंने कहा कि तथाकथित पाकिस्तान के अन्तर्गत बंगला देश के प्रश्न पर कोई समझौता नहीं हो सकता। पाकिस्तान खत्म हो चुका है, उसे पुनः जीवित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि बंगला देश की साढ़े-सात करोड़ जनता की ओर से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम पूर्ण स्वतंत्रता के सिवाय अन्य किसी भी प्रकार का समझौता करने को हर्गिज तैयार नहीं। हम पहले समझौता करना चाहते थे मगर २५ मार्च की रात के बाद जो दर्दनाक घटनाएं हुई हैं, उनसे अब समझौते का सवाल ही नहीं उठता। बंगला देश के विस्थापितों को शरण देने के लिए उन्होंने भारत के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि देर-सवेर मुक्ति फौज पाकिस्तानी सेना को उखाड़ फेंकेगी और हम प्रत्येक विस्थापित व्यक्ति को पुनः बंगला देश में बसाने के लिए कृतसकल्प हैं।

बहुत दिनों के बाद भारत सरकार की कठिनाई संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को समझ आई। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पूर्व बंगाल की घटना मानव इतिहास का बहुत बड़ा कलंक है। उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया शरणार्थियों की समस्या का मुकाबला करने में भारत सरकार को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उसका सहज ही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहायता की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र संवाददाता ऐसोसियेशन द्वारा ऊयांट के सम्मान में दिए गए लंच में वह अपना वक्तव्य दे रहे थे। ऊयांट से पूर्व बंगाल की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र और स्वयं उनके मौन का कारण पूछा गया। पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं थी।

अमेरिका के सेनेटर एडवर्ड केनेडी ने अमेरिकी सिनेट में कहा कि अमेरिका और राष्ट्रसंघ को शरणार्थियों की सहायता के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि पूर्व बंगाल में लड़ाई और भारत में शरणार्थियों के लिए अनाज और अन्य सुविधाओं के अभाव के कारण बहुत बड़ा विनाश हो रहा है। ऐसी स्थिति में संसार

चुपचाप बैठा कब तक तमाशा देखता रहेगा। राष्ट्रसंघ से प्रश्न करते हुए उन्होंने यह भी पूछा कि समस्या का अध्ययन राष्ट्रसंघ कब तक करता रहेगा जबकि शरणार्थियों की आवश्यकताओं और उनकी सहायता के बारे में कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। बंगला देश में स्थिति सामान्य होने से पाकिस्तानी दावे का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरकार कब तक दावा करती रहेगी कि पूर्व बंगाल में स्थिति सामान्य है, जबकि हर रोज लाखों नागरिक भारत में भाग कर आ रहे हैं। लन्दन के समाचार-पत्र 'टाइम्स' ने अपने सम्पादकीय में लिखा कि बंगला देश के शरणार्थियों में बड़ी तेजी के साथ हैजा फैल रहा है। इसका मुकाबला करने के लिए संसार को भारत सरकार की सहायता करनी चाहिए। सहायता की आवश्यकता पर बल देते हुए उसने कहा कि सहायता की सबसे ज्यादा जरूरत इसलिए की है कि जो लोग समस्या से जूझ रहे हैं, उनका मनोबल टूट जाने का डर है। इसके साथ-ही-साथ प्रतिदिन एक लाख शरणार्थियों के आने से पश्चिम बंगाल और भारत के अन्य राज्यों में शिविरों की व्यवस्था अत्यंत कठिन हो चुकी है। उसके अनुसार पाकिस्तान सरकार का कहना था कि भारत जाने वाले बंगला देश के अधिकतर लोग पाकिस्तान के राजनीतिक विरोधी हैं। उसमें यह बात भी थी कि अगर पाकिस्तान को प्रतिदिन एक लाख राजनीतिक विरोधियों का भी सामना करना पड़ रहा है तो यह अपने में भी भयावह स्थिति का द्योतक है।

शरणार्थी समस्या से विश्व को अवगत कराने के अपने दौरे में भारत के सर्वोदय नेता श्री जयप्रकाश नारायण ने फ्रांस से पाकिस्तान पर दवाव डालने की अपील की।

उन्होंने कहा कि फ्रांस पूर्व बंगाल के संकट को दूर करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने कहा कि फ्रांस को पाकिस्तान सरकार से कहना चाहिए कि नर-संहार बन्द करे, अपनी सेना वहां से हटा ले, शेष सहित सभी राजनीतिक बंदियों को मुक्त करे और शान्तिपूर्ण समझौते के लिए उनके साथ समझौता वार्ता गुरु करे।

वंगला देश में संघर्ष अब खतरनाक रूप धारण करता जा रहा है। वहां सीधी लड़ाई न होकर छापामार लड़ाई हो रही है। वंगला देश में राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम छिड़ा हुआ है और वंगला देश को हजारों मील दूर से आई विदेशी सेना पराजित नहीं कर सकती। लंदन में हवाई अड्डे पर पत्रकारों से श्री जयप्रकाश नारायण ने कहा कि मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान के इस आन्तरिक मामले से भारत पर ४० लाख शरणार्थियों का आर्थिक भार ही नहीं, सामाजिक भार भी पड़ा है। वैसे ब्रिटिश सरकार वंगला देश को पाकिस्तान का आन्तरिक मामला कहकर टालने का प्रयत्न करती थी। पर ब्रिटिश जनमत पाक रवैये के खिलाफ था। ब्रिटेन के अनेक नेता और समाचार पत्र ब्रिटिश सरकार की नीति से सहमत नहीं थे। लिबरल पार्टी के संसद सदस्य श्री रसेल जोन्सन ने प्रधानमंत्री हीथ से राष्ट्रमण्डलीय सम्मेलन बुलाने की कई बार अपील की। उन्होंने कहा कि पूर्वी पाकिस्तान की मौजूदा हालत से भारत की आन्तरिक सुरक्षा और अर्थ-व्यवस्था के लिए खतरा पैदा हो गया है। वहां के समाचारपत्र 'टाइम्स' ने स्पष्ट लिखा कि भारत में प्रवेश करने वाले लाखों शरणार्थियों की करुण-कहानी से पाकिस्तानी सेना के दमन-चक्र का भण्डाभोड़ होता है। 'इकनामिस्ट' पत्रिका का मत था कि लाखों शरणार्थियों का राजनीतिक एवं आर्थिक बोझ सम्भालना अकेले भारत के बस की बात नहीं। लाखों विस्थापितों को यदि भारत में ही बसना पड़ा तो भारत के समक्ष गम्भीर संकट पैदा हो जायगा। ब्रिटिश संसद में लेबर पार्टी की सदस्या श्रीमती जुडिथ हार्ट ने ब्रिटिश सरकार से अपील करते हुए कहा कि वह पूर्व बंगाल का मामला संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा परिषद् में उठाए। एशिया में अशान्ति होने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व बंगाल की विस्फोटक स्थिति से एशिया की शान्ति को खतरा है। भूतपूर्व मन्त्री, श्रीमती जुडिथ हार्ट ने यह अपील परराष्ट्रमन्त्री, सर एलिक उगलस ह्यूम के उस वक्तव्य के वाद की जिसमें भारत पहुंचने वाले पूर्व बंगाल के शरणार्थियों की दुखद स्थिति का उल्लेख था। परराष्ट्र

मन्त्री सर एलिक जंगलस ह्यूम ने यह भी कहा था कि भारत और पाकिस्तान को इस मामले को सुरक्षा परिपद् में उठाना चाहिए पर दोनों ही देश इस पर खामोश हैं। इसके पूर्व विरोधी लेबर पार्टी के नेता श्री हेरल्ड विल्सन ने शरणार्थी समस्या को अत्यन्त गम्भीर बताया। उन्होंने कहा कि पिछले दो विश्वयुद्धों के बाद से इतने बड़े पैमाने पर शरणार्थियों का किसी देश को जाना एक अत्यधिक दुःखद घटना है। ब्रिटिश परराष्ट्रमन्त्री ने बंगला शरणार्थियों की समस्या को दुःखद तो माना पर इस मामले में तत्काल कदम न उठाए जाने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना स्वीकार नहीं की।

अमेरिकी नेताओं से मिलने के बाद भारत के सर्वोदय नेता श्री जयप्रकाश नारायण को लगा था कि अमेरिका पाक पर दबाव डालेगा। श्री जयप्रकाश नारायण ने वहाँ एक टेलीविजन भेंट वार्ता में कहा कि यदि जनरल याह्या खान समस्या का सच्चा राजनीतिक समाधान नहीं ढूँढते हैं तो वह केवल भारत ही नहीं बल्कि समस्त द०पू० एशिया के लिए खतरा बन जाएगा। पर वास्तविकता यह रही कि अमेरिकी प्रशासन बंगला देश में होने वाले काण्डों के लिए केवल पाकिस्तान को दोषी मानने पर तैयार नहीं हुआ। उसने भारत को भी पाकिस्तान की ही तरह दोषी ठहराया। हालांकि लोकतन्त्र का हामी भरने वाला वह भी एक देश है। पर बंगला देश के लोकतन्त्र के लोकमत को उसने उचित नहीं समझा। वास्तविकता तो यह थी कि उसे अपने हथियारों के बाजार को गर्म रखना था।

बंगला देश में पाकिस्तानियों द्वारा होने वाले अत्याचारों ने इतिहास में वर्चस्वता का एक अपूर्व अध्याय जोड़ दिया। इसके विरुद्ध सबसे पहले संसार के सबसे बड़े और आदर्श लोकतन्त्र देश भारत ने आवाज उठाई। इसके बाद रूस ने भी भारत का साथ दिया। ३ अप्रैल, १९७१ को रूसी राष्ट्रपति श्री पोदगोर्नो ने जनरल याह्या खान से कहा कि वे पूर्व बंगाल में रक्तपात बन्द कर समस्या का राजनीतिक समाधान ढूँढ़ें। इसके बाद बंगला देश के सम्बन्ध में ५ जून '७१ को भारत और रूस ने

एक सयुक्त वक्तव्य में कहा कि पूर्वी बंगाल (बंगला देश) से बड़ी संख्या में शरणार्थियों के पलायन को रोकने के लिए तुरन्त कार्रवाई की जाय। साथ ही वहां शान्ति एवं सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाय, ताकि भारत आए शरणार्थी जल्द अपने घर लौट सकें। यह भी कहा गया कि पूर्वी बंगाल (बंगला देश) की समस्या का समाधान जरूरी है। सोवियत रूस के राष्ट्रपति श्री पोटोर्गोर्नी के उस सुभाष का भी उल्लेख किया जो उन्होंने अप्रैल में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल याह्या खान को एक पत्र लिखकर समस्या के राजनीतिक समाधान के बारे में दिया था। बुडापेस्ट में वर्ल्ड पीस असेम्बली की संसदीय समिति ने भी १५ मई को मांग की कि बंगला देश में दमन और रक्तपात शीघ्र बन्द किया जाय। २२ मई को खान अब्दुल गफ्फार खान ने भी बंगला देश में होने वाले भीषण नरसंहार की तीव्र निंदा की।

भारत पर शरणार्थियों का बोझ दिन-प्रतिदिन बढ़ता गया। उनकी संख्या लाखों के बाद करोड़ तक पहुंचने को हो गई। अमेरिकी संसद की एशिया और प्रशान्त मामलों की विदेश उपसमिति के अध्यक्ष श्री कौनिलियस ने बंगला देश में होने वाले अत्याचारों का वर्णन करते हुए कहा कि पाकिस्तानी सेना के अत्याचार मानव इतिहास में सबसे घृणित उदाहरण हैं। उन्होंने कहा कि शरणार्थियों से उन्हें जो कुछ मालूम हुआ उससे पता चलता है कि पाकिस्तानी सेना ने अपने अमानुषिक अत्याचारों से इतना आतंक और भय उत्पन्न कर दिया कि सभी अपने जीवन को असुरक्षित अनुभव कर रहे हैं।

२४ मई को प्रतिरक्षामन्त्री वावूजी ने लोकसभा के उत्तेजित सदस्यों को आश्वासन दिया कि सीमावर्ती भारतीय दल को निर्देश दिए गए हैं कि वह पाकिस्तानी घुसपैठियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करे। उस दिन कई सदस्यों ने पूर्वी सीमा पर पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा किए गए अतिक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा दल की कार्रवाइयों पर असन्तोष व्यक्त किया था। जनसंघ के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी का प्रश्न था कि २५ मार्च से पाकिस्तानी वायु सेना ने १६ बार भारतीय सीमा का

अतिक्रमण किया है। इन मामलों में क्या आदेश दिए गए हैं? बाबूजी ने सपने आदेशों को स्पष्ट करते हुए कहा कि यदि सुरक्षा दल के आदेश का उल्लंघन कर अतिक्रमणकारी पाकिस्तान विमान वापस नहीं लौटते तो सुरक्षा दल को आदेश है कि वह उन्हें गिरा दे। एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए बाबूजी ने कहा कि भारत-पाक सीमा पर अभी पाकिस्तानी सेना की असामान्य गतिविधि या भारी जमाव नहीं देखा गया। पूर्व बंगाल से लगे क्षेत्रों में पश्चिमी पाकिस्तानी गतिविधियां देखी गई हैं। पूर्वी क्षेत्र में २५ मार्च से पाकिस्तानी सेनाओं ने भारतीय प्रदेश में कई बार अतिक्रमण किया है। सीमा पर ४३ बार गोलाबारी हुई और तीन अपहरण काण्ड हुए। पाकिस्तानी वायुसेना १६ बार अतिक्रमण कर चुकी। इन्होंने बताया कि इन घटनाओं के बारे में पाकिस्तान सरकार को १६ बार विरोध पत्र भेजे जा चुके हैं।

दिन-प्रतिदिन बंगला देश की शरणार्थी समस्या भारत के लिए गम्भीर होती गई। लोकतन्त्र और समाजवाद का डंका पीटने वाले अमेरिका और चीन पाकिस्तान को सहायता देते रहे। पाकिस्तानी सेना स्वतन्त्रता और प्रजातन्त्र में विश्वास रखने वाली बंगला देश की जनता के साथ नृशंस व्यवहार करती रही। भारत ने विश्व के सभी देशों को बंगला देश की वास्तविकता का परिचय दे दिया। फिर भी कोई फल न निकला। बंगला देश में पाकिस्तानी सेना ने क्रूर दमन, हत्या, बलात्कार, आगजनी और लूट-खसोट के इतिहास में अपना सर्वोच्च स्थान बना लिया। उनका काम था सिर्फ मां-बहनों के साथ बलात्कार करना, स्वतन्त्रता सेनानियों की हत्या करना, अग्रामी लीग तथा पूर्व बंगाल सीमा सेना के जवानों, अफसरों और उनके परिवारों को नष्ट कर देना तथा बंगवासी हिन्दू-मुसलमान-ईसाई सबको अधिक-से-अधिक संख्या में जबरदस्ती भारत भेज देना। मुक्तिवाहिनी पूरे बल के साथ उन बंदर पाकिस्तानी सेनाओं का सामना कर रही थी। उन्ने आधुनिक अस्त्रों की कमी से काफी क्षति भी उठानी पड़ रही थी।

शरणार्थियों के सम्बन्ध में पाकिस्तानी प्रचार या क्रियें तो ये लोग



हैं जो भारत से पाकिस्तान गए थे और जिन्हें पाकिस्तानी सेना ने अपने यहां से निकालकर भारत में फेंक दिया है। पर यह बात विश्व के सभी देश स्पष्ट रूप से समझते थे कि इतनी भारी संख्या में व्यक्तियों को भारत से पाकिस्तान में भेजा जाना कठिन ही नहीं असम्भव है। उसमें भी वच्चे, स्त्रियां और बूढ़े वहां जाकर क्या करते? अगर भारत को कुछ भेजना ही होता तो वह अपने जवानों को भेजता जो साम्राज्यवादी तानाशाही का जनाजा निकालकर उसे वहीं दफना देते।

वास्तविकता तो यह थी कि पाकिस्तानी तानाशाहों के साथ दो शक्तिशाली साम्राज्यवादियों की चाल थी कि भारत पर पाकिस्तान का दोहरा आक्रमण हो। इन शरणार्थियों के साथ भारत में अनेकों परेशानियां आईं। उनके खाने-पीने और रहने का प्रबन्ध भारत को करना पड़ा। पाकिस्तानी फौजी दरिन्दों के अत्याचारों के शिकार शरणार्थी अपने साथ अनेकों संक्रामक रोग लाए। उत्तर-प्रदेश, बिहार, बंगाल आदि प्रदेशों में अभूतपूर्व वाढ़ आ जाने से काफी तबाही हुई। भारत सरकार को एक ओर बंगला देश से आए शरणार्थियों के राहत का बोझ उठाना था तो दूसरी ओर अपने वाढ़ पीड़ित लोगों को भी राहत पहुंचाना था। अगर भारत उन शरणार्थियों से अपना पिंड छुड़ाना चाहता तो शरणार्थियों को सीमा के उस पार ही रोक देना उसके लिए कोई कठिन काम नहीं था। लेकिन भारत की यह परम्परा रही है कि वह आए हुए अतिथि का स्वागत करता है। अपनी शरण में गिरी हुई मानवता को उठाता है और अपनी जान देकर भी उसकी रक्षा करता है।

सम्भवः विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो करोड़ की संख्या में आए हुए इतने शरणार्थियों को अपने यहां ससम्मान रख सके। कुछ लोग शरणार्थियों को आने से रोकने की बात कर रहे थे। स्पष्ट था कि शरणार्थियों को रोकने के लिए हमें सीमा को कठोर बनाना होता जो भारतीय परंपरा और मानवीय दृष्टिकोण के प्रतिकूल है। यदि पाकिस्तान के फौजी शासक बंगला देश में नर-संहार न करते तो कोई कारण न था कि लाखों को छोड़ करोड़ों की संख्या में बंगला देश की जनता

भारत आती। अपना घर-बार छोड़कर शिविरों में शरण लेना किसी को अच्छा नहीं लगेगा। बंगला देश में बुद्धिजीवियों को जैसे प्रोफेसर, वकील, डाक्टर, लेखक आदि को चुन-चुनकर मार दिया गया। अल्प-संख्यकों के साथ पाक के नापाक वर्गों ने जो अमानुषिक अत्याचार किए हैं वह तो मानवता के इतिहास में ऐसे घब्वे वन गए हैं कि सम्भवतः कभी नहीं घुलेंगे।

बंगला देश को वर्नाद कर फीजी तानाशाहों ने अपने दो उद्देश्यों की पूर्ति करनी चाही। पहली यह कि लोकतंत्र के समर्थकों को चुन-चुन कर मार दिया जाय कि भय से लोग लोकतंत्र का नाम भी लेना भूल जायं। फिर विश्व के सामने लोकतंत्र का नाटक खेला जायगा और अपने कठपुतलों के माध्यम से शासन का सूत्रधार स्वयं बनकर बरकरार रहा जाएगा। उनका दूसरा उद्देश्य बहुत पुराना था। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह विभाजन के बाद से ही क्रियाशील थे। बहुत दिनों से वे अपनी लक्ष्य-प्राप्ति में असफल थे। बंगला देश में नर-संहार आरम्भ करते ही उनके इस उद्देश्य की पूर्ति की संभावना बढ़ गई। उन्होंने हिन्दू अल्प-संख्यकों को ढूँढ़-ढूँढ़ कर मार ही डाला। जो बेचारे बच गए उन्होंने भागकर भारत में शरण ली। पर पाकिस्तानियों ने जितनी ही बंगला देश की स्वतन्त्रता की मांग को कुचलना चाहा वह उभर कर ठूनी होती गयी। मुक्तिवाहिनी के जवान उनका दृढ़ मुकाबला करते रहे।

बंगला देश की स्वतन्त्रता के नेता शेख मुजीब की तो गिरफ्तारी हो ही गई थी। उन्हें देश-द्रोही करार दिया गया और ११ अगस्त को लायलपुर की सैनिक अदालत में उनके विरुद्ध मुकद्दमे की सुनवाई भी शुरू की गई। पर भारत के साथ-साथ विश्व के कुछ अन्य देशों के दबाव से ही वे जीवित रह पाए हैं।

शरणार्थियों की दगा देखने अमेरिका के सेनेटर कनेडी भारत आये। उन्होंने शिविरों में शरणार्थियों को देखा और उनसे बात की तथा पाकिस्तान को दोषी ठहराया। बंगला देश की स्थिति देखने के

लिए वह बंगला देश का भी दौरा करना चाहते थे पर साम्राज्यवादी पाकिस्तान ने उन्हें बंगला देश देखने की आज्ञा ही नहीं दी। शरणार्थियों के प्रति उन्होंने अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट की। १६ अगस्त को बंगला देश की समस्या पर उन्होंने भारत की प्रधानमंत्री से भी विचार-विमर्श किया।

२७ सितम्बर को प्रधानमंत्री मास्को गईं। तीन दिन की उनकी मास्को यात्रा के बाद जो संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित हुआ उसमें मांग की गई कि पूर्व बंगाल (बंगला देश) की समस्या का राजनीतिक हल निकालने के लिए अविनाश कदम उठाये जायें ताकि जनता की इच्छाओं और अधिकारों की रक्षा की जा सके तथा शरणार्थी सुरक्षित रूप से जल्दी ही अपने घरों को लौट सकें। दोनों देश की सरकारें इस बात के लिए राजी हो गईं कि इस समस्या के बारे में वे आपस में आगे लगातार विचार-विमर्श करती रहेंगी। दोनों देश ने पूर्वी बंगाल (बंगला देश) की स्थिति पर चिंता व्यक्त की और इस क्षेत्र में शांति कायम रखने के लिए प्रयत्नशील रहने का दृढ़ निश्चय प्रकट किया। प्रधानमंत्री ने शरणार्थियों के बड़ी संख्या में आने के परिणामस्वरूप भारत में सामाजिक तथा राजनीतिक तनाव पैदा होने की बात से सोवियत नेताओं को अवगत कराया। संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि भारत की प्रधानमंत्री ने हिन्द-महासागर के क्षेत्र को शांति का क्षेत्र बनाये जाने के लिए बल दिया। सोवियत रूस ने इस प्रश्न का अध्ययन करने की बात कही और अन्य शक्तियों के साथ बराबरी के आधार पर इस समस्या को हल करने का अपना दृढ़ निश्चय प्रकट किया। ६ अगस्त को दिल्ली में होने वाली भारत-रूस की बीस-वर्षीय संधि को दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण बताया और घोषणा की कि दोनों पक्ष भारत और रूस के संबंधों के आगे विकास करने में इस संधि का पूरी तरह पालन करेंगे। संयुक्त वक्तव्य में एक महत्वपूर्ण घोषणा यह भी हुई कि दोनों देशों ने आर्थिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग स्थापित करने का निश्चय किया है। उस वक्तव्य में

पश्चिम एशिया, विद्यतनाम, राष्ट्रसंघ, निरस्त्रीकरण आदि अन्य अन्तर-  
राष्ट्रीय समस्याओं की भी चर्चा की गयी थी ।

( २ )

पाकिस्तान और भारत के रिश्तों में दिन-प्रतिदिन कटुता आती गयी । इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों के स्वदेश आगमन पर एक तरफा प्रतिबन्ध पाकिस्तान ने लगा दिया । भारतीय उच्चायोग के लगभग एक दर्जन कर्मचारियों को अनुमति देने के वाद भी भारत आने से रोक दिया गया । जिसकी जवाबी कार्रवाही में भारत सरकार को भी १ अक्तूबर, '७१ की संध्या से पाक उच्चायोग के कर्मचारियों के नई दिल्ली छोड़ने पर कड़ा प्रतिबन्ध लगाना पड़ा । पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों पर प्रतिबन्ध लगा कर उस समझौते को भंग किया था जिसमें केवल इतना आवश्यक था कि कर्मचारियों के स्वदेश लौटने से एक सप्ताह पूर्व सूचना देनी थी । यह समझौता २० सितम्बर को हुआ था । इसी समझौते के अन्तर्गत भारत सरकार ने नौ पाकिस्तानी कर्मचारियों को पाकिस्तान जाने की अनुमति दे दी थी ।

नयी दिल्ली में आए हुए सोवियत रूस के राष्ट्रपति श्री पोद्गोर्नी ने कहा कि "बंगला देश की जनता के वैध अधिकारों व हितों को ध्यान में रख वहां न्यायोचित समझौता करवाने के लिए रूस हर सम्भव प्रयत्न करेगा ।" सोवियत राष्ट्रपति को दिए गए स्वागत भोज में भारत के राष्ट्रपति श्री गिरि ने कहा कि बंगला देश के राजनैतिक हल से भारत का तात्पर्य है ऐसा हल जो वहां की जनता द्वारा निर्वाचन प्रतिनिधियों को था जिन्हें गत दिसम्बर के चुनावों में भारी बहुमत मिला सहयोग से किया गया हो । संयुक्त राष्ट्र के पचास गूट-निरपेक्ष राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों ने एक विज्ञप्ति स्वीकार की जिसमें अन्य प्रश्नों के अलावा बंगला देश के शरणार्थियों की समस्या पर अन्तर्राष्ट्रीय कार्रवाई की भी अपील की गयी थी । न्यूयार्क के एक पत्रकार सम्मेलन में

संयुक्त राष्ट्र में बंगला देश के सोलह सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के नेता श्री अबू सैयद चौधरी ने कहा कि बंगला देश की जनता को ऐसा कोई राजनैतिक हल नहीं चाहिए जिससे बंगला देश स्वतंत्र राज्य मान्य न हो और शेख मुजीबुर्रहमान को शीघ्र रिहा न किया जाय। साथ ही साथ जनरल याह्या खान की सेना वापिस न हटे।

अमेरिका में बंगला देश के शरणार्थियों के लिये बनायी गयी सीनेट की न्यायिक उपसमिति के अध्यक्ष सेनेटर एडवर्ड केनेडी ने बताया कि "यह संभावना नजर नहीं आ रही है कि पूर्व पाकिस्तान का संघर्ष शीघ्र समाप्त हो जायगा। अमेरिकी समर्थन के बल पर वहां निर्दयी प्रशासन दमन और हिंसा की नीति पर चल रहा है। हजारों लोग स्वदेश में ही बेघर-वार हो गए हैं और लाखों सीमा पार कर के भारत चले गए हैं।" अमेरिका तथा अन्य देशों द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने की बात को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि गत माह स्वयं मैंने बंगला देश से आए लोगों के दुख-दर्द देखे। जो लोग जीवित बच गए हैं वे भयंकर सपना देखकर जगे हुए लोग लगते हैं। अमेरिकी सहायता के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि अमेरिका सरकार भारत में शरणार्थियों के लिए जो धन राशि दे रही है उससे अधिक देना चाहिए। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि यह हमारे समय का सबसे बड़ा मानवीय संकट है। दूसरे गवाह डा० नेविन स्किमशा ने उपसमिति में भारत सरकार की संगठनात्मक, प्रबंधात्मक और मानवीय श्रेष्ठता को स्वीकार करते हुए कहा कि मैंने स्वयं शिवरों का निरीक्षण किया तो पाया कि साढ़े चार महीने के अल्प समय में भारत सरकार ने पचास लाख शरणार्थियों को भोजन और शरण देकर संगठनात्मक, प्रबन्धात्मक और मानवीय श्रेष्ठता का परिचय दिया है। यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। विश्व में ऐसा अन्य कोई उदाहरण नहीं मिलता। अन्य देशों को इसकी सराहना करनी चाहिए। अब भी बीस-पच्चीस हजार शरणार्थियों का प्रतिदिन भारत आगमन हो रहा है। विश्व-वर्म-सम्मेलन के महा सचिव श्री होनर जैक ने कहा कि पूर्व पाकिस्तान में

२५ मार्च की घटनाओं के बाद समस्या का समाधान केवल स्वशासन से नहीं होगा, स्वाधीन बंगला देश के निर्माण से ही होगा। उपरोक्त बातें पूर्व बंगाल की घटनाओं पर गवाह आमंत्रित करते समय कही गयीं।

३ अक्टूबर से विश्वस्त सूत्रों द्वारा यह भी खबर मिलने लगी कि सीमा पर पाक सेना का भारी जमाव भी हो रहा है। विश्वस्त सूचनाओं के अनुसार पाकिस्तान राजस्थान के वाड़मेर, जसलमेर तथा गुजरात के रण कच्छ सीमान्त क्षेत्रों को खाली कराने लगा और इन स्थानों पर 'मुजाहिदों' को आगे लाया। उसकी यह कार्रवाई संदेहास्पद लगी। पाकिस्तान से आने वाले विदेशी पर्यटकों तथा अन्य सूत्रों से मिले समाचार के अनुसार पश्चिमी पाकिस्तान को एक फौजी छावनी का रूप दिया गया और पाक सैनिक वहाँ की जनता में भारत के प्रति दुश्मिनी लाने के लिए प्रचार करने लगे कि भारत पाक पर हमला करने वाला है। पाक तानाशाह बंगालियों को और अधिक मजा चखाने की बात कह रहे थे। अन्तर्राष्ट्रीय स्थल नियमों के अनुसार सीमा के १५० गज के स्थान में सेना का जमाव करना नियमों के प्रतिकूल है। पर पाकिस्तान उन नियमों को ताक पर रख कर डेरा-वावा नानक पुल पर सैनिकों के लिए खाई खोदने के अलावा एक इस्पात का टावर बना चुका था। जिसके सम्बन्ध में भारत सरकार की ओर से पाकिस्तानी तानाशाहों को विरोध पत्र भी दिया जा चुका था।

३ अक्टूबर को होने वाले संयुक्त राष्ट्रसंघ की वृहत् सभा की आम बहस के अन्तर्गत सोवियत संघ, फ्रांस, स्वीडन, ज्वायोर और नार्वे ने भारत के इस पक्ष का जोरदार समर्थन किया कि बंगला देश की समस्या का राजनीतिक हल निकलना चाहिए। बहस के दौरान ब्रिटिश विदेश मंत्री सर एलक डगलस ह्यूम ने बंगला देश की समस्या पर भारत-पाक युद्ध होने की सम्भावना करते हुए कहा कि अगर यहाँ नागरिक प्रशासन की स्थापना हो जाय, तो यह सतरा टल भी सकता

है। नागरिक प्रशासन के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार जो भी कदम उठा रही है उसमें तेजी आवश्यक है। शासन ऐसा हो जो पूर्व बंगाल के लोगों को अपना विश्वास दे सके ताकि वे लोग अपने घरों में शांति से रह सकें।

भारत के दौरे पर आए हुए युगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो ने भी बंगला देश के बारे में भारत की मांग का पूरा समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इस समस्या का एकमात्र समाधान यही है कि पूर्व बंगाल में ऐसी स्थिति करनी चाहिए जिसमें शरणार्थी अपने घरों को सुरक्षित वापस जा सकें। उन्होंने विश्व समुदाय को अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिए आह्वान करते हुए कहा कि भारत को इस बात का पूरा नैतिक और राजनैतिक अधिकार है कि वह अत्यंत हृदय-विदारक मानवीय घटनाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से सहायता की मांग करे। उपरोक्त बातें इन्होंने अपने सम्मान में आयोजित भोज में कहीं। यह भोज भारत के राष्ट्रपति ने दिया था।

( ३ )

पाकिस्तान सीमा पर अपनी सेना एकत्र कर काफी तनावपूर्ण स्थिति पैदा करने लगा। लोकमत को युद्ध की ओर मोड़ने का प्रयत्न उसने जारी कर दिया। फलस्वरूप भारत को भी अपनी सेना सीमा पर लानी पड़ गयी।

१७ अक्टूबर को कपूरथला (जालन्धर) में आयोजित एक सार्वजनिक सभा में भारत के प्रतिरक्षामंत्री बाबूजी ने घोषणा की कि भारत सीमाओं से अपनी सेनाएं तब तक नहीं हटायेगा जब तक कि बंगला देश का सवाल हल नहीं किया जाता। इस सम्बन्ध में यदि हम पर अन्तर्राष्ट्रीय दबाव डाला गया तो हम यह फैसला कर चुके हैं कि ऐसे दबाव नहीं माने जायेंगे। इन्होंने कहा कि जिस स्थिति में इस समय सेना तैयार खड़ी है वह वैसी ही रहेगी जिससे यदि पाकिस्तान ने भारत की क्षेत्रीय अखंडता के विरुद्ध आंख उठाई तो उसको ठीक सत्रक सिखलाया

जा सके। पाक राष्ट्रपति याह्या खां की युद्ध की धमकियों के कारण यह जरूरी हो गया है। पाक राष्ट्रपति ने कहा है कि यदि वंगला देश को मुक्तिवाहिनी ने वंगला देश की ज़मीन पर कब्ज़ा किया तो पाकिस्तान भारत से उसका बदला लेगा। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे-जैसे समय बीतता जायेगा मुक्तिवाहिनी अधिकाधिक क्षेत्र पर कब्ज़ा करती जायेगी और निकट भविष्य में ही वंगला देश आजाद हो जायेगा। पाकिस्तान स्वयं स्वीकार करता है कि मुक्तिवाहिनी सक्रिय है। इसी से पूर्व वंगाल की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। पूर्व वंगाल में भारत के घुसपैठियों के भेजे जाने की बात को हास्यास्पद बताते हुए इन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने स्वयं जो शरारतें की हैं उसका आरोप भारत पर लगाया है। भारत युद्ध नहीं चाहता लेकिन यदि लड़ाई हुई तो पाकिस्तान को भारत इतना पीछे खदेड़ेगा जिसकी पाकिस्तान ने कल्पना भी नहीं की होगी। यदि उसने भारत पर हमला करने का साहस किया तो हर हिन्दुस्तानी सैनिक हो जाएगा। बाबूजी ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भारत पर युद्ध थोपा गया तो हमारी सेनाएं आगे बढ़कर पाकिस्तानी शहरों स्यालकोट और लाहौर पर कब्ज़ा कर लेंगी और इस बार चाहे कुछ भी नतीजा निकले जिस इलाके पर हमारी सेना कब्ज़ा करेगी उसे नहीं छोड़ा जाएगा। समान अधिकार की चर्चा करते हुए बाबूजी ने कहा कि भारत में समान अधिकार सबको प्राप्त है। प्रधानमंत्री देश की मालिक उतनी ही हैं जितनी कि एक जमादारिन है। इस देश के निर्माण और उसकी भलाई-बुराई में जितना हिस्सा प्रधानमंत्री का है उतना ही हिस्सा एक जमादारिन का भी है। इसलिए हर नागरिक को अपना कर्त्तव्य पालन करना चाहिए। भोंपड़ी और महल में रहने वाला, पढ़ा और अनपढ़ सब समान हैं और उन्हें संविधान ने बराबर का अधिकार दिया है। इसलिए हर भारतीय का कर्त्तव्य है कि, वह स्वयं देश की रक्षा के लिए कार्य करे। किसी को कहने की जरूरत नहीं है।

सीमा पर स्थिति गम्भीर होती गई। रक्षा-मंत्रालय से सम्बद्ध



संसदीय सलाहकार समिति की हैदराबाद में होने वाली बैठक में २१ अक्टूबर को भारत के प्रतिरक्षामंत्री बाबूजी ने कहा कि जब तक भारत पर पाकिस्तान के हमले की आशंका रहेगी तब तक हम सीमाओं से अपनी सेनाएं पीछे नहीं हटाएंगे। हर दृष्टि से भारत-पाक सीमाओं पर स्थिति गम्भीर है। राष्ट्रपति याहिया खां ने भारत को युद्ध की धमकी दी है, इसलिए नहीं कि भारत ने उनका कुछ बिगाड़ा है, बल्कि इसलिए कि मुक्तिवाहिनी अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रही है। इतना ही नहीं, याहिया खां ने अपनी फौज को छावनियों से हटाकर भारत के पश्चिम सीमान्त पर मोर्चे सम्भालने का आदेश दिया है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते? इसलिए हमें भी पश्चिमी सीमा पर अपने सैनिक लाने पड़े।

सीमा पर प्रतिदिन पाक सैनिक गतिविधि तेज होती गई और सैनिक जमाव बढ़ता गया। फिरोजपुर, फाजिल्का आदि क्षेत्रों में पाक सैनिक गतिविधियां रात में भी देखी जाने लगीं। इससे फिरोजपुर, अमृतसर आदि स्थानों पर रक्षात्मक तैयारियां तेज कर दी गईं। साथ-ही-साथ अमृतसर, छेरहटा और बेरका में २४ अक्टूबर से ब्लैक-आउट होने लगा। राजस्थान की सात सौ मील लम्बी सीमा पर भी पाकिस्तानी सेना का भारी जमाव होने लगा। फौजी हलचल भी तेज हो गई। पाकिस्तान ने अपनी सीमा के भीतर के सभी नागरिकों को हटा लिया। गंगानगर और बाड़मेर जिलों के सामने भी पाक क्षेत्रों में भारी संख्या में हथियार जमा किए गए और पूरी सीमा पर पाकिस्तान की तीन डिवीजन सेना खड़ी पायी गई। दिनाजपुर, सिलहट आदि सीमाओं पर छिट-पुट वारदातें भी पाकिस्तानी सेना करने लगी।

भारत को सीमा पर कमजोर रखने के लिए अमेरिका ने एक चाल चली थी और भारत को सीमा पर सेना के जमाव के विषय में संयम से काम लेने की कूटनीतिक राय दी थी। पर भारत ने स्पष्ट रूप से अमेरिकी कूटनीतिक राय को अस्वीकार कर दिया। अमेरिकी राय के अस्वीकृत हो जाने के साथ-साथ ब्रिटेन, फ्रांस आदि को भी उत्तर मिल

गया जिन्होंने सीमा पर से सेनाओं को हटा लेने पर जोर दिया था। जब पाकिस्तान ने भारत-पाक सीमा पर अपनी सेना का भारी जमाव किया तो उसे इस काम से रोकने के लिए किसी ने राय न दी थी। पाकिस्तान के इस दिशा में सक्रिय होने पर भारत को भी आत्मरक्षार्थ सेना सीमा पर ले जाना आवश्यक था। अमेरिका भारत के लिए ही संयम का उपदेशक बनता है; पाकिस्तान के लिए नहीं। बंगला देश के मामले पर भी वह संयम का उपदेश कर चुका था। अब अपनी रक्षा करने के लिए भारतीय सैनिकों को सीमा पर खड़ा देख संयम का उपदेश देने लगा। सम्भवतः उसका उपदेश केवल भारत के लिए था पाकिस्तान के लिए नहीं, जो बंगला देश में घोर अत्याचार कर रहा था और भारत-पाक सीमा पर अपने सैनिकों का भारी जमाव कर भारत को युद्ध की घमकी दे रहा था। दूसरों को उपदेश देना आसान होता है और अपने उपदेश के अनुसार स्वयं चलना उपदेशक के लिए भी असम्भव होता है।

पाकिस्तानी तानाशाह और चंगेज के वंशज याहिया खां ने १२ अक्टूबर के ब्राडकास्ट में और एक फ्रांसीसी पत्र को दिए गए इन्टरव्यू में बहुत बहककर बातें कीं। भारत को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि “यदि भारत ने राष्ट्रविरोधी तत्त्वों की सहायता बन्द न की तो मैं अपनी मर्जी से भारत पर चोट करूंगा।” पुनः अपने दूसरे ब्राडकास्ट में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि “युद्ध अब आवश्यक हो गया है और एक बड़े पैमाने पर जिहाद का होना अनिवार्य है।” पाकिस्तानी समाचारपत्रों ने भी घोषणा करते हुए कहा कि भारतीय आक्रमण की तिथि २० से २७ अक्टूबर के मध्य है। पाकिस्तानी शहरों में बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट के साथ-साथ नागरिक सुरक्षा ट्रेनिंगों को भी काफी तेज कर दिया गया। जनरल याह्या खां ने अपने देश में गुट्टोन्नाद को भड़काने के लिए हर तरीके अपना लिये। अपनी घमकियों के अनायास उन्होंने भारत-पाक सीमा पर अपनी सेना का भारी जमाव भी कर लिया।

अब भारत भी अपनी सुरक्षा का हर सम्भव प्रयत्न करने लगा। विभिन्न राज्यों में नागरिक-रक्षा के उपाय किए जाने लगे ताकि महत्वपूर्ण ठिकानों में आशंकित तोड़-फोड़ को रोका जा सके। सीमावर्ती राज्यों में नियमित नागरिक रक्षा अभ्यास के लिए योजनाएं बनाई गईं। नागरिकों को अनुशासित रखने के लिए असम सरकार ने पूर्वी बंगाल की सीमा से लगे कछार की करीमगंज तहसील के छमजौड़ और शेर अलीपुर गांवों पर दस-दस हजार रुपये जुर्माना करने का निर्णय लिया। इन इलाकों में कई दिनों से लगातार तोड़-फोड़ की राष्ट्र-विरोधी कार्रवाइयां की जा रही थीं। इसी तरह सभी प्रदेशों में सुरक्षात्मक कार्रवाइयों में तेजी लाई गई। ब्लैकआउट का अभ्यास भी आरम्भ हुआ। एक ओर पाकिस्तान अपनी सीमावर्ती क्षेत्रों से नागरिकों को हटा रहा था तो दूसरी ओर भारत के सीमावर्ती गांवों के लोगों का मनोबल काफी ऊंचा पाया गया। भारत की जनता ने पाकिस्तान की चुनौती को स्वीकार करने के लिए दृढ़-निश्चय कर लिया था।

२४ अक्टूबर को भारत की प्रधानमंत्री अपने तीन सप्ताह के दौरे पर पश्चिमी देशों को गयीं।

पश्चिमी सीमाओं की खबरों से पता चला कि पाकिस्तान ने अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में पांच मील अन्दर तक नागरिकों को निकालने के पश्चात् वाह्दी सुरंगें विच्छा दी हैं और अपनी सीमाओं पर किलाबन्दा कर ली है। प्राप्त खबरों के आधार पर पता चला कि इस क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा तीन मोर्चाबन्दियां की गई हैं। पहली मोर्चाबन्दी इच्छोगिल नदी के इस ओर, दूसरी इच्छोगिल नहर पर और तीसरी मोर्चाबन्दी इच्छोगिल नहर के उस पार लाहौर की ओर है। इस क्षेत्र के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों को पाकिस्तान खाली करा चुका था। फसलें लगी थीं; पर काटने वालों का नामोनिशान नहीं था। दूसरी ओर भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग आराम से खेती-बाड़ी कर रहे थे और उनका मनोबल काफी ऊंचा था।

जलालबाद क्षेत्र में भारी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक एकत्र कर

दिए गए थे। फिरोजपुर, फाजिल्का और सतलज नदी के मध्यवर्ती इलाकों में भी पाकिस्तानी अपनी स्थिति सुदृढ़ बना रहे थे।

१९६५ में अपने हारने वाले इलाके जम्मू के छम्ब-जोरिया क्षेत्र में भी पाकिस्तानी सेना अपनी तैयारी में काफी सक्रिय थी। विश्वस्त सूत्रों के आधार पर पता चलता था कि पाकिस्तान ने अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर एक वस्त्ररबन्द ब्रिगेड और एक डिवीजन पैदल सेना तैयार कर लिया था।

स्यालकोट क्षेत्र में भी पाकिस्तानी सैनिक काफी ध्यान दे रहे थे। इस क्षेत्र का निरीक्षण करने लेफ्टिनेन्ट जनरल टिकका खां स्वयं आए थे। युद्धोन्मादी पाकिस्तानी सैनिक इधर-उधर सीमाओं पर छिट-पुट भारी गोलावारी भी कर रहे थे। पाक-गोलावारी से काफी संख्या में भारतीय नागरिक आहत भी हो जाया करते थे।

बंगला देश में मुक्तिवाहिनी के जवान पाकिस्तानियों के दांत खट्टे कर रहे थे। उन्होंने पाक की कई चौकियों को अपने अधिकार में लिया था। फिर भी वहाँ पाक का दमन-चक्र काफी तेजी से घूम रहा था।

२२ अक्टूबर को एक संवाददाता सम्मेलन में भारत के प्रतिरक्षा-मंत्री वावूजी ने कहा कि यदि पाकिस्तान के शासक भविष्य का लेखा देख लें तो वे बंगला देश की जनता से समझौता करने को तैयार हो जाएंगे। इन्होंने मुक्तिवाहिनी के सम्बन्ध में कहा कि मुक्तिवाहिनी अपने देश को स्वतन्त्र कराने में समर्थ है। इस तथ्य को पाकिस्तानी राष्ट्रपति यह कहकर मान चुके हैं कि यदि स्वातन्त्र्य योद्धा अपने लक्ष्य में सफल हुए तो भारत से पूर्ण युद्ध छेड़ दिया जाएगा। वावूजी ने कहा—बंगला देश की समस्या भी मौजूद है और भारत के युद्ध छेड़ने की याहिया की घमकी भी। हमें जागरूक रहना है। आपत्काल की घोषणा हो या न हो, सारा देश पाकिस्तान की घमकी का मुकाबला करेगा। मुक्तिवाहिनी ८० हजार पाकिस्तानी सेना को परेशान कर रही है। माननून की समाप्ति का लाभ छात्रानारों को भी होगा। पाकिस्तान से यदि युद्ध हुआ तो वह पूर्ण युद्ध होगा। दोनों

देशों में युद्ध की समस्याएं घटी नहीं हैं। सीमा के दोनों ओर सेनाएं हैं। बंगला देश की समस्या भी खड़ी है। किसी देश के लिए आजादी पाने की छह माह की अवधि अधिक नहीं है। रूसी दृष्टिकोण के बारे में बाबूजी ने कहा कि मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है कि बंगलादेश पर रूसी दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन हुआ है। भारत-रूस संधि तथा रूस-अल्जीरिया की संयुक्त घोषणा को उनके उपयुक्त सन्दर्भ में समझा जाना चाहिए। एक संवाददाता ने पूछा—प्रधानमंत्री के विदेश दौरे के कार्यक्रम को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि उनके स्वदेश लौटने तक संघर्ष नहीं छिड़ेगा? बाबूजी ने उत्तर दिया—यह आश्वासन कैसे दिया जा सकता है? चीन के उस कथित सुभाव पर बाबूजी ने कोई टिप्पणी नहीं दी जिसमें कहा गया था कि बंगला देश की समस्या भारत और पाकिस्तान को शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझानी चाहिए। पाकिस्तान को मिलने वाली सऊदी अरब की सहायता की रिपोर्ट के बारे में बाबूजी ने कहा कि इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

नई दिल्ली में एन० सी० सी० के राज्य प्रतिनिधियों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए २३ अक्टूबर को बाबूजी ने कहा कि एन० सी० सी० के छात्रों को सशस्त्र सेना की सेवा करने को बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य छात्रों से कराये जा सकते हैं। नागरिक सुरक्षा, अनिवार्य सेवाओं को चालू रखना, यातायात नियंत्रण और अस्पताल सेवा आदि कार्यों की छात्र सैनिक भली-भांति कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि भारत सरकार ने विभिन्न राज्य-सरकारों को लिखा है कि वर्तमान आपत्कालीन स्थिति में राष्ट्रीय सैनिक छात्र-दल (एन० सी० सी०) क्या सहयोग प्रदान कर सकते हैं। आशा है इस बारे में राज्य सरकारें उचित ध्यान देंगी। एन० सी० सी० के राज्य प्रतिनिधियों के पिछले सम्मेलन के बाद से भारत की पूर्वी सीमा पर दुःखद घटनाएं हुई हैं। भारी संख्या में शरणार्थियों के आगमन के कारण बंगला देश की स्थिति से भारत के साधनों पर भारी भार पड़ रहा है। इन्होंने बताया कि घटनाओं का नयी पीढ़ी पर

व्यापक प्रभाव पड़ेगा। एन० सी० सी० के द्वारा युवकों को चरित्र और अनुशासन की शिक्षा दी जा रही है, जिससे मौका पड़ने पर सारे राष्ट्र को लाभ होगा। वावूजी ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना (नेशनल सर्विस स्कीम) और राष्ट्रीय खेल संगठन को हाल में ही लागू किया गया है। इनसे एन सी सी को कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि उसकी जड़ें देश की शिक्षा-पद्धति में गहरी जम चुकी हैं। लगभग सारे विश्व-विद्यालयों में राष्ट्रीय सैनिक शिक्षा को ऐच्छिक विषय बनाया हुआ है। इससे यह हुआ है कि सैनिक प्रशिक्षण में रुचि रखने वाले छात्र इसमें अवश्य भाग लेते हैं।

लाख चेतावनियों के बावजूद भी भारत-पाक सीमा पर पाकिस्तान की शरारतें बढ़ती ही गयीं। वावूजी ने उसे पुनः २५ अक्टूबर को नई दिल्ली के नेशनल डिफेंस कालेज में बोलते हुए चेतावनी दी। वावूजी ने कहा—“अगर हम पर आक्रमण हुआ तो हम केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करने मात्र से संतुष्ट नहीं होंगे। हम दुश्मन को उसकी सीमा के अन्दर खदेड़ देंगे, और यह देखेंगे कि युद्ध हमारे क्षेत्र में नहीं, दुश्मन की भूमि पर लड़ा जायगा। वावूजी ने कहा कि अगर अपनी सेनाएं हटाने के लिए हम पर अन्तराष्ट्रीय दबाव पड़ा तो हम उन देशों से कहेंगे कि वे बंगला देश के एक करोड़ शरणार्थियों को लौटाने की जिम्मेदारी लें। अर्थात् भारत में शरणार्थियों का आना बन्द हो और भारत से उनको बंगला देश को वापसी शुरू कर दी जाय। यह हो जाने के बाद ही, भारत पश्चिमी सीमा से सेनाएं हटाने पर विचार करेगा। उन्होंने कहा कि भारत ऐसा कोई कदम नहीं उठायेगा जिसे पाक पर आक्रमण माना जाय लेकिन भारत पर आक्रमण किया गया तो पूरी ताकत से उसका उत्तर दिया जायेगा। वावूजी ने कहा कि पाकिस्तानी छावनियां सीमा के इतने निकट हैं कि अगर पाकिस्तान अपनी सेनाओं को हटा भी ले तो वह उन्हें अल्प समय में पुनः सीमा पर ला सकता है। दूसरी ओर भारतीय छावनियां सीमा से ६०० से ६०० मील दूर हैं और सेना को पुनः सीमा पर लाने में काफी समय

लगता है। भारत ने पाकिस्तान से हमेशा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने का यत्न किया। लेकिन दुर्भाग्यवश पाकिस्तान का उत्तर कभी भी संतोषजनक नहीं रहा। जहां तक बंगला देश के स्वातंत्र्य संघर्ष का प्रश्न है, भारत का उससे इतना ही ताल्लुक है जितना एक पड़ोसी का होना चाहिए। इससे अधिक कुछ नहीं। लेकिन यह पाकिस्तान की शरारत है कि वह ५० बंगाल के नागरिकों को भारी संख्या में हमारे देश में धकेल रहा है ताकि हमारे आर्थिक और सामाजिक स्थायित्व पर उसका दुष्प्रभाव पड़े। भारत-चीन के सम्बन्धों के विषय में इन्होंने कहा कि हाल में तनाव कुछ कम हुआ है। यदि भारत-चीन के सम्बन्ध सामान्य हो जायं तो यह बहुत अच्छी बात होगी। वावूजी ने कहा कि युद्ध से बचना ही चाहिए लेकिन देश की सुरक्षा पर आँच आती हो तो उसकी रक्षा के लिए संभव प्रयत्न करना होगा।

वावूजी के इस दृढ़ निश्चय ने कि “अगर पाकिस्तान ने हम पर युद्ध थोपा तो वह युद्ध पाकिस्तान की भूमि पर होगा।” हम सब भारतीयों को साहस, शक्ति और शौर्य से भरपूर कर दिया। हम इनसे भली-भांति परिचित हैं कि ये केवल कहना ही नहीं करना भी जानते हैं। १९६७ में जब लगा कि अकाल से भारतीय काल के गाल में चले जायेंगे तो इन्होंने भारत को आश्वासन दिया था कि “हम भारत को भूखों मरने नहीं देंगे। पहले जितना भारतीय को अन्न मिलता था उससे ज्यादा अन्न मिलेगा। इतना ही नहीं भारत को हम खाद्यान्न के मामले में आत्म-निर्भर बनायेंगे।” हम देख चूके थे कि १९६७ के उस आश्वासन को इन्होंने शत प्रतिशत पूरा किया। पुनः भारत में पूर्ण समाजवाद लाना था और केन्द्र को मजबूत बनाना था। उसके बिना देश की प्रगति धीमी थी। केन्द्रीय सरकार के कमजोर रहने से सम्पूर्ण देश में अराजकता का दृश्य नजर आ रहा था। सत्ता संभालने वाली पार्टी कांग्रेस बट चुकी थी। लोगों ने अनुमान लगा लिया था कि केन्द्र में भी सतरंगी सरकार बनेगी। कांग्रेस के सभी दिग्गज महारथी और अपने को ‘किंग मेकर’ कहने वाले संगठन कांग्रेस के नाम पर संगठित

हो गए थे। नयी और पुरानी कांग्रेस वन चुकी थी। स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा था कि कांग्रेस का संक्रमण काल आ गया है। कांग्रेस के उस संक्रमण काल में इन्होंने नई कांग्रेस की अध्यक्षता का दायित्व सम्भाला था और कांग्रेस को पुनः जीवित कर पहले से ज्यादा सदाकत और सदाकत बना दिया था। इतना ही नहीं केन्द्र में एक स्थायी सरकार भी स्थापित कर दिया था। पुनः बंगला देश के मामले को लेकर भारत परेशान था। आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक हर तरह के बोकों से भारत परेशान था। इस पर पाकिस्तान हम पर युद्ध थोपने के लिए सीमा पर आ पहुंचा था। पर वावूजी के दृढ़ निश्चय की इस घोषणा से सारे देश में सन्तोष की एक लहर दौड़ आई। सेना के कर्तव्यपरायण और बहादुर जवानों में भी इस घोषणा से उत्साह और शौर्य की अपूर्व लहर दौड़ आई। भारत का हर नागरिक दूने उत्साह के साथ पाकिस्तान को मूंह-तोड़ उत्तर देने का दृढ़ निश्चय कर चुका था।

३० अक्टूबर को अखबारों में खबर छपी कि पाक ने सारी सेनाएं सीमा पर भेज दीं। समाचारपत्रों ने कहा कि विश्वस्त नृशों के अनु-सार पाकिस्तान ने रिजर्व सैनिकों सहित अपने सारे सैनिक सीमा पर भेज दिये। युद्ध की समस्या हल होने के बजाय गहन होनी चली गई। पाकिस्तान ने अपनी सीमा की गश्ती काफ़ी तेज़ कर दी और सैनिक प्रेक्षकों के अनुसार वे गतिविधियां इस बात की सूचक थीं कि सीमा पर शांति अस्थायी है। फलस्वरूप भारतीय सेना भी पूरी तैयारी हो गई तथा तमाम सीमान्त पर स्थिति का मामला करने के लिए तैयार हो गई। रक्षा-व्यवस्था में नागरिक भी सैनिकों को पूरा सहयोग देने लगे। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सभी स्थानों, रेल मार्गों, नगर बाड़ियों तथा महत्वपूर्ण सरकारी मकानों पर पहरा बैठा दिया गया। यह भी समाचार मिले कि राजस्थान और पश्चिम पाकिस्तान के बीच १०७५ किलोमीटर लम्बी सीमा पर पश्चिम पाकिस्तान की लगभग दो दिव्य-जन सेना तैयार कर दी गई है। जिसमें दो बलतरकर शिबीरों की यूनिटें भी शामिल हैं। सर्वाधिक सेना एक पूरी दिव्यजन बाड़ियर जिन



के सामने सीमा के निकट रहने की खबर थी। यह भी खबर थी कि पाकिस्तानी सेना वाड़मेर जिले में मुनावाओ के सामने सीमा से ५० किलोमीटर दूर काफी संख्या में इकट्ठी है। बड़े विमानों को उतारने के लिए पाकिस्तानियों ने छोड़ हवाई अड्डे का काफी विस्तार भी किया था। जैसलमेर अंचल के इस्लामगढ़ और रहीमयारखान में पाकिस्तानी सेना की एक ब्रिगेड तैनात थी। विकानेर अंचल के सामने पाकिस्तानी चौकियों में अनेकों मजदूर पक्का निर्माण कार्य करने में लगे थे। पाकिस्तानी सादिक नहर पर ऐसे दो पुल बना चुके थे जिनके ऊपर से दो बख्तरबन्द गाड़ियां गुजर सकें। यह भी खबर मिली थी कि पाक सेना को प्रशिक्षित करने के लिए दो सौ चीनी युद्ध-विशेषज्ञ भी ढाका पहुंचे थे।

३० अक्टूबर '७१ की शाम को रक्षा-मन्त्रालय के प्रवक्ता ने घोषणा की कि पाकिस्तानी सेना तीन सप्ताह से पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्र में घुसकर लगातार हमारी चौकियों पर आक्रान्त कर रही है, लेकिन हमारे जवानों ने प्रत्येक पाकिस्तानी प्रयत्न को विफल कर दिया है, और भारी मार देकर खदेड़ा है। अब तक हमारे जवान पाकिस्तानी सीमा में एक बार भी नहीं घुसे। पश्चिमी क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना ने १ अक्टूबर से २६ अक्टूबर तक १३८ बार युद्ध-विराम का उल्लंघन किया है और इन उल्लंघनों की सूचना राष्ट्रसंघीय प्रेक्षकों को दी जा चुकी है। प्रवक्ता के अनुसार २६ अक्टूबर को त्रिपुरा में कमालपुर के पास पाकिस्तानी सेना ने हमारे हवाई खोजी विमान पर गोलियां चलाईं। इससे विमान को क्षति हुई लेकिन विमान हवाई अड्डे पर उतर आया और कोई घायल नहीं हुआ। यह विमान भारतीय क्षेत्र में ही उड़ान कर रहा था। पूर्वी क्षेत्र में एक नागरिक भारतीय विमान तथा पश्चिमी क्षेत्र में तीन बार सेना के हेलीकोप्टरों पर पाकिस्तान ने गोलियां चलाईं लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। २७ अक्टूबर की रात को पाक सेना की एक टुकड़ी ने मोटरों तथा तोपों से हमारे क्षेत्र में घुसकर जलपाईगुड़ी के पास हमारे सीमा-सुरक्षा-दल की चौकी पर

हमला करने का यत्न किया, लेकिन हमारे जवानों ने भारी मार देकर पाकिस्तानियों को भगा दिया। कोई भारतीय जवान घायल नहीं हुआ। रक्षा मन्त्रालय के प्रवक्ता का विवरण इस प्रकार था—

११ अक्टूबर की रात को पाकिस्तानी सैनिक त्रिपुरा में ५० गज भारतीय क्षेत्र में घुस आए। हमारे जवानों ने भारी मार देकर उन्हें खदेड़ दिया। छः पाकिस्तानी मारे गये और १० घायल हुए। हमारे दो जवान घायल हुए। दिन में पाकिस्तानियों ने त्रिपुरा के क्षेत्र पर गोलियां बरसाईं। हमारे जवानों ने जवाबी कार्रवाई में गोलियां चला कर उन्हें शांत कर दिया।

१४ अक्टूबर की रात को पाकिस्तानी सैनिक त्रिपुरा क्षेत्र में घुस आये और एक गांव में आग लगाई तथा एक नागरिक का अपहरण किया।

१८ अक्टूबर को पाक सेना ने बेलोनिया के पास गोलियां चलाई और उसमें ३ भारतीय नागरिक घायल हो गये।

२१ अक्टूबर को पाकिस्तानियों ने करीमगंज से धर्मपुर जानेवाली रेलगाड़ी को उड़ाने का यत्न किया। तीन को पकड़ लिया गया है तथा तोड़-फोड़ का सामान भी बरामद किया गया है।

२३ अक्टूबर को मेघालय के चिचेन गातरा नामक स्थान के पास हमारे सीमा-सुरक्षा-दल के जवानों ने १४ रजाकारों को पकड़ा।

२४ अक्टूबर को अगरतल्ला से उड़ने वाले एक नागरिक विमान पर पाकिस्तानियों ने गोलियां चलाईं। हमारे जवानों ने भारी मार देकर पाकिस्तानियों को भगा दिया। उसी दिन पाकिस्तानियों ने अगरतल्ला नगर पर गोलियां चलाईं जिससे ६ नागरिक मरे तथा ३ घायल हुए।

२७ अक्टूबर को त्रिपुरा में बेलोनिया के पास पाकिस्तानियों ने मध्यम श्रेणी की मशीनगनों से गोलियां चलाईं। हमारे जवानों ने उसका उत्तर दिया।

पश्चिमी क्षेत्र—रक्षा-मन्त्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि जम्मू-

कश्मीर में सारी युद्ध-विराम रेखा पर कारगिल से छम्ब तक पाकिस्तानी सेना ने १३८ वार युद्ध-विराम का उल्लंघन किया। सबसे ज्यादा उल्लंघन पूँछ क्षेत्र में किये गये और उनकी संख्या ४३ थी। पाकिस्तानियों ने नये बंकर और खाइयां बनाकर तथा गोलियां चला कर और हमारे क्षेत्र में घुसकर युद्ध-विराम का उल्लंघन किया। २३-२४ सितम्बर तथा ९ अक्टूबर को क्रमशः नौशेरा, जम्मू तथा अखनूर अंचल में पाकिस्तानियों ने हमारी सेना के हेलीकोप्टरों पर गोलियां चलाई, हालांकि हमारे हेलीकोप्टर हमारे ही क्षेत्र में थे।

१९ अक्टूबर को उड़ी अंचल में पाकिस्तानी दस्ता घुस गया था, लेकिन हमारे जवानों ने उसे मार भगाया। २५ अक्टूबर को फिर तीन पाकिस्तानी उड़ी अंचल के हमारे क्षेत्र में घुस आये। पर हमारे जवानों ने उन्हें खदेड़ दिया।

जम्मू-कश्मीर के विभिन्न अंचलों में पाकिस्तान द्वारा युद्ध-विराम का उल्लंघन किए जाने का व्यौरा इस प्रकार था—

पूँछ ४३, मेधर २५, कारगिल २१ वार, उड़ी १७, नौशेरा १७, टिथवाल १९, कौरन ३, राजौरी १७, छम्ब तथा जम्मू अंचल १ वार।

चंडीगढ़ के हवाई अड्डे पर २८ अक्टूबर को वायु सेनाव्यक्ष एयर मार्शल श्री पी. सी. लाल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हाल में ही पाकिस्तानी वायुसेना ने अनेक वार हमारी वायु सीमा का उल्लंघन किया है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के उस आरोप का ठीक जवाब दे दिया गया है जिसमें उसने भारतीय वायु सेना पर पाक सीमा का उल्लंघन करने को कहा है। एयर मार्शल की बातों से लगा कि वे भारतीय वायु सेना की कार्यकुशलता तथा शक्ति से पूरी तरह आश्चस्त हों। उन्होंने कहा कि १९६५ से लगातार वायु सेना के आवुनिकीकरण और इसकी ताकत में वृद्धि का काम हो रहा है। वायुसेना की युद्ध-क्षमता बढ़ाने का प्रयास जारी है। भारतीय वायु सेना किसी भी आक्रमण का मुकाबला करने को तैयार है। एक समारोह में बोलते हुए उन्होंने

कहा कि अगर किसी ने हम पर आक्रमण किया तो उसका ठीक से समाचार लिया जायगा ।

अगरतल्ला से मिलने वाली खबरों के अनुसार ३० अक्टूबर की रात को वहां से चार किलोमीटर दूर लकमारा के निकट अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत-पाक सेना के बीच चार घंटे तक गोली चली । पाक सेनाओं ने हल्की तोपों से भारतीय सीमा चौकी पर गोलावारी की थी । पाकिस्तानी सेना ने नेलोनिया नगर के निकट भी भारतीय चौकी पर गोलेबाजी की थी । अचानक २८ अक्टूबर की आधी रात को पाकिस्तानी सेना ने अगरतल्ला के पास भारतीय चौकी पर गोलावारी आरम्भ कर दी जिसके उत्तर में भारतीय सीमा सुरक्षा जवानों ने गोली चलाई और पाकिस्तानी आक्रमणकारी शान्त हो गए । गौरंगपुर और बलिगांव क्षेत्रों में पाक गोलावारी के कारण बहुत क्षति हुई । कमालपुर नगर पर भी पाकिस्तानी सेना के गोले बरसते रहे । फलस्वरूप इस नगर को लोगों ने खाली कर दिया । त्रिपुरा के उत्तरी सदर मृकाम कमालपुर नगर और उसके निकटवर्ती गांवों में पाकिस्तानी सेना करीब छः घंटे तक गोले बरसाती रही और कुछ पेट्रोल बम भी फेंके जिनमें कुछ मकानों में आग लगी, कुछ सरकारी भवनों और वाटरवैम ट्रॉन्समिशन स्टेशन को भी गहरा नुकसान हुआ ।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के ३२वें वर्षगांठ समारोह में ३१ अक्टूबर तन् ७१ को भाषण करते हुए वावूजी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि भारत पाकिस्तान से युद्ध नहीं चाहता, लेकिन हम पर आक्रमण हुआ और हमारी सुरक्षा को खतरा पहुंचता तो हम मुंहतोड़ उत्तर देंगे । उन्होंने कहा कि स्वतन्त्रता के बाद पहली चिन्ता सामान्य जनता के आर्थिक उत्थान की ही रही है और देश तथा सरकार सभीी उत्थान के प्रयत्न में लगी है । ऐसी स्थिति में पाकिस्तानी आक्रमण सर्वथा सामने बाता है और पड़ोसी राष्ट्र के उन सुझोन्नाह के प्रति आश्चर्यचकित रहना असम्भव है । इस विवशता में हमारे नामने भी कोई जग नही है । हमें भी अपने नाथनों को रक्षा-व्यय की ओर मोड़ना पडा है ।

पाकिस्तान ने हमारी पश्चिमी सीमा पर भारी सैनिक जमाव किया तो लाचारी हमें भी अपनी सेनाएं तुरंत भेजनी पड़ीं। अगर पाकिस्तान युद्ध चाहेगा तो वह भी होगा, वैसे हम युद्ध नहीं चाहते। वावूजी ने कहा कि हमारी सेनायें पाकिस्तान द्वारा उत्पन्न प्रत्येक स्थिति का सामना करने में समर्थ और सक्षम हैं। साथ-ही-साथ पूरी तरह तैयार भी हैं। अतः देशवासी घबरायें नहीं, अपने नियमित काम-काज में किसी तरह की रुकावट न आने दें। बंगलादेश की जनता के शौर्य और साहस की प्रशंसा करते हुए इन्होंने कहा कि वह जिस दृढ़ता और बहादुरी से अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, वह सराहनीय है। देश के आन्तरिक विघटनकारी तत्त्वों से सावधान रहने की बात कहते हुए वावूजी ने कहा कि कुछ तत्त्व ऐसे हैं जो विदेशों की ओर देखते हैं। नागालैंड की एक पार्टी भारतीय भूभाग को देश से पृथक् करने की बात कहती है और हमें इन तत्त्वों की भी खबर लेनी होगी। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के जवानों को पुरस्कार वितरित करते हुए वावूजी ने कहा कि यह सबसे पुराना पुलिस दल है। इसका इतिहास वीरता और शौर्य का रहा है। त्याग और वलिदान इसकी कहानी है। इतिहास साक्षी है कि देश ने हमेशा ही अपने पर न्यौछावर होने वालों का सम्मान किया है और उन्हें आदर का स्थान दिया है।

पाकिस्तानी आक्रामक कार्रवाइयों के चलते कच्छ-सिन्ध क्षेत्र की सीमा की रक्षा का कार्य सेना ने सम्भाल लिया। इस ४८० किलोमीटर लम्बी सीमा की व्यवस्था को सेना के हाथ में ले लेने से इस सीमा पर हमारी रक्षा-व्यवस्था मजबूत हो गई। सीमा-रक्षा-दल और तटीय रक्षक दल सेना के सहायक के रूप में काम करने लगे। इस सारे क्षेत्र की देखभाल का कार्य ब्रिगेडियर रैंक के सेक्टर कमांडर के अधीन रखा गया। यह ४८० किलोमीटर लम्बी सीमा लखपत से वाड़मेर, बनासकंठा तक फैली हुई है। सीमा पंक्ति के संचार, यातायात तथा संभरण आदि की प्रशासनिक सहायता सैन्य दल कन्ट्रोल के अधीन हो गई। दूरवर्ती चौकियों की किलावन्दी तोपों आदि द्वारा कर दी गई। साथ-

ही-साथ सशस्त्र पैदल सेना तथा रिजर्व पुलिस ने सीमा पर अपनी निगरानी काफी तेज कर दी।

सीमाओं पर भारतीय सैनिकों की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तानी सेना तो कुछ अवश्य चुप हो गई थी पर उसके सदर अभी चुप नहीं थे। जैसे मेनिन्जाइटिस (Meningitis) का रोगी एकाएक जोर से चिल्ला उठता है उसी तरह याहिया खां की भी स्थिति हो गई थी। बेचारे नोंद में एकाएक चिल्ला उठते थे, बदहवासी में कभी-कभी कुछ बुद-बुदाते भी थे। कभी वह डरकर शरणार्थियों से वापस लौट आने को बुदबुदाते तो कभी भारत के साथ युद्ध को अवश्यम्भावी कहते हुए चिल्लाने लगते। वास्तव में उस बेचारे का कोई कसूर नहीं था। वह बेचारा मेनिन्जाइटिस का रोगी हो गया था और इस रोग के रोगी की अवस्था ऐसी ही हो जाती है। बेहोशी में उन्होंने यह भी देख लिया था कि चीन के शस्त्रास्त्रों की मदद से वह भारत को भी अपना उप-निवेश बना लेंगे। एक मुदक्ष चिकित्सक की भांति वावूजी ने सेना को यह भी आदेश दे दिया कि यदि पाक आक्रमणकारी रवैया अपनावे तो वह उसकी सीमा में दूर तक घुसकर उसे खदेड़ दें ताकि उसका युद्धो-न्माद समाप्त हो जाय। बंगलादेश को अपना उपनिवेश बनाये रखने की याहियाई सनक अभी शान्त नहीं हुई थी। दादूजी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि पाक टांचे में समस्या का हल नहीं हो सकता।

३ नवम्बर को समाचार भारती को एक भेंट में वावूजी ने कहा कि "पाक बंगला देश को आजाद करे, तभी युद्ध टलेगा।" इन्होंने कहा कि "यदि पाकिस्तान बंगला देश को प्रेमपूर्वक अलग करने को तैयार हो जाय तो भारत-पाक युद्ध की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। पाकिस्तान के नेताओं को इतिहास से सबक लेना चाहिए। बंगला देश की जनता पाकिस्तान के भौगोलिक टांचे में अब नहीं रह सकती। पाकिस्तान यदि उस तथ्य को स्वीकार कर ले तो युद्ध की निश्चित पैदा नहीं होगी।" इन्होंने भारत की सीमाओं की रक्षा के संकल्प को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया तथा कहा कि भारत विदेशी दबावों को स्वीकार

नहीं करेगा। अमेरिकी सिनेट द्वारा विदेशी सहायता बन्द करने के निर्णय के सम्बन्ध में बाबूजी ने कहा कि “भारत बिना विदेशी सहायता के भी अपने रक्षा-प्रयासों को जारी रखेगा। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने सैनिक साज-सामान के निर्माण में काफी प्रगति की है।” रक्षा प्रयासों में नागरिकों के योगदान पर विशेष बल देते हुए बाबूजी ने कहा कि “नागरिकों द्वारा अपने कर्त्तव्यपालन करने से ही रक्षा प्रयासों में सहायता मिलेगी। इस दिशा में सबसे आवश्यक यह है कि किसी भी वर्ग की देशभक्ति पर सन्देह न किया जाए; कुछ लोग मुसलमानों की देशभक्ति पर सन्देह कर रहे हैं। देशभक्ति किसी एक वर्ग की वपौती नहीं है। १९६५ के युद्ध में पैटन टैंकों को उड़ाने का श्रेय अब्दुल हमीद को भी था।”

३ नवम्बर '७१ को भारत सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि “हाल में सीमा पर तनाव पैदा होने के बाद यह पहला अवसर है जबकि पाकिस्तानी विमानों ने पंजाब में भारतीय सीमा का उल्लंघन किया है। प्रवक्ता के अनुसार पाकिस्तानी विमान दो-दो साथ आए; पर हमारे क्षेत्र में अधिक दूरी तक वे प्रवेश नहीं कर पाए। उनके प्रवेश करने के बाद भारतीय वायुसेना ने शीघ्र ही कार्रवाई की। प्रवक्ता के अनुसार पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान भड़काने वाली कार्रवाई पर उतारू था तथा तनाव की स्थिति परिवर्तित नहीं हुई थी। पाकिस्तान लगातार जम्मू-कश्मीर के युद्ध-विराम का उल्लंघन कर रहा था और राष्ट्रसंघीय प्रेक्षकों से भारत सरकार विरोध प्रकट कर चुकी थी। प्रवक्ता के अनुसार तनावपूर्ण स्थिति और पाक गोलाबारी की वजह से सारी पूर्वी सीमा को प्रतिबन्धित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। प्रतिबन्धित क्षेत्र घोषित हो जाने के बाद बिना आज्ञा लिए कोई विदेशी सीमांत जिलों को नहीं जा सकता था। पाकिस्तान के उस प्रचार का, जिसमें कहा गया था कि १ नवम्बर को कमालपुर पर गोले दागने वाली तोपों को शान्त करने का वहाना बनाकर भारतीय सेना पूर्व बंगाल में घुस गई थी और लड़ाई में ३२ सैनिकों की मृत्यु हुई थी,

प्रवक्ता ने खंडन किया। प्रवक्ता ने बताया कि भारतीय सेना को अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार न करने का आदेश है। पूर्व बंगाल में हमारी सेना ने प्रवेश नहीं किया था और न किसी सैनिक की मृत्यु हुई थी या कोई घायल हुआ था। पाकिस्तानी तोपें हमारी सेना की तोपों के गोले दागने से खामोश हो गई थीं। ३० अक्टूबर को छः पाकिस्तानी दलालों ने बुरहानपुर के निकट आत्मसमर्पण किया था जिनके पास से पाकिस्तानी हथगोले और बारूदी सुरंगें बरामद हुई थीं। इसी तरह अनेक जगहों पर तोड़-फोड़ करने के लिए भारतीय क्षेत्र में भेजे गए पाकिस्तानी दलालों ने आत्मसमर्पण किया था। १ नवम्बर को १५ अप गाड़ी के कुछ डिव्नों को सुरंग विच्छाकर पाकिस्तानी दलालों ने पटरी से उतार दिया था। २८ अक्टूबर को त्रिपुरा में देवीपुर की चौकी पर पाक सैनिकों ने राकेट छोड़े थे। लेकिन कोई आहत नहीं हुआ था।

इधर बंगला देश से प्राप्त होने वाली खबरों के अनुसार मुक्ति-वाहिनी का जोर प्रति-दिन बढ़ता जा रहा था। उन्होंने हवाई सेना का भी गठन कर लिया था और पाक सैनिकों का बड़े मजे से सफाया हो रहा था। मैमनसिंह आदि जिलों में पाकिस्तानी सेना मुक्ति-वाहिनी से काफी तबाह हो रही थी। मुक्तिवाहिनी ने सिलहट के घाते पर भी कब्जा कर लिया और पाकिस्तान के २५०० सैनिकों को भीत के घाट उतार दिया।

इस्लामाबाद से पाकिस्तानी गिण्ट मंडल ने मियां भुट्टो के नेतृत्व में पेकिंग की यात्रा की। पर सम्मयनः भुट्टो को कुछ भी हाद न लगा। याहिया द्वारा विदेश मंत्री बना दिए जाने ने मियां भुट्टो खुश थे। 'लंदन टाइम्स' के इस्लामाबाद स्थिति संवाददाता के अनुसार मियांजी पेकिंग से खाली हाथ लौट आये। पाकिस्तानी गिण्टमंडल के खाली हाथ लौट आने से इस्लामाबाद में काफी गिरावा छा गई। हालांकि रावनपिंडी में भुट्टो ने संवाददाताओं से कहा कि उनकी चीन यात्रा पूर्ण रूप से लकड़ रही है और उन्होंने अपने उद्देश्य में ठोस और स्पष्ट सफलता प्राप्त की थी। उन्होंने दम्नपूर्ण नहजे में कहा कि अपनी



अखण्डता और प्रभुसत्ता को बनाये रखने के लिए पाकिस्तान आवश्यक कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि अपनी तरफ से पाकिस्तान गोली नहीं चलायेगा पर आक्रमण का मुंहतोड़ उत्तर देगा। पाकिस्तान रेडियो के अनुगार चीन ने आश्वासन दिया था कि पाकिस्तान पर आक्रमण होने पर वह हर प्रकार का सहयोग देगा। लेकिन ची० वी० सी० ने अपनी टिप्पणी देते हुए बताया कि पाकिस्तानी नेता की आशा पूरी नहीं हुई। अन्वये पाकिस्तान ने चीन के कंधे को सहारा बनाना चाहा; पर उसकी आशा पर पानी फिर गया। फिर भी पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने घोषणा की कि यदि पाकिस्तान पर भारत का आक्रमण हुआ तो चीन न केवल उनकी सहायता करेगा बल्कि आवश्यकता पड़ने पर हस्तक्षेप भी करेगा। कोलम्बिया ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन की एक भेंट में पाकिस्तानी सदर ने बताया कि विंधिवत् घोषणा के बिना भारत-पाक युद्ध जारी है। पाकिस्तान हर संभव पग उठाकर अपनी अखंडता की रक्षा करेगा। पूर्वी पाकिस्तान से राष्ट्रीय असेम्बली की ७८ सीटों पर अपने कठपुतलों को बैठाकर पाकिस्तानी सदर याहिया खान ने घोषणा की कि यह पूर्वी पाकिस्तान के तथाकथित निर्वाचित सदस्यों को सत्ता सौंपने के लिए तैयार हैं।

८ नवम्बर को राजस्थान के सीमांत नगरों जैसलमेर और वाड़मेर के अपने दौरे पर आयोजित सार्वजनिक सभाओं में भाषण देते हुए वावूजी ने कहा कि युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान को चीन से जो सहायता प्राप्त होगी उसका अंदाज भारत ने लगा रखा है। वावूजी ने कहा कि भारत शांतिपूर्ण हर संभव तरीकों से ऐसी स्थिति उत्पन्न करने का प्रयत्न करेगा ताकि बंगला देश के शरणार्थी अपने घरों को वापस जा सकें। पर शांतिपूर्ण प्रयत्नों की असफलता पर अन्य तरीके अपनाये जायेंगे। वावूजी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सम्मानपूर्ण शरणार्थियों को अपने घर लौट जाने के बाद ही भारत की सेनाएं सीमा से हटेंगी। भारत युद्ध नहीं चाहता पर पाकिस्तान ने हम पर हमला किया तो हम दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर युद्ध करेंगे। जनता को सचेत

करते हुए वाबूजी ने कहा कि वह पाकिस्तान से पूरी तरह सतर्क रहें। पाकिस्तान भारत में साम्प्रदायिक दंगे कराकर, विध्वंसक तत्वों को सक्रिय करके, भेदभाव पैदा कर, जासूस फैलाकर विपम स्थिति उत्पन्न कर सकता है। अतः जतता को इस स्थिति में हर तरह से सतर्क रहना है। वाबूजी ने कई अग्रिम चौकियों का दौरा किया और वहां तैनात बहादुर जवानों के साहस की सराहना की।

रक्षा-मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार—चार-पांच नवंबर की रात को पाकिस्तानी सैनिकों ने त्रिपुरा के कमलपुर क्षेत्र में, जहां उनकी तोपों को एक बार शांत किया जा चुका था, छोटे हथियारों और तोप-खाने से गोले दागे। इसका हमारे सीमा सैनिकों ने जवाब दिया। दूसरे दिन कूचबिहार से २४ मील दूर पर पाकिस्तानियों ने मोटार से गोले बरसाये। इससे सीमा-सुरक्षा-दल का एक जवान और दो नागरिक मारे गये। सुरक्षा दल ने भी गोले चलाकर इसका जवाब दिया। उसी दिन पश्चिम बंगाल के पश्चिम दिनाजपुर जिले के बालुरघाट स्थान पर पाकिस्तानी सैनिकों और भारतीय सीमा-सुरक्षा दल के बीच गोली चली। कमलपुर के नजदीक एक जगह पर पांच-छह नवंबर की रात को गोला-बारी हुई और इसमें एक पाकिस्तानी सैनिक मौत के घाट उतरा। इसी दिन पाक सेना द्वारा त्रिपुरा के बेनोनिया से आठ मील दक्खिन स्थित गांवों में गोलाबारी की गई। इससे अठारह मील दूर स्थित श्रीनगर नामक जगह पर भी पाक सेना और भारतीय सीमा सुरक्षा दल के जवानों के बीच गोलाबारी हुई और इसमें सीमा-सुरक्षा दल के दो सिपाही और एक नागरिक आहत हुए। पाक हताहतों की सूचना अप्राप्य थी। मेघालय के तूरा करबे के करीब २२ मील दूर एक स्थान पर दोनों तरफ से गोली चली। २ नवंबर को पाकिस्तानी पुन-पैठियों ने एक गांव में आग लगा दी थी। युद्ध विराम रेखा के नजदीक पाक सेना बंकर बनाने में व्यस्त थी। चार और छह नवंबर के मध्य उड़ी, कारगोल, पूंछ, मैघर, नांगेरा और टिगवान क्षेत्रों में इन तरह की १२ कार्रवाइयां देखी गयीं। रक्षा-मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा

कि सीमा-सुरक्षा-दल या सेना को पाक सीमा में न घुसने का आदेश है और भारतीय जवान पाकिस्तानी सीमा के अन्दर एक बार भी नहीं गए।

१० नवम्बर को वावूजी राजस्थान और पंजाब की सीमावर्ती चौकियों के अपने दो दिन के दौरे के बाद वापस दिल्ली लौट आये। अपने साथ दौरे पर गए पत्रकारों से वावूजी ने कहा कि मैं सीमा की सुरक्षा व्यवस्था से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। भारतीय सेना पाक सेना को रोकने और आगे बढ़ने में पूर्ण समर्थ है। जब इनसे पूछा गया कि भारत-पाक युद्ध कब होगा तो इन्होंने जवाब दिया कि उपयुक्त समय आने पर मैं आदेश देने में तनिक भी नहीं हिचकिचाऊंगा।

११ नवम्बर को केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल की राजनीतिक समिति की बैठक नई दिल्ली में हुई। इस बैठक में सीमा की स्थिति पर विस्तार से विचार हुआ और वावूजी ने दो दिन की अपनी सीमा की यात्रा से लौटने के बाद सीमा की स्थिति की जानकारी अपने साथियों को दी।

११ नवम्बर को भारतीय प्रवक्ता ने पाकिस्तान के इस प्रचार का, जिसमें कहा गया था कि भारतीय सेना ने बड़ी संख्या में कल त्रिपुरा से पूर्व बंगाल के वेलोनिया कस्बे में हमला किया था, खण्डन किया। प्रवक्ता ने कहा कि सीमा पार करके भारतीय सीमा रक्षक दल ने कभी भी पाक इलाके पर हमला नहीं किया। प्रवक्ता के अनुसार पाकिस्तानी प्रचारक जैसे मुक्तिवाहिनी के आक्रमण को भारतीय एजेंटों का हमला कहा करते थे उसी तरह मुक्तिवाहिनी के हमलों को भारतीय हमले कह रहे हैं। पर झूठे प्रचार से कोई धोखा नहीं खा सकता। प्रवक्ता ने बताया कि वेलोनिया के पास कल चार पाकिस्तानी जेट विमान मुक्तिवाहिनी के छापामारों पर गोलियां बरसाते देखे गए और इस क्षेत्र में मुक्तिवाहिनी और पाक सैनिकों में युद्ध हुआ था। इस क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना ने सात और आठ नवम्बर को भारतीय क्षेत्र में गोले बरसाए थे और भारतीय जवानों ने उसका मुंहतोड़ उत्तर दिया था। इस गोलावारी में हमारे सीमा-सुरक्षा-दल के तीन जवानों ने वीरगति प्राप्त की

और दो माहृत हो गए । पाकिस्तानी हताहतों की संख्या की जानकारी नहीं थी ।

७ नवम्बर से १० नवम्बर तक जम्मू कश्मीर में युद्ध-विराम रेखा का पाकिस्तानी सेना बार-बार उल्लंघन करती रही जिसकी किशायत राष्ट्र संघीय प्रेक्षकों से करदी गई थी । उड़ी और भंग अंचलों के भारतीय क्षेत्र में घुस आए पाक सैनिकों को कड़ी मार देकर लौटा दिया गया था ।

त्रिपुरा और पं० वंगाल के पूर्वी क्षेत्रीय सीमा पर पाक गोलाबारी चालू थी । पाक सेना ने छः और सात नवम्बर को कूच बिहार के पास गोले बरसाए जिसका जवाब हमारे जवानों ने भी गोले दाग कर दिया । त्रिपुरा तथा असम के कई इलाकों में पाकिस्तानी दलालों ने वास्तुदी सुरंगों विछाने के असफल प्रयत्न किए थे । प्रवक्ता ने बताया कि पूर्वी सीमा-क्षेत्र में पाकिस्तानी दलाल सक्रिय हैं पर इसका मतलब यह नहीं कि उनकी कारंवाइयां बहुत बड़े पैमाने पर हो रही हैं ।

१२ नवम्बर को एक सार्वजनिक सभा में बाबूजी ने घोषणा की कि अगर विश्व ने वंगला देश के शरणार्थियों को सुरक्षित घर लौटाने की व्यवस्था न की तो भारत उचित कारंवाई करने को बाध्य होगा । बाबूजी ने बताया कि शरणार्थियों के भारी संख्या में भारत ला जाने से 'गरीबी हटाओ' कार्यक्रम में बहुत रुकावट पड़ी है । याह्या खां के उन वक्तव्य का, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत की सेना के पास अधिक प्रशिक्षण और हथियार हैं, उल्लेख करते हुए बाबूजी ने कहा कि मैंने अपने जवानों को कह दिया है कि यदि लड़ाई हम पर थोपी गई तो हमें ऐसी सेना ले लड़ना होगा जिसका जनरल हमारी नैनिक बरिष्ठता को मान चुका है । भुट्टो की पैकिंग यात्रा को भी बाबूजी ने पाक की कम-जोरी का सूचक बताया ।

भारतीय संसद का शीतकालीन अधिवेशन १५ नवम्बर में सारम्भ हुआ । इसी दिन बाबूजी ने लोकसभा में अपने दृढ़ निश्चय की पुनः घोषणा की कि अगर आक्रमण हुआ तो युद्ध शत्रु की भूमि पर लड़ा

जाएगा। इन्होंने घाषणा की कि किसी भी आक्रमण को परास्त करने और युद्ध को आक्रमणकारी की भूमि पर ले जाने के लिए भारत दृढ़-प्रतिज्ञ है। साथ ही इन्होंने यह भी कहा कि भारतीय सेना सीमा से तब तक नहीं हटेगी जब तक बंगला देश का कोई ऐसा संतोषजनक समाधान नहीं निकाल पाता कि शरणार्थी अपने घरों को सम्मानपूर्वक वापस लौट सकें। बाबूजी ने उक्त बातें भारत की सीमा पर पाक सेनाओं के जमाव पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में कहीं। बाबूजी ने बताया कि वास्तव में सीमा पर स्थिति बहुत गम्भीर है। अपनी वस्त्रबन्द सेना को पाकिस्तान ने सीमा पर पूरी ताकत से आक्रमण करने के लिए तैयार खड़ा रखा है। हमारे हवाई अड्डों पर अचानक पाकिस्तानी हमले की योजना की भी सूचनाएं मिली हैं। इस परिस्थिति में इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं था कि हम भी अपनी सेनाओं को पश्चिमी सीमा पर भेज दें। आज हमारी सेना सभी परिस्थितियों का मुंहतोड़ उत्तर देने के लिए पूरी तैयारी के साथ खड़ी है। हमारे जवानों के साथ ही सीमा क्षेत्रों की जनता कामनोवल काफी ऊंचा है। तोड़-फोड़ करने वाले तत्त्वों और हवाई हमलों से नुसकान न पहुंचे इसके लिए महत्त्वपूर्ण स्थानों और प्रतिष्ठानों की रक्षा के लिए कदम उठाए जा चुके हैं। पाकिस्तानी सैनिक शासकों को सचेत करते हुए बाबूजी ने कहा कि उन्हें पिछले इतिहास से सबक लेना चाहिए। लगभग एक करोड़ शरणार्थियों को भारत में बकेले जाने को बाबूजी ने नये तरह के आक्रमण का संज्ञा दी।

श्री एस० एम० वनर्जी (कम्यु०) के सवालों का जवाब देते हुए बाबूजी ने कहा कि सैनिकों को सीमा पार न करने का निर्देश है। लेकिन जब युद्ध भड़केगा तो हमारी सेना सीमा पार करेगी और तब युद्ध दुश्मन की भूमि पर लड़ा जाएगा।

पाक विमानों द्वारा हमारी वायु सीमा के उल्लंघन की चर्चा करते हुए जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी (जनसंघ) ने पूछा कि दुश्मन विमानों को मार गिराने का आदेश दिया गया है कि नहीं तब बाबूजी ने

उत्तर दिया कि भारतीय वायु सेना को सीमा में घुसने वाले विमानों को मारकर गिरा देने का आदेश दे दिया गया है। वावूजी ने कहा कि जहाँ तक शरणार्थियों के लौटकर अपने घरों को जाने का प्रश्न है तो उन्हें वापस जाना ही होगा। पर वे तभी जाएंगे जब बंगला देश की समस्या का कोई ऐसा समाधान हो जो वहाँ के निर्वाचित प्रतिनिधि स्वीकार करें और वे स्पष्ट कर चुके हैं कि स्वतन्त्रता से कम वे कुछ नहीं मानेंगे। कुछेक सदस्यों के बंगला देश की मान्यता के प्रश्न का उत्तर देते हुए वावूजी ने कहा कि उपयुक्त समय आने पर मान्यता दे दी जाएगी।

बंगला देश में पाकिस्तानी उपनिवेशवादी सैनिकों के दमन चक्र की गति तेज़ होती जा रही थी। मुक्तिवाहिनी की मार से वह काफी परेशान थी फिर भी दमन के रंग-विरंगे कार्य किए ही जाते थे। फौजी शासकों ने ढाका में कर्फ्यू लगा दिया और सारे यातायात को रोकनागरिकों को घरों में बन्द कर घर-घर की तलाशी ली। रेडियो पाकिस्तान के अनुसार आनाकानी करने वाले चार व्यक्तियों को गोली से उड़ा दिया गया। १७ नवम्बर को सवेरे रेडियो ढाका ने घोषणा की कि सभी व्यक्ति हथियारों को अपने घरों के सामने जमा कर दें। वी० वी० सी० के अनुसार ढाका के छः जिलों में त्रिगेडियरों का नियन्त्रण हो गया। पाकिस्तान रेडियो के अनुसार कर्फ्यू उठाने का समय ब्राह्मण रात को था। मुक्तिवाहिनी का काफी भारी दबाव पाक सैनिकों पर पड़ रहा था। उनका दावा था कि उन्होंने काकस बाजार के पास पाक सेना का एक विमान मार गिराया था और विमान-चालक की मृत्यु हो गई थी। १२ नवम्बर को उन्होंने सिन्धु अंचल में सूनागंज के एक बड़े पुल को नष्ट कर दिया था। कुष्टिया जिले के दरमना रेलवे स्टेशन पर उन्होंने पाक मस्त्रास्त्र और सैनिकों ने भरी रेलगाड़ी को उड़ा दिया था।

१८ नवम्बर को वावूजी ने निर्दलीय सदस्य श्री ए० डी० मणि और कुछ अन्य सदस्यों के एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देते हुए सदन में उस मुद्दाव को अनान्य कर दिया जिसमें मोमा क्षेत्र में नाग-

रिकों को हटा लिए जाने की बात कही गई थी। बाबूजी ने कहा कि इस तरह की बातें उन लोगों के प्रति अन्याय है, जिनका मनोबल भारी खतरे के होते हुए भी बहुत ऊंचा है। सीमा पर नागरिक जनसंख्या के रहने से सैनिकों का साहस भी बढ़ता है। विदेशियों के सीमा पार आने-जाने पर कुछ रोक लगाने पर सरकार द्वारा विचार किए जाने की बात भी बाबूजी ने बताई। पश्चिम में हुसैनीवाला सीमा से उस साल बड़ी अधिक संख्या में भारत में विदेशी नागरिकों के प्रवेश करने की बात को इन्होंने ठीक बताया। इन्होंने कहा कि साधारणतया हर साल इन दिनों पाकिस्तान की ओर से काफी विदेशी नागरिक भारत में आते हैं, पर इस वर्ष असामान्य संख्या में वे आ रहे हैं। जहां तक विदेशी पत्रकारों का सम्बन्ध है, जो भारत, बंगला देश और पाकिस्तान की स्थिति का अध्ययन करने आते हैं, उन्हें सुविधाएं दी जाएंगी। इसलिए कोई योजना सूचना व प्रसारण मन्त्रालय बना रहा है।

क्षेत्रीय सेना की २२वीं वर्षगांठ के अवसर पर २० नवम्बर को आकाश वाणी समाचार संदेश में बाबूजी ने अपील की कि अधिक-से-अधिक लोगों को क्षेत्रीय सेना में भर्ती होना चाहिए। क्षेत्रीय सेना की वर्षगांठ परम्परागत ढंग से नहीं मनाए जाने की चर्चा करते हुए बाबूजी ने कहा कि इसका कारण है कि क्षेत्रीय सेना की टुकड़ियां कई तरह के कार्यों में लगी हुई हैं। उड़ीसा के तूफान पीड़ित लोगों की भी सेवा क्षेत्रीय सेना के जवानों द्वारा हो रही है। इन्होंने बताया कि क्षेत्रीय सेना नागरिकों का एक स्वयंसेवी संगठन है। मुख्यतः अंशकालिक सैनिकों के रूप में लोगों की भर्ती की जाती है और उनके खाली समय में उन्हें सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

२२ नवम्बर को भारतीय बहादुर जवानों ने पाकिस्तान के तीन लड़ाकू विमानों को मार गिराया जो हमारे पूर्वी क्षेत्र में घुस आए थे। तीनों पाक चालक हिरासत में ले लिए गए थे। जिन बहादुर भारतीय चालकों ने अपने विमान नेट से सैंवरजेट मार गिराए थे उनके नाम हैं—फ्लाइट लेफ्टिनेंट श्री आर मंसी इनकी उम्र २८ वर्ष है, फ्लाइट

लेफ्टिनेंट श्री एम० ए० गणपति इनकी उम्र २६ वर्ष है और तीसरे प्लाईंग आफिसर डी० लजारस हैं। इतनी कम उम्र में इन्होंने जो कार्य किए वह भारत के साहस और शौर्य का परिचायक है।

२३ नवम्बर को वावूजी दिल्ली से बाहर थे। पाकिस्तान के तीन सैवरजेट विमान के मार गिराए जाने का शुभ संवाद २३ नवम्बर को संसद में रक्षा-उत्पादन मन्त्री श्री विद्याचरण शुक्ल द्वारा दिया गया। वावूजी इलाहाबाद गए हुए थे। श्री शुक्ल ने संसद में बताया कि यह घुसपैठ २२ नवम्बर की शाम को कलकत्ता से तीस मील दूर उत्तर-पूर्व में बोरवा के समीप की गई थी। लगभग दो बजे चार सैवरजेट हमारी सीमा की ओर आते हुए दिखाई पड़े और चार नैट विमानों को आदेश दिया गया कि वे सामना करें। वे पाकिस्तानी विमान भारतीय वायु-सीमा के पांच किलोमीटर अन्दर प्रवेश कर गए थे। उनका नामना सफलतापूर्वक किया गया और उस सामने में चार में से तीन विमान मार गिराए गए। पाक चालक पैराशूट के सहारे उतरे। तीनों पाक चालक भारत की हिरासत में हैं और उन्हें कलकत्ता भेज दिया गया है। भारतीय नैट विमानों को कोई क्षति नहीं पहुंची।

सीमा पर नई रक्षा-व्यवस्था कर दी गई थी जिसके अनुसार भारत-पाक की पूरी सीमा पर हमारे लड़ाकू विमान लगातार आकाश में उड़ते रहे जिसमें सीमा का अतिक्रमण करने वाले पाकिस्तानी विमानों को देखते ही मार कर गिरा दिया जाय। इसी व्यवस्था के अन्तर्गत सैवरजेट को पं० बंगाल में मारकर गिराने में सफलता मिली थी। पहले रेडार यन्त्रों से सूचना मिलती थी तब हमारे लड़ाकू विमान अतिक्रमणकारी विमानों का पीछा करते थे। रेडार से सूचना मिलने के बाद विमानों को उड़ने में समय लग जाता था जिसके कारण अतिक्रमणकारी विमान भाग निकलने में सफल हो जाते थे।

२३ नवम्बर को पाक के नदर पाह्या ग्रां ने पाकिस्तान में आयात-कालीन स्थिति की घोषण कर दी। पाक रेडियो ने कहा कि राष्ट्रपति अधिघोषणा में कहा गया है कि आक्रमण के भय ने देश में गम्भीर



स्थिति हो गई है। रेडियो पाकिस्तान ने कहा कि सदर यह समझते हैं कि ऐसा संकट काल आ गया है जिसमें देश पर बाहरी आक्रमण का खतरा है। जब भारत ने उनके चार विमानों को मार गिराया तो पाकिस्तानी सदर याह्या को संकटकालीन घोषणा करके अपने हाथों में और अधिक अधिकार कर लेने की सूझी। वैसे उनके विमान बार-बार भारतीय वायु-सीमा का अतिक्रमण करते रहे, तब तक उन्हें कुछ नहीं सूझता था। संकटकालीन स्थिति की याह्या की घोषणा में एक रहस्य यह भी था कि वह दुनियां की आंखों में धूल भोंक कर भारत को आक्रामक सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहे थे। पर विश्व की नजरों के सामने स्पष्ट था कि उनके चारों लड़ाकू विमान भारतीय क्षेत्र में मारे गए थे। मुक्तिवाहिनी की जोर की मार से भी पाकिस्तानी उपनिवेशवादी सदर परेशान थे। उन्हें साफ दिखाई देने लगा था कि उनकी उपनिवेशवादी नीति बंगला देश में असफल हो रही है। स्वाधीनता प्रेमी बंगला देशवासियों ने तय कर लिया था कि वे उपनिवेशवादी नीतियों को दफना देंगे। साथ ही विश्व का जनमत भी याह्या के विरुद्ध होता जा रहा था। इसमें उन्होंने आपत्कालीन घोषणा कर के एक नाटक खेलने को सोचा था। २५ नवम्बर को पाक सदर याह्या खां ने तखिला स्थित चीन की सहायता से स्थापित हैवी मशीनरी कारखाने का उद्घाटन करते हुए घोषणा की कि भारत-पाक संबंध बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं और उसके सुधार की कोई संभावना नहीं है। अपनी फौजी ताकत पर घमण्ड करते हुए पाकिस्तानी सदर ने कहा कि पाकिस्तान अपने सम्मान और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए समस्त फौजी ताकत का सहारा लेगा। रेडिया आस्ट्रेलिया ने बताया कि भुट्टो ने याह्या खां से रावलपिंडी में बात की और बातचीत के बाद भुट्टो ने बताया कि "पुराना पाकिस्तान खत्म हो चुका है। या तो हम नया पाकिस्तान बनायेंगे या फिर कयामत का सामना करेंगे।" उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सरकार बनाने की बातचीत राष्ट्रपति से हुई। मियां भुट्टो ने लड़ाई होने पर चीन द्वारा हर चीज मिलने की बात कही। रेडियो

पाकिस्तान की खबर के अनुसार पाक डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर नरुल अमीन ने याह्या खां से मुलाकात करने के बाद कहा कि राष्ट्रपति की विशेषज्ञ समिति एक ऐसा संविधान तैयार कर रही है जिसमें पूर्व बंगाल को अधिक से अधिक सहायता दी जाएगी। यह सब बंगला देश की जनता को भुलावे में रखने का नाटक रचा जा रहा था।

बंगला देश से मिलने वाले समाचारों के अनुसार महेशपुर मुक्तिवाहिनी द्वारा तीन तरफ से घिर चुका था। जशोहर (जैसोर), रंगपुर, कोमिल्ला और मैमनसिंह के क्षेत्रों में मुक्तिवाहिनी और पाक सेना के बीच घमासान युद्ध जारी था। जशोहर (जैसोर) क्षेत्र में मुक्तिवाहिनी द्वारा जीवन नगर मुक्त करा लिया गया था और वहाँ के एक सैनिक शिविर में पाक सेना को काफी क्षति उठानी पड़ी थी। कुण्डिया जिले में महत्वपूर्ण नगर महेशपुर पर मुक्तिवाहिनी के छापामारों ने तीन तरफ से हमला कर दिया था और उनकी गति आगे की ओर तेज थी। पाक रेडियो ने जशोहर (जैसोर) में मुक्तिवाहिनी के दबाव को स्वीकार किया। क्योंकि रेडियो पाकिस्तान ने जनता और सेना से अपील की कि जशोहर (जैसोर) को बचाने के लिए वह हर तरह की कुरबानी करे और सेना की जीत के लिए खुदा से इबादत करे।

बाबूजी ने २८ नवंबर को पूर्वी सीमा के कई स्थानों का दौरा किया। पाकिस्तान के साथ लगी हुई कई पूर्वी सीमा के अग्रिम मोर्चों का निरीक्षण करते हुए बाबूजी ने सेना के जवानों के नौरथ और साहस की भूरि-भूरि प्रशंसा की और देशवासियों को कहा कि जवानों के सतर्क रहते किसी देशवासी को घबराने की आवश्यकता नहीं। बाबूजी ने व्यक्तिगत रूप से उन जवानों को बधाई दी जिन्होंने २२ नवंबर को पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था। इन्होंने कुछ आहत जवानों और अधिकारियों से भी भेंट की। इसी दिन बाबूजी ने कलकत्ता के देशबंधु पार्क की एक विमान जनसभा में भाषण करते हुए कहा कि सरपाधियों के मुश्किल दौर से स्वदेश वापस जाने के एक नया रास्ता सीमा से अपने सैनिकों को हटाने के नयान पर विचार होगा। इन्होंने

कहा कि हम उन्हें मुजीबुर्हमान के वंगला देश को सुरक्षित वापस करेंगे, वल प्रयोग से याह्यया खां के पाकिस्तान में नहीं भेजेंगे। जब पाक अत्याचारों से पीड़ित एक करोड़ शरणार्थी भारत आये तब वे देश कहां थे जो आज भारत और पाकिस्तान से अपनी सीमाओं से सेनाएं हटाने को कहते हैं। आज उन्हें एशिया में शांति भंग हो जाने का भय लग रहा है। शरणार्थियों के आने से एक भारी बोझ भारत पर पड़ा। क्या इससे शांति भंग नहीं हुई थी? इन पर भारत के तीन करोड़ रुपये प्रतिदिन व्यय हो रहे हैं। पाकिस्तान ने बारम्बार गोलाबारी की तब भारत को भी अपनी सेना सीमा पर तैनात करनी पड़ी। इन्होंने पाकिस्तान को अन्तिम चेतावनी देते हुए कहा— “अगर पाकिस्तान ने हम पर युद्ध थोपा तो वह युद्ध पाकिस्तान की भूमि पर लड़ा जाएगा।” पूर्वी सीमाओं पर होने वाले भारत-पाक संघर्ष की बात भी इन्होंने कही। इन्होंने भारतीय सशस्त्र सेनाओं को दिए गए निर्देश की चर्चा करते हुए कहा कि सशस्त्र सेना को पाकिस्तानी तोपों को शांत करने के लिए सीमा पार करने का निर्देश दिया जा चुका है। उनकी गोलाबारी से सीमा पर भारतीय मर रहे हैं और काफी क्षति हो रही है। इन्होंने कहा कि मैंने उन पाकिस्तानी टैंकों को देखा है जो नष्ट कर दिए गए हैं या पकड़ लिए गए हैं।

२६ नवम्बर की शाम को सरकारी प्रवक्ता ने नई दिल्ली में बताया कि गत शनिवार से पूर्वी बंगाल में दो-तीन मील अन्दर हिली-वालुर-घाट क्षेत्र में भारत-पाक सेना में लगातार युद्ध जारी है। प्रवक्ता ने इसे युद्ध का दूसरा चरण बताया। पाकिस्तान के १८ टैंक तोड़े जा चुके हैं। हमारे सिर्फ एक टैंक को हिली क्षेत्र में वारूदी सुरंग से क्षति हुई है। हिली क्षेत्र में हताहत हुए पाकिस्तानियों की संख्या १६० थी और बीस भारतीय हताहत हुए थे। एक प्रश्नोत्तर में प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय सेना आत्मरक्षा के लिए पूर्व बंगाल में गयी और अगर रक्षा की दृष्टि से आवश्यक हुआ तो हमारी सेना पूर्व बंगाल में ही रहेगी। अभी हिली के संघर्ष में वायुयानों का प्रयोग नहीं किया गया

है। प्रवक्ता ने बताया कि हमारी स्थल सेना पर अगर पाकिस्तानी विमान हमला करेंगे तो हमें भी अपने वायुयानों का प्रयोग करना पड़ेगा। सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तानी सैवरजेट विमानों को मार कर गिरा दिए जाने के बाद से पाकिस्तान ने फिर अपने सैवर जेटों का भारतीय सेना के विरुद्ध उपयोग नहीं किया है। सरकारी प्रवक्ता ने विदेशी संवाददाताओं के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि यह लड़ाई 'स्थानीय कार्रवाई' है और भारत इसे युद्ध नहीं मानता। त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल सीमा की अनेक जगहों पर पाकिस्तानी गोले बरसाते रहे हैं। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पश्चिम बंगाल में गंगारामपुर और पतिराम के ऊपर हमारी चौकियों पर पाकिस्तानियों ने गोलियां चलायीं लेकिन हमारा कोई जवान आहत नहीं हुआ। २६ नवम्बर को बसीरहाट के उत्तर-पूर्व में हमारे सीमा-गश्ती-दस्ते पर पाकिस्तानी फौजों ने गोलियां चलायीं पर हमारे जवानों को कोई नुकसान नहीं हुआ। २७ नवम्बर को त्रिपुरा में सोनामूरा के पश्चिम में दोनों ओर से गोली चली जिसमें कुछ पाकिस्तानी हताहत हुए। हमारे जवान सुरक्षित हैं। २६ नवम्बर को राधाकिशोर पुर के पश्चिम में दोनों ओर से गोली चली। उसी दिन हमारी चौकी पर, जो कमालपुर के उत्तर-पूर्व में स्थिति है, पाक सेना ने गोली चलायी। पश्चिमी अंचल में खेमकरण के उत्तर में हमारे क्षेत्र में, पाकिस्तानी पंजाबी रेजीमेंट का एक सिपाही घुस आया जिसे हमारे जवानों ने हिरासत में ले लिया। हमारे क्षेत्र जम्मू-कश्मीर में नौमिरा के दक्षिण में एक पाकिस्तानी रजाकार घुस आया था जिसे हमारे सैनिकों ने गोली मार दी। पाकिस्तानियों ने युद्ध विराम का पांच बार उल्लंघन किया। पाकिस्तानियों ने तीन बार कारगिल में तथा दो बार मेंडर अंचल में युद्ध-विराम का उल्लंघन किया जिसकी नियंत्रण संयुक्त राष्ट्र संधि के प्रेक्षकों ने कर दी गयी।

दावूजी ने १ दिसम्बर को कांग्रेस लोकदीप पार्टी की कार्य-समिति की बैठक में बताया कि मुक्तिवाहिनी को मानदार विजय प्राप्त हो गयी

है। मुक्तिवाहिनी जशोहर (जैसोर) के नजदीक पहुंच गयी है। बाबूजी ने कहा कि यदि जशोहर (जैसोर) का पतन हो जाएगा तो स्वतन्त्र बंगला देश की स्थापना के लिए मुक्तिवाहिनी का संघर्ष निर्णायक दौर में पहुंच जाएगा। ढाका और चटगांव में भी मुक्तिवाहिनी सक्रिय है।

१. दिसम्बर की शाम को एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पूर्वी बंगाल के हिली कस्बे के उत्तर में भारत के नियन्त्रण में कई पाकिस्तानी ठिकाने हैं। हिली से उत्तर जाने वाली रेल लाइन काट दी गई है। प्रवक्ता ने बताया कि पाक सेना का एक ब्रिगेड इस क्षेत्र में है। पाक सेना का भारी जमाव और भारतीय नागरिक क्षेत्रों पर लगातार पाक गोलावारी की वजह से भारत को रक्षात्मक कार्रवाई करनी पड़ी। प्रवक्ता ने बताया कि पाकिस्तान के हाथ में हिली स्टेशन रहने पर भी कोई रेल स्टेशन से न उत्तर की ओर जा सकती है और न दक्षिण की ओर ही। एक विदेशी पत्रकार का उत्तर देते हुए प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में पाकिस्तानी तोपों का केवल मुंह बन्द कर देने का सीमित उद्देश्य भारतीय सेना का है। हिली कस्बे का आधा भाग भारतीय क्षेत्र है और आधा पाकिस्तानी। रेलवे स्टेशन पाकिस्तानी कब्जे में है। त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के कई नागरिक क्षेत्रों पर पाक सेना ने गोलावारी की है। रानाघाट के दक्षिण-पश्चिम में २६ नवम्बर की रात को पाक सेना ने गोलियां चलायीं। जवाब देने के लिए हमारे सीमा-रक्षक-दल ने भी गोलियां चलायीं। एक पाकिस्तानी की मृत्यु हुई और दो আহत हुए। हमारा कोई जवान घायल नहीं हुआ। ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण स्थान प्लासी के दक्षिण-पूर्व में भारतीय गश्ती दस्ते पर पाकिस्तानियों ने गोली चलायी। जवाबी कार्रवाई में भारतीय जवानों ने भी गोली चलायी। उसी दिन पाक सेना ने हिली स्थित हमारी एक चौकी पर तोपों से गोले बरसाये जिसका यथोचित उत्तर हमारी तोपों ने भी दिया। पाक-सेना ने त्रिपुरा-कछार अंचल के मनुवाज्जार के पश्चिम में हमारे मोर्चे पर राकेट तथा टैंक-तोड़क गोले दागे। उसी दिन पाक-सेना ने सोनमारा के दक्खिनी क्षेत्र पर भी गोले

चलाये पर कोई क्षति नहीं हुई। पाकिस्तानियों ने कमलपुर की हमारी सीमा चौकी पर २८ नवम्बर को दो इंच मोर्टार से गोले छोड़े जिसका यथोचित उत्तर हमारे जवानों ने भी दिया। पश्चिमी अंचल के जम्मू-कश्मीर में मेंढर के निकट दो स्थान पर युद्ध-त्रिराम-रेखा के पार से पाकिस्तानियों ने गोलियां चलाईं। एक प्रश्नोत्तर में प्रवक्ता ने कहा कि जिन दो पाक विमानों ने डेरा बाबा नानक कसूरवाला पर अतिक्रमण किया था वह एक साधारण घटना थी पर उससे पश्चिमी सीमा पर आक्रमण करने की पाक इच्छा का संकेत मिलता है।

२ दिसम्बर को पुनः पता चला कि पाकिस्तानी सैबरजेटों ने अगरतल्ला नगर तथा पास के इलाकों पर २४ घंटे से लगातार गोले बरसाये। पाकिस्तानी अतिक्रमणकारियों को जवाब देने के लिए अगरतल्ला के भारतीय सेनापति को आदेश दिया गया कि पाकिस्तानी तोपों का मुंह बन्द कर दें और पूर्व बंगाल में घुसकर रक्षात्मक कार्रवाई करें। रक्षा-मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार दोपहर साढ़े बारह बजे भारतीय सीमा में घुसकर तीन पाक सैबरजेटों ने अगरतल्ला हवाई अड्डे के चारों ओर के इलाके में गोलियां बरसाईं। विमान भेदी तोपों की कार्रवाई में एक पाक विमान को गोला लगा और दो विमान भाग गए। रक्षा-मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया था कि पाकिस्तानी सेना अगरतल्ला हवाई अड्डे और नगर पर २४ घंटे से गोले बरसा रही थी। फलस्वरूप काफी संख्या में नागरिक हताहत हुए।

३ दिसम्बर को वावूजी ने पटना के गांधी मैदान की विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा था कि चाहे पूर्वी क्षेत्र से या पश्चिमी क्षेत्र से भारत पाकिस्तान के दांत खट्टे करके रहेगा। इन्होंने आश्वासन दिया कि हम देश की अखंडता और उसकी प्रतिष्ठा को आंच नहीं आने देंगे। वावूजी ने सबको हँसाते हुए कहा कि अगर दुनिया के सबसे अधिक परेशान व्यक्ति से आप भेंट करना चाहते हों तो पाकिस्तानी प्रेसीडेंट यहिया खां से भेंट करें। इन्होंने कहा कि कुछ लोगों को आज भारत-पाक संघर्ष से एशिया में शांति भंग होने का भय

लेगे नहीं हैं। पर मैं पूछता हूँ कि वे उस दिन कहाँ थे जब पाकिस्तान ने एक करोड़ व्यक्तियों को अपने अत्याचार और दमन का शिकार बनाकर भारत में भेज दिया था। उनके आ जाने से भारत पर हर तरह का एक बड़ा बोझ आ गया है। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच बाबूजी ने कहा कि मुझे पुनः एक बार दोहरा लेने दीजिए कि अगर पाकिस्तान ने हम पर युद्ध थोपा तो वह युद्ध पाकिस्तान की भूमि पर लड़ा जाएगा।

( ५ )

बाबूजी की चेतावनी के बाद भी मदान्ध पाकिस्तान नहीं माना। बाबूजी पटना में ही थे कि उसने अचानक भारत पर आक्रमण कर दिया। उसके विमानों ने लगभग साढ़े पांच बजे पश्चिमी भारत में श्रीनगर से आगरा तक के १० हवाई अड्डों पर खुली बमबारी की। पंजाब के हलवाड़ा हवाई अड्डे पर तथा अमृतसर और आगरा के पास दुश्मन के तीन विमान मार गिराये गये। पाकिस्तानी वायुसेना ने श्रीनगर, अवन्तीपुर, पठानकोट, अमृतसर, फरीदकोट, अम्बाला, आगरा तथा राजस्थान के उत्तरलाई हवाई अड्डों पर अकारण आक्रमण करके एक नया मोर्चा पश्चिम में खोल दिया। जम्मू-कश्मीर के पूँछ अंचल में युद्ध-विराम-रेखा पार करके भारी संख्या में पाक सेना घुस आई और पश्चिमी भारतीय सीमा की अनेक चौकियों पर गोलावारी शुरू कर दी। कई चेतावनियों के बावजूद भी पाकिस्तानी मदान्ध सत्ता की आंख नहीं खुली और उसने बड़े पैमाने पर भारत के साथ युद्ध शुरू कर दिया। बाबूजी तुरन्त पटना से दिल्ली पहुंचे और भारतीय सेनाओं को आदेश दिया कि पाक चुनौती का सामना करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये जाएं। इसके बाद पश्चिमी हवाई सेना के सेनापति एयर मार्शल इंजीनियर ने अपने हवावाजों को आदेश दिया कि वे दुश्मन को कमरतोड़कर दुश्मन को घुटने टेक देने को वाव्य कर दें।

आक्रमण के समय वावूजी पटना में थे और आक्रमण की रूपाते ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली पहुंचने के इन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लिया। मंत्रिमंडल की बैठक में तीनों सेनाध्यक्ष और रक्षा-सचिव सम्मिलित हुए। मंत्रिमंडल की बैठक में देश में आपत्काल की घोषणा का भी निश्चय लिया गया और इसके बाद राष्ट्रपति ने आपत्काल की घोषणा की।

इसके बाद वायुसेना के पश्चिमी कमान के एयर अफसर कमांडिंग-इन-चीफ एयर मार्शल श्री एम. एम. इंजीनियर ने घोषणा की कि “हमारे हवाई अड्डों पर पाकिस्तान ने जो आक्रमण किया वह ‘युद्ध’ है—तीसरी बार युद्ध छेड़ा गया है।” वायुसेना को उन्होंने आदेश दिया कि “पाकिस्तान की युद्ध-क्षमता को ध्वस्त कर दिया जाए।” अपनी कमान के नाम आदेश में उन्होंने कहा, “एक विवेकहीन दुश्मन ने सभ्य समाज के मानव मूल्यों के प्रति घोर घृणा प्रकट कर हमारे देश को युद्ध में धकेल दिया है। यह युद्ध का तीसरा दौर है और भावी पीढ़ी के प्रति हमारा यह कर्तव्य हो गया है कि हम उस शैतानी युद्ध-मशीनरी को ध्वस्त कर दें जिसने हमेशा भारत उपमहाद्वीप में शांति भंग की है।”

३ दिसम्बर की रात में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वावूजी ने घोषणा की कि पाकिस्तान ने भारत को लूँकारा है और उसे इसका उत्तर दिया जाएगा। वावूजी ने कहा कि पाकिस्तान की जो चुनौती मिली है उसका सामना करने के लिए सेना को सभी आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दे दिया गया है। पुरानी कांग्रेस के श्री गुरुपद स्वामी, समाजवादी नेता श्री एम. जी. गोरे और मार्क्सवादी नेता श्री गोपालन ने वावूजी से हाथ मिलाए और इनके विजय की कामना की।

३ दिसम्बर को पाकिस्तान ने हम पर आक्रमण किया और उसी दिन भारत-पाक की तीसरी लड़ाई आरम्भ हुई। पूर्वी और पश्चिमी दोनों क्षेत्रों में घमासान युद्ध जारी हुआ। पूर्व में भारतीय सेना बंगला देश को मुक्त कराने के लिए मुक्तिवाहिनी के साथ कंधे से कंधा मिला-



कर लड़ने लगी। पश्चिमी क्षेत्र में भी पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे करते हुए हमारी सेना आगे बढ़ने लगी। ६ दिसम्बर को भारत ने बंगला देश को मान्यता दे दी।

७ दिसम्बर को बाबूजी ने संसद में तुमुल हर्षध्वनि के बीच घोषणा की कि बंगला देश में पाकिस्तान की हवाई शक्ति विल्कुल ध्वस्त कर दी गई है और उस क्षेत्र में हमारी सेना का आधिपत्य हो गया है। बाबूजी ने जब घोषणा की कि भारतीय सैनिकों ने आज प्रातः जशोहर (जैसोर) हवाई अड्डे पर कब्जा कर लिया है तो सदस्यों ने हर्षध्वनि की। बाबूजी ने ढाका में राष्ट्रसंघ के विमान को हुई क्षति की चर्चा करते हुए कहा कि गत रात १० बजे के बाद ढाका पर कोई आक्रमण नहीं किया गया। इन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों को इस घटना से कुछ भी लेना-देना नहीं है। राष्ट्रसंघ जांच करे कि उसका विमान कैसे क्षतिग्रस्त हुआ है। बाबूजी ने सेना के तीनों अंगों की प्रशंसा करते हुए सदस्यों और सदन से कहा कि जिस क्षमता से तीनों सेनाएं मिल-जुलकर युद्ध कर रही हैं वह प्रशंसनीय है। बाबूजी ने कहा कि भारतीय सेना अब तक ६६ पाकिस्तानी टैंक और ५२ विमान ध्वस्त कर चुकी है और भारत के कुल २२ विमानों को क्षति हुई है। बाबूजी ने कहा कि पाक-विमान उड़कर भारतीय हवाई अड्डों पर आते हैं पर उनसे हुई क्षति नगण्य है। हवाई अड्डों की मरम्मत हो चुकी है और उपयोग प्रारम्भ हो गया है। उन्होंने कहा कि हम लोग पाकिस्तान की आक्रामक मशीनरी को पंगु बना देना चाहते हैं।

भारतीय सेना के बहादुर जवानों ने बंगला देश के जशोहर (जैसोर) को उपनिवेशवादी पाकिस्तानी शासकों के कब्जे से ७ दिसम्बर की शाम को मुक्त कर दिया। इसके बाद तीन ओर से हमारी सेना ढाका की ओर बढ़ने लगी। अब स्पष्ट था कि हमारे सैनिकों को ढाका मुक्त कराने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। जशोहर (जैसोर) पाकिस्तानी उपनिवेशवादियों का एक बहुत बड़ा गढ़ था। साम्राज्यवादियों को इस गढ़ पर काफी गर्व था। उसी दिन जशोहर के अलावे अन्य कई छोटे-

छोटे नगरों को मुक्त कराने के साथ-साथ भारतीय जवानों ने पूर्वी जिले की राजधानी सिलहट को भी पाक चंगेजी फौजों के पंजों से मुक्त करा दिया। हमारे बहादुर जवानों ने, हेलीकोप्टरों से उतरकर सिलहट नगर पर कब्जा कर लिया। पश्चिमी मोर्चे के छम्ब क्षेत्र में हमारे जवानों को कुछ पीछे हटना पड़ा था। इसका कारण दो डिवीजन पाक सैनिकों तथा उसकी दो ब्रिगेड टैंकों और भारी तोपों का भारी दबाव था। केवल छम्ब को छोड़कर जम्मू-कश्मीर के अन्य अंचलों में युद्ध-विराम-रेखा को पीछे छोड़कर हमारे जवान विजय का झंडा गाड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। मेंढर अंचल में पाकिस्तानी आजाद कश्मीर के काफी इलाके वास्तव में आजाद करा लिए गए। हमारी सेना के बहादुर जवानों ने कई दिशाओं से हमला करके पाकिस्तानी सिन्ध हैदराबाद डिवीजन के पांच महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा कर लिया था। साथ ही पाकिस्तानी सीमा में ५० किलोमीटर अन्दर प्रवेश कर गए थे। हमारे बहादुर हवावाजों ने रात-दिन एक करके युद्ध को पाकिस्तान के मध्य तक पहुंचा दिया था। केन्द्रीय वायु कमान अव्यक्ष एयर वाइस मार्शल श्री एम. वेकर ने भारतीय जनता को आश्वासन दिलाया कि हम पाकिस्तानी युद्ध-मशीनरी पर तब तक वार करते रहेंगे जब तक वह पूरी तरह बेकार नहीं हो जाती।

भारतीय वायुसेना ने ८ दिसम्बर को उपनिवेशवादी पाकिस्तानी वायुसेना का बंगला देश में खात्मा कर दिया। अपनी कार्रवाई के पांचवें दिन भारतीय वायुसेना ने यह अनोखा काम किया। वायुसेना के खात्मे के साथ-साथ पाकिस्तानी पैदल सेना के भी पांच और जल्दी उखड़ने लगे। पत्रकारों से बात करते हुए पूर्वी हवाई कमान के अध्यक्ष एयर मार्शल श्री दीवान ने बताया कि आज अपने आक्रमण में भारतीय वायुसेना ने दो अंतिम पाकिस्तानी सैवरजेटों को नष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा गर्व है। हमारे हवावाजों ने अपना कमाल दिखा दिया है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के १७ विमान बंगला देश में मार गिराए गये। भारतीय सेना के सिर्फ पांच विमान

नष्ट हुए। बंगला देश में भारतीय पैदल सेना ने ब्राह्मणवाड़िया और कोमिल्ला हवाई अड्डे पर कब्जा कर लिया और कालीगंज अंचल के एक महत्त्वपूर्ण संचार केन्द्र मगुरा पर भी कब्जा हो गया। भारतीय नौसेना के विमानों की बमवारी में पाक विमानों और रेलवे को काफी हानि हुई।

पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय सेना काफी तेजी से आगे की ओर बढ़ रही थी। पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर भारतीय वायु सेना के विमानों ने ७ दिसम्बर की रात से लेकर आठ दिसम्बर की सुबह तक छह बार आक्रमण किया था। फिरोजपुर के इलाके में भारतीय सैनिकों ने पांच पाकिस्तानी टैंक बर्बाद किए थे। छम्ब में भारतीय सेना के बहादुर जवान मुनव्वर नदी के पूर्व स्थित चौकियों पर डटे हुए थे और पाकिस्तान अपनी चार बटालियन सेना को वहां लड़ा रहा था। डेरा बाबा में भारतीय फौजों ने पाक सेना को मारकर पीछे ढकेल दिया था और पाकिस्तान को गहरी क्षति उठानी पड़ी थी। छम्ब क्षेत्र में पाकिस्तान का दबाव पूर्ववत् बना हुआ था। पूंछ क्षेत्र में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों की छह चौकियों पर से भगा दिया था। यहां शत्रुओं के आक्रमण को मुंहतोड़ उत्तर मिल रहा था।

८ दिसम्बर की रात को भारतीय नौसेना ने इतिहास के सबसे साहसपूर्ण हमले किए। भारतीय नौ सेना ने अपने दूसरे विशाल हमले में कराची से ईरान की सीमा तक के मकरान तट पर पाक नौ सेना की समाप्ति कर दी। भारतीय नौ सेना के इस हमले ने पाक नौसेना के मेरु-दण्ड का कचूमर निकाल दिया। पाक नौसेना समुद्री तट से हमला करने में असमर्थ हो गई। ५ दिसम्बर को भारतीय नौ सेना ने पहला विशाल हमला किया था जिसमें तीन पाक युद्धपोत डुबोये जा चुके थे। भारतीय नौ सेना के युद्धपोत अपने दूसरे हमले में कराची बन्दरगाह में ५ मील अन्दर घुस गए। पाकिस्तान के चार युद्धपोत और एक अज्ञात जहाज नष्ट कर दिए गए थे या डुबो दिए गए थे। भारतीय नौ सेना ने कराची से ईरान की सीमा तक ३०० मील लम्बे तट पर

पाकिस्तान के सैनिक प्रतिष्ठानों को खाक में मिला दिया था। खूबी यह कि भारतीय नौ सेना को कोई क्षति नहीं हुई थी। भारतीय नौ सेना के इस दूसरे विशाल हमले के सम्बन्ध में पश्चिमी नौ सेना कमान के सेनापति वाइस एडमिरल कोहली ने कहा, “यह कार्रवाई इसलिए की गई कि जिससे पाकिस्तान को यह स्पष्ट हो जाय कि समुद्र पर भारतीय नौ सेना का अधिकार है और यह जहां चाहे जा सकती है।” बंगला देश में भी भारतीय नौ सेना और वायु सेना ने अपने तूफानी हमले में विभिन्न नदियों में पाकिस्तानी १०० जहाज, स्टीमर, गनबोट तथा मोटर बोट को नष्ट करके डुबो दिए। बंगला देश से इन जहाजों, स्टीमरों, गनबोटों और मोटरबोटों में पाकिस्तानी सैनिक साज-सामान के साथ भाग रहे थे। पाकिस्तान का ‘धर्म-रक्षक’ गाज़ी तीन दिसम्बर को ही डुबो दिया गया था। विशाखापट्टनम के पास धर्मनिरपेक्ष भारतीय नौ सेना ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी पन-डुब्बी ‘गाज़ी’ डुबो दी थी। ‘गाज़ी’ का अर्थ होता है ‘धर्म का रक्षक’। पाकिस्तान की एक छोटी पनडुब्बी पहले ही डुबोयी जा चुकी थी।

भारतीय सैनिकों ने बिना गोलाबारी किए पंजाब देश में जशोहर (जैसोर) हवाई अड्डे और छावनी को पाकिस्तानी सेना से मुक्त कर दिया। जशोहर (जैसोर) छावनी में भारतीय सैनिकों की भारी संख्या में सैनिक साज-सामान प्राप्त हुए।

भारतीय सेना के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान के सियालकोट क्षेत्र में अन्दर घुसकर दुश्मन के ७० वर्ग किलोमीटर इलाके को अपने कब्जे में कर लिया।

कराची बन्दरगाह के निकट पाकिस्तानी चार जहाज डुबो दिए गए या उनको गहरी क्षति पहुंचाई गई। पाकिस्तान के एक मालवाहक जहाज ‘मधुमति’ को हिरासत में ले लिया गया।

पाकिस्तान का एक लड़ाकू विमान ओखा के निकट मार गिराया गया। सुबह नौ बजे श्रीनगर हवाई अड्डे पर पाकिस्तानियों ने हमला

किया पर कोई क्षति नहीं हुई। पाकिस्तानी विमानों ने कच्छ और वाड़मेर पर भी आक्रमण किए और बीकानेर तथा जोधपुर हवाई अड्डों पर भी बमबारी की थी। पाकिस्तानी लड़ाकू जेट विमानों ने आदमपुर पर भी तीन बार आक्रमण कर बमबारी की और आलमगीर गांव पर भी बम बरसाये जिससे पांच व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और सात घायल हो गये। पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों के पठानकोट पर भी कई बार हमले हुए पर उससे नुकसान नहीं हुआ। पूंछ क्षेत्र में पाकिस्तान की सेना एक स्थान पर अटक गई थी और उनके तोप खामोश थे। जम्मू-माधोपुर (पंजाब) क्षेत्र में आगे बढ़ने वाली भारतीय सेना पाकिस्तानी गांव दरमान, दहलारा और बाड़ी के निकट पहुंच गयी थी। बढ़ते हुए भारतीय सैनिकों ने लद्दाख की राजधानी लेह को जाने वाली सड़क पर 'फाइव हाइट्स' नामक जगह को अपने अधीन कर लिया था।

भारतीय सेना के बहादुर जवानों ने ११ दिसम्बर को छम्ब में पाक सैनिकों पर एक बड़ा आक्रमण करके उसे मुनव्वर तवी नदी के पश्चिमी किनारे पर धकेल दिया। इसके पहले पाकिस्तानी सेना ने १० दिसम्बर को छठा बड़ा हमला किया था जिसमें उसे काफी नुकसान हुआ। पाकिस्तान का एक भी सैनिक मुनव्वर तवी नदी के पूर्वी किनारे पर नहीं रह पाया। इस युद्ध में भारतीय वायु सेना ने सुन्दर योगदान दिया। हमारी वायु सेना ने पैदल सैनिकों को बड़ी कुशल और सफल सहायता की। इस क्षेत्र में पाक विमानों से हुई लड़ाई में भारतीय सेना ने एक पाकिस्तानी मिराज को मार गिराया। कायर पाक वायु सेना ने छम्ब से छह मील पूर्व स्थित जोड़ियां में एक गैर-सैनिक अस्पताल पर बम बरसाये जिससे सात व्यक्तियों की मृत्यु हुई और अनेक আহत हो गए। बंगला देश के दक्षिण पश्चिम स्थित प्रमुख नगर कुष्ठिया को भारतीय सैनिकों ने पाक-सेना के चंगुल से मुक्त कर दिया। इसके साथ ही अन्य कई महत्वपूर्ण स्थानों के साथ भारतीय सेना और मुक्तिवाहिनी ने मिलकर नोआखाली को आजाद

करा लिया । यह वही नोआखाली है जहां हिन्दू और मुसलमान दोनों के रक्त की नदी बही थी । बंगला देश के उत्तर में जमालपुर के महत्त्वपूर्ण स्थानों को भी भारतीय सेना ने स्वाधीन करा दिया जहां ५८१ पाक फौजों ने हमारे बहादुर जवानों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिए । मुक्तिवाहिनी और हमारे बहादुर जवानों ने मैमनसिंह को पाकिस्तानी पंजों से छुड़ा लिया था । पाकिस्तानी सेना को भुलावा देकर भारतीय सेना के बहादुर जवानों ने अचानक हमला बोलकर बंगला देश के दो महत्त्वपूर्ण स्थानों को मुक्त करा दिया । लगभग दो हजार पाक सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया । मुक्तिवाहिनी के सहयोग से भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों को मेघना नदी के पूर्व खदेड़ दिया था । भागने वाली पाक सेना ने गंगा के हार्डिंग पुल को उड़ा दिया । बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक आत्मसमर्पण करने लगे थे । पाकिस्तानी सेना को पीछे खदेड़ते हुए भारतीय सैनिक छम्ब क्षेत्र में मुनव्वर तवी नदी के पश्चिमी तट पर स्थित शत्रु की छावनियों तक पहुंच गए थे । भारतीय सेना जैसलमेर क्षेत्र में पाकिस्तान के इलाके में छह किलोमीटर अन्दर तक घुस गई थी और ५ टैंक तथा ५७ गाड़ियों को नष्ट कर दिया था । स्यालकोट क्षेत्र में तीन पाकिस्तानी टैंक नष्ट कर दिए गए थे और एक पैटन टैंक पर हमारे बहादुर जवानों ने अधिकार कर लिया था । यहां ३० टन गोला बारूद पकड़ा गया । पाकिस्तानी दो चौकियां नंगी टेकरी और जंगली टेकरी को पूंछ क्षेत्र में हमारे बहादुर जवानों ने अपने अधिकार में कर लिया था । कारगिल क्षेत्र की ६ चौकियां भारतीय जवानों के अधीन हो गई थीं । साम्बा-पठानकोट इलाके में हमारे बहादुर जवानों ने ७ पाकिस्तानी टैंकों को ध्वस्त कर दिया था । पठानकोट और अमृतसर हवाई अड्डों पर पाकिस्तानी जट विमानों का आक्रमण जारी था । भारतीय नेट विमानों ने छम्ब क्षेत्र में पाकिस्तानी दो विमानों को मार गिराया था और दो को क्षति पहुंचाई थी । पंजाब में आक्रमणकारी के हवाई हमलों में ६० नागरिक की मृत्यु हो गई थी । जम्मू हवाई अड्डे पर भी हमलावर का हमला जारी था ।

भारतीय सेना बिना किसी रक्तपात के पाकिस्तानियों को आत्म-समर्पण करने के लिए कह रही थी। भारतीय वायुसेना द्वारा ८ दिसम्बर को ढाका में लाखों पर्चे फेंके गए जिनमें भागते हुए पाकिस्तानी सैनिकों से हथियार डालने को कहा गया था। भारतीय स्थल-सेनाध्यक्ष जनरल मानेक शाह ने भी लगातार बंगला देश स्थित पाक सेनाओं को चेतावनी दी कि वे अविलंब आत्मसमर्पण कर दें अन्यथा अनावश्यक उन्हें भारी जनहानि उठानी पड़ेगी। स्थल सेनाध्यक्ष मानेक शाह की यह चेतावनी आकाशवाणी से प्रसारित की गई। यह चेतावनी बंगला देश स्थित पाक-सेना तथा उपसैनिक प्रशासक मेजर जनरल फरमान अली के नाम जारी की गई अपील में दी गई थी।

११ दिसम्बर तक के युद्ध में पाकिस्तान को अपने ७७ विमान, १४१ टैंक, ३ युद्धपोत, २ पनडुब्बियां और गनबोट से हाथ धोने पड़े थे जबकि भारत के ३७ विमान और ५२ टैंक क्षतिग्रस्त हुए थे।

रक्षा-मन्त्रालय के प्रवक्ता ने १३ दिसम्बर को कहा कि आज शाम तक बंगला देश की राजधानी ढाका शहर भारतीय तोपों की मार के अन्दर आ गया है और अगले २४ से ४८ घंटों में भारतीय जवान ढाका पहुंच जाएंगे। प्रवक्ता ने बताया कि ढाका की ओर तीन तरफ से हमारे जवान बढ़ रहे थे। भारतीय सेना की एक टुकड़ी ने ढाका के उत्तर में तंगेल नगर को आजाद करा लिया था और हमारे सैनिक दस्ते जयदेवपुर तक पहुंच गए थे जो ढाका से सिर्फ १८ किलोमीटर दूर है। हमारा दूसरा सैनिक दस्ता उत्तर-पूर्व से भैरव बाजार की ओर बढ़ रहा था। तीसरा भारतीय सैनिक दस्ता मैमनसिंह से ढाका की ओर बढ़ रहा था। ढाका में जनरल फरमान अली के नाम भेजे गए अपने तीसरे सन्देश में भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष जनरल मानेक शाह ने पाक सेना से आत्मसमर्पण करने को कहा। ढाका में पाकिस्तानी सैनिकों का युद्ध करना जनरल मानेक शाह ने व्यर्थ बताया। क्योंकि ढाका तीनों ओर से घिर चुका था और हमारी तोपें ढाका को समाप्त करने में समर्थ थीं। जनरल मानेक शाह ने अपने सन्देश में कहा था कि पाकि-

स्तानी सेना यदि लड़ना चाहती है तो सभी विदेशियों और नागरिकों को युद्ध-क्षेत्र से हटा दे ताकि व्यर्थ में मानव-हत्या न होने पाए। खुलना तथा कोमिल्ला की छावनियों को हमारे बहादुर सैनिक चारों ओर से घेर चुके थे जिसमें कोई पाकिस्तानी भागने न पाए। अगर उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया तो समाप्त कर दिए जाएंगे। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार बंगला देश की सरकार ने यह घोषणा कर दी कि उसका पाकिस्तानी सैनिकों के साथ जो व्यवहार होगा वह जेनेवा समझौता के अनुसार होगा। पाकिस्तानी डर रहे थे कि यदि उन्होंने आत्मसमर्पण किया तो उनके साथ वैसा ही व्यवहार होगा जैसा वे बंगला देश की जनता के साथ कर रहे थे। रक्षा-मन्त्रालय के प्रवक्ता के अनुसार पश्चिमी मोर्चे में केवल छम्ब में ही पाकिस्तानी कुछ मील हमारे क्षेत्र में थे अन्यथा बाकी अन्य मोर्चों पर हमारे सैनिक बहुत आगे थे। वाड़मेर और कच्छ अंचल में पाकिस्तान के बहुत बड़े भू-भाग पर भारतीय सेना ने अपना अधिकार कर लिया था।

१३ दिसम्बर तक पाकिस्तान को अपने ८३ विमान और १६३ टैंक खोने पड़े जबकि हमारे केवल ५४ टैंक तथा ३६ विमान नष्ट हुए थे।

१४ दिसम्बर को संसद में वावूजी ने बताया कि पाकिस्तानी नियमित सेना अर्द्ध सैन्य दलों के वन्दी बनाये गये सैनिकों और अफसरों की तब तक की संख्या आठ हजार एक सौ अड़सठ थी। वावूजी ने विश्वास प्रकट किया कि भारतीय सेना और मुक्तिवाहिनी की संयुक्त कार्रवाई से बंगला देश शीघ्र आजाद हो जाएगा। वावूजी ने कहा कि पाकिस्तान को जो भारी क्षति हुई है उसकी पूर्ति तभी हो सकती है जब उसे भारी मात्रा में विदेशी सहायता प्राप्त हो। वावूजी ने कहा कि अचानक हम पर हमला करने पर भी दुश्मन अपने लक्ष्य को पूरा करने में पूरी तरह असफल रहा। दुश्मन से राजस्थान सीमा को जो खतरा था वह खत्म कर दिया गया। इन्होंने बताया कि युद्ध शुरू होने से कल शाम छह बजे तक १७५ पाकिस्तानी टैंक और ८१ विमान नष्ट किए जा चुके थे। भारतीय क्षति की चर्चा करते हुए वावूजी ने



बताया कि इस युद्ध में अब तक १६७८ सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। पांच हजार पच्चीस घायल हुए और एक हजार छह सौ बासठ लापता। बाबूजी ने कहा कि कारगिल और टिथवाल क्षेत्र में अनेक चौकियों पर हमारे सैनिकों द्वारा अधिकार कर लिए जाने से, इस क्षेत्र में अब शत्रु के लिए सड़क संचार को नुकसान पहुंचाना असम्भव हो गया। हमारी सेना सिन्ध में एक हजार किलोमीटर क्षेत्र पर अधिकार कर चुकी थी और उस क्षेत्र में नागरिक प्रशासन की देखभाल की व्यवस्था हो चुकी थी। भारतीय सेना ने पूर्वी क्षेत्र में मुक्तिवाहिनी के साथ मिलकर बहुत बड़े क्षेत्र को मुक्त कर लिया। बाबूजी ने बताया कि हमारे जिस युद्धपोत 'खुकरी' को अरब सागर में डूबो दिया गया था उसके छह अफसरों और ६१ नौसैनिकों को बचा लिया गया। लेकिन उसके १२ अफसर और १७३ नौसैनिक अभी भी लापता हैं। अब तक हमारे ४१ विमान और ६१ टैंक नष्ट हुए। बाबूजी ने बताया कि पाकिस्तानी हवाई हमले बहुत कम हो गए थे। पाक हवाई हमलों से केवल एक विमान धरती पर नष्ट हुआ। केवल थोड़े समय को छोड़कर हमारे सभी हवाई अड्डे चालू हालत में रहे जबकि भारतीय हवाई हमलों से पाक हवाई अड्डों को गहरी क्षति पहुंची। बाबूजी ने कहा कि जान-बूझकर शत्रु अब असैनिक ठिकानों पर हमला कर रहा है। बाबूजी ने मुक्तिवाहिनी की प्रशंसा की और कहा कि वह भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही है। भारत की रक्षा करते हुए वीरगति पाये जवानों के सम्बन्धियों के प्रति बाबूजी और लोकसभा ने हार्दिक संवेदना प्रकट की।

१४ दिसम्बर को बंगला देश की राजधानी ढाका को मुक्त करने के लिए भीषण संघर्ष शुरू हो गया। हमारे जवानों ने अपने पहले आक्रमण में नगर की बाहरी रक्षा पंक्ति को तोड़कर शत्रु के एक ब्रिगेडियर, दो लेफ्टिनेन्ट कर्नल, अनेक मेजर और अन्य सैनिक अधिकारियों को बन्दी बना लिया तथा भारी संख्या में हमारे जवानों के आगे पाक फौजों ने घुटने टेक दिए। पूर्व पाक के गवर्नर डा० मलिक

सहित मंत्री और अनेक असैनिक अधिकारियों ने अपना-अपना त्यागपत्र देकर अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास की शरण में स्थान ग्रहण किया। भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष जनरल मानेक शाह के अन्तिम अपील की जिसमें उन्होंने पाक सैनिकों को आत्मसमर्पण कर देने को कहा था, उत्तर न मिलने पर हमारे जवानों ने तोपों से ढाका की छावनी पर गोले बरसाने शुरू कर दिए थे और विमानों ने भी सारे दिन भारी बमवर्षा की। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ढाका में १५ से २० हजार तक पाकिस्तानी सेना होगी। भारत यह नहीं चाहता कि दुश्मन की फौजों के साथ नागरिकों की हत्या की जाय। फलस्वरूप नागरिकों को युद्ध-क्षेत्र से बाहर निकल जाने का मौका दिया गया।

१४ दिसम्बर तक के युद्ध में पाकिस्तान को अपने ८३ विमान, १७५ टैंक, ४ युद्धपोत, २ पनडुब्बी, १६ तोपधारी नौकाएं और १२ अन्य पोतों से हाथ धोने पड़े तथा भारत के ४१ विमान लॉर ६१ टैंक नष्ट हुए। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तान की तीन चौकियों पर भारतीय सेना का अधिकार हो गया। छम्ब में २४ घंटे से शांति बनी हुई थी। हमारी सेना ने तवी नदी के पूर्वी किनारे से दूसरी ओर शत्रु की तोपों का मुंह बंद कर दिया। कोर-कमांडर ले० जन० सरताज सिंह के अनुसार शायद शत्रु अब छम्ब क्षेत्र में आक्रमण करने का साहस नहीं करेगा क्योंकि उसे भारी नुकसान उठा कर पीछे भागना पड़ा। भारतीय सेना स्यालकोट क्षेत्र में पाकिस्तान के ३५० वर्ग मील इलाके पर अपना अधिकार कर चुकी थी। पाकिस्तानी सेना ने डेरा वावा नानक पुल के पूर्वी किनारे पर भारी गोलावारी की तथा फतेहपुर चौकी को वापिस ले लिया। भारतीय सेना ने नौशेरा की एक पाक चौकी पर अपना अधिकार कर लिया। यहां पाकिस्तान का हमला बेकार कर दिया गया और १३ दिसम्बर की रात को फाजिल्का क्षेत्र में एक पाकिस्तानी शर्मन टैंक पकड़ लिया गया। फिरोजपुर के कालीसाह नामक चौकी को भारतीय सेना ने अपने अधिकार में ले लिया। भारतीय सेना ने सीमा के उस पार

सिंध प्रान्त में गड्वार और ढीह के समीप शत्रु के काफी शस्त्रास्त्र पकड़े और ३० पाक सैनिकों को बंदी बनाया। श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, मेरठ, अहमदाबाद, गोवा, गांधीधाम, कांडला और भुज में वायु हमले की चेतावनी दी गई। पूर्वी मोर्चे के खुलना छावनी में लड़ाई के चौथे दिन अनेक पाक सैनिक मारे गए। भारतीय सेना मेनामारी छावनी, जो कोमिला में है, की ओर बढ़ी थी और बोगरा को आजाद करा लिया। भारतीय सेना फेनी से आगे बढ़कर कमीर हाट पहुंच गई थी जो सिर्फ १३ किलोमीटर चटगांव से उत्तर में है। भारतीय नौसेना ने आक्रमण करके चटगांव और काक्स बंदरगाहों में आग लगा दी। ढाका नगर को भारतीय सेना ने चारों ओर से घेर लिया और एक भारतीय टुकड़ी नरसिंहदी की ओर से ढाका की ओर बढ़ रही थी।

अन्तर्राष्ट्रीय मोर्चे पर पाकिस्तानी हमदर्दों की साजिश चालू थी। सुरक्षा-परिषद की असाधारण बैठक बुलाकर वे पाकिस्तानी हमदर्द अब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धबंदी और फौजों की वापसी का प्रस्ताव कर रहे थे। पर सुरक्षा-परिषद में रूस ने अपनी मैत्री निभाई और लगातार तीन 'वीटो' प्रयोग किए। पाकिस्तान के एक हमदर्द अमेरिका ने परमाणु शक्ति से चालित अपने 'एन्टर-प्राइज' को बंगाल की खाड़ी की ओर भेजकर भारत को भयभीत करना चाहा। फलस्वरूप रूस ने भी अपना वेड़ा बंगाल की खाड़ी की ओर भेज कर अपनी मैत्री का प्रमाण प्रस्तुत किया। पाकिस्तान का उपनिवेश बना कर बंगला देश को रखने वाले कुछ राष्ट्रों ने सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई थी। पर उनके साथ-साथ पाकिस्तान के मनोनीत उप-प्रधानमंत्री मियां भुट्टो को भी निराश होना पड़ा। बेचारे भुट्टो तो १५ दिसम्बर को सुरक्षा परिषद में इतने निराश हो गए कि उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। पाकिस्तानी विदेश मंत्री क्रुध हो गए और सुरक्षा परिषद के अधिवेशन से बाहर निकल गये। उन्होंने कहा कि मेरे तथा मेरे देश के लिए अब अधिवेशन में ठहरना अपमानजनक

होगा। बाहर निकलते समय मियां जी ने अपना गुस्सा कागज पर निकाला और उसे फाड़कर अपना विरोध प्रदर्शित करते हुए कहा कि युद्ध के लिए मैं अपने देश वापिस जा रहा हूँ।

बंगला देश में पाकिस्तानी सेना के प्रधान सेनापति लेफ्टिनेन्ट जनरल ए० के० नियाजी ने १५ दिसम्बर को एक संदेश भेजकर भारत से युद्ध-विराम की प्रार्थना की। वह संदेश दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास के माध्यम से भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल मानेक शाह को मिला उस पर मेजर जनरल फरमान अली, जो भूतपूर्व असैनिक गर्वनर के सैनिक सलाहकार थे, का भी हस्ताक्षर था। बंगला देश स्थित पाकिस्तानी सेनापति को भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल मानेक शाह ने भी अपना उत्तर अमेरिकी दूतावास के माध्यम से भेजा। अपने उत्तर में जनरल मानेक शाह ने कहा कि वे बंगला देश में सभी पाकिस्तानी फौजों को तुरन्त युद्ध बन्द करने और भारतीय सेनाओं के सामने आत्मसमर्पण करने की आज्ञा दें। भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल मानेक शाह ने चेतावनी देते हुए कहा कि कल सवेरे नौ बजे तक यदि युद्ध बंद कर पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो अपना अंतिम अभियान पूरी शक्ति से हमारे जवान आरम्भ कर देंगे। भारतीय सेनाध्यक्ष ने पाकिस्तानी सेनापति नियाजी को यह आश्वासन दिया कि जो पाकिस्तानी सैनिक और अफसर आत्मसमर्पण कर देंगे उनके साथ जेनेवा समझौते के अनुसार शिष्ट व्यवहार होगा और आहतों को चिकित्सा की सुविधा दी जाएगी और मृतकों को दफनाने की व्यवस्था होगी। जनरल मानेक शाह ने दुश्मन के सेनापति को उत्तर देने के लिए रात भर का समय दिया। फलस्वरूप शाम पांच बजे से हवाई हमला न करने का निश्चय हुआ, पर हमारी स्थल सेना और मुक्तिवाहिनी नरसिंहदी से आगे बढ़ते हुए सितालक्ष्या नदी पार कर ढाका पहुंच चुकी थी।

१५ दिसम्बर तक के युद्ध में पाकिस्तान को अपने ८६ विमान १८६ टैंक, ४ युद्धपोत, २ पनडुब्बी, १६ तोपधारी नौकाएं और

१२ अन्य पोटों से हाथ धोने पड़े थे जबकि भारत के ४२ विमान और ६६ टैंक नष्ट हुए थे। पश्चिमी मोर्चा के कारगिल क्षेत्र में हमारे जवानों ने एक पाकिस्तानी चौकी को, जो सोलह हजार फुट की ऊंचाई पर है, अपने अधिकार में ले लिया। आक्रमण के समय वहां का तापमान शून्य से तेरह डिग्री नीचे था। छत्र में एक-एक कर गोलियां चल रही थीं। जोड़ियों के नौ मील दक्षिण में हमारे जवानों ने दुश्मन की एक टुकड़ी को अपने घेरे में ले लिया और एक टैंक तथा चार चीनी राकेट पकड़े गये। शकरगढ़ के लिए भयंकर युद्ध हो रहा था और हमारे वहादुर जवानों ने वहां शर्मन और पैटन टैंकों का कब्रगाह बना दिया था। फिरोजपुर अंचल में हमारे वहादुर सैनिकों ने दुश्मन की कम्पनी को अपने घेरे में ले लिया और लड़ाई में ३० पाकिस्तानी मारे गए और १४ घायल तथा दो बंदी बनाए गये।

भारतीय नौ सेना अध्यक्ष एडमिरल श्री एस० एम० नंदा ने बम्बई में संवाददाताओं को बताया कि भारतीय नौ सेना पाक पन-डुब्बियों की ताक में है। एडमिरल श्री नंदा ने कहा कि पूर्वी बंगाल में भारतीय नौ सेना की पूरी नाकाबंदी की वजह से अब शत्रु का कोई भी जहाज नहीं चल रहा है। चटगांव, काक्स बाजार, खुलना, मेगला और छालना पर हमारे जहाज पिछले चार दिनों से बमबारी कर रहे हैं। फलस्वरूप पूर्वी बंगाल से आना जाना एकदम बन्द है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी नौ सेना के लड़ाकू दस्ते समाप्त हो गए हैं।

(६)

विश्व इतिहास में सुनहले अक्षरों में लिखी जाने वाली घटना १६ दिसम्बर १९७१ को हुई। ढाका में पाकिस्तानी जनरल ए० के० नियाजी ने भारतीय सेना के सामने बिना शर्त आत्म समर्पण कर दिया और बंगला देश पाकिस्तान के चंगेजी पंजों से मुक्त होकर स्वतन्त्र हो गया। इसके बाद भारत सरकार ने पश्चिम पाकिस्तान के सभी मोर्चों पर १७ दिसंबर को भारतीय समय के अनुसार रात आठ बजे से एक तरफा

युद्ध-विराम की घोषणा कर दी। पश्चिमी मोर्चे पर एक तरफा युद्ध-विराम की घोषणा करने का निश्चय केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया।

भारत ने जब एक ओर अपने पश्चिमी मोर्चे पर युद्ध-विराम की घोषणा की तब दूसरी ओर पाकिस्तान के मदान्ध सदर याह्या अपने रेडियो संदेश में बोले “जब-तक पाकिस्तान का सभी इलाका खाली नहीं करा लिया जाता तब तक युद्ध जारी रहेगा।” पर वास्तविकता यह थी कि उनकी आवाज निस्तेज थी।

बंगला देश में पाकिस्तानी सेनापति लेफ्टिनेन्ट जनरल नियाजी की बिना शर्त आत्म समर्पण करने की बात सेनाध्यक्ष जनरल मानेक शाह को रेडियो संदेश द्वारा बताया गयी। इसके बाद हमारे कोर-कमांडर मेजर जनरल जैकब ढाका पहुंचे। पाकिस्तानी सेना के आत्म समर्पण की प्रारम्भिक बातचीत होने के बाद पूर्वी कमान के सेनापति तथा बंगला देश में लड़ने वाली भारतीय सेना और मुक्तिवाहिनी के संयुक्त सेनापति लेफ्टिनेन्ट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा हेलीकोप्टर से ढाका पहुंचे। शाम को साढ़े चार बजे पाकिस्तानी सेना के आत्म समर्पण संबंधी कागजात पर हस्ताक्षर हुए। बंगला देश के सभी स्थानों पर पाकिस्तानी सेना और अर्द्ध सैनिक टुकड़ियों ने अपने निकट के भारतीय सैनिकों या मुक्तिवाहिनी के सामने हथियार डाल कर घुटने टेक दिए और आत्म समर्पण किया।

पश्चिमी मोर्चे की १४ दिन की लड़ाई का लेखा-जोखा देते हुए १७ दिसंबर को पश्चिमी कमांड के सेनापति लेफ्टिनेन्ट जनरल कुन्दिरमन पटेल कैंडेथ ने दिल्ली में संवाददाताओं से कहा “हमने कारगिल से लेकर गंगा नगर जिले तक पश्चिमी सीमाओं पर पाकिस्तानियों के भारत की धरती में घुस आने के सभी प्रयास असफल बना दिए। पाकिस्तानियों की आंखें कश्मीर पर लगी थीं। उनका जम्मू और कश्मीर को भारत से काट देने का स्वप्न हमारे वीर सैनिकों ने कारगिल, टिथवाल, पूंछ, छम्ब, शकरगढ़, जफरवाल, डेरा बाबा नानक,

फतेहपुर, चौगांवां तथा जलालबाद क्षेत्रों में बड़ी वीरता से शत्रु के हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे कर चूर-चूर कर दिया। शत्रु की इस भारी शिकस्त में हमारी हवाई सेना का भी बहुत बड़ा हाथ था। पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई के बारे में एक बात स्पष्ट समझ लीजिये। यहां हमें पाकिस्तान पर आक्रमण करने का आदेश नहीं था। हमें यह हुक्म था कि शत्रु की सेनाओं को भारत में घुसने से रोके रखो। बहुत-सा पाकिस्तानी इलाका हमारे कब्जे में इसलिए आ गया कि भागती हुई सेनाओं का पीछा करते हुए हमें आगे बढ़ना ही था और जहां हमारे देश पर आक्रमण करने के लिए पाकिस्तानियों ने बड़ी मजबूत मोर्चा-बंदी की थी उसे तोड़ना था।”

प्रतिरक्षा-मंत्री वावूजी ने कहा था कि “अगर पाकिस्तान ने हम पर युद्ध थोपा तो वह शत्रु की भूमि पर होगा।” ३ दिसम्बर को अचानक पाकिस्तान ने हम पर अकारण आक्रमण कर दिया। वावूजी ने जो कहा था उसे १४ दिन के भारत-पाक युद्ध में कर दिखाया। इतना ही नहीं विश्व-इतिहास को इन्होंने मोड़ दिया है। रक्षा-मंत्री के रूप में भारत की रक्षा का गम्भीर दायित्व इन्हीं के कंधों पर है। पाकिस्तान का स्वप्न था कि जम्मू और कश्मीर को हड़प कर वह अपने समाप्त उपनिवेश बंगला देश की क्षति पूर्ति कर लेगा। पर हुआ वही जो वावूजी बहुत पहले कह चुके थे। पाकिस्तान के सैनिक तानाशाहों ने जब विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र और समाजवादी भारत पर आक्रमण कर दिया तो अपने लोकतंत्र और समाजवाद का ढिंढोरा पीटने वाले अमेरिका और चीन ने पाकिस्तान की मदद की। पर हुआ वही जो होने वाला था। भारत के प्रतिरक्षा मंत्री वावूजी को तो लोकतंत्र और समाजवाद की भी रक्षा करनी थी।

महाभारत में कर्मयोगी कृष्ण भारत (अर्जुन) के सारथी थे। अर्जुन पहले कृष्ण को समझता था कि उसके घोड़ों की रास सम्भालने वाला कोई इक्का-कोचवान है। पर अर्जुन ने जब अपने कोचवान को ही शुरु से आखिर तक महाभारत-युद्ध में लड़ते पाया तो वह

प्रसन्न आश्चर्य में डूब गया। हक्का-बक्का हो गया। वही हाफ़्ट लत भारत की रही। विश्व समझता था कि किसी सामान्य व्यक्ति के कंधों पर भारत की रक्षा का दायित्व है। पर इस १४ दिन के युद्ध ने विश्व को प्रत्यक्ष दर्शन करा दिया कि जिसके कंधों पर भारत की रक्षा का दायित्व था वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, कर्मयोगी कृष्ण के समान भारत का दुर्दान्त योद्धा है और संघर्ष ही उसका जीवन है।

बाबूजी ने लोकतन्त्र के नकावपोश अमेरिका और समाजवाद के नकावपोश चीन के वास्तविक उपनिवेशवादी मुखौटों से संसार को परिचित करा दिया। एक ओर इन्होंने लोकतन्त्र के नाम का ढिंढोरा पीटने वाले अमेरिका का बेड़ा ग़र्क किया और सिंह गर्जन की कि अमेरिका के सातवें नहीं सत्तरहवें बेड़े को देखने के लिए भारत तैयार है तो दूसरी ओर समाजवाद का ढोल पीटने वाले चीन और मियां भूट्टो की जबान अपनी एक फटकार में बंद कर दी।

बाबूजी से भारत को निरन्तर प्रेरणा मिल रही है। इन्होंने सर्वथा और सर्वदा भारत को खंडित होने से बचाया है। इन्होंने ही हरि-जनिस्तान बनाने की ब्रिटिश नीति को नाकाम किया है। पुनः रक्षा मंत्रित्व काल में अपने रण-कौशल से भारत को खंडित करने के पाकिस्तानी प्रयास को असफल किया है। भारतीय आदर्शों में पूर्ण आस्था रखते हुए, उनके लिए हर कुर्बानी करने के लिए तत्पर और जागरूक रहना ही बाबूजी का जीवन उद्देश्य है।

उपनिवेशवादी दमन चक्र से कुचले शरणार्थी जब भारत आए तो बाबूजी ने उनसे कहा था कि आप लोगों को स्वदेश जाना होगा। बाबूजी को सभी जानते हैं कि ये कहना नहीं करना भी जानते हैं। बेचारे शरणार्थियों का चेहरा मायूस हो गया। उन्हें लगा कि जिस दमन-चक्र से भाग कर आए हैं पुनः उसी में जाना होगा। वे उदास हो गए। उनके उदास चेहरों को देखकर बाबूजी ने कहा कि आपको याह्या खां के पाकिस्तान में नहीं शेख मुजीब के स्वाधीन बंगला देश में जाना होगा। तब शरणार्थियों के चेहरों पर उदासी की जगह उल्लास की बसन्ती



फूट-पड़ी। अप्रत्याशित शरणार्थियों के बोझ से भारत की सामाजिक स्थिति भी डवांडोल थी। उस पर पाकिस्तान का आक्रमण भी साफ दिखाई पड़ने लगा था। तब बाबूजी ने भारत को आश्वस्त किया और कहा कि "अगर युद्ध हम पर थोपा गया तो वह शत्रु की भूमि पर होगा।" बाबूजी के इस आश्वासन ने भारतवासियों को साहस, शक्ति और निर्णय लेने के ढंग से सभी भारतवासी भली भांति परिचित हैं। कभी भी उनके मुख से कोई बात निकलती है तो वह पत्थर की लकीर हो जाती है।

नेता के नेतृत्व की कसौटी उचित समय पर उचित निर्णय लेने से ही होती है। उपनिवेशवादी पाकिस्तानी तानाशाहों ने बंगला देश की समस्या उठाकर भारत के लोकतन्त्र, समाजवाद और वर्म निरपेक्षता को खुलेआम चुनौती दी थी। भारत को दी गई पाकिस्तानी चुनौती का चीन और अमेरीका खुले आम समर्थन करने लगे थे। बाबूजी को उन चुनौतियों का सामना करना आवश्यक था। भारत के साहस और शौर्य की परंपरा से विश्व को परिचित करा देना अनिवार्य हो गया था। तब बाबूजी ने उचित समय पर उचित निर्णय लिया। अपने दृढ़ निश्चय की घोषणा की कि अगर युद्ध हम पर थोपा गया तो वह शत्रु की भूमि पर होगा। बाबूजी को अपने दृढ़ निश्चय को पूरा करने में भारत की सेना और जनता ने समर्थन दिया और १४ दिन की इस लड़ाई में बाबूजी के पीछे एकसूत्र होकर बंधी सेना और जनता का विश्व ने दर्शन किया।

भारतीय सरलता और सादगी की मूर्ति बाबूजी ने आरम्भ से ही भारत को सुखी और सम्पन्न बनाने का संकल्प लिया है। इनके इस संकल्प में उपनिवेशवादी पाकिस्तान, अमेरिका और चीन ने बाधा डालने का दुष्प्रयत्न किया। एक करोड़ शरणार्थियों को भारत में भेजकर भारतीय अर्थव्यवस्था को तोड़ देने का उन्होंने पड्यन्त्र किया। भारत के रक्षामन्त्री के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था की रक्षा का दायित्व बाबूजी के कंधों पर था। अपने दायित्व को ध्यान में रखते हुए

वावूजी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि वह गलत रास्ता छोड़कर सही रास्ते पर आ जाए। लेकिन निक्सन और चाऊ एन लाई का कठपुतला याह्या नहीं माना। उसने भारत पर आक्रमण कर दिया। फलस्वरूप उसे सत्ता से हाथ धोना पड़ा। सेना के जवानों ने वावूजी को आश्वासन दिया था कि लड़ाई दुश्मन की जमीन पर होगी और उसे उन्होंने पूरा भी किया।

भारतीय धर्मनिरपेक्षता, लोकतन्त्र और समाजवाद का मजाक उड़ाने के लिए याह्या निक्सन और चाऊ एक साथ हो गए थे। वह धर्मनिरपेक्षता, लोकतन्त्र और समाजवाद की भावना से प्रभावित बंगला देश को कुचल डालने के लिए कृतसंकल्प थे। रक्षामन्त्री के रूप में भारतीय लोकतन्त्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करने का दायित्व वावूजी के ही कंधों पर था। अपने हर दायित्वों की तरह वावूजी ने इस दायित्व को भी पूरा किया है और आज बंगला देश उसका ज्वलंत प्रमाण बनकर विश्व के नक्शे में उभरा है।

संकल्प शक्ति के प्रतिरूप वावूजी ने विश्व के समस्त राष्ट्रों को भारत की संकल्प शक्ति से अवगत करा दिया है। संकट और संशय की हर घड़ी में पतवार संभालने वाले वावूजी पर आज समस्त भारत को गौरव है। साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी अमेरिका और चीन के कठपुतले तानाशाह याह्या ने शान्ति प्रिय भारत पर अकारण आक्रमण करके भारत की शान्ति और उसके स्वाभिमान पर आघात किया था। रक्षामन्त्री के रूप में भारत के स्वाभिमान और शान्ति की रक्षा करने की जिम्मेवारी वावूजी के कंधे पर थी। अपनी हर जिम्मेवारी की तरह इसे वावूजी ने शत-प्रतिशत पूरी की। १९६७ के अकाल के गाल में जाने से वावूजी ने भारत को अपने खाद्य मन्त्रालय के कार्य-काल में बचाया। दम तोड़ती हुई कांग्रेस को अव्यक्त बनकर बचाया। जब भारत के स्वाभिमान और शान्ति पर आंच आने का अवसर आया तो इन्होंने रक्षा मन्त्री के रूप में भारत के शौर्य का ऐसा उद्घोष किया कि भारत का स्वाभिमान केवल रक्षित ही नहीं रहा बल्कि विश्व के सबसे ऊंचे

स्थान पर प्रतिष्ठित भी हुआ। १९४७ में कश्मीर पर आक्रमण करके पाकिस्तान ने हमारे बहुत बड़े भू-भाग पर कब्जा कर लिया था। १९६२ में चीनी आक्रमण के समय हमारी असंगठित और अतैयार सेना को मात खानी पड़ी थी और हमारी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा था। १९६५ के भारत-पाक युद्ध के बाद हमारी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा कुछ अवश्य बढ़ी थी। पर १९७१ के भारत-पाक युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान का मेरुदण्ड ही तोड़ दिया। बंगला देश में लगभग एक लाख सशस्त्र पाक सैनिकों का आत्म-समर्पण विश्व-इतिहास की अपूर्व घटना है जो विश्व-इतिहास में जुड़ने वाला अप्रतिय अध्याय है। इसका श्रेय भारत को है। बाबूजी के रक्षा मन्त्रित्व काल में ही ऐसा सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है।

बाबूजी के रक्षा मन्त्रित्व काल में भारतीय सेना ने विश्व को दिखला दिया है कि पश्चिमी क्षेत्र में भी पाकिस्तान को ध्वस्त करने की शक्ति उसमें थी। भारतीय सैनिक इस्लामावाद में भी जाकर पाकिस्तानी सेना को आत्म-समर्पण करने के लिए वाध्य कर सकते थे। पर वास्तविकता यह थी कि भारत विस्तारवादी नीति को प्रश्रय नहीं देता। पश्चिमी क्षेत्र में हमारे सैनिकों ने आक्रमणकारी शत्रु की जमीन पर लड़ाई लड़ी है। पूर्वी क्षेत्र में बंगला देश को आजाद करा कर वहां की जमीन जनता को ही सौंप दी है जो विश्व-इतिहास की अप्रतिय घटना है। लाख समझाने-बुझाने के बाद भी जब पाकिस्तान नहीं माना तो भारत के लिए आवश्यक हो गया कि वह अपने यहां आए हुए एक करोड़ शरणार्थियों को उनके देश को उपनिवेशवादी चंगेजी पंजों से मुक्त करा कर भेजे। शरणार्थियों को सुरक्षा और सम्मान के साथ स्वदेश को लौटाना था।

३ दिसम्बर को जो आक्रमण भारत पर किया गया था वह तानाशाही और पूंजीवाद का खुलेआम भारतीय लोकतन्त्र और समाजवाद पर आक्रमण था। भारत के रक्षामंत्री बाबूजी को लोकतन्त्र और समाजवाद दोनों की रक्षा करनी थी। देशवासियों ने कन्वे से कन्वा

लगाकर वावूजी का साथ दिया। आज हमारे लोकतन्त्र और समाज-वाद दोनों रक्षित हैं। उन पर आंच नहीं आने पाई।

भारतीय संस्कृति में प्रेम से ज्यादा श्रेय का स्थान है। पड़ोसी की हम कद्र करते हैं और उसके हर सुख-दुख में समान रूप से सम्मिलित होते हैं। हमारा पड़ोसी बंगला देश खूंखार पाकिस्तानी दरिन्दों के खूनी पंजे में गिरफ्त कराह रहा था। भारत को उसकी रक्षा करना आवश्यक हो गया था। भारत ने उसकी रक्षा की है।

पाश्चात्य मनुष्य व्यक्ति रूप में जन्म लेता है और भारतीय सामाजिक रूप में। सारा मानव जगत भारतीय मनुष्य की हर इकाई के लिए अपना है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि मानवता पर होनेवाले आक्रमण को भारत ने हमेशा बेकार कर दिया है। बंगला देश में आक्रांत मानवता के लिए भारत को लड़ना आवश्यक था। मानवता की रक्षा करना आवश्यक था।

भारत का हृदय सदा विशाल रहा है। संकीर्णता को भारत ने कभी मान्यता नहीं दी है। हमेशा भारत ने अपने में दूसरों को सम्मिलित किया है। भारत में लोकतन्त्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता का उद्घोष हो रहा है। आज विश्व के सभी देशों का भारत की ओर आकर्षित होना और भारत से प्रभावित होना स्वाभाविक है।

भगवान श्रीकृष्ण ने महाभारत में भारत (अर्जुन) के लिए स्पष्ट कहा है—

हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वाभोक्ष्यसे महीप।

नस्म। पुत्रिष्ठ कौन्तेय युप्ताय कृत निश्चयः॥

(गी० अ० २।३७)

“या तो मरकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा जीतकर पृथ्वी को भोगेगा इससे हे अर्जुन! युद्ध के लिए निश्चय वाला होकर खड़ा हो।”

यही हमारी भारतीय सेना के जवानों का आदर्श है। चाहे वाड़ हो या भूकंप हो, तूफान हो या आग के शोले बरसते हों। सेना के

जवान हर संकट की घड़ी में खोजे जाते हैं और हर घड़ी वह हमारी सहायता करते हैं। देश के लिए देशवासियों के लिए उन्हें अपने प्राणों का भय नहीं होता। वास्तव में जनरल मानेक शाह ने ठीक कहा है कि 'जवान भगवान' हैं। भारत ने सर्वथा और सर्वदा अपने पर न्योछावर होने वालों की पूजा की है। तभी इसका शौर्य सदा विश्व के सर्वोच्च स्थान पर प्रतिष्ठित हुआ है। भारत सदा अपने पर न्योछावर होने वालों के प्रति ऋणी रहा है और रहेगा। भारत का इतिहास ही उस पर न्योछावर होने वालों का इतिहास है और अपनी उस अमूल्य निधि को भारत ने हमेशा संजोकर रखा है। वावूजी के शब्दों में "दुनिया में अगर कभी भी धर्म और न्याय के लिए संग्राम किया गया तो वह ३ दिसम्बर से १७ दिसम्बर तक हुआ। विश्व के आज तक के इतिहास में यह अद्वितीय है। भारतीय सेना की इस जाज्वल्यमान कीर्ति को हजारों साल तक कोई धूमिल नहीं कर सकेगा।"

बंगला देश से फौज हटाने की भुट्टो की शर्त को वावूजी ने मूर्खता पूर्ण बताया है। पटना में विशाल जन-सभा को सम्बोधित करते हुए वावूजी ने १७ जनवरी को कहा कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री भुट्टो द्वारा बंगला देश से भारतीय सैनिकों की वापसी की मांग मूर्खतापूर्ण है। वावूजी ने कहा कि अब बंगला देश स्वतंत्र राष्ट्र है। एक राष्ट्र के बारे में दूसरे राष्ट्र को बोलने का कोई हक नहीं है। वावूजी ने कहा कि पाक-राष्ट्रपति श्री भुट्टो की बुद्धि में समय बीतने के साथ-साथ निखार आ रहा है। पहले उन्होंने शेख मुजीब को छोड़ा। अब ही सकता है थोड़ा विलम्ब करके बंगला देश को मान्यता भी दे दें। वावूजी ने बंगाल की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के सातवें वेड़े 'इन्टर प्राइज' के भेजे जाने की कटु आलोचना करते हुए कहा कि यदि सातवां वेड़ा कोई भी शरारत करता तो उसे भी समुद्र के गर्भ में भेज दिया जाता। हमारे नौसेना के नाविक अपना प्राण न्योछावर करके भी उसे डुबा ही देते। इन्होंने बताया कि युद्ध में वीरगति प्राप्त शहीदों के परिवारों की पूरी जिम्मेवारी सरकार ने अपने ऊपर ले ली है और

२२ वर्ष तक के उम्र के उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इसके साथ ही घायल जवानों को भी पूरी सुविधा दी जाएगी। देशवासियों से अपील करते हुए इन्होंने कहा कि जवानों के लिए सहानुभूति नहीं बरन आदर दें। अपंगों के प्रति भी आदर रखें, क्योंकि संभव है कि उनमें सेना के जवान भी हों, जिन्होंने अपनी जवानी देश की वलिवेदी पर चढ़ा दी हो।

बाबूजी ने दानापुर सैनिक छावनी में बिहार रेजीमेंट के जवानों के बीच यह घोषणा की कि हाल के भारत-पाक युद्ध और १९६२ तथा ६५ के युद्ध में वीरगति प्राप्त भारतीय सेना के जवानों के परिवारों और अपंग जवानों को सरकार हर सहायता देने जा रही है और वह सारी सुविधाएं सीमा-सुरक्षा सैनिकों को भी उपलब्ध होंगी। बाबूजी ने जवानों की वीरता और उनके अभूतपूर्व साहस की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कहा कि सरकार के साथ-साथ देश की जनता उनकी वीरता के सामने नतमस्तक है।

गांधी मैदान में युद्ध में वीरगति प्राप्त और अपंग सैनिकों की चर्चा करते हुए प्रतिरक्षा मंत्री बाबूजी ने कहा कि “उनके परिवार के प्रति समाज की पूरी सहानुभूति अपेक्षित है। ऐसे लोगों का बोझ हम उठाने को तैयार हैं। शहीदों के परिवारों का पालन-पोषण, उन के बच्चों को उच्च शिक्षा देने का हमने फैसला किया है। उन्होंने देश के लिए वलिदान किया है और हमारा मस्तक उनके सामने नत होना चाहिए। बाबूजी ने बताया कि सिलीगुड़ी के अस्पताल में एक घायल पड़े भारतीय जवान को इन्होंने आश्वासन दिया है कि जख्मों के ठीक हो जाने के बाद उसके विवाह की जिम्मेदारी “भारत का रक्षामंत्री लेता है।” बाबूजी ने कहा कि उस अविवाहित जवान ने अपनी एक टांग मातृ-भूमि का गौरव बढ़ाने के लिए आहुति दे चुका है। पश्चिमी सीमा से भारतीय सेना को हटाने की बात की चर्चा करते हुए बाबूजी ने कहा कि भारत-पाक के बीच स्थायी अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित नहीं हो जाती है, तब तक भारतीय सेना पश्चिमी मोर्चों के अपने वर्तमान

उँकानों से पीछे नहीं हटेगी। इन्होंने कहा कि स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण दोनों देशों की सहमति से होना चाहिए, किसी की वध्यस्था से नहीं। पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा बंगला देश में कये जाने वाले अत्याचारों को अवर्णनीय बताते हुए वावूजी ने कहा कि बंगला देश में पाकिस्तानी सैनिकों ने १०-१२ वर्ष की बच्चियों तक गे अस्मत लूटी।

वावूजी ने बताया कि हमने पाकिस्तान के साथ न्याय, धर्म एवं मानव सभ्यता की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी थी और उससे विश्व के इतिहास को एक नई दिशा प्राप्त हुई है। इन्होंने भारतीय सेना की सफलताओं की चर्चा करते हुए बताया कि नौसेना के जवानों ने कराची से चटगांव बन्दरगाह तक के क्षेत्रों को अपने कब्जे में कर लिया और बंगला देश में पड़े सैनिकों की नाकेबन्दी कर दी। फलस्वरूप शस्त्र एवं सामान रहते हुए भी एक लाख सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इसी तरह लड़ाई के दूसरे दिन ही हमारी वायुसेना ने भारत-पाक हवाई मार्ग पर अपना कब्जा कर लिया। वावूजी युद्धकाल में स्वयं युद्ध-क्षेत्र से अग्रिम मोर्चों का दौरा भी करते थे। वावूजी ने कहा कि बंगला देश के स्वतन्त्र हो जाने से विश्व के राष्ट्रों में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। मैंने यह वचन दिया था कि यदि इस बार पाकिस्तान ने युद्ध छोड़ा तो युद्ध पाकिस्तान की भूमि पर ही होगा। मुझे इस बात की खुशी है कि भारतीय सेना के तीनों अंगों—जल, थल और नभ सेना ने मेरे वचन का पालन किया और युद्ध पाकिस्तान की भूमि पर ही लड़ा गया। इन्होंने बताया कि स्वर्गीय मुहम्मद अली जिन्ना के द्विराष्ट्र-सिद्धांत को जिसके आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, इस युद्ध में दफना दिया गया। बंगला देश के निर्माण ने यह सिद्ध कर दिया है कि लोग इसे समझें कि हमारी लड़ाई किसी मुसलमान राष्ट्र से न होकर वर्चस्व के विरुद्ध थी। तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति याहिया खान बार-बार युद्ध भड़काने वाली बातें किया करते थे। सीमाओं पर उन्होंने संघर्ष भी शुरू कर दिए थे। फिर भी भारत

युद्ध के मैदान में कूदना नहीं चाहता था। हम चाहते थे कि किसी तरह युद्ध की नींव टल जाय। पर जब पाकिस्तान ने हमारी सीमाओं पर अपनी सेनाएं खड़ी कर दीं तो हमारे सामने कोई विकल्प नहीं रह गया और इस चुनौती का सामना करना हमारे लिए अनिवार्य हो गया। देशवासियों का आह्वान करते हुए वावूजी ने कहा कि देश की सारी जनता एकमन, एकमत और एक प्राण होकर सैनिकों की शक्ति और उनके उत्साह बढ़ाने के काम में मदद करे। वावूजी ने मेना के तीनों अंगों की तरफ से जनता का इसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित की।

भारतीय सेना के उच्च मानवीय आदर्शों की चर्चा करते हुए वावूजी ने बताया कि स्वयं पाकिस्तानी जनता ने इस बात को स्वीकार किया है कि भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना की अपेक्षा उनकी हिफाजत ज्यादा करती है। भारतीय सेना ने हर जगह मानवीय गुणों की रक्षा की है जबकि पाकिस्तानी सेना हैवानियत की हद तक पहुंची हुई थी। उदाहरण देते हुए वावूजी ने बताया कि बंगला देश स्थित पकड़े गए पाकिस्तानी सैनिकों से हजारों रुपये बरामद हुए हैं। क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने लड़ने के बजाय केवल लूटने का काम किया है। जिसमें आत्मबल नहीं वह लड़ता भी नहीं।

बंगला देश निर्माता शेख मुजीब के स्वदेश वापस लौटने का स्वागत करते हुए वावूजी ने कहा कि भारत ने अपने वचन को, जो बंगला देश की जनता को दिया था, पूरा किया है। 'रामायण' के भक्त वावूजी ने इस संदर्भ में लंका विजय का प्रसंग सबको याद दिलाया जहां भगवान राम लंका की विजय के बाद विभीषण को राजगद्दी पर आसीन करते हैं। वावूजी ने कहा कि हमने भी बंगला देश की विजय से पहले ही शेख मुजीब का राजतिलक कर दिया था। वावूजी ने आशा प्रकट की कि भारतीय जनता गांधीजी के उस सपने को पूरा करेगी जिससे व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी का भी शोषण नहीं होगा। इस्लाम धर्मावलंबियों को इन्होंने राय दी कि वे नई दृष्टि अपनावें क्योंकि विश्व का अब बंगला देश दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र के



रूप में है और पाकिस्तान का सातवां-आठवां स्थान हो गया है। भारतीय मुसलमानों को बुनियादी तौर पर समझना चाहिए कि बंगला देश बीसवीं सदी का राष्ट्र है जबकि पाकिस्तान अब भी छठी सदी का राष्ट्र बना हुआ है।

वावूजी ने कहा कि “गरीबी के खिलाफ छेड़े गए युद्ध में विजय पाना भारत-पाक युद्ध में विजय पाने से ज्यादा कठिन है। इसलिए इस लड़ाई में भी शानदार विजय पाने के लिए दृढ़ संकल्प लेना चाहिए।” इसी मंच से वावूजी ३ दिसम्बर को भाषण दे रहे थे जबकि पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था।

विहार वाणिज्य परिषद के सदस्यों के बीच वावूजी ने व्यापारियों से अनुरोध किया कि वे राष्ट्र के औद्योगिक विकास के लिए ठोस कदम उठावें ताकि राष्ट्र आत्मनिर्भर हो सके और यहां की गरीबी समाप्त की जा सके। वावूजी ने अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा कि इस वार की लड़ाई में सारे देश में देशभक्ति और जागरूकता की जो लहर आई है वह अद्भुत है और उसे बनाये रखना आवश्यक है। हाल की लड़ाई में व्यापारियों ने अपने दायित्व का पालन काफी हद तक किया। इससे किसी प्रकार की कठिनाई हमें नहीं हुई। देश की गरीबी खत्म होने पर व्यापारियों को भी अच्छा बाजार मिलेगा। अतः उसके लिए कठिन श्रम करना अत्यावश्यक है। उस लड़ाई में भी विजय पाने के लिए केन्द्रीय सरकार संविधान में संशोधन करने जा रही है। वावूजी ने कहा कि “विहारवासियों को प्रायः साठ वर्ष की उम्र हो जाने के बाद ही लड़ने का अवसर मिलता है और मुझे भी साठ वर्ष से अधिक आयु हो जाने के बाद ही इस वार लड़ाई करने का अवसर मिला है।” वावूजी ने कहा कि वैसे तो मैं लड़ाकू नहीं हूँ, किन्तु यदि मजबूरी में लड़ाई करनी पड़ जाती है तो कसकर लड़ लेता हूँ। यह बात वावूजी ने अपने को ‘लड़ाकू जगजीवन वावू’ सम्बोधित किए जाने के बाद उत्तर में हंसते हुए कही।

आज वावूजी जैसे जागरूक प्रहरी को पाकर समस्त राष्ट्र निश्चित

है। इस जागरूक प्रहरीने जनता और सेना दोनों की समान सेवा की है। आज बाबूजी ने अपने दायित्व को निवाहते हुए भारत के धर्म, राजनीति, सिद्धांत, संस्कृति सबकी रक्षा समान रूप से की है। सदियों बाद आज भारत पुनः विश्व में भलिभांति प्रतिष्ठित हुआ है। बाबूजी का जीवन समस्त भारत के लिए प्रेरणास्रोत है। इनका जीवन 'अह्म-ब्रह्मसिम', 'शिवोहम' और 'तत्त्वमसि' सबका साक्षात्कार कराता है। इनका जीवन स्पष्ट रूप से सन्देश दे रहा है कि "खुदी को कर बुलन्द इतना कि हर तक्रदीर से पहले, खुदा बन्दे से खुद पूछे वता तेरी रजा क्या है।" विशाल-हृदय बाबूजी का जीवन भारतीय विशालता का एक अनुपम उदाहरण है। इनके निकट जाते ही भारतीय विशालता स्पष्ट नजर आने लगती है।

आज विश्व के समस्त राष्ट्रों की नजर में भावी भारतवर्ष स्पष्ट खड़ा है। बाबूजी का जीवन में को जगाने की मन्त्र-दीक्षा दे रहा है। "उत्तिष्ठत जाग्रत" का मंगल उद्घोष करता हुआ बाबूजी का जीवन हमें स्पष्ट सन्देश दे रहा है। बाबूजी की कार्यकुशलता और कर्तव्यपरायणता सर्वमान्य है।

पाकिस्तान की तरह गरीबी से युद्ध करने के लिए भी अब भारत जाग चुका है। आत्मविश्वास की लहर भारत में आ चुकी है और वह हर मामले में आत्म-निर्भर बनकर रहेगा। सफल भविष्य-द्रष्टा स्वामी विवेकानन्द भविष्यवाणी कर चुके हैं कि "पुनर्जात भारतवर्ष का वह प्रथम उद्घोष सुनोगे, जिसकी करोड़ों गर्जनाओं से सारे विश्व में यही पुकार गूंजती रहेगी, 'वाह गुरु की फतह'!" इन्हीं सफल भविष्य द्रष्टा स्वामी विवेकानन्द के सम्वन्ध में विश्व कवि श्री रवीन्द्र नाथ टैगोर ने स्पष्ट कहा है, "यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो विवेकानन्द का अध्ययन कीजिए। उनमें सब कुछ विवेकानन्दक या भावात्मक है। निषेधात्मक अथवा अभावात्मक कुछ भी नहीं।" स्वामी विवेकानन्द ने स्पष्ट लिखा है, "विचार और कार्य की स्वतंत्रता ही जीवन, उन्नति और हित-साधन का एकमात्र मार्ग है। जहां यह स्वतंत्रता

नही है/वहा मनुष्य, जाति और राष्ट्र की अवनति अवश्यम्भावी है।  
 जाति हो या न हो, पन्थ हो या न हो, कोई भी मनुष्य, वर्ग या जाति,  
 राष्ट्र या संस्था—जो व्यक्ति के स्वतन्त्र विचार और कार्य की शक्ति  
 का तब भी अवरोध करती है, यद्यपि वह शक्ति दूसरों को कोई हानि  
 नहीं पहुंचाती—आसुरी ही है, और उसका नाश होना चाहिए। ...  
 अपने सामने यह सिद्धांत वाक्य रखो—‘धर्म पर क्षाघात न करते हुए  
 जन साधारण का उत्थान’ स्वामी विवेकानन्द ने भारत को स्पष्ट संदेश  
 दिया है कि “सदा आगे बढ़ो !” मृत्यु की भी परवाह न करते हुए  
 गरीबों के लिए, पद दलितों के लिए सहानुभूति रखना—यही हमारा  
 सिद्धांत-वाक्य है। स्वामी विवेकानन्द के बताये हुए भारत के सिद्धांत  
 वाक्य का प्रत्यक्ष ज्वलंत प्रमाण बनकर बंगला देश आज विश्व के समक्ष  
 उभरा है। भारत के सिद्धान्त-वाक्य की रक्षा करने का दायित्व  
 बाबूजी के कंधों पर है और उसे राष्ट्रीय पुरुषार्थ के प्रतीक बाबूजी ने  
 शत प्रतिशत पूरा किया है।

विश्व-इतिहास के इस अप्रतिय मानव ने अपनी जन्मभूमि को  
 सर्वोच्च स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया है। वह मां धन्य है जिसने ऐसे  
 नर-रत्न को जन्म दिया है। भारत बाबूजी जैसे ही सपूतों पर जागरूक  
 रहा है और रहेगा। भारतीय पुरुषार्थ के प्रतीक बाबूजी ने गरीबी से  
 युद्ध छेड़ने के लिए समस्त भारत का आह्वान किया है। गरीबी अब डर  
 चुकी है और उसे भी भारत के समक्ष घुटने टेककर आत्मसमर्पण करना  
 ही होगा। जय भारत ! जय बंगला !

